राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 19

सोमवार;

29 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा. जसवन्त यादव।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 15 मार्च, 2010)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में बकाया किराया राशि

200. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं? मय निवास स्थान के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो निजी मकान होते हुए भी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं? मय नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में ऐसे कितने उक्त अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध किराया राशि बकाया चल रही है? उक्त किराया राशि कब से एवं कितनी-कितनी बकाया है? मय नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारियों की बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजकीय आवास में निवास कर रहे अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) राज्य के आई.ए.एस. अधिकारी जो निजी मकान होते हुए भी नियमानुसार अनुमति उपरान्त राजकीय आवास में रह रहे हैं, का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) राज्य के आई.ए.एस. अधिकारी जिनके विरुद्ध किराया राशि बकाया चल रही है, का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(4) जी हां। आबंटन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, एम एल ए यदि हार जाता है तो उसको कुछ दिनों में ही सरकार नोटिस पर नोटिस देना शुरू कर देती है कि मकान खाली करो। इसी तरह कोई बेचारा अगर पीओन जैसा अधिकारी है और उसके कोई सरकारी मकान है तो उसको कभी भी किसी कीमत पर सरकारी मकान नहीं मिलेगा, उसको तुरन्त कहा जाता है कि आप जाइये और अपने मकान में रहिये।

इसी तरह हमारे कितने ही ऐसे अधिकारी हैं जो मुझे जवाब भी मिला है माननीय मंत्री महोदय का, यह अगर सही तरीके से मंत्रीजी खुद भी इस जवाब को पढ़ें, खण्ड दो को तो शायद खुद भी इसमें संतुष्ट नहीं होंगे पर क्योंकि अधिकारियों द्वारा दिया हुआ जवाब है, इसमें मैंने लिखा है कि राज्य में ऐसे कितने उक्त अधिकारी हैं जो निजी मकान होते हुए भी राजकीय आवास में निवास कर रहे हैं। काफी अधिकारियों को तो मैं ही जानता हूं जिनके दो-दो, तीन-तीन, चार-चार फार्म हाउस बने हुए हैं और इसमें लिखा है कि जिन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है। मतलब कोई बेचारे शरीफ अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया, सरकार को इन्फोर्मेशन दी कि मेरे मकान है मुझको अनुमति दी जाय पर यह अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी जाती है, यही अनुमति अगर कोई छोटा क्लर्क या चपरासी या कोई और मांगता तो शायद उसको जिंदगी में नहीं मिल पाती। अब इस तरह से जवाब देने वाले, बनाने वाले भी प्रशासनिक अधिकारी ही हैं, जवाब को ही गोलमोल कर गये।

उसी में एक यह अब मेरा सप्लीमेंट्री है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अधिकारी जो दो स्थानों पर सरकारी मकान नियमानुसार रख सकते हैं, यदि दो स्थान पर मकान रखते हैं तो नियम विरुद्ध है निश्चित रूप से, ऐसे किन्हीं भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने दो जगह मकान रखा है पिछले पांच सालों में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है? यदि हां तो कितने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की? और यदि नहीं की तो क्यों नहीं की? क्योंकि नियम विरुद्ध है।

दूसरा है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण के पहले जिस स्थान पर पदस्थापन था उस मकान को कितनी समयावधि में खाली किया जा सकता है, किया जाना चाहिए था और जो खाली नहीं किया, क्या किसी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को दो जगह मकान रखने के प्रकरण में पिछले पांच सालों में किराया माफ किया है? यदि किया है तो किन-किन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का? ऐसे अधिकारियों का नाम बतायें। और किस नियम के तहत किराया माफ किया है? ऐसे कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो स्वयं के मकान होते हुए भी सरकारी मकान में रह रहे हैं, बिना सरकार को सूचना दिये हुए? ऐसे अधिकारियों की जांच करने की क्या सरकार मंशा रखती है? और ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार से अनुमति लेने के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन उनको अभी तक अनुमति नहीं मिली है?

दो प्वाइंट बाद में पूछ लूं, एक बार इनका जवाब मिल जाय तो। हैं? सारे ही एक साथ बता दूं?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा, पहला सप्लीमेंट्री, आपने कुल मिलाकर के चार सप्लीमेंट्री पूछे हैं, चारों का उत्तर एक-एक करके आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहला आपने पूछा कि वह आई ए एस अधिकारी जो दो स्थानों पर मकान रख सकते हैं उनके खिलाफ पिछले पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई। कुल मिलाकर के 13 अधिकारी हैं जिन लोगों ने अपना मकान होते हुए भी सरकारी मकान में रहने का प्रयत्न कर रखा है। पहला, जो पिछले पांच साल का आपने पूछा है, मैं शुरू से ही आपको बता देता हूं। रविशंकर श्रीवास्तव, आई ए एस आफिसर, यह 2003 की मई में, मई से लेकर के 2006 की जून तक इन्होंने उस मकान पर कब्जा कर रखा है। दूसरा श्री अशोक जैन, इन्होंने सन् 1999 से लेकर के, आपके अक्टूबर में 1999 से कब्जा किया, वह कब्जा छोड़ा इन्होंने 7/01 को,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

मतलब 2001 को। तीसरा, बी.बी. मोहंती, यह 2002 फरवरी से कब्जा किया इन्होंने और कब्जा छोड़ा 11/02 को। ठीक इसी तरीके से चौथे नम्बर पर है सुबोध अग्रवाल जिन्होंने एक जनवरी 2001 में कब्जा किया और उसके बाद कब्जा छोड़ा दिसम्बर, 2002 को। पांचवां है संजय दीक्षित जिन्होंने पांचवें महीने में 2003 में कब्जा लिया और उसको छोड़ा 11, मतलब नवम्बर, 2003 को। ठीक इसी तरीके से अखिल अरोड़ा, यह 16.1.2009 से कब्जा किया इन्होंने जिसको 28.2.2010 को कब्जा छोड़ा। अजिताभ शर्मा, 9.7.2008 को किया कब्जा, 28.2.2010 को छोड़ा। इसी तरीके से कुंजीलाल मीणा 30.6.2008 से कब्जा किया और 19.1.2010 को छोड़ा। सुधीर भार्गव, 5.1.2009 को कब्जा किया और 15.10.2009 को छोड़ा। इसी तरीके से हरसहाय मीणा, 2002 से लेकर के, नहीं, सारी, 28.8.2008 में कब्जा किया। सीताराम भाले, 27 मई, 2006 से इन्होंने कब्जा किया। यह तो हुआ जयपुर का किस्सा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा यह है कि वे मकान दो जगह रख नहीं सकते। सरकारी कर्मचारी तो...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने यह पूछा है कि पांच साल में, मेरी बात सुनिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी। एक मिनट, मंत्री महोदय, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनिये पूरी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह इसी में है, इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं आगे। अजी तो मैं यही तो बताने जा रहा हूं, आप पूरी बात तो सुनिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बताइये।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, कृपया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो हुई जयपुर की बात।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह लिस्ट तो आ गई न, सर, मेरे पास।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जयपुर के अलावा भी दो जगह ऐसी हैं, एक तो श्री गिरीराज सिंह है और एक है श्रीमती नीलिमा जौहरी, इन पर भी जो है कुल बकाया रकम, जो आपने कहा न कि क्या कार्यवाही की, इन पर पूरी बकाया रकम निकाल रखी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मैंने यह कहा कि इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या की? किराया तो निकाल दिया क्योंकि दो जगह रह रहे हैं पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके अधीन आते हैं, सरकार का कर्मचारी, अगर खेत ही बाड़ को खाने लग जाय या बाड़ खेत को खाने लग जाय तो उनके खिलाफ कार्यवाही कोई तो करेगा न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने अनुशासनात्मक...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक प्रशासनिक अधिकारी आपकी अवहेलना कर रहा है सरकार के नियम की धज्जियां उड़ा रहा है और फिर सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करे, मैं उस बात पर क्या....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है उसी को मैं पढ़कर के बता रहा हूं। आप सुनिये, यदि स्थानान्तरण के, किसी भी अधिकारी का मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है तो एक महीने का उनको टाइम दिया जाता है। एक महीने के बाद में दूसरे महीने में उनसे दुगनी राशि उसकी वसूली की जाती है किराये की और तीसरे महीने से लेकर के छठे महीने तक तीन गुना उनसे राशि ली जाती है और छह महीने के बाद में मार्केट रेट से उनका रेंट लिया जाता है। कुल मिलाकर के उनसे यह वसूली होती है। बता दिया मैंने आपको साफ-साफ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, अभी तक उनसे वसूल तो कर नहीं पाये हैं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तो....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, वसूली किया है, वसूल किया है। वह भी आपको बता देता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, बकाया तो आपने इस सूची में ही दे रखा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सूची तो जो मांगी है, जिसका विवरण आपने मांगा है मैं उतना ही दूंगा आपको, बाकी तो मेरे पास सप्लीमेंट्री है, मैं बता देता हूं आपको कि किस व्यक्ति से, किस अधिकारी से कितना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

वसूल किया जा चुका है और कितना उसमें बकाया है। यह भी मैं बता देता हूं आपको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पूछ रहा हूं। क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है..

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक, अध्यक्ष जी.. मंत्री महोदय एक बार मेरी बात सुन लीजिए...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो नियमों में प्रावधान है वह मैंने बता दिया। मेरी बात सुनिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सरकार के आदेशों की जो अधिकारी अवहेलना करता है क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की कोई गुंजाइश है या नहीं है? की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? मेरा पाइंट यह है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बता रहा हूं आपको। कायदा यह होता है कि जब कोई अधिकारी आवास के लिए आवेदन करता है तो सबसे पहले यह उनसे बाकायदा एक परिपत्र पर यह लिखवा लिया जाता है कि मेरे कोई निजी आवास यहां पर नहीं है। उसकी जांच के लिए बाकायदा डी.ओ.पी. को भेजा जाता है, डी.ओ.पी. प्रमाणित करती है इस बात के लिए कि इनका कोई निजी आवास नहीं है और अगर निजी आवास है तो सरकार से अनुमति लेकर के तीन गुणा रेंट पर जो है वह उसको अनुमति सरकार देने का अधिकार रखती है। उसमें नियमों में जो है वह शिथिलता देने का अधिकार सरकार को है। अब यह सवाल आपने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, तो नियम की कापी मैंने आपको दे दी, आप बता दें कि कौनसे नियम में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जिन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर किराया बकाया है उन अधिकारियों के किराये को माफ करने की कोई मंशा रखती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? और यदि नहीं, तो ऐसे भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों से कितनी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

समयावधि में आप किराया वसूल कर लेंगे? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए मकान आबंटन की प्रतीक्षा सूची एवं आबंटन सूची को ऑन-लाइन करने की मंशा है या नहीं है? और अभी भी कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार से छुपा रखा है? जो हमारी नालेज में भी है कि फार्म हाउसेज, चार-चार, पांच-पांच मकान हैं वे सरकारी मकान में रह रहे हैं, वे सरकार को अपनी सूचना देना नहीं चाहते। तो ऐसे सरकारी अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की संपत्तियां इस तरह से मकानों की जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाने का मन रखते हो या नहीं रखती हो?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो सूचना मेरे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास निजी आवास भी हैं और वे सरकारी मकान में भी रह रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसे अधिकारी अभी भी हैं जैसे बूंदी का एस.पी. का है, वे जयपुर में भी उसने मकान सरकार का घेर रखा है, बूंदी में भी सरकार का मकान ले रखा है। तो ऐसे कितने ही अधिकारी हैं। मंत्री महोदय, इस बात को आप सक्षम हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर एक क्लर्क या चपरासी अपना कोई सरकारी मकान रखता है और निजी मकान बना लेता है तो उसे तुरन्त खाली करा लिया जाता है, उसको एक मिनट भी नहीं रहने दिया जाता है या उसके पास कोई घर का मकान है और वह सरकारी मकान मांगता है तो नहीं मिलता है। पर प्रशासनिक अधिकारी, आप एक बार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जांच कराइए कि ऐसे कितने ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दुनिया भर के तो जयपुर में फार्म हाउसेज, पांच-पांच, चार-चार मकान हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जांच कराइए। यह मांग कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले इनकी बात का जवाब दे दूं...

श्री अध्यक्ष: एक साथ दे देना; मंत्रीजी, एक साथ ही दे देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 13 बताये हैं कि इन्होंने स्वीकृति लेकर के दोहरा मकान स्वयं का भी है और किराये का भी ले रखा है, क्या इन 13 के अलावा जितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी लोग यहां सरकारी भवन में रह रहे हैं, उनमें से किसी का भी जयपुर में कोई मकान नहीं है, यह कह सकते हैं आप? यह प्रश्न सीमित नहीं है। अगर इन 13 लोगों ने तो परमिशन ली, आपके अधिकृत रूप से आपकी सूची पर आ गये, बाकी लोगों ने परमिशन भी नहीं ली, न आपने परमिशन दी। मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि आज जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं आपका सारा लवाजमा, उसमें से यह 13 ही लोग हैं क्या जिनके पास जयपुर में मकान हैं, बाकी सब लोगों के जयपुर में मकान नहीं है, यह आप कह सकते हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: इनका और दे दें फिर साथ ही दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने शब्द इस्तेमाल किया 'कब्जा' माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पब्लिक प्रेमिसेज इविकशन आफ अन-आथोराइज्ड आक्युपेशन एक्ट, 1971 का बना हुआ है, जब कब्जा उन्होंने किया तो क्या आपने उसके सेक्शन 4 और 5 में कार्यवाही की? नम्बर एक? नम्बर दो, क्या यह सही है कि संभागीय मुख्यालय में 36 ऐसे प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं जो अन-आथोराइज्ड रूप से सरकारी भवनों में रह रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी उनमें एक आपका ओ.एस.डी. विजय सिंह भी हैं, विजयपाल सिंह भी हैं, डी-620 में रह रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी का ओ.एस.डी. विजयपाल सिंह भी उनमें शामिल हो तो मैं समझता हूं कि अब जब यह सवाल आ गया है तो निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रीजी, एक अतारांकित सवाल में जो सरकार ने उत्तर दिया मैं उसी के आधार पर कोट कर रहा हूं। इसमें उन सब अधिकारियों के नाम हैं। चार-चार वर्षो से सरकारी आवास पर, अध्यक्ष महोदय, अधिकारी रहें, प्रशासनिक पदों पर बैठे ऐसे अधिकारी रहें जो सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव के पद पर रहे और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे और यह कह रहे हैं कि हमने कार्यवाही की है तो यह जो कानून बनाया है पब्लिक प्रेमिसेज इविकशन आफ अन-आथोराइज्ड आक्युपेशन एक्ट, 1971...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं इस कानून के तहत पूछ रहा हूं, इसके तहत कितनों के खिलाफ कार्यवाही की? और क्या जो मैंने बताई, 36 अधिकारी जो संभागीय मुख्यालय पर बैठे हैं जिसमें ओ.एस.डी. साहब भी बैठे हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास सूचना है उसमें सिर्फ 13 अधिकारी ऐसे हैं जिनका यहां पर निजी मकान है और उन्होंने सरकार की अनुमति से सरकारी मकान पर भी जो है निवास बना रखा है। यह जो प्रश्न है यह सिर्फ आई.ए.एस. अधिकारियों के ऊपर ही है, यह कोई सारे जितने भी आर.ए.एस. अधिकारी हो, चाहे एल.डी.सी. से लेकर के वहां तक हो, उनका प्रश्न नहीं है। इसलिए जो आपने, कटारिया साहब ने जो पूछा, वह सिर्फ आई.ए.एस. अधिकारियों तक है। मेरे ख्याल से....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आई.ए.एस. तक ही सीमित कर दो, अपन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इन 13 के अलावा क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि उनका जयपुर में मकान नहीं है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): निश्चित तौर पर मेरे पास जो सूचना है वह सिर्फ इन 13 अधिकारियों की है, 13 अधिकारियों की जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं लेकिन ऑन-लाइन करने की योजना जरूर है। यह मालूम करने की कोशिश हर वक्त की जा रही है डी.ओ.पी. के द्वारा भी, कार्मिक विभाग के द्वारा और संपदा विभाग के द्वारा भी की जा रही है कि कहीं-कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि इसने निजी मकान बना रखा है या सरकारी मकान अलाट होने के बाद उसने खुद ने जब निजी मकान बना लिया हो और सरकार को सूचित नहीं किया हो तो ऐसे केसेज जो हैं बाकायदा देखे जा रहे हैं उसको ऑन-लाइन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये सिर्फ 13 आदमी हैं जिनको सरकार ने अनुमति दे रखी है और इनसे बाकायदा पूरा नियमानुसार पूरा किराया वसूल किया जा रहा है।

जहां तक सवाल इस बात का है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तो अनुशासनात्मक कार्यवाही का मैं यह समझ कर चलता हूं कि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, किराया वसूल करने का प्रावधान है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या किसी अधिकारी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि यह नियम पब्लिक प्रेमिसेज इविकेशन आफ अन-ऑथाराइज्ड आक्युपेशन एक्ट, 1971...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट, मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियम और कायदे बने हुए हैं उससे ही चलना चाहिए और विशेष रूप से जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी और जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं चाहे वह आई.ए.एस. हो, आई.पी.एस. हो या स्टेट सर्विस के लोग हैं सबको ही चलना चाहिए। पर जनरली देखा गया है कि उसमें कहीं-न-कहीं कई बार तो मजबूरी में, कई बार मानवीय दृष्टिकोण से छूट दी जाती है। उसका प्रोविजन भी कानून के अन्दर है। जो माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे, उसमें जिन्होंने परमिशन ली है, जो लोग बैठे हुए हैं, कई बार सरकारी मकान में बैठे हुए हैं, बाद में मकान बना हो या कोई मजबूरी हो तो वह परमिशन लेकर के रह सकते हैं और तीन गुणा ज्यादा वह किराया देते हैं वह अपनी जगह पर है। माननीय उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि इसके अलावा कितने लोग हैं उसकी हम जानकारी करवाएंगे, जांच करवाएंगे। चूंकि जब आदमी अनुमति लेता है वह एक बात है या मकान बन जाता है नया तो सूचना देनी पड़ती है

कायदे से, कानून से, अगर मकान बन गया फिर भी उसने सूचना नहीं दी है तो वह दूसरी बात है। उसकी जांच करवाएंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को।

यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार तो हम चाहेंगे कि अभी जो ढर्रा बना हुआ है चाहे सरकार हमारी रही हो चाहे आपकी रही हो, हम चाहेंगे कि आज के बाद में ढर्रा सुधरे और भविष्य में इस तरह से अगर कोई बिना इत्तला बैठा रहेगा, सूचना देना भी जरूरी है अगर सूचना नहीं देता है तो वह भी अपराध करता है। मैं समझता हूं कि इसमें आई.ए.एस. को छोड़कर तो 17 सी.सी.ए. के अन्दर कार्यवाही करने का प्रावधान है, आई.ए.एस. के लिए उसी के इक्विवलेंट प्रावधान है, उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा नकली खाद विक्रय से कृषकों को हुई हानि का मुआवजा

323. श्री राव राजेन्द्र सिंह: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2009-10 में क्रय-विक्रय

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सहकारी समितियों द्वारा विक्रय की गई खाद में मिलावट के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के अधिकारियों द्वारा भी निजी फर्मों से नकली खाद खरीद कर किसानों को बेचकर लाभ प्राप्त करने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ऐसे प्रकरण सामने आने पर किसानों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल): अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से आम काश्तकार को खाद का क्रय करवाती है? तो क्या आप यह भी बात फरमा रहे हैं कि किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से भी कोई नकली खाद का वितरण नहीं हुआ प्रदेश में? या क्योंकि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के नाम का मैंने उपयोग किया उस वजह से आप फरमा रहे हैं कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक इसी सवाल का एक 131 मैंने लगाया था जहां मैंने उस क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अधीनस्थ ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम अंकित करा दिया था। उस 131 के माध्यम से आपने मुझे जवाब दिया कि नवानिया ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कृषकों को डी ए पी, यूरिया आदि खाद भीण्डर क्रय-विक्रय सहकारी समिति से प्राप्त कर बेची जाती है। माह जून, 2009 में समिति के सदस्यों द्वारा एस एस पी खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण सेवा सहकारी समिति, नवानिया ने प्राइवेट फर्म आरईएल आईएनडी केम फर्टीलाइजर ब्रांच उदयपुर से एस एस पी खाद के सौ कट्टे दिनांक 12.6.09 को क्रय किये। आगे आप यह फरमा रहे हैं कि जिनकी बिक्री हो चुकी है और समिति द्वारा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बेचे गये खाद की न तो कोई शिकायत हुई और न ही कृषि विभाग द्वारा ऐसा कोई सैम्पल हुआ।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 13.10.09 को उदयपुर कलक्टर को वहां के काश्तकारों ने इस खाद के संबंध में कोई शिकायत की या नहीं की? और अगर शिकायत की तो कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारी संयुक्त निदेशक, महेश वर्मा व उप निदेशक सत्यदेव सिंह क्या जांच करने आये? और आये तो तदुपरांत जांच का क्या नतीजा निकला? क्योंकि यह बात तो आप डिनाई कर चुके हैं कि कोई शिकायत ही नहीं हुई। शिकायत हुई, शिकायत के आधार पर जांच हुई, जांच के बाद में क्या हुआ, इसका किसी को कुछ नहीं मालूम। जब एक महीने तक कार्यवाही नहीं हुई तो इन्हीं काश्तकारों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को वह ही एप्लीकेशन जिसकी रजिस्ट्री की कापी मेरे पास है, उन्होंने लिखा है कि इनमें कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस जांच को दबा दिया गया है।

दूसरी बात जिस फर्टिलाइजर कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं कि यह सौ कट्टे इस फर्टिलाइजर कंपनी से लिये, यह असत्य है। जिस फर्टिलाइजर कंपनी से ये कट्टे लिये गये उसका नाम है गिरनार रामा फास्फेट लिमिटेड, निर्माता 4807/11, उमरावगांव, कानपुर, उदयपुर, बेच नंबर 607 एमएफसी, दिनांक 5.5.09 का बैच नंबर है। ये इस लिफाफे में उस कट्टे का बैच नंबर और सैम्पल है जिस खाद का विक्रय इस ग्राम सेवा सहकारी समिति ने किया उसका। यह सैम्पल और ये, दोनों मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से टेबल करना चाहता हू। जिन काश्तकारों ने यह क्रय किया, क्योंकि यह बात मैं सदन में कह रहा हूं इसलिए मुझे इम्युनिटी है, कोई यह कह सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, जिन काश्तकारों ने किया उनके एफिडेविट मेरे पास में हैं, एफिडेविट के साथ में रसीद नंबर हैं, रसीद नंबर के साथ में उन्होंने वे कट्टे अभी भी रख रखे हैं जिनकी सील नहीं तोड़ी है। अब आप मुझे ये बतायें कि इन काश्तकारों को सुपर फास्फेट की जगह सोपस्टोन पाउडर का उन्होंने विक्रय किया। मैं यह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न लगा और आपने जवाब दिया तो वहां की सड़क पर ये खाद उन्होंने बिखेर दिया जो आज भी वहां मौजूद है, कोई जाकर देख सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। सहकारी समिति के माध्यम से काश्तकार उसी सहकारी समिति से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लोन लेकर वह खाद खरीद रहा है। खाद खरीदने के बाद में जब गुणवत्ता उसमें नहीं आयी और खाद सुपर फास्फेट की जगह सोपस्टोन निकला तो आखिर यह जांच आज तक क्यों नहीं हुई? न तो काश्तकार को पैसा मिला, न उसके साथ कुछ हुआ और जांच को जहां की तहां रोक दी। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियां खाद खरीदती हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियां सीधी जैसे कृभको, इफ्को है, जो एक कंपनी है उनसे भी वह सीधी उसकी मेंबर है, बिना मार्केटिंग के मध्यस्थता के वह सीधी खाद खरीदती है।

जहां तक एस एस पी की आप बात बता रहे हैं, मैंने पूरे विभाग से जानकारी करवायी है, हर हमारे खंडीय स्तर के जो जोइंट रजिस्ट्रार हैं उनसे मैंने पूरी जानकारी का विवरण मंगवाया है। हमारे विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई शिकायत आज तक नहीं मिली है।

यह सही है कि पूरी जो एस एस पी खाद है उसकी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, न कोई फैक्टरी है, सारा ही प्राइवेट फैक्टरी से खरीदा जाता है और उसकी परमिशन गुणवत्ता की, राजफैड के माध्यम से भी खरीदा जाता है, रजिस्ट्रार से भी परमिशन ली जाती है। अब गुजरात से खरीदा कि बाहर से खरीदा, वह खरीदने के लिए हमारे मार्केटिंग और जी एस एस उसके लिए स्वतंत्र है। कोई भी सरकारी कारखाना एस एस पी का नहीं है इसलिए हमारे विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां तक कृषि विभाग को शिकायत मिली होगी वह कृषि विभाग ने जांच करवायी होगी, अगर आप मेरे को शिकायत देंगे, आपने जैसा कहा है तो मैं इसकी जांच मेरे अधिकारियों से, रजिस्ट्रार से कह कर पूरी जांच करा दूंगा और मार्केटिंग के जिन अधिकारियों की आपने जानकारी दी है वैसे हमारे को आज तक कोई शिकायत नहीं मिली पर आपने कहा है तो मैं रजिस्ट्रार को कह कर, हमारे विभाग के अधिकारियों को कह कर, इसकी तुरन्त अविलम्ब जांच करा कर जिन अधिकारियों ने, अगर हमारे काऑपरेटिव के अधिकारी उसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मंत्री महोदय, आपका या आपके डिपार्टमेंट के उच्च स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि यह खाद खरीदा गया और बेचा गया। एक तो जिसने भी आपको जानकारी दी क्योंकि 131 का उत्तर आपके यहां से आया, जिस खाद की कंपनी की जानकारी दी गई, सबसे पहले तो इस खाद की कंपनी से आप पूछ लो, उनकी इंवेंटरी में यह खाद उन्होंने दिया या नहीं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, 131 में सहकारी विभाग से जवाब आया है या कृषि विभाग से आया है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जी, जी, मैं निवेदन कर देता हूं, यह नवानिया ग्राम क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा नकली खाद बेचने का तो सहकारी विभाग से ही आया है।

यह जिस कंपनी का नाम मैं ले रहा हूं अगर आप इसकी इंवेंटरी दिखायेंगे तो यह कंपनी भी मना कर देगी कि हमने भी खाद उस ग्राम सेवा सहकारी समिति को नहीं दिया। वास्तविकता तो यह है आदरणीय कि रामा फास्फेट जैसी कंपनी ने शायद खाद नहीं दिया होगा, खाद किसी अजमान नाम से फैक्टरी है वहां जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बासड़ा के पीछे स्थित है जबकि वास्तविक निर्माता कानपुर और उदयपुर में है। एक कोई राजमल करके व्यक्ति है जो खाद का एक गोदाम क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भीण्डर के पीछे आयल मिल में चलाता है और खाद को बासेड़ा मेड़ा रोड पर उसने नष्ट करने के लिए डाला है। बैच नंबर आरपीएस/607 एवं एमएफजी दिनांक 5.5.09 आज भी अगर आप चाहें तो ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं कर पाएगी, आप अपने अधिकारियों को भेज कर वह जब्त करवायें। खाद वह अगर खुला हुआ खाद है उसमें आप यह पायेंगे। कृषि विभाग को यह बात मालूम है कि यह नकली खाद बिका है और तब बिका है जब अकाल की चपेट में काश्तकार ऋण लेकर खाद ले रहा था। 2009 में छठे महीने में, दसवें महीने में बिका है।

आप एक बात फरमायें, अध्यक्ष महोदय, जहां दूध के सैम्पल लिये जा रहे हैं 'शुद्ध के लिए युद्ध', जहां काश्तकार अकाल की चपेट में कर्ज करके खाद ले रहा है, यह खाद भी नकली है। कर्ज उसने कर लिया, उसकी गेहूं और उसकी फसल तक नहीं हुई।

आखिर इस दोष के लिये कोई न कोई तो दोषी है, बड़े से बड़ा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अधिकारी है। क्योंकि यह कंपनियों के नाम पर नकली खाद ग्राम सेवा सहकारी समिति के यहां से बिक जाये ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जांच का आश्वासन दिया है आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जांच आप करवा लें, मुझे एक बात बता दें, जिन काश्तकारों ने कर्जा लेकर यह खाद खरीदा जी एस एस से ही तो कर्जा लिया है उन्होंने और जी एस एस की गुणवत्ता पर कोई शंका नहीं थी, उसी से तो खाद उन्होंने क्रय किया। कितने काश्तकार हैं, मेरे पास तो तीन मिले हैं और तीनों का एफिडेविट है। उस इंवेंटरी में 2005 से पांचवें महीने से लगाकर दसवें महीने तक कितने कट्टे सुपर फास्फेट के बिके, किस-किस काश्तकार को बिके, एक तो उनका कर्जा माफ होना चाहिये। उनके कृषि के उत्पादन में कमी आई क्योंकि जब नकली खाद था तो किसी तरीके से उनका उपयोग नहीं हुआ उसकी वजह से उनके उत्पादन में कमी आई, उसका मुआवजा दिलाना चाहिये और ऐसे लोग जिनका कलक्टर ने जांच करने के लिये कहा और जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है, इस संबंध में जांच करवायेंगे। श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नकली खाद की बात का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सप्लीमेंट्री तो पूछने देते।

श्री अध्यक्ष: जांच कराने का आश्वासन दे चुकी है सरकार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने उत्तर दिया है 'जी नहीं' और यह सिद्ध हो गया, माननीय सदस्य ने सिद्ध कर दिया कि नकली खाद राजस्थान में बिक रहा है। मुख्य मंत्रीजी किसान के साथ अन्याय हो रहा है, नकली खाद बिक रहा है यहां।

श्री अध्यक्ष: जांच का आश्वासन दे दिया है। श्री हरिसिंह रावत। कृपया समाप्त करें, श्री हरिसिंह रावत।

पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता

324. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने व्यक्ति विकलांग, वृद्वावस्था, विधवा पेंशन योग्य हैं एवं इनको पेंशन स्वीकृत करने के क्या मानदंड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पालनहार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का क्या मापदंड है एवं एक परिवार के कितने बच्चे/बच्चियों को इस दायरे में रखा गया है ?

(3) क्या अगर किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाती है एवं पत्नी पुनर्विवाह या नाते चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उन लावारिस बच्चों को इस योजना का लाभ का हक मिलेगा ?

(4) बच्चों की मां की मृत्यु हो जाने पर पिता विधुर हो जाता है तो क्या उन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा? यदि हां, तो कितना कितना व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े शर्म की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार प्रश्न पुकार लें और मंत्रीजी जवाब देने के लिये सदन में उपस्थित नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नहीं, इनके पास नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब आप अचानक खड़े हो गये हो। किस बात के लिये खड़े हुए हैं आप?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने कहा, खड़े हो जाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ, मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कभी खड़े होओ, कभी बैठ जाओ यह क्या बात हुई? बैठो, बैठो आप?

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार आप दोनों का नहीं है, आसन का अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठिए ना आराम से आप। यह मतलब क्या है? यह क्या नई परम्परा डाल रहे हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): या तो यह अनुपस्थित होते। (व्यवधान) मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा मत डालिये।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए, मैं दे रहा हूं तो। यह मुख्य मंत्री जी से संबंधित था इसलिए मंत्रीजी को प्रभार दे रखा है प्रश्नों का जवाब देने का और माननीय शांति धारीवाल जी जवाब दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी से काहे का संबंधित है, मुख्य मंत्री का डिपार्टमेंट नहीं है यह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह तो सामाजिक न्याय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तय कर दें कि सामाजिक न्याय विभाग मुख्य मंत्री के पास है। यह समाज कल्याण से संबंधित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह समाज कल्याण का प्रश्न है, मुख्य मंत्रीजी से संबंधित क्या है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह कैबिनेट की जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। मुझे मुख्य मंत्रीजी ने जवाब देने का अधिकार दिया है, मेहरबानी करके आप मेरा जवाब सुनिए।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजिए । 13वीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ बजट सत्र के संबंध में मुझे यह कहना है कि निर्देश प्राप्त हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सत्र के दौरान उनके अधीनस्थ निम्नांकित विभागों से संबंधित समस्त संसदीय कार्य, प्रश्नों के उत्तर सम्पादित करने हेतु श्री शांति कुमार धारीवाल माननीय मंत्री, गृह विभाग को अधिकृत किया है। कौन-कौन से विभाग, वित्त एवं करारोपण, आयोजना, नीति निर्धारण, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, मंत्री मंडल सचिवालय, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: वह राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्वतंत्र प्रभार दे रखा है मंत्री महोदय को।

श्री अध्यक्ष: स्वतंत्र प्रभार नहीं है, यह मैंने आपको पढ़ कर आदेश सुना दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है देओ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): अब तो सब ठीक है। (1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत 67 विकलांग, 548 वृद्धावस्था एवं 456 विधवा पेंशन दी जा रही है। विकलांगों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 एवं समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा रही है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 की प्रति परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है। वृद्धों एवं विधवाओं को राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 एवं समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा रही है। राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 की प्रति परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(2) पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007 एवं समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है। पालनहार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका, विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान को तथा निराश्रित पेंशन की पात्रता रखने वाली विधवा माता को उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष आयु पूर्ण करने तक एक संतान के लिये सहायता देय है।

(3) विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान का पालनहार योजना का लाभ देय है। पालनहार योजना के नियमों में नाता जाने वाली माता की संतान को योजना का लाभ देय नहीं है।

(4) जी नहीं। पालनहार योजना के नियमों में विधुर माता के बच्चों को योजना का लाभ देय नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): विधुर पिता है यह, विधुर माता नहीं है। आपने जो पढ़ा है वह विधुर पिता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, यह बहुत अच्छी योजना है, इसके लिये मैं खुद एप्रिशिएट करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह जो विकलांग और अपाहिज पेंशन का जो होता है इसके अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति स्तर पर इसका कैम्प लगाया जाये कारण कि गांव में इतने गरीब लोग हैं कि वे जिला हैडक्वार्टर पर जाकर अपनी विकलांगता या अपाहिज का सर्टिफ़िकेट नहीं बनवा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि क्या सरकार हर पंचायत हैडक्वार्टर पर या तहसील हैडक्वार्टर पर ऐसे कैम्प रखने की योजना रखती है क्योंकि गरीब जिला हैडक्वार्टर तक जो 100-200 किलोमीटर की परिधि पर रहता है, वह वहां पहुंच नहीं पाता है तो वह कैम्प रख कर क्योंकि इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेडिकल बोर्ड के सर्टिफ़िकेट के अनुसार ही उनकी पात्रता बनती है, उसके अनुसार उनको लाभ दिया जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि पालनहार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के क्या मापदंड है? परिवार के कितने बच्चे/बच्चियों को इस दायरे में रखा गया है? आपने लिखा है कि इसमें दो बच्चे लेकिन क्या सरकार दो से अधिक बच्चे जिसके माता-पिता मर गये हों या ऐसे कोई बच्चे हैं, उनको दो से अधिक बच्चों को लाभ देने का विचार रखती है।

तीसरा, विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की प्रत्येक संतान को पालनहार योजना का लाभ देय है। पालनहार योजना अन्तर्गत नियमों में नाता जाने वाली माता की संतान को योजना का लाभ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में ऐसी कई जातियां हैं और गांव में रहने वाली कई जातियां इस टाइप की है कि उनकी माताएं जो नाते चली जाती है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, शहरों में तो रजिस्ट्रेशन हो जाता हैं जिसकी वजह से उनको पुनर्विवाह का सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद उन बच्चों को लाभ मिल जाता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, गांव में ऐसी कई जातियां हैं जो इन चीजों में समझती ही नहीं हैं। वह माता नाते चली जाती है उसका बाप तो पहले ही मर जाता है और नाते के बाद उसकी मां भी चली जाती है तो वह बच्चे-बच्ची बिलकुल अनाथ हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आप सर्टिफिकेट देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते

(श्री हरिसिंह रावत)

हैं, ऐसी योजना का सरकार पंचायत हैडक्वार्टर पर व्यवस्था करने का विचार रखती है ताकि उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके?

दूसरा, पालनहार योजना के अन्तर्गत विधुर पिता, अध्यक्ष महोदय, कई विधुर पिता ऐसे होते हैं कि वे बच्चे-बच्चियों के जीवन, उनके भविष्य के लिये शादी नहीं करते हैं।

शादी नहीं करने की वजह से वह पिता उन बच्चों को पालने में हमेशा तैयार रहता है लेकिन कई जगह ऐसी निर्धनता या अक्षम होने की वजह से वह उनका पूरा भरण पोषण नहीं कर सकता। तो मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ऐसे विधुर पिताओं को भी इस योजना के अन्तर्गत जोड़ने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुनर्विवाह वह ही है और नाता भी वह ही है। अलग-अलग कहां है? एक ही है। रजिस्ट्रेशन पुनर्विवाह का भी नहीं होता गांवों में और नाते का भी नहीं होता। बात यह है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसमें संशोधन करवा लो। (व्यवधान) क्योंकि कई बार हिन्दी भाषी और अंग्रेजी भाषी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। यह हमारे स्थानीय भाषा में नाता कहलाता है, नाता और पुनर्विवाह में कोई अन्तर नहीं है भारतीय समाज में और इसी के लिए जिनको ओ बी सी में आरक्षण दिया गया है, उसमें एक बिन्दु यह भी था, जिनके नाता होता है उनको यह विशेष तौर से अवसर दिया गया था। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आने दीजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, नाता और पुनर्विवाह ग्रामीण क्षेत्र में वैसे कहने में एक ही आता हो मगर नाता और पुनर्विवाह में फर्क है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका ? पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपने जो कहा वही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि पंचायत समिति के स्तर पर इस प्रकार

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के कैम्प लगाये जाने चाहिए, जो एलिजिबल है, पात्रता रखने वाले लोग वंचित न रहें इसी लिए इस प्रकार के कैम्प लगाये जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि 'प्रशासन शहरों की ओर' अभी कैम्प लगे हैं और अब आगे आने वाले समय में 'प्रशासन गांव की ओर' कैम्प लगेंगे, उनमें भी इस तरह के प्रस्ताव तैयार होंगे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गांव में कैम्प...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): शहरों में तो यह बिल्कुल....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक तरह से निष्क्रिय लगे, कोई काम नहीं हुआ। वैसे लगाना चाह रहे हो तो कोई लाभ ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): गांव की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शहरों के संग तो फ्लाप शो था। यह गांव में भी इसी प्रकार करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह गांव में कैम्प लगेंगे। (व्यवधान) डाक्टर की टीम नहीं होती इसलिए विकलांग सर्टिफिकेट बन नहीं पाता है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कैम्प के अलावा भी यह सतत प्रक्रिया है। जो भी लाभ उठाना चाहता है इस पालनहार योजना का चाहे, विधवा का, चाहे विकलांग का, चाहे वृद्धावस्था का, चाहे किसी का भी; वह अगर गांव में रहता है तो बी डी ओ के पास एप्लाई कर सकता है, बी डी ओ फिर उसको तहसीलदार के पास भेजता है और एक महीने का टाइम देता है कि एक महीने के अन्दर-अन्दर उसका वेरिफिकेशन करके आखिरी निर्णय के लिए वह बी डी ओ के पास पहुंचा दें अगर वह शहर में रहता है तो कंसर्निंग एसडीओ है उसके पास एप्लाई होती है वह एक महीने के लिए फिर तहसीलदार के पास भेजता है, तहसीलदार वेरिफिकेशन करके बाकायदा उसके पास निर्णय के लिये वहां भेजता है। तो यह कंटिन्यूइंग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि यह कोई कैम्प में ही इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हों, या इस प्रकार का पेंशन का प्रमाण पत्र बनता हो, ऐसा कुछ नहीं है।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करूं कि दो बच्चों की आपने बात कही, एक तो नाते की बात कही तो नाता लीगलाइज्ड नहीं है। यह ठीक है परम्परा के अनुसार नाता...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्यों नहीं है? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): समाज मान्यता दे रहा है तो उसे कोई नहीं माना गया? (व्यवधान) नाता प्रथा कानून में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, जो नाते चली जाती है उनके भी बच्चे होते हैं। उन बच्चों को आप इस दायरे में लेने का विचार रखते हैं या नहीं रखते? (व्यवधान) गांव-गांव में यह समस्या है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): समाज ने जब मान्यता दे दी...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर पहले भूल रह गई है तो इस भूल को सुधारो। हमारी सामाजिक परम्परा है। उसमें कहां दिक्कत आ गई है? यह एक परम्परा गांवों में है तो उसको हमने सिर्फ कागजों में नहीं लिया, इसलिए यह नाता मान्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नाता और पुनर्विवाह, पुनर्विवाह में ही औरत दूसरे घर जाती है और नाते में भी दूसरे घर जाती है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): हिन्दू लॉ में है, नाता प्रथा की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाता कई बार जाती हैं औरतें। नाता जो कि परम्परा एक बार की नहीं है, दो-तीन बार तक जाती हैं। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? उसकी कोई सीमा नहीं है नाता जाने की। एक मर जाए दूसरे के चली जाती है। (व्यवधान) दूसरा मर जाए तीसरे के चली जाती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मगर वह बच्चे तो लावारिस हो जाएंगे ना।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं गांव का आदमी हूं मुझसे पूछो ना। नाते जाने की परिभाषा मुझसे पूछो ना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पहले गौणे पर...(व्यवधान) बच्चे हुए वह तो लावारिस हुये ना। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक मरने के बाद दूसरा, दूसरा मरने के बाद तीसरा। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, कितनी भी बार नाते जाये लेकिन बच्चे हैं, उस बच्चे की तरफ ध्यान दिलाने की बात है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, इस तरह हंसी उड़ाई जाए, इतना संवेदनशील यह सवाल है और इस तरह सारा सदन हंस रहा है महिला की इस प्राब्लम पर, यह बहुत ही अशोभनीय बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाते का मतलब खाली महिला से ही है क्या? पुरुष के साथ भी हो सकता है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): महिला के साथ ज्यादती ज्यादा होती है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नाते पुरुष नहीं जाते ... (व्यवधान) महिला नाते जाती है। नाता ग्रामीण क्षेत्र में मान्य है। हिन्दू लॉ में भी इसको मान्यता दी हुई है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। सुनिये, सुनिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पालनहार योजना मैं शायद समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त बनी है और उसका मकसद यह होगा कि बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित बने, उनका ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। तो योजना बनाने का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर है। अगर यह आप नाते की, विवाह की बात कर रहे हैं, माननीय कोलायत से आने वाले सदस्य ने जो बात कही वह परम्परा चली आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैसे तो जब यह योजना बनी तब भी इस बिन्दु को देखकर साथ में प्रोविजन कर लेना चाहिए था, प्रोविजन नहीं किया गया था। हम इसको परीक्षण करवा लेंगे, क्या कानूनी रूप से किस प्रकार से सम्भव हो सकता है, कोशिश करेंगे बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे।

श्री अध्यक्ष: डा. जसवंत यादव।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से अभिशंसित कार्य

325. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में विधायक कोष से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की अभिशंसा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएंगे ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत दो वर्षों में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य एवं अभिशंसित राशि का विवरण वर्षवार परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की दिनांक परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 3 व 4 पर उपलब्ध है तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त सभी 98 निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(विवरण व प्रतियां कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, मुझे एम एल ए बने एक साल से ज्यादा हो गया और शायद आसन की तरफ से जब कभी मीटिंग हुई है हमारे पास परिपत्र आया था, यह निर्देश थे कि एम एल ए लैड के पैसे जारी किये जाये तो तीस दिन के अन्दर उनका काम चालू कर दिया जाए। मैंने ऐसे तो यहां से 40 लाख पहले भिजवा दिये थे, 40 लाख बाद में गये हैं। एक महीने में एम एल ए बनते ही सारे के सारे 80 लाख के प्रस्ताव मैंने भिजवा दिये थे। अब यह जवाब आया है मंत्रीजी के पास। शायद इससे ज्यादा इस बात पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और, माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको भी ध्यान देने की जरूरत है इस प्रश्न पर। महीपाल जी, एक मिनिट मेरी बात सुन लेने दीजिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी, यह जो जवाब आया है, मैं न सरकार के खिलाफ बोलने की मंशा रखता हूं, इसमें पूरे में एक भी पृष्ठ पर यह नहीं आया कि कहीं डाक्टर जसवंत सिंह भी वहां विधायक हैं या कोई एक पैसे का भी काम जारी किया है। केवल इस बात को छिपाने के लिए कि हमारे यहां डी आर डी ए के अन्दर और पंचायत समिति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी लिए उनके महंत चांदनाथ जी के कामों का लेखाजोखा तो दे दिया जबकि मैंने विगत दो वर्ष की बात कही थी। मंत्री जी एक बार आप खुद देख लीजिए अपने पूरे जवाब को, एक भी डाक्टर जसवंत विधायक बहरोड के नाम से न काम की शुरुआत की बात हुई, न उसके अन्दर जारी करने की बात हुई,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

प्रशासनिक वित्तीय, तो जब सरकार को यह जवाब मिल रहे हैं तो शायद इससे बड़ा और प्रमाणित कुछ हो नहीं सकता कि कितना बड़ा डी आर डी ए में भ्रष्टाचार है। मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने आपको गलत सूचना दी, जिन्होंने आपको गलत उत्तर दिया, मैं सरकार के खिलाफ, यह मंशा नहीं है, मैं पीड़ित हूं, अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि इससे ज्यादा प्रमाणित क्या हो सकता है? आपके पास यह जवाब है, एक भी जगह जब से मैं एम एल ए बना हूं तब से अब तक का कहीं उल्लेख नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ चाहे वह पंचायत समिति के हों

चाहे डी.आर.डी.ए. के हों या यहां आपको उत्तर देने वाले हों, इस तरह सरकार को, मंत्रियों को गुमराह करते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे क्या? बस मुझे तो यही बता दें। मैंने कुछ रुपया दिया है कि नहीं दिया है, कोई एकाध भेजे भी हैं कि नहीं भेजे क्योंकि मैं 80 लाख के प्रथम भी दे चुका था परन्तु फिर भी आप..

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय विधायक, बहरोड़ ने पिछले 2 सालों की बात कही थी तो 2007-08, 2008-09 की सम्पूर्ण जानकारी मैंने टेबल की है। 98 काम स्वीकृत हुए थे और यह सही है कि...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आपने स्पेस्फिक...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 09-10 का कुछ-कुछ समय, विगत दो, मैंने कोई फाइनेंशयल यीअर नहीं कहा, मैंने विगत दो..

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दो साल कहे ना।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, विगत दो फाइनेंशयल यीअर, जबकि 2008 में एक साल तो हो ही गया। एक फाइनेंशयल यीअर में तो हम भी बन चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह साल तो चल रहा है। पूरे पिछले दो सालों के आपने मांगें तो हमने आपके

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

पास 2007-08 और 2008-09 के काम जो हुए हैं, 98 कार्य स्वीकृत हुए थे, 95 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। (व्यवधान) तीन काम इन्कम्पलीट हैं। यह जो सारे कार्य हैं, जो सूचना आपको दी है, यह सही है कि उस समय के जो विधायक हैं आपके क्षेत्र से, उनका नाम महन्त चांदनाथ..

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नई विधान सभा किस में आती है? यह नई विधान सभा अभी तो पिछला फाइनेंशयल यीअर..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): महन्त चांदनाथजी के उत्तर में थे और आपके टाइम के जो काम हैं, उसकी भी सूची मेरे पास है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, कहीं भी नाम...

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, अगर आप करंट यीअर के मांग लेते तो मैं आपको पूरे दे देता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने विगत दो वर्ष...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): विगत दो वर्ष में माननीय सदस्य, वह पुराने विधायक, पुराने विधायक पैसा पूरा खर्च कर गये।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं; माननीय चीफ व्हिप महोदय, आप विराज जाइये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हमारे जो, हमको एड मिली थी, 40 लाख रुपये तो पहले स्वीकृत हो गये, 40 अब हुए हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके 2007-08 के और 2008-09 के जो काम पूरे हैं, वह सूची तो आपके पास पूरी है। अब इसके बाद जो इन्होंने सूची दी है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने वित्तीय वर्ष मांगा ही नहीं था, मैंने इसलिये मांगा था कि वहां काम जारी नहीं हो रहे हैं। वे सरपंचों से पैसे मांगते हैं। मैंने किया है, किस तरह से मंत्री महोदय का ध्यान चला जाए, मैंने इसलिये फाइनेंशयल यीअर नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आप सुनिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को इस बात के लिये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई अधिकारी, जान-बूझ कर सारे गलत जवाब देता है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्यवाही करते हैं, अगर आप हमारी जानकारी में लाते हैं।

मैं आपकी जानकारी में यह भी लाऊंगा कि एक माननीय सदस्य ने एक जो हमने सूचना उनको अतारांकित प्रश्न की दी, वे सदस्य मेरी जानकारी में लाये, वह विपक्ष के ही सदस्य थे, कि इन्होंने जो सूचना आपको दी है, वह गलत है। इसमें जो यह फिगर्स, हमने सीधे भेजकर सी.ई.ओ. से जांच करवाई। जांच करने के बाद उनकी शिकायत सही मिली। सही मिलने के ऊपर हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये विभाग को लिखा है। सरकार कितनी सेंस्टिव हैं उत्तर देने के लिये, कोई चीज आप गलत बताएंगे और गलत दी है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही हो जाएगी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, कृपया विराजें। माननीय सदस्यों के द्वारा अभिशंसा किए हुए विधायक कोष के पैसे की स्वीकृतियां नहीं निकलने के सम्बन्ध में कल मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मुझे वहां शिकायत की थी और दो महीने से उनकी भी स्वीकृतियां नहीं निकली हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में आपके यहां, सचिवालय स्तर पर मोनिटरिंग के लिये किसी अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर हर 15 दिन में जिलों से इसकी रिपोर्ट ले लें जिससे इस तरह की बात पैदा नहीं हो, यह व्यवस्था आप कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया, निर्देश उनको दे चुके, सारी बात हो गई।

श्री प्रभुलाल सैनी।

देवड़ावास (टोंक) नर्सरी का आधुनिकीकरण

326. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि राजहंस सोसायटी जयपुर द्वारा टोंक जिले की देवाड़ावास नर्सरी को हाईटेक एवं राज्य स्तरीय नर्सरी घोषित किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में किस-किस के मातृत्व पौधे विकसित किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरी को आधुनिक राज्य स्तरीय नर्सरी बनाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये? व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरी की देखरेख हेतु कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) लगाने तथा पौध उत्पादन कार्यक्रमों को जयपुर से देवड़ावास स्थानान्तरित करने का भी निर्णय हुआ था? यदि हां, तो क्रियान्विति कब तक पूरी कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कृषि मंत्री) श्री हरजीराम बुरड़क: (1) राजस्थान हॉर्टीकल्चर एवं नर्सरी सोसायटी की तृतीय प्रबन्ध कार्यकारणी बैठक में देवड़ावास नर्सरी को राज्य स्तरीय नर्सरी एवं प्रदर्शन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रबन्ध कार्यकारणी के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में देवड़ावास नर्सरी पर निम्नानुसार फलदार पौधों के मातृ वृक्ष विकसित किये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	**फसल का नाम**	**किस्में**
1.	आम	रतना, केसर, अल्फंजो, लँगड़ा, दशहरी
2.	अमरूद	ललित
3.	नींबू	कागजी नींबू
4.	बेल पत्र	नरेन्द्र बेल-9

(2) देवड़ावास नर्सरी के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 158.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत की गयी राशि में से नर्सरी की चारदीवारी, बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र, पौध उत्पादन सुविधाएं, मातृ पौधों की स्थापना के कार्य करवाये गये हैं जिन पर कुल राशि रुपये 40.25 लाख व्यय हुए हैं तथा भूमि समतलीकरण, चारदीवारी का शेष कार्य, सिंचाई स्रोत, विद्युत कनेक्शन सामग्री, पौध उत्पादन की सुविधाएं, जल संग्रहण ढांचे के 50.34 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। कम्पोनेंटवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(3) राजहंस की तृतीय प्रबन्ध कार्यकारणी द्वारा दुर्गापुरा के कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) को देवड़ावास नर्सरी को विकसित करने की जिम्मेदारी देने एवं राजहंस नर्सरी, दुर्गापुरा पर किये जा रहे पौध उत्पादन कार्यक्रमों को देवड़ावास नर्सरी पर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था। अभी तक कृषि अधिकारी (विषय विशेषज्ञ) के पद का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(प्रति एवं विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आवाज नहीं आ रही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): आवाज आ जाएगी। परन्तु कार्य की व्यवस्था हेतु एक सहायक कृषि अधिकारी एवं एक कृषि पर्यवेक्षक को लगाया गया। सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति नहीं होने के फलस्वरूप वर्तमान में दिनांक 02.03.2010 से यह पद रिक्त है। पौध उत्पादन कार्य मातृ वृक्षों के पूर्णत: विकसित होने के उपरान्त शुरू किया जायेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजहंस सोसायटी के द्वारा देवड़ावास में जो राज्य स्तरीय नर्सरी की स्थापना की गई है, उसमें किस-किस योजना में कब-कब कितनी राशि स्वीकृत हुई? नम्बर-एक। नम्बर-दो, मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपसे कि इस नर्सरी में कितने मदर प्लांट लगाने का आपका लक्ष्य था और 2009-10 में किस-किस किस्म के मदर प्लांट आपके लगाये गये? और इस योजना में मुझे यह भी बताएं, अंजीर, ज़ैतून और इसके अलावा कटहल के मदर प्लांट लगाने का भी इसमें प्रावधान था, किस-किस नर्सरी के ज़ैतून के पौधे आप द्वारा लगाये जाने का कब तक विचार है? एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें सरकार का निर्णय हुआ था कि इस राज्य स्तरीय नर्सरी के विकास के लिये एक कृषि अधिकारी नियुक्त, जो विषय-विशेषज्ञ होगा, उसकी नियुक्ति वहां कर दी जाएगी, वह नर्सरी मात्र एक कृषि पर्यवेक्षक के आधार पर चल रही है। आप कब तक अधिकारी लगाने का विचार रखते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस नर्सरी में जो पूर्व में पौधे लगाये थे उससे पहले इसकी मिट्टी, पानी, वातावरण आदि की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कोई जांच नहीं की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो सूची दी गई है, उसमें आम, लँगड़ा आम 120 लगाये थे उसमें 20 अब जीवित हैं, दशहरी 107 में से 20 जीवित हैं। अब नर्सरी में...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अल्फांजो आम यहां पर कैसे लगेगा। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सुनो तो सही आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यहां सक्सेस नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सक्सेस नहीं है अल्फांजो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): हां, नहीं है। दो उदाहरण आपके

(समय : 12.00 बजे)

सामने पेश किये। अगर उस नर्सरी में सरकारी व्यवस्था, ड्रिप इर्रिगेशन, सारी दवाइयां, सारी सुविधा होने के बाद अगर यह हालत हो तो काश्तकार कैसे पौधों को जीवित रखेंगे? बिना सोचे-समझे इन पेड़ों को लगाया था। अब विभाग यह चाहता है कि इसकी पूरी जांच की जाए, कौनसा पेड़ वहां पर पनप सकता है, उस हिसाब से आगे उसमें कार्यवाही करेंगे। फिलहाल इसमें नए सिरे से कोई पेड़ नहीं लगाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): चर्चा क्या समाप्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिए। मेरा जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे पृष्ठ संख्या -167 पर देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग में अग्निशमन वाहन एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राजनगर कस्बे में ईंट भट्ठा श्रमिकों को भूखण्डों का आबंटन करने के संबंध में।

(3) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जलमणि योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल शुद्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अभिषेक मटोरिया एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों से जीवन मधुर पालिसी के तहत बी.पी.एल. परिवारों का चिकित्सा बीमा कराने के कार्य में की गई धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डा. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में भरतपुर शहर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा के उपरान्त भी इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के घोसुण्डा बांध को सिंचाई विभाग के अधीन कर चित्तौड़गढ़ को पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना साहवा (चूरू) के कमांड क्षेत्र को विकसित करने एवं चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में रह रहे बच्चों की दयनीय स्थिति तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से बयाना कस्बा की बयाना इण्डेन गैस सर्विस द्वारा गैस आपूर्ति में अनियमितता एवं खुले रूप से कालाबाजारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामलाल मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालोर की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में।

(3) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से जिला जालोर के थाना आहोर में मुकेश पुत्र हस्तीमल के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में।

(4) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर के वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में पेयजल, बिजली व नालियों एवं रास्ते की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(5) श्री संतोष कुमार सहारण, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को विद्युत कनेक्शन लेने में हो रही कठिनाई के संबंध में।

(6) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में सुचारु नगरीय परिवहन सुविधा विकसित करने के संबंध में।

(7) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से जिला सीकर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने तथा विद्यार्थी मित्र एवं अध्यापकों के पदस्थापन में नियमों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नवल किशोर मीणा, सदस्य की ओर से जल संसाधन विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सरकारी कालेजों में से एक भी स्नातकोत्तर कालेज में कृषि संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ कस्बे में सरकारी कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय देवली (टोंक) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर में लगातार अकाल एवं सूखे की स्थिति से पशुओं के लिए चारा एवं पेयजल की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। किन्तु, आज विषय-वस्तु को देखते हुए चूंकि विरोध पक्ष के उप नेता भी बोलेंगे, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बोलना है इसलिए आप सब लोगों की इजाजत हो, आप लोगों की इजाजत, कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों की इजाजत हो तो समयाभाव को देखते हुए 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर स्थित मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र के बच्चों की दयनीय स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस विषय को मैंने पिछले 15 दिन से प्रयास किया था कि पर्ची के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यह विषय प्रशासन और राजकीय काम को देखने वाले लोगों के ध्यान में आये कि हम लोग जिस प्रकार से यह मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं, जिनको हम यहां पुनर्वास केन्द्र में रखते हैं, उनकी स्थिति क्या है या क्या नहीं है। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सरकार का भी और सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम जिस मन से इन बच्चों की देख-भाल के लिए राजकीय फंड को खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। मैं यह जो आपकी प्रगति प्रतिवेदन है, वर्ष 2009 और 2010 का, इसका जो पैरा, इसको मैं पढ़कर बता रहा हूं, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करिये। माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): विभाग द्वारा मानसिक विमंदित महिलाओं और बालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु जयपुर में वर्ष 1983-84 से इस केन्द्र की स्थापना की गयी। इस केन्द्र में 50 महिलाओं और 25 बालकों के शिक्षण/प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र व्यवस्था, आवास, चिकित्सा सुविधा की नि:शुल्क व्यवस्था हेतु वर्ष 2008-09 में अपन ने 1 करोड़ 46 लाख रुपया इन बच्चों के लिए रखा। इसमें 116 जो है वह बालिकाएं हैं, 106 बालक हैं। इसी तरह 2009-10 में, हमने 09 वर्ष में 1 करोड़ 21 लाख रुपया इन बच्चों के लिए रखा जो प्रति महीना, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग एक बच्चे पर पांच हजार रुपया महीने का खर्च आता है। साल में साठ हजार से लेकर एक लाख रुपया इन बच्चों पर खर्च करते हैं। यह वे बच्चे हैं जिनके मां-बाप ने परेशान होकर इनको इस हालात में देखा कि इनका पालन-पोषण करना सम्भव नहीं है, अनाथ की तरह से सड़क पर जिनको छोड़ जाते हैं। हमारी सरकार ने इस बात की व्यवस्था की कि ऐसे बच्चों की भी देख-भाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और उन बच्चों को लाकर यहां जो हमारा यह केन्द्र है, उस केन्द्र में इन बच्चों को हम रखते हैं।

मैंने पिछली बार एक प्रश्न भी लगाया था इसके बारे में। इस प्रश्न के जवाब में भी मुझे जो उत्तर मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मानवीय प्रश्न को आज सदन के सामने और आप और हम सबके सामने रख रहा हूं कि हम इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं उन बच्चों की देख-भाल के लिए, जो लगभग मैं कह रहा हूं कि प्रति बच्चा साठ हजार से लेकर एक लाख रुपया प्रति बच्चा हम खर्च करते हैं, उसके बाद भी उन बच्चों की स्थिति जाकर अगर देखी जाए तो हमारा शरीर कांप जाएगा उन बच्चों की हालतों को देखकर कि विभाग किस प्रकार से काम करता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न के जवाब में आया कि ऐसे जो बच्चे हैं वे 231 बच्चे आज की तारीख में इस पुनर्वास केन्द्र पर पालन-पोषण के लिए रखे हुए हैं। इसमें से आप क्लासीफिकेशन करें तो प्रोफाउंड मानसिक विकलांग जो हैं अर्थात् 100 परसेंट जो बच्चे विकलांग हैं उन बच्चे और बच्चियों की संख्या 72 है। जो सीवियर मानसिक है अर्थात् 80 परसेंट से लेकर 100 परसेंट विकलांगता की परिस्थिति में हैं, ऐसे बच्चों की संख्या 82 है और जो माडरेट मानसिक हैं, 40 से लेकर 80 परसेंट जिनकी मंद बुद्धि है, ऐसे बच्चों को तो फिर भी अगर ठीक प्रकार से गाइड किया जाए तो वे अपने दैनंदिन काम को ठीक प्रकार से कर सकते हैं, वे हैं और माइल्ड मानसिक विकलांग जो बच्चे हैं, वे 26 हैं। ऐसे कुल मिलाकर 231 बच्चे हैं। इन 231 बच्चों की हालत को देखकर, हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम सबको इसके बारे में डाइरेक्शन दिये। मैं आपको पढ़ रहा हूं। इन बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2003 में डबल बेंच सिविल रिट पीटिशन नम्बर 3672/2003 सत्य नारायण सिंह बनाम आशा सिंह और अन्य केस में हाइ कोर्ट, राजस्थान की जयपुर बेंच ने एडवोकेट रघु चौहान, एडवोकेट, माधुरी सिंह और एडवोकेट प्रेम किशन शर्मा की एक कमेटी बनायी और इस कमेटी के आधार पर हमारे हाइ कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिया, इनकी दशा को देख कर और उस दशा को देखने के बाद भी आज दिन तक पालना नहीं हो रही।

मेरे सवाल के जवाब में कहीं कोई उन्होंने लिखा नहीं कि हमने इसकी पालना कर दी। मैं कुछ आपको हाइ कोर्ट के डाइरेक्शन क्या थे और अब हमने उनकी क्या, ये डाइरेक्शंस आज से नहीं हैं, 2003 से डाइरेक्शंस हैं। पहला आदेश जो हाइ कोर्ट ने किया वह 21.8.2003 को किया। उसमें कहा कि एक आहार विशेषज्ञ हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत पौष्टिक भोजन सुरक्षित ... (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आप इन मानसिक विकलांग बच्चों के बारे में, मैं सोचता हूं कि न तो सदन कोई मानवीय मन रखता है और मेरा केवल बोलने के लिए बोलना ऐसा नहीं है, सरकार का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी उन बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालत में रहना पड़े तो आपको और मेरे को, दोनों को ही इतनी शर्म आएगी कि हम मन से चाहते हैं और फंड भी देते हैं लेकिन हमारा मानवीय दृष्टिकोण नहीं होने के कारण से इन बच्चों की दुर्गति बनी है। यहां तक कि हाइ कोर्ट ने फैसला कर रखा है; कब से, डाइरेक्शन दिया 21.8.2003 को; क्या दिया था, ''एक आहार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विशेषज्ञ हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत पौष्टिक भोजन सुरक्षित रखेगा।'' उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई इसकी। ''सरकार विशेष प्रकार के शिक्षक इन बच्चों के लिए क्योंकि ये मंद बुद्धि के बच्चे हैं, इनको टेकल करना हर किसी के बस का रोग नहीं है, इनके लिए स्पेशल जो अनुभव रखते हैं या ट्रेनिंग किये हुए लोग हैं वे रहेंगे।'' नौकरी पर लगाये नहीं, इन बच्चों के पुनर्वास के लिए, इसकी आज दिन तक, सरकार ने ठेके पर इस पर शिक्षक लगा रखे हैं। कोई इस प्रकार के ट्रेंड शिक्षक नहीं लगाये जो इन बच्चों की देख भाल करके इनके जीवन को ठीक प्रकार से रख सके। ''इनके लिए साथ ही कम से कम इनको खेल की कोई सामग्री मिले।'' खेल की कोई सामग्री नहीं है। बाड़े में जैसे बंद करते हैं, बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा देते हैं, वे बच्चे अन्दर ही आपस में लड़ते-फिरते रहते हैं।

इसके बाद आपने देखा होगा कि 28.1.2004 को फिर हाइ कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया कि यह जो सुपरिंटेंडेंट है, श्रीमती अलका सिरोही को यहां से तुरन्त हटाया जाए। इसकी पालना में आपने उस समय आदेश की पालना की और इसको हटाया लेकिन आज की तारीख में यही वापस इसी स्थान पर सुपरिंटेंडेंट है। विभाग जाकर इसका पता कर ले, हाइ कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद भी। क्योंकि इसने जिस प्रकार की दुर्गति इन बच्चों की बना रखी है, इसके कारण हाइ कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि इसको यहां से हटा दिया जाये। आपने हटाया लेकिन आज की तारीख में फिर लग गयी।

इसके बाद हाइ कोर्ट ने 2.6.2004 को फिर आदेश दिया बालक-बालिका, महिला पुनर्वास केन्द्र में पुरुष एल.डी.सी., यू.डी.सी. व केयर टेकर को हटा दिया जाये। आपने इसमें हटाया नहीं। कुछ हटाये और कुछ हटाने के बाद भी आपने देखा, वर्तमान में पुरुष एल.डी.सी., यू.डी.सी. और केयर टेकर महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, 23 मई, 2007 को यहां बलात्कार की घटना उजागर हुई। उसको सुनकर-पढ़कर आपका और हम सबका दिमाग खराब हो गया कि हाइ कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इन महिलाओं के साथ हम पुरुष केयर टेकर और बाकी लोग रखते हैं जिसके कारण इनके साथ यह होता है। इसकी पालना नहीं हुई।

इसी डायरेक्शन से, ''विशेष शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जायेगा तथा नौकरी की सुरक्षा दी जायेगी, स्थायित्व दिया जायेगा जिससे उन बच्चों के साथ लम्बा रिश्ता बन सके, जो बच्चों का पुनर्वास करने के योग्य हो सके।''

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज दिन तक ठेके पर टीचर रख रहे हैं। वहां इस प्रकार के कोई शिक्षक नहीं हैं। हाइ कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं हुई।

इसके बाद फिर हाइ कोर्ट ने आदेश दिया 27.9.2004 को, हर साल, हर बच्चे को 10 कपड़े की जोड़ी दी जायेगी। अभी भी आप इधर देखो, दो जोड़ी मिल रही है, तीन जोड़ी मिल रही है, चार जोड़ी मिल रही है। कपड़े पहनने के लिये हम नहीं दे पा रहे हैं। गम्भीर मंद बुद्धि बच्चों के लिये वास्तव में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जिनकी विकलांगता है, जिनको मां-बाप अपने घर में कोख से पैदा होने के बावजूद भी मजबूरी में उन बच्चों को रख नहीं सकते, पालन नहीं कर सकते, इसलिये सड़क पर अनाथ की तरह से छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को राज्य सरकार उठाकर इस पुनर्वास केन्द्र पर रखकर अपना धर्म निभाने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसे मंद बुद्धि बच्चों के लिये आपको हाइ कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1-5 के अनुपात में टीचर रखेंगे। अगर पांच बच्चे होंगे तो एक इस प्रकार का केयर टेकर रहेगा जो इन बच्चों को ठीक प्रकार से देख सके, लेकिन आज भी पूरे 231 बच्चों पर केवल पांच केयर टेकर हैं। वन-टू-फाइव का रेशो तय किया था हाइ कोर्ट ने, आपने उसकी पालना नहीं की। एक सामान्य मंद बुद्धि बच्चे के लिये जो 40 प्रतिशत की विकलांगता रखता है, उसको 1-10 का अनुपात दिया है, लेकिन इसमें जो अधिकांश बच्चे हैं, 72 तो 100 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, 82 बच्चे ऐसे हैं जो 80 से लेकर 100 प्रतिशत की विकलांगता की स्थिति में हैं। उसके अनुसार केयर टेकर नहीं हैं। न स्कूल भवन के बारे में आपने कुछ किया। सप्ताह में दो बार बच्चों को इधर-उधर ले जाने को कहा, उसकी पालना नहीं हुई। वर्तमान में जो स्थिति है, वह इतनी दर्दनाक है और इसमें जितने बच्चों के आपने एड्रेस लिखे हैं, मुश्किल से इन 231 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां-बाप का पता है, बाकी सब अज्ञात बच्चे हैं। ये जो अज्ञात बच्चे हैं जिनको जिस परिस्थिति में हम लाये और जिनके ऊपर हम 2 करोड़ 31 लाख रुपये सालाना खर्च कर रहे हैं, जो लगभग 60 हजार से लेकर एक लाख प्रति बालक खर्च आता है। उसके बावजूद भी हमने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सोचता हूं कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं, माननीय सदस्यों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप भले यह समिति बनायें, न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बनायें, आप स्वयं चलकर एक बार इस नारकीय जीवन को अपनी आंख से देख लो ताकि आपके अन्तर्मन में यह लगेगा कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों की देखभाल हो। मैं सरकार से और आपसे चाहूंगा कि आप भले ही आफिशियल नहीं बनायें लेकिन किसी को भी एक बार इस पुनर्वास केन्द्र को देखने भेज दीजिये कि वास्तव में ये बच्चे किस नारकीय जीवन में जी रहे हैं। जिन बच्चों को देखकर आपको रोना आता होगा, इतनी सब सुविधा जुटाने के बाद, हाइ कोर्ट के छह-छह आदेश इनको मिलने के बाद भी आज दिन तक कभी किसी ने पालना नहीं की। हमको कहते हैं, हमने इसकी पालना की। आज भी वहां जाकर देख लो, वहां कोई ट्रेंड टीचर नहीं है। आज भी जाकर देखो कि उन बच्चों का भोजन कैसा बनता है, आज भी बच्चों को पहनने के कपड़े ठीक प्रकार से नहीं देते हैं। इतना फंड देने के बाद भी, हमारा पैसा देने के बाद भी, बजट में ढाई करोड़ रुपये रखने के बाद भी, इन बच्चों का नारकीय जीवन है। यह तो केवल जयपुर का एक उदाहरण बता रहा हूं। राजस्थान में जो बाकी केन्द्र चलते हैं, उनको भी कभी कोई मानवीय आधार पर आपका अधिकारी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जाकर देखता है? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह उन बच्चों की देखभाल के लिये जो व्यवस्था सरकार ने तय की है और कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिये हैं, उनके अनुसार पालना होनी चाहिये।

मैं, अध्यक्षजी, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप अथोरिटी से नहीं बनायें, कोई दिक्कत नहीं पर आप हममें से किसी भी पांच को कहो, एक बार जाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लाकर रखें कि वास्तव में ये बच्चे किस नारकीय जीवन में जी रहे हैं। न खाने को पूरा मिलता है, न पहनने को पूरा मिलता है और मंद बुद्धि बच्चों के कारण से जिस प्रकार से बच्चे वहां रहते हैं, उस हालत को देखकर अगर जानवर को भी बांधते होंगे तो कम से कम वहां सफाई करके बांधते होंगे। इन बच्चों की क्या दशा है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आज दिनांक 29 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 12 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो कि निम्नांकित हैं–श्रीमती किरण माहेश्वरी, राजस्थान में पेयजल हेतु खरीदे जा रहे पाइपों में हो रहे घोटालों के सम्बन्ध में; श्री पेमाराम, ग्रामीण

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्रों में अग्निकांड से पीड़ित जनता को तत्काल उचित सहायता देने के सम्बन्ध में; श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर के ऐतिहासिक मंदिर व जोधपुर सिटी वॉल के सम्बन्ध में; एवं श्री अभिषेक मटोरिया, एक एन जी ओ द्वारा बी.पी.एल. व बेरोजगारों के साथ की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पेयजल पाइप खरीद में घोटाला

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आज आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि पेयजल की समस्या इस राजस्थान के अन्दर बहुत ही भंयकर रूप से चल रही है। एक तरफ जो योजनाएं सरकार की थीं पेयजल के संदर्भ में, वे योजनाएं टाइम बाउंड पीरियड में पूर्ण होनी चाहिये थीं। वर्क आर्डर की एक निश्चित तिथि होती है कि इतने समय में यह योजना पूरी हो जायेगी। इससे लम्बा समय निकल जाने के बाद भी ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वर्क आर्डर दिये जाते हैं एक साल के लिये किसी योजना के, तो एक साल के बजाय दो साल तक वह योजना कम्पलीट नहीं हो पाती। उसके पीछे कारण पूछा जाता है तो वह कारण यही होता है कि वहां पर जो अधिकारी थे, उन्होंने जो पर्चेज किया, वह पर्चेज उन्होंने बराबर तरीके से नहीं किया। पहले पाइप खरीद लिये, टंकी नहीं बन पाई, पैसा खतम हो गया। अब रिवाइज प्लान होगा, रिवाइज होने के बाद में फिर रिवाइज प्लान की स्वीकृति आयेगी। वह स्वीकृति आने के बाद टंकियां बनेंगी। तब फिर वह योजना पूरे तरीके से लागू होगी।

इसलिये मैं आज आपको बाघेरी नाका, जो हमारे वहां राजसमंद विधान सभा क्षेत्र और नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र, यह दोनों विधान सभा क्षेत्र इससे लाभान्वित होते हैं, इस योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना पहले 128 करोड़ की बनी थी और उसके बाद यह रिवाइज होते-होते 204 करोड़ की बनी। 128 करोड़ की यह योजना जब बनी तो उस योजना में सबसे ज्यादा कहना चाहिये कि 120 करोड़ के तो इन्होंने पाइप खरीद लिये। जिस योजना के अन्दर पाइप लगने थे, टंकी भी बनानी थी, कनेक्शन भी देने थे, यह सारा काम इस योजना में करना था लेकिन सिर्फ पाइप खरीदे 120 करोड़ के! फर्स्ट फेज में योजना के अन्दर पाइप

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

खरीद लिये गये इसलिये कि सबसे ज्यादा कमीशन किस चीज में इंजीनियर्स को मिल सकता है, उसका असेसमेंट होता है। जैसे ही योजना स्वीकृत होती है और अगर पाइप खरीदने में कमीशन ज्यादा मिल रहा है तो सबसे पहला काम यही करो। इसलिये इस बाघेरी नाका योजना, जिस योजना से कम से कम 204 गांवों को पानी मिलना था, वह योजना जो एक-डेढ़ साल के अन्दर कम्पलीट होनी थी, आज तीन साल पूरे होने आये, अभी तक वह योजना पूरी नहीं हो सकी। इंजीनियर्स की यह स्थिति है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनकी, वह स्टोरेज कैपेसिटी से कई गुणा ज्यादा पाइप को स्टोर करके रखे हुए हैं। जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं है। हमारे पास में टूटे हुए पाइप लाइन को रिपेयर करनी है। अगर कोई लाइन टूट गयी है, पानी बह रहा है। एक तरफ पानी की इतनी किल्लत है और पानी बह रहा है। तो अगर उनसे कहा जाये ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन हो रहा है क्या? ट्रेजरी बेंचेज खाली पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष: तीन विराज रहे हैं, तीन। दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक राज्य मंत्री गोलमा देवी भी विराजी हुई हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल, और जो कैबिनेट मिनिस्टर यहां विजमान हैं, वह कृपया जो मैं पूछ रही हूं, उसका जवाब भी दें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करती हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सहायता मंत्रीजी भी हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, सहायता मंत्रीजी भी हैं। आप अपने आपको असहाय मत मानो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको लाइटली नहीं लिया जाये, जो यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वे बात न करके इस पर ध्यान दें और मुझे उनसे उम्मीद है कि इस पर जवाब भी मुझे मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: इनकी बातों पर ध्यान रखो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, बिलकुल रखें, अच्छा है। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हां, बात पर ही ध्यान रख रहे हैं। वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसको निकालें नहीं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इस बात के लिये मेरा आपसे यह निवेदन है, माननीय अध्यक्षजी, कि आप सरकार से इस बात का जवाब जरूर दिलवायें कि जो वहां पर पेयजल की पाइप लाइन टूटी हुई है, उसको रिपेयर करने के लिये संवेदनहीन हैं। उन अधिकारियों को कहेंगे तो कहेंगे हम जा रहे हैं, भेज रहे हैं और उसको रिपेयर चार बार करेंगे पर पाइप को चेंज नहीं करेंगे। यह कहकर चेंज नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पाइप नहीं हैं। दूसरी तरफ स्टाक को अगर देखें, तो आज ही अख़बार के अन्दर छपा है कि कितना है। जहां 20 लाख रुपये का स्टाक होना चाहिये, वहां पर अजमेर के अन्दर करीब 6 करोड़ का स्टाक है इनके पास पाइप लाइन का। इसी तरीके से उत्पादन एवं वितरण उदयपुर को देखें जहां 25 लाख की स्टाक सीमा है उसके अगेंस्ट 4 करोड़ 10 लाख रुपये का पाइप लाइन का स्टाक इनके पास पड़ा है। दौसा में 15 लाख की स्टाक सीमा के अंगेस्ट में साढ़े 3 करोड़ रुपये का स्टाक इनके पास पाइप लाइन का है। पूरा विवरण दे दूं, हमारे वहां का सलूम्बर का जहां दस लाख के अगेंस्ट में तीन करोड़ रुपये के पाइप लाइन का स्टाक है। यह पाइप लाइन का स्टॉक किसके लिए है? उस पाइप लाइन को खरीदने के लिए कमीशन मिलता है। इसलिए आराम से पाइप खरीदो, कमीशन कमाओ और उसके बाद अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, वह दूसरी जगह चला जाता है लेकिन खुद के कार्यकाल में कमीशन कमा सकते हैं परचेज में, वह कमीशन का काम करते हैं।

इसलिए आज मैं आपसे निवेदन यह करना चाहती हूं, ये लोग जो एक्सेस स्टाक रख रहे हैं और जिस एक्सेस स्टाक की वजह से आज पूरा पैसा, जो योजना का पैसा है, वह योजना पूरी नहीं हो पाती है, सिर्फ पाइप के अन्दर ही पैसा खतम हो जाता है। मंत्री महोदय, यहां बैठे हुए हैं, कृपा करके उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? जो स्टाक एक्सेस पड़ा है, वह लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम कुआ गहरा करवाने के लिए कहेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसमें कमाई नहीं मिलती है। उनको यदि रिपेयर करने के लिए कहेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। हैण्ड पम्प की एसेसरीज अगर खराब हो जाएंगी तो नया हैण्ड पम्प खुदवाने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन एसेसरीज रिपेयर करने के लिए कोई पैसा नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया अब विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी दो मिनट और लूंगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जहां पानी का दोहन हो रहा है, वह कितने अवैध रूप से हो रहा है। आज राजसमन्द के अन्दर जे के टायर की बहुत बड़ी फैक्टरी चल रही है। जे के टायर का एम ओ यू इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से होता है राजसमन्द झील से पानी दोहन करने का। वह एम ओ यू कितने वर्ष पहले का हुआ है, उस समय राजसमन्द झील भरी रहती थी। आज बिलकुल खाली हो गयी है। आज पीने का पानी नहीं है। इतना अकाल का समय आ रहा है लेकिन पांच लाख लीटर पानी आज भी वहां से निकाला जा रहा है और कहते हैं कि एम ओ यू है। एक तरफ तो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि पैसा लाओ और पानी खरीदो, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज के ऊपर किसी तरीके का इस एम ओ यू के अन्दर रिन्युअल नहीं किया और उससे आप पैसा ले रहे हैं। तीन-तीन, चार-चार दिन तक राजसमन्द शहर को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ यह पानी वहीं पर कुएं लगाकर, वहीं पर हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल लगाकर झील के अन्दर, उसी से पानी ये लोग खींच रहे हैं लेकिन कोई अंकुश उनके ऊपर इनकी तरफ से नहीं है।

इसी तरह से दरीबा माइन्स को देखें। रेलमगरा क्षेत्र के अन्दर हमारे सारे गांव रेलमगरा, राजपुरा, सिंदेसरकलां, कोटड़ी, काबरा, खड बामनिया, खुण्डिया, ये सारी वे पंचायतें हैं जो दरीबा माइन्स के इर्द-गिर्द हैं लेकिन दरीबा माइन्स में पानी के लिए वहां पर माइन्स की खुदाई होती है, पानी आता है और उन आसपास के गांवों के पानी का स्तर एकदम नीचे चला गया। सरकार इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रही है। कृपा करके इसकी चिन्ता करें। इन गांवों के लिए पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ गयी है। वहां पर जल स्तर इतना नीचे चला गया है और जो पानी है वह भी इतना गन्दा और खराब क्वालिटी का हो गया है कि वह पीने योग्य नहीं रहा लेकिन उन माइन्स को सरकार चलाने के लिए चुप होकर बैठी है। इस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह सारा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि सरकार इस पर जबाव दे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमा रामजी। शुरू करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड से पीड़ित जनता को तत्काल उचित सहायता

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में जो अग्निकाण्ड होते हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अग्निकाण्ड के कारण कुछ भी हो सकते हैं। कई दफा अन्धड़ चलता है, कच्चा मकान है, जिसके पक्का नहीं है, चूल्हे में से आग उड़कर अग्निकाण्ड हो जाता है। कहीं बिजली का हाई टेंशन लाइन जो ऊपर से जाती है उनके तारों की स्पार्किंग से अग्निकाण्ड हो जाता है हमारे सीकर जिले में जो बिजली की 11 और 33 की लाइनें हैं, वे इतनी लूज हैं कि अमूमन उस इलाके में अग्निकाण्ड उनके कारण से होता ही रहता है। इसके अलावा किसान जब अपने खेत में फसल काटने के बार प्रेशर से फसल निकालने का काम करता है उस दौरान भी अग्निकाण्ड हो जाता है और उससे किसान का खेत, मजदूरी करने का सामान, सब कुछ जल जाता है कभी-कभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि एक दफा अग्निकाण्ड हो गया। रात का समय था। बादलवास गांव के किसान के वहां पर बीस भेड़-बकरी और पांच भैंसें जल गयीं। धुनकाबास में गरीब राजपूत परिवार था उसके परिवार में सारा का सारा पशुधन और एक पक्का मकान था और वह कच्चे मकानों से घिरा हुआ था, वह पक्का मकान गिर गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अभी हमारे सीकर जिले में दातांरामगढ़ तहसील के अड़ोदा ग्राम पंचायत के गांव सांवलौदा में अग्निकाण्ड हुआ और गणपतराम लेखा का छोटा बच्चा अभिषेक, 25 मार्च, 2010 की घटना है ताजा, वह बेटा बाहर नहीं निकल पाया और जिन्दा तड़प-तड़प कर वहीं पर गुजर गया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, लामिया रघुनाथ यादव का घर जल गया था। डेढ़ साल से एप्लीकेशन हमारे सीकर जिले में पड़ी है। अभी थ्रेशर आया, फसल निकलवा रहा था, प्रेशर से अग्निकाण्ड हो गया और किसान पूरे छह महीने की मेहनत के बाद रो-धोकर बैठ गया। एप्लीकेशन आने के बाद 12 महीने तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हा पाती है। ऐसी सूरत में वहां कोई जन-प्रतिनिधि और कोई अधिकारी नहीं जा पाता। पटवारी को छोड़कर कोई नहीं जाता। यदि कोई जन-प्रतिनिधि वहां पहुंच जाता है तो विधायक भी उस अग्निकाण्ड में आंसू बहाने के अलावा कुछ दे नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा घटनाक्रम क्यों न हो जाए।

अभी हम जब लाबी में बैठे थे तो करौली से आने वाले माननीय

(श्री पेमाराम)

सदस्य कह रहे थे कि चार दिन पहले 19 घर जलकर वहां पर खाक हो गये। कोई सम्भालने वाला नहीं है। अभी खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे इलाके में चार-पांच जगह अग्निकाण्ड हो गया, डेढ़ वर्ष हो गये, अभी तक उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पायी है।

इसलिए एक राय देना चाहता हूं, सरकार को सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि अग्निकाण्ड का जो मापदण्ड है, जो नियम बने हुए हैं, उनको कुछ मिलता भी है तो दो-ढाई हजार रुपये, इससे ऊपर नहीं मिलता और मापदण्ड भी बने हुए हैं आजादी के जमाने के। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकर इस कानून में संशोधन, परिवर्तन करके अग्निकाण्ड चाहे किन्हीं कारणों से हुआ हो, तत्काल राहत देने के लिए मेरी मांग है कि किसानों के खलिहानों तथा थ्रेशर से लग रही आग को भी इस अग्निकाण्ड में सम्मिलित किया जाए। अभी तक ये मानते नहीं हैं।

मेरी दूजी मांग है कि बिजली, चाहे बिजली आकाशीय हो, चाहे पावर बिजली हो या बिजली के तारों से लगने वाली आग को सम्मिलत करें जिससे जनता को राहते मिले। तीसरी मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड का मुआवजा जिसके मापदण्ड बहुत पुराने हैं, दो-ढाई हजार रुपये से ऊपर नहीं मिल पाता है और कभी-कभी तो पशुधन या इन्सान जल जाए, इन्सान जलने पर भी दस हजार से ऊपर नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ शहरों में अग्निकाण्ड, दुकानों में बिजली का सर्किट जलने से लग जाता है तो उसे इंश्योरेंस मुआवजा मिलता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अग्निकाण्ड के मुआवजे के मापदण्ड जो पुराने हैं, सरकार उन्हें बदले और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाए।

मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड पीड़ितों का डेढ़ वर्ष पहले, हमारे सीकर जिले में बारह महीने से पहले की अभी भी वहां एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, उनकी स्वीकृति की जाकर राहत दिलाने का काम करें। मेरा निवेदन है कि अग्निकाण्ड में वाकई में सरकार, जिसका आग में सब कुछ स्वाहा हो गया हो, उसे तत्काल राहत नहीं मिले और डेढ़ साल बाद दो हजार रुपया मिले, उसका कोई औचित्य नहीं है। मेरी मांग है कि अग्निकाण्ड पीडितों को सात दिन के भीतर सरकार मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का कानून में सुनिश्चित करे। इसी के साथ यदि अग्निकाण्ड पीड़ितों का मकान जल गया तो उसे इन्दिरा आवास की तरह पक्का मकान बनाने की व्यवस्था करें। यही नहीं, एक और मेरी मांग है कि

(श्री पेमाराम)

अग्निकाण्ड हो जाता है, सीकर में मोरडूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, वहां अग्निकाण्ड हो गया। तो अग्नि शमन कार्यालय पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थापित कर अग्नि शमन की व्यवस्था करें।

एक और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह घटना राजस्थान में कहीं भी हो सकती है, जन प्रतिनधि वहां जाता है तो आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। विधायक कोष में पैसा चाहे जितना भी है, ऐसी कोई घटना हो वह भी झोली फैला कर के जनता के पास ही जाता है, बाकी यह कुछ घोषणा नहीं कर सकता कि मैं विधायक कोष से अमुक को कुछ दे रहा हूं। इसलिए मेरी मांग है कि विधायक कोष से भी अग्निकांड पीड़ितों को आर्थिक सहायता, पुख्ता मकान बनाने या कच्चा मकान भी जल गया तो उसे पुख्ता मकान बनवाने की या जो भी आर्थिक सहायता है वह भी उस मापदण्ड में सम्मिलित की जाए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि अग्निकांड पीड़ितों के बारे में जो कानून है वह पुराना है, मापदण्ड पुराने हैं, उसमें संशोधन करें। सरकार इस पर विचार करे और ऐसी घटनाओं को रोकने में तुरन्त राहत देने के लिए करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर के ऐतिहासिक मंदिरों व परकोटे की दयनीय स्थिति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज जोधपुर शहर के मंदिरों की तरफ एवं परकोटे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर जितने भी मंदिर हैं, जैसे घनश्यामजी का मंदिर है, सीतारामजी का मंदिर है, रणछोड़जी का मंदिर है, कुंज बिहारीजी का मंदिर है, मदनलालजी का मंदिर है, ऐसे कई मंदिर हैं मगर वहां भी ...(व्यवधान) मेरे को बोलने तो दो, साहब। तो ऐसे जो मंदिर हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें कितना पैसा खर्च होता है, क्या होता है आज तक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है मगर इन मंदिरों की वह दुर्दशा है कि मैं आपको क्या बताऊं। वहां पर भगवान विराजमान हैं, कितने दर्शनार्थी जाते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं दर्शन करने जाती हैं और क्या कहती हैं, जब कभी भी मैं मंदिर जाऊं तो कहती

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हैं, आप मंदिर के लिए तो कुछ करें। तो, भाई, मेरे फंड में तो दे दूं और तो मैं क्या कर सकती हूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि सरकार को यह चाहिए कि इनके लिए स्पेशल धनराशि खर्च करें कि पांच करोड़, चार करोड़, जितने भी मंदिर हैं उनमें लगाए क्योंकि यह स्टेट के समय के मंदिर बने हुए हैं मगर उनकी देखभाल करने के लिए कुछ नहीं है।

अभी दो दिन पहले जब प्रश्न आया, उस समय मंत्रीजी ने यह कहा। हर मंदिर में, कोई भी जोधपुर का ऐसा मंदिर नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर दो हजार, चार हजार से कम दर्शनार्थी आते हों मगर माननीय मंत्री महोदय ने तो कह दिया कि 400, 500 आते हैं। तो मंत्रीजी, आप वहां देखो तो सही। आपको रास्ता ही मालूम नहीं है कि मंदिर कहां है। घनश्यामजी का मंदिर कहां है, आपको रास्ता ही मालूम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि इसी तरीके से शहर परकोटे के नाम से पहचाना जाता है कि जोधपुर शहर में परकोटा है मगर परकोटे की यह स्थिति है कि सारे तो एन्क्रोचमेंट हो गये, सारे परकोटे तोड़ दिये गये और यहां तक कि परकोटे तोड़कर कई तो लोगों ने स्कूल बना लीं, कोई अपने मकान बना लिये, कोई अपने दुकानें बनवा लीं। वहां पर भी अभी कोई देखने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि इसके बारे में मंत्रीजी विचार करें और देखें।

तीसरा मेरा सवाल यह है कि जोधपुर शहर के अन्दर कितने गेट हैं, जालोरी गेट है, सोजती गेट है, नागौरी गेट है, नागौरी गेट और जालोरी गेट, सिवांची गेट पर तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस चौकियां लगी हुई हैं गेट के अन्दर। तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। सिंवाची गेट पर जब पुलिस चौकी लगी, मैंने कहा कि कमाल है यह तो, यह क्या बात हो गयी। आप वहां के दरवाजे देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि 50 आदमियों से कम एक दरवाजे को कोई उठा नहीं सकते, इतने भारी दरवाजे हैं, वहां पर पुलिस चौकियां लगी हुई हैं। नागौरी गेट पर पुलिस चौकियां लगी हुई हैं, जालोरी और सिवांची गेट पर पुलिस चौकी और जब फोन करें कि सी.आई. साहब कहां हैं तो कहते हैं कि चौकी पर बैठे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां पर थाना बनवा दिया, मैंने कहा कि चलो, इसका चौकी का नाम तो यह नहीं रहे, कम से कम थाना

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तो होगा यहां पर। मैंने मेरे फंड से पैसे देकर के इतना बढ़िया थाना वहां पर बनाया और वहां के व्यापारियों की तरफ से मेरे को बहुत अच्छी मदद मिली, जमीन उपलब्ध करवा दी तो वहां पर एक थाना बन गया।

ये सारे गेट हैं, तीजा मांजी का मंदिर है, और मंदिर भी ऐसे हैं, गेट भी ऐसे हैं, सिंवाची गेट, जालोर गेट, नागौरी गेट, मेड़ती गेट, सोजती गेट, ये सारे गेट हैं और गेटों की भी यही स्थिति है। गेट भी कभी आज तक नहीं सुधारे गये हैं जबकि सरकार के पास इतना होते हुए भी, अगर यह जो पुरातत्व भी इसके बारे में सोचें तो भी काम हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि यह इस तरीके से इसकी योजना बनाएं और योजना बनाकर कम से कम यह जो पुरातत्व हैं, इस बात पर विचार करें कि इन गेटों वगैरह को सुन्दर रखें, ये ऐतिहासिक चीज हैं, अगर अपन इन सारी ऐतिहासिक चीज को ही भूल जायेंगे तो फिर तो जोधपुर में कोई बचेगा ही नहीं। यहां परकोटे भी नहीं रहे, लोगों ने सारे एन्क्रोचमेंट कर लिये, अब जोधपुर क्या कहलाता था, मैंने पूर्व सरकार से निवेदन किया, मेरे को वसुन्धराजी ने पूछा कि आपके शहर में क्या करवाना है, मैंने कहा कि जितनी पुरानी पाइप लाइन हैं वो सब चैंज करवा दो, तो मैंने कहा, नहीं, आप ऐसे लिखना कि परकोटे के अन्दर, जोधपुर शहर कर दिया तो तीनों में पैसा फैल जायेगा। तो यह परकोटे का एक बहुत, बड़ा था भारी महत्व है, इस महत्व को सारा खतम कर दिया है, मैं चाहूंगी कि जो बचा-खुचा है उसको अवेर के रखें और जो जो एन्क्रोचमेंट हुए हैं, कम से कम उनको तो हटाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी। आपने मेरी बात सुनी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो मंदिरों के बारे में बात रखी और उन्होंने यह बात की कि पुराने मंदिरों को ठीक करने की व्यवस्था सरकार करे। तो माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

आत्मनिर्भर मंदिरों को ठीक करने के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया है, उनको हम ठीक करायेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है, आज तक तो कुछ किया नहीं। कुछ भी होने वाला नहीं है दो करोड़ से, इतने मंदिर हैं। मैंने ये सारे मंदिरों की आपको लिस्ट बतायी है, एक-एक मंदिर का नाम लिया है। वहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर में जो भोमियाजी का स्थान था, डेढ़ करोड़ रुपये तो पिछली सरकार ने वहां लगाया तो भी काम पूरा नहीं हुआ है। दो करोड़ से क्या होने वाला है? दो करोड़ से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, दही के अन्दर जावण भी नहीं लगेगा दो करोड़ से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पूरे राजस्थान का है यह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अच्छा, पूरे राजस्थान में है क्या दो करोड़! मैंने अच्छी तरह से सुना ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी रक्षा करो कि दो करोड़ पूरे राजस्थान में! क्या होगा दो करोड़ से, आप बताओ। नहीं, आप तो यह तय करवाओ इनसे कि जोधपुर में कितना देंगे। दो करोड़ से क्या होगा, आप बताओ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर पहले भी मेहरानगढ़ मंदिर के अन्दर दुखांतिका हुई है ...(व्यवधान) माननीय सदस्या का यह बहुत अच्छा सुझाव है कि जोधुपर में जितने बड़े-बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की सुरक्षा के लिए, उनकी मरम्मत के लिए सारे बंदोबस्त किये जाने चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ। यह क्या बात हुई?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और मंत्री महोदय को यह जवाब देना चाहिए कि जोधपुर के मंदिरों में क्या व्यवस्था की जा रही है, कितना बजट खर्च हो रहा है। इसके अन्दर जोधपुर के अन्दर विशेष कितना बजट है, इसके ऊपर इनको घोषणा करनी चाहिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने दरवाजों के लिए, इतने मंदिरों के लिए, इतने गेट के लिए और हर दरवाजे के पास गजाननजी का मंदिर है, हर दरवाजे के पास, बहुत बड़ी बात है। आप

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ आज। आज तक आपने कभी जवाब नहीं दिलवाया, आज जवाब दिलवाओ मेरे को।

श्री अध्यक्ष: चलो, आज मंत्रीजी से आपको जवाब दिलवाता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): केवल दो करोड़ का पूरे राजस्थान में। क्या होगा दो करोड़ में?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें तो सही।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए जवाब दो, जोधपुर में कितना पैसा खर्च करेंगे?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो जोधपुर का बताओ, मैंने पूरे राजस्थान का तो पूछा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के मंदिरों में कितना पैसा लगाओगे, वह बताओ आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप देखो, मुख्य मंत्रीजी के मकान के पास नाथजी का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, आज जर्जर अवस्था है। क्या कहते हैं, वह ट्रस्ट बनी हुई है। ट्रस्ट को मना है क्या काम करने का आपका? आप ट्रस्ट को मदद नहीं करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जवाब दिलवाओ मेरे को। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, जोधपुर में मेहरानगढ़ मंदिर में दुखांतिका हुई है। जोधपुर में मंदिरों के लिए हम बजट की बात कर रहे हैं, जोधपुर में मंदिरों की व्यवस्था, उसमें मरम्मत, इसके लिए कितना बजट है, वह बताइये आप तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): वो बताओ आप तो, राजस्थान का नहीं पूछा। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर का सवाल है, आप कह रहे हैं राजस्थान का दो करोड़ और कुछ, आप जोधपुर में कितना पैसा दे रहे हैं, आप वह बता दीजिए। (व्यवधान) मंत्री महोदय, जोधपुर में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और मंदिरों के लिए क्या व्यवस्था हो रही है, वह बताएं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मंत्री महोदय, पुष्कर के लिए भी अलग से बजट अलाट होना चाहिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सदस्या ने यह जोधपुर में मेहरानगढ़ दुखांतिका से पीड़ित होकर के यह सवाल उठाया है कि जोधपुर के मंदिरों में क्या व्यवस्थाएं हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो जोधुपर की बात कर रही हूं। (व्यवधान) उनकी मरम्मत होनी चाहिए, उनमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैंने जोधपुर के लिए कहा है और आप राजस्थान के लिए बता रहे हैं! जोधपुर की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: आप तो विधायक जोधपुर की हैं, ये मंत्री राजस्थान के हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो जोधपुर की कह रही हूं, राजस्थान की कह ही नहीं रही।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए कह रहे हैं न, जोधपुर में कितना दे रहे हो, वह बताइये। (व्यवधान) जोधपुर में कितना दे रहे हो, वह बताएं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): बाबूसिंह जी ...(व्यवधान) आप जोधपुर की चिंता कर रहे हो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर के लिए ही कह रहे हैं, साहब, हम तो कह रहे हैं कि मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई है, उस किले के लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? (व्यवधान) मंदिर के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप तो यह बता दो ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक संतोषी माता का मंदिर भूल गये आप, जोधपुर में है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, भूल गयी, साहब, सही बात है, बिलकुल सही कही आपने।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे जोधपुर के मंदिर के लिए कह रहे हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण विधान सभा में बाबा रामदेवजी का जो स्थल है वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां का तालाब का पिछली सरकार ने कराया था, वहां पर जो तालाब के अन्दर सीढ़ियां लगाने का काम था वह काम अधूरा रह गया। वहां

(श्री शाले मोहम्मद)

पर इतने लोग आते हैं जिनकी श्रद्धा को देखते हुए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि विशेष तौर से बाबा रामदेवजी का जो स्थल है वह सब धर्मों के लिए मान्य है, सब धर्मों के लोग आते हैं, वहां पर तो उनका भी पुनर्गठन किया जाए, तालाब का भी वापस निर्माण कराया जाय। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पाबूजी राठौड़ का भी मंदिर है। पाबूजी राठौड़ का मंदिर है, उसके लिए भी ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उस मंदिर का भी वहां पर अच्छे कार्य कराए जाएं ताकि वहां पर लोगों को तकलीफ नहीं हो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ओसियां का सती आई माता का मंदिर है उसके लिए भी, बाबा रामदेवजी का मंदिर है उसके लिए भी, जोधपुर और उसके आस-पास के बड़े-बड़े मंदिर हैं, बड़ी यात्राएं होती हैं, बड़े मेले लगते हैं, वहां पर आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इसके लिए जवाब दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मंत्रीजी से आश्वासन दिलवाओ, हमें भी दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हमारे को तो जोधपुर की बात बता दो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): हमें भी जवाब दिलवाओ। यह पुष्कर क्षेत्र में जगतपिता ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक मन्दिर है, रंगजी का मन्दिर है, तीन सौ अतिरिक्त मन्दिर हैं, उसके लिए माननीय मंत्रीजी से मेरा भी निवेदन है। देवस्थान मंत्रीजी विराजे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल को पुनर्जीवित किया जाए ताकि पुष्कर क्षेत्र के मन्दिरों का अच्छा विकास हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय मंत्रीजी 2 करोड़ से क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, आसन का निर्देश हो, यह आसन सर्वोपरि है, अगर आसन ने मंत्रीजी का नाम पुकार लिया तो आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उत्तर देना पड़ेगा। हम आसन के अनुशासन से बंधे हुए हैं। आपके निर्देशों की अवहेलना करें ...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी अवहेलना नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं कि और भी कोई बोलने वाला हो तो एक साथ दे दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सचेतक साहब, आप ठीक हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं लेकिन आपसे ज्यादा आसन की इज्जत करने का, आसन की परवाह करने का मेरे में जज्बा है, आप में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): चूरू में कोई मन्दिर हो तो आप भी फरमा दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मन्दिर जाएं तब ना, वे तो जाते ही नहीं हैं मन्दिर, वे तो खाली मन्दिरों के नाम पर झगड़ा कराते हैं, मन्दिर जाते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, I am on a point of explanation.

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of explanation. मेरे पर आरोप लगाया गया है कि मैं कोई मन्दिर में नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे उप नेता जानते हैं जितना मैं धर्म के प्रति अनुयायी हूं, जितना मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगा कर मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मेरी छवि धर्म के प्रति आदर की छवि है, अध्यक्ष महोदय, ये मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): पूजा-पाठ तो करते हो लेकिन मन्दिर नहीं जाते, आप घर के अन्दर ही कर लेते हो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सदस्यों ने जो बातें की हैं उसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अभिषेक मटोरिया।

संस्कार सेवा संस्था द्वारा बी पी एल परिवारों व बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची व्यवस्था के माध्यम से सरकार का ध्यान हाल ही में घटित एक बड़े गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे सभी सदस्य या तो अभी प्रभावित हैं या आने वाले समय में प्रभावित हो जायेंगे। चूंकि यह मामला पूरे राजस्थान का है, इसलिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

संस्कार सेवा संस्था आगरा की एक गैर सरकारी संगठन। संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर, जैसा कि उन्होंने बताया, 525/फाइल नम्बर ए जी 49512 है। इस संस्था ने हाल ही में राजस्थान में रिलेशन्स नाम से एक आफिस डी सी एम अजमेर रोड, चर्च वाली गली, जयपुर में 30.6.2009 को खोला था जिसका मुख्य काम सम्पूर्ण राजस्थान में बी पी एल परिवार के समस्त सदस्यों को मुफ्त में चिकित्सा और मुफ्त में शिक्षा दिलवाने का था। अध्यक्ष महोदय, इस एन जी ओ ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर जीवन मधुर पालिसी जीवन मंगल योजना के तहत पहले तो जिला स्तर पर, उसके बाद पंचायत स्तर पर और बहुत सारी जगह तहसील स्तर पर भी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के माध्यम से काम करने का बीड़ा उठाया। इस पालिसी के तहत एक बारगी में 250 रुपये, हर महीने 150 रुपये दस साल तक देने का नियम इस एन जी ओ ने बनाया।

अध्यक्ष महोदय, इस एन जी ओ ने जिन शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के माध्यम से यह काम कराने का निर्णय लिया, उसको इस एन जी ओ ने अख़बार के माध्यम से विज्ञापन निकलवाए, बड़े-बड़े विज्ञापन राष्ट्रव्यापी अखबारों में निकले। उसके बाद ये सारे बेरोजगार नवयुवक भागे, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के साथ-साथ समस्त वे प्रमाण पत्र लगा दिये जो कि नौकरी लेने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके साथ-साथ 250 से 300 रुपये तक रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से भी दिये। अध्यक्ष महोदय, इनको मैनेजर, कोआर्डिनेटर और सुपरवाइजर, तीन पद पर इस एन जी ओ ने नियुक्त भी किया। एक बड़ी गम्भीर बात इस इंटरव्यू में देखने को मिली। एल आई सी के प्रबन्धक और बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी भी इस एन जी ओ के नेशनल डाइरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट स्तर के जो भी अधिकारी थे, वे भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अधिकारीगण थे वे समय-समय पर मीटिंगों में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी से निश्चित रूप से जितने भी नवयुवक नौकरी प्राप्त करके बी पी एल को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए उनके मन में एक विश्वास जगा कि जब एल आई सी जैसी संस्था इस एन जी ओ से जुडी हुई है तो निश्चित रूप से यह संस्था सही है और कोई गलत काम इनके या बी पी एल परिवार के साथ नहीं करेगी। उनका हौसला बढ़ा, उन्होंने नौकरी स्वीकार की, इंटरव्यू में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 250 रुपये जमा करा कर रजिस्ट्रेशन फीस के भी भरे।

अध्यक्ष महोदय, अब क्या हुआ, कुछ महीने बाद 10.1.2010 को इस कम्पनी की नीयत बदल गयी। नीयत बदलने के साथ-साथ इस कम्पनी ने नाम भी बदल लिया और रिलेशन से नया नाम रखा सिगमा एसोसिएशन और नया आफिस भी खोल लिया, वैशाली नगर 112, गंगासागर बी, सलोनी पब्लिक स्कूल के पास। एक तो नया आफिस और नया नाम खोलने से हलचल मच गयी। उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, इस संस्था ने क्या किया, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में लोगों को गुमराह करने के लिए और अपने प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी बांड भी जारी कर दिये। पालिसी बांड के साथ-साथ इस संस्था ने हैल्थ कार्ड भी बना दिये। लोगों का विश्वास कायम रहा- लोगों को तनख्वाह तो दी नहीं परन्तु लोगों से पैसा एकत्रित करने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया और पूरे राजस्थान में इकसठ हजार सदस्य बना दिये। जिनसे छह करोड़ पैंसठ लाख रुपये ले लिये; किनके माध्यम से, इन बेरोजगार नवयुवक शिक्षित बेरोजगारों के माध्यम से।

अध्यक्ष महोदय, यह काम करते-करते यह संस्था धीरे-धीरे वहां से सरकने लगी और कुछ समय बाद इस एन जी ओ ने अपना आफिस बंद कर दिया। आफिस बंद करने के बाद जितने भी इनके अधिकारीगण थे, उनके नम्बर भी बंद हो गये, इनके कमरों पर ताला लग गया और जितने भी पूरे राजस्थान में ये बेरोजगार नवयुवक थे, जब इन्होंने फोन किया तो फोन बंद मिला। उसके बाद यह सब किराया लगाकर जयपुर आए। जयपुर में जब इन्होंने इस एन जी ओ को खोजा तो वह एन जी ओ बंद मिली, फोन करने पर किसी से सम्पर्क नहीं हो पाया और पता चला कि होली के अवसर पर यह एन जी ओ यहां से बंद करके अपना सारा काम और पैसे समेट कर गायब हो गयी और सारे अधिकारी लापता हो गये। उसके बाद एक्सिस बैंक के जो चैक इस संस्था ने दिए थे, ये लोग वहां बैंक में गये, सारे के सारे चैक बाउंस हो गये।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

उसके बाद अन्तिम कड़ी में सहारा लेने के लिए जिस पर हम सबका विश्वास है और हमारी बहुत बड़ी संस्था है, एल आई सी के पास जब ये लोग गये, आप हमारी मीटिंग में आए, आपकी वजह से हमारा विश्वास जुड़ा, भारत की एक बहुत बड़ी बीमा कम्पनी है, वह पैसे कहां हैं तो पता चला, अध्यक्ष महोदय, बड़ी चौंकाने वाली बात, एल आई सी ने स्पष्ट कह दिया कि यह छह करोड़ पैंसठ लाख रुपये हमारे पास जमा ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको बड़ा झटका लगा, बड़ा गहरा सदमा लगा।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मात्र एक मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गैर सरकारी संगठन ने जिसने बी पी एल और बेरोजगार, यह दोनों वर्ग जो आज के समय में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, इन दोनों से बड़ी धोखाधड़ी की। पूरे राजस्थान में आने वाले समय में इस मामले पर हाहाकार मचेगा, हर विधायक के क्षेत्र में ऐसे नवयुवक पाये जायेंगे जिन्होंने यह काम किया, लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं; कौन फाड़ रहा है, बी पी एल परिवार के सदस्य और बी पी एल परिवार की स्थिति मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस ने अपनी कार्यवाही में एक महिला को जरूर गिरफ्तार किया है परन्तु इस संस्था से यह छह करोड़ पैंसठ लाख वापस लिये जाएं। ऐसी संस्था, एन जी ओ जो फ्राड करती है, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, सरकार से और मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)एफडी/एक्साइज/08 पीटी-1 दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चन्द कटारिया!

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति वर्ष 2009-10 का प्रतिवेदन (क्र.सं. 27 से 38)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2009 10 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 219वें प्रतिवेदन समाविष्ट सिफारिशों (जिसका सम्बन्ध भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का सत्ताइसवां प्रतिवेदन ;
2. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 187वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ;
3. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 168वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (राजस्व प्राप्तियां) के प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों से था), की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक उनतीसवां प्रतिवेदन ;
4. जन लेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 216वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1998-1999 में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बिन्धत अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का तीसवां प्रतिवेदन ;

5. वर्ष 2004-2005 भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का इक्तीसवां प्रतिवेदन ;

6. जन लेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 191वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट अंकेक्षण अनुच्छेदों से था), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जन लेखा समिति, 2009-2010 का बत्तीसवां प्रतिवेदन ;

7. जन लेखा समिति, 2007-2008 के 242वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक तैंतीसवां प्रतिवेदन ;

8. जन लेखा समिति, 2007-2008 के 238वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2009-2010 का चौंतीसवां प्रतिवेदन ;

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कारागार विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या-3.2 वर्ष 2006-2007 का पैरा संख्या-1.7.1 तथा वर्ष 2007-2008 का पैरा संख्या-1.6.1 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का पैंतीसवां प्रतिवेदन ;

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 का पैरा संख्या-4.1.6, 4.2.2 वर्ष 2006 2007 का पैरा संख्या-1.7.1, 4.3.5, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पैरा संख्या-1.6.1 से सम्बिन्धत मामलों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का छत्तीसवां प्रतिवेदन ;

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004-2005 के अनुच्छेद संख्या-4.2.1, वर्ष 2006-2007 के अनुच्छेद संख्या-4.3.1, 4.4.3, 4.5.6, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 के अनुच्छेद संख्या-4.4.8 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का सैंतीसवां प्रतिवेदन ;

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 का पैरा-4.4.1, 4.5.5, 4.5.6 तथा वर्ष 2007-2008 का अनुच्छेद संख्या-4.1.1 व 4.4.8 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2009-2010 का अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 । श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 । श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। वित्त विधेयक आप पेश करें, वित्त विधेयक विचारार्थ लेने के लिए कह रहे हैं ना?

श्री अध्यक्ष: हां, हां तो रखने तो दीजिए फिर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विनियोग नहीं, वित्त बोला है अध्यक्ष महोदय आपने।

श्री अध्यक्ष: हां, हां वित्त बोला है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वित्त बोला है तो वित्त विधेयक पर ...

श्री अध्यक्ष: दोनों एक साथ रख रहे हैं। विनियोग विधेयक ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, साथ रख रहे हैं पर इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इसको रखने के बाद आप, रखने से पहले ही?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रखने से पहले है।

श्री अध्यक्ष: रखने तो दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, रख लें।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूची का परिवर्तन भी वित्त विधेयक के तहत आना चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वित्त विधेयक आर्टिकल 199 के अन्तर्गत पेश होता है। इसमें लिखा हुआ है ''the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax." राजस्थान सरकार जब बजट पेश करती है और बजट पेश करने के बाद में जो टैक्स लगाती है, जो टैक्स हटाती है और जो परिवर्तन करते हैं एक्ट में उन सबको हम फाइनेंस बिल में प्रस्तुत करते हैं। इस फाइनेंस बिल में बिजली पर टैक्स लगाया वह हमने इसमें प्रस्तुत किया। इस फाइनेंस बिल में हमने व्यवहारी जो तीन महीने से छह महीने, छह महीने से नौ महीने देने का काम किया वह हमने इसमें प्रस्तुत किया लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको लगाया लेकिन जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया।

मुझे जानकारी है, वैट एक्ट में यह प्रावधान कि 4 से बढ़ाकर 5 परसेंट आप करो तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप इसका नोटिफिकेशन कर दें लेकिन अगर आप एक्ट में परिवर्तन करते हैं, यदि आप शिड्यूल में परिवर्तन करते हैं तो आपको उसको निश्चित रूप से वित्त विधेयक के अन्तर्गत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लाना पड़ेगा। आपने 4 से बढ़ाकर 5 परसेंट किया, मैं इसमें आब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, आपको कानून के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है, आप यह कर लेंगे लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपको शायद यह बात पूरी ध्यान में नहीं है, जो भी यह अपने लोग हैं जिन्होंने यह सारा कानून बनाकर पेश किया है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि इन वस्तुओं को आपने शिड्यूल 4 से हटाकर दूसरे शिड्यूल में डाल दिया है। Schedule is a part of the Act. शिड्यूल संविधान का भी एक हिस्सा है और शिड्यूल उस एक्ट का भी हिस्सा है। अगर आप शिड्यूल में चेंज करते हो तो एक्ट में ही चेंज माना जाता है। इसलिये शिड्यूल के चेंज को आपको उसमें लाना पड़ेगा। उदाहरण के लिये आपने लिखा है 292 में- "कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमेन, लाइमस्टोन, जेनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल बाडी, पी बी एक्स, इलेक्ट्रोड्स, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंटस, मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज, यू-फोम, कुछ केमिकल्स एवं हाइ वोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-4 से हटाया जाना प्रस्तावित है।'' आपने उसको वैट की अनुसूची से हटा दिया। अनुसूची से हटाने के कारण से उसको आपको फाइनेंस बिल के अन्तर्गत लाना चाहिये था। आप इसको फाइनेंस बिल के अन्तर्गत लेकर नहीं आये हैं।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह जो फाइनेंस बिल है, वह अन कांस्टीट्यूशनल है, असंवैधानिक है और असंवैधानिक जो बिल है वह हमारे यहां विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस बिल के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित करके इसको आप देखें। देखकर इसमें अगर आवश्यक हो तो उसको इस विधेयक में जरूर शामिल करें।

इसके तीन हिस्से करके मैंने आपको बताया है। आपने व्यवहारियों का परिवर्तन किया तीन महीने से छह महीना, वह एक्ट में परिवर्तन था। एक्ट में परिवर्तन था तो पूरे के पूरे को आप फाइनेंस बिल में लेकर आए। आपको धन्यवाद। इसी प्रकार से आपने 4 से हटाकर 5 परसेंट किया, काटन सीड पर आपने टैक्स लगाया, मैंने उसका प्रश्न नहीं उठाया कि आपको इस एक्ट में लाना चाहिये था लेकिन You have changed the Schedule. आपने फोर शिड्यूल से हटाकर दूसरे शिड्यूल में डाल दिया तो शिड्यूल में जाना is equal to change. किसी एक धारा को चेंज करना हो और शिड्यूल को चेंज करना हो, वह समान है। अत: आप शिड्यूल में चेंज करके फाइनेंस बिल में लेकर नहीं आये हो,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो शिड्यूल में उन्होंने चेंज किया, आप देख लें साफ-साफ लिखा है "the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax," आप टैक्स इम्पोज करते हो, एबोलिशन, एबोलिश करते हो, इन सबको आपको इस एक्ट में लाना चाहिये था लेकिन सब इसलिये नहीं लाते कि कुछ में आपने एक्ट में अधिकार ले रखे हैं, 4 से 5 परसेंट करने का जैसा आपको एक्ट में अधिकार प्राप्त है लेकिन आप शिड्यूल चेंज कर रहे हो, शिड्यूल चेंज करने का मतलब है कि आप एक्ट में चेंज कर रहे हो और एक्ट में चेंज कर रहे हो इसलिये आपको एक्ट में डालना जरूरी था। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

यह व्यवस्था का प्रश्न मैंने रास्ते चलते कोई मुख्य मंत्रीजी को रोकने के लिये नहीं उठाया है। यह विधान सभा है और यह टैक्स लगे हैं। टैक्स लगने के मामले को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को तो कोई कोर्ट में चेलेंज नहीं कर सकता लेकिन जो कानून बनकर जाता है, उदाहरण के लिये हमने रिजर्वेशन का कानून बनाया, कानून को हाइ कोर्ट ने रोक दिया तो अपन जो टैक्स का कानून पास करेंगे फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल यह हाइ कोर्ट में निश्चित रूप से चैलेंज होगा। क्योंकि यह साफ-साफ जब कांस्टीट्यूशन की परिभाषा है उसके अगेंस्ट में अगर अपन बिल लेकर आते हैं तो इसमें केवल सरकार की ही हेठी नहीं होगी, सारे सदन का भी अपमान होगा। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय पर आप चिन्तन करें। सरकार जवाब दे दे। अगर आप सही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक्ट को पढ़कर और काफी चिन्तन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा और मैंने इसको तीन भागों में विभाजित किया है, ध्यान में लाने के लिये कि यह बहुत गलत है। इसलिये शिड्यूल में जो चेंज किया है वह आप फाइनेंस बिल में लेकर आएं। आप इसको हस्तलिखित बंटवा दें, मौखिक सरकार चाहे तो पेश कर दे, हमारी इसकी आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें कोई कानूनी त्रुटि न हो, इस त्रुटि को दूर करके हम बिल को पास करें, यह मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उप नेता प्रतिपक्ष ने पिछली बार भी यही कुछ सवाल उठाये थे और शिड्यूल 4 से 5 वैट किया और जो हमने हटाये थे आटोमेटिकली वह 14 में चले गये। आपका ऐतराज था कि आपने इसको रखा क्यों नहीं। मैंने पता किया और मैं समझता हूं कि जो कानून और जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार कोई

(श्री अशोक गहलोत)

गलत काम नहीं किया। बिलकुल सही तरीके से, सही उनका जो पैरा मैंने पढ़ा था बजट के अन्दर, उससे मायने वही निकलते हैं। स्वत: ही उसमें वह चेंज हो जाता है। फिर भी आपकी जो आशंका है जब मैं उत्तर दूंगा तब मैं उसका जवाब दे दूंगा1

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वह तो ठीक है। आप इतना सा पता कर लें, मैंने इसलिये आब्जेक्शन नहीं किया है कि आपने गलत किया, 4 से 5 करने वाला मैंने कहा कि 4 से 5 करने का आपको अधिकार है और उसके लिये फाइनेंस बिल में लाने की भी जरूरत नहीं है। काटन सीड पर आपने टैक्स लगाया, वह अधिकार है उसको फाइनेंस बिल में लाने का, क्योंकि चेंज नहीं है लेकिन आपने शिड्यूल में चेंज किया है, शिड्यूल एक्ट का पार्ट होता है। आपने केवल तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने व्यवहारियों का टाइम दिया, आपने सारा काम किया और वह आप एक्ट में लेकर आये हैं इसलिये When you are going to change the schedule और शिड्यूल उसी प्रकार से एक्ट का पार्ट है जिस प्रकार एक सैक्शन एक्ट का पार्ट है, किसी भी सेक्शन में आप चेंज करते हो तो वह एक्ट में चेंज माना जाता है। इसी प्रकार शिड्यूल में अगर आप चेंज करते हो तो वह एक्ट में चेंज माना जाता है।

मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि सारे राजस्थान में इसके खिलाफ आन्दोलन हो रहा है रेडिमेड वस्त्रों वाले और मामलों को लेकर, तो जो भी व्यापारी हैं वे इसकी वैधानिकता को चुनौती देंगे। इसलिये विधान सभा का पारित किया हुआ विधेयक और वैधानिक रूप से रुकता है तो वह हमारे लिये शोभाजनक बात नहीं है। इसलिये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप टाइम, उस समय देख लें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह गलती है और मैं समझता हूं कि इस गलती को हमको दूर करना चाहिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इस रूप में पास होगा अल्टीमेटली फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल जो आप लोग सुझाव देंगे, आप निश्चित रहें, यह नौबत नहीं आने दी जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शिड्यूल में चेंज है साफ-साफ।

श्री अध्यक्ष: दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार प्रारम्भ होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या व्यवस्था दी। व्यवस्था क्या रही इसमें ?

श्री अध्यक्ष: मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मैं पूरे केस को स्टडी करके आपको व्यवस्था दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, वार्षिक बजट 2010 2011...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन ?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां जी। बहुत जरूरी है साहब।

श्री अध्यक्ष: फरमाइये।

सूचना

गंगानगर में पथरी के इलाज के नाम पर गुर्दा निकाले जाने से एक महिला की मौत

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन निवेदन करना चाहूंगा। नीरू पत्नी सुधीर इंदा निवासी अबोहर, पंजाब दिनांक 27.3.2010 को गुर्दे की पथरी का दर्द होने पर नीरू के पिता मदन गहलोत्रा एवं भाई कुलभूषण गहलोत्रा ने आदर्श नर्सिंग होम में भर्ती कराया। आदर्श नर्सिंग होम में डाक्टर प्रवीण गुप्ता ने दूरबीन से पथरी का इलाज करने की बात कही लेकिन आपरेशन के दौरान डाक्टर ने नीरू का गुर्दा निकाल दिया जिससे नीरू की मौत दिनांक 27.3.2010 को सायं 4 बजे हो गयी। आपरेशन के वक्त डाक्टर नरेश पेड़ीवाल, परव्रीत खुराना भी मौजूद थे। मृतका का विवाह दो वर्ष पूर्व हुआ था। मृतका की उम्र 27 वर्ष है। डाक्टर प्रवीण गुप्ता को संरक्षण की दृष्टि से पुलिस विभाग ने हिरासत में लिया है।

(समय : 13.00 बजे)

लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। मृतका के भाई कूलभूषण ने एफ.आई.आर. दर्ज करा दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने इन्फार्मेशन दे दी, पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर मंत्री का वक्तव्य नहीं होता है ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया में इस रैकेट का भंडाफोड़ पहले हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यानाकर्षित कर दिया है ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कई मुकदमें इसमें चल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह उस रैकेट का एक भाग है। 27 साल की लड़की जिसका दो साल पहले ब्याह हुआ हो और उसकी आपरेशन के नाम से किडनी निकाल ली जाये, गुर्दा निकाल लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपने सूचना दे दी है। श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे पूरे हाउस के लिए, पूरे राजस्थान की जनता के लिए, यह बहुत बड़ा मामला है। मेरी एक प्रार्थना और है कि इसी तरह से राहुल सोनी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इसी तरह हास्पिटल वालों ने डैड बाडी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सदन में सूचना दे दी है, केवल इतना ही होता है पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जवाब तो दिलायें न।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं होता है पाइंट आफ इन्फार्मेशन में ...(व्यवधान) आप विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एडिशनल एस.पी. इसकी इंक्वायरी कर रहा है, उस पर उसके घर वालों को विश्वास नहीं है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से और होम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। हजारों आदमी धरने पर बैठे हैं, शहर बंद होने की स्थिति में है। कल को ऐसी दुर्घटना और हो सकती है जो अपने को संभालनी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मुश्किल हो जाये। मेरी प्रार्थना है कि आप एडिशनल एस.पी. को बदलकर एस.पी. को इंक्वायरी दें, जांच इस तरीके से हो। जिसको हम भगवान कहते हैं डाक्टर को, वह इस तरह का गलत कार्य करे जिसके लिये पूरे हाउस को शर्मिंदा होना पड़े, जिसको भगवान का रूप हम कहते हैं, वह इस तरह का कार्य करे तो किस पर विश्वास रहेगा? मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि कृपया आप इस पर दो शब्द जरूर कहेंगे तो गंगानगर के हजारों लोग जो धरने पर बैठे हैं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

(समय : 13.02 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत):×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: आप विराजें, अंकित नहीं हो रहा है। व्यवस्था दे दी, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें, आसन पांवों पर है। आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बजट वर्ष 2010-11 अब अपने अंतिम चरण में है और राजस्थान विनियोग विधेयक, 2010 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 के पारण के साथ ही बजट पारित हो जायेगा। सभापति महोदय, यह बात सही है कि सरकार जो विनियोग विधेयक लेकर के आयी है वह संविधान के अनुच्छेद 204(1) के तहत अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रही है और उसके साथ ही कंसोलिडेट फंड में से 56,302 करोड़ 89 लाख 4 हजार रुपये व्यय करने का अधिकार भी ले लेगी और किस हैड में कितना पैसा कहां-कहां खर्च होगा, उसका लेखा-जोखा भी प्रस्तुत कर देगी।

मुख्य मंत्रीजी, आप आपके इस विनियोग विधेयक के पृष्ठ 1 को देखें, हैड संख्या है 2049, कंसोलिडेट फंड में से आप इस वर्ष ब्याज की अदायगी कितनी करेंगे, आंकड़ा आपका है 7,427 करोड़ रुपये और उसके साथ ही इसी हैड के अन्दर राज्य सरकार का आंतरिक ऋण भुगतान है 2,853 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार से जो हमने एडवांस लिया है उसके भुगतान के पेटे हम देंगे 459 करोड़ यानी कुल 10755 करोड़ रुपये इस विनियोग विधेयक के अनुसार आप सिर्फ ब्याज में और ऋण अदायगी में खर्च करेंगे, जो आपकी पूरी राशि का 19.10 प्रतिशत है। अगर इसी के अनुरूप इसी विधेयक के पृष्ठ 6 के अन्दर हैड संख्या 2071-पेंशन और सेवा निवृत्ति के नाम पर जो व्यय का दिया गया है, उसको हम जोड़ देते हैं तो वह बढ़कर के हो जाता है 4,996 करोड़ रुपये यानी अधिकांश हिस्सा सरकार के कंसोलिडेट फंड के ब्याज की अदायगी, किश्तें, पेंशन और वेतन में चला जाता है।

सभापति महोदय, इसी विधेयक के अन्दर पुलिस के संबंधित मांग संख्या 16 के पेज नम्बर 7 पर पूरे वर्ष में कंसोलिडेट फंड में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,041 करोड़ रुपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 684 करोड़ रुपये। कानून-व्यवस्था के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वह राजस्थान का आम व्यक्ति बयां कर रहा है। जर्जर कानून-व्यवस्था और तेज रफ्तार से भागता हुआ अपराधी, पुलिस के आधुनिकीकरण की हम बात करें, हम कमिश्नरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात करें, पर यह सारी बातें इसी के अन्दर कंसोलिडेट फंड में से जो राशि आप निकाल रहे हैं उसको अगर हम देखते हैं तो यह 684 करोड़ रुपये जो पुलिस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 20

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिशत है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर किस तरह का शासन सरकार कर रही है यह अपने आप सामने आ रहा है।

सभापति महोदय, उसी विनियोग विधेयक के पृष्ठ 12 पर मांग संख्या-24, शिक्षा, कला और संस्कृति जिसका राजस्व व्यय है 9,765 करोड़, पूंजीगत व्यय है सिर्फ 29 करोड़। यानी राइट टू एजुकेशन की बात करें हम लोग, शिक्षित राजस्थान की कल्पना की बात करें, हम शिक्षा विभाग में वेतन, तनख्वाह के लिए तो पैसा दे रहे हैं पर आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए हम साल में क्या कर रहे हैं, 29 करोड़ रुपये।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, आपकी जो वोटेड डिमांड है उसके अन्दर राजस्व खाते में 37,014 करोड़ रुपये और पूंजीगत खाते में 8491 करोड़, यानी आपका विकास के प्रति कोई रूझान नहीं है और इन सब हालात को देखते हुए आपके गृह मंत्रीजी की वह बात बिलकुल सही लगती है कि निश्चित रूप से यह बजट मुख्य मंत्रीजी ने तनाव में सदन में प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, मैं तो यहां कहूंगा, मेरी मान्यता है कि मानसिक तनाव में मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, बल्कि इसके साथ-साथ लापरवाह नौकरशाह और गैर जिम्मेदाराना उनका जो कृत्य है, यह बजट जिसकी बानगी अभी उप नेता महोदय ने संवैधानिक प्रावधान के साथ जो हमारा वित्त विधेयक आया है, उस पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन नौकरशाहों को यह मालूम नहीं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 14 और 15 में क्या लिखा है, क्या स्पेशल इंपोर्टेड डिक्लेयर्ड गुड्स पर वैट लगाने का अधिकार आपके पास है? आपने वैट की दर को 4 से 5 प्रतिशत किया, सदन के अन्दर मामला उठा। आपने सदन की अवमानना करते हुए उसको वापस रोलबैक किया। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल एन सी डी एक्स और वायदा बाजार में कम्प्यूटर पर बैठकर चंद मिनटों में करोड़ों रुपयों का व्यापार हो जाता है। उससे कितने लोग लुटे-पिटे होंगे, आपने किसी को दोषारोपित नहीं किया। आपने यह नहीं कहा कि इसके प्रति दोष किसका है। इतने अनभिज्ञ हमारे नौकरशाहों के द्वारा जो यह बजट बनाया गया, राजस्थान के इतिहास में पहला बजट है जिसको इस लापरवाही से बनाया गया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, बहुत लम्बी-चौड़ी बात हुई वार्षिक योजना को लेकर, कई तरह के कसीदें पढ़े गये क्योंकि 23,822 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना बनायी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वार्षिक योजना बनायी परन्तु आपके पास संसाधन कहां से आयेंगे, रिर्सोसेज कहां से आयेंगे, इस पर भी निगाह डालनी चाहिए।

सभापति महोदय, बजट-एट-ए-ग्लांस के पेज नम्बर 8 की ओर मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा जिसमें आपने लिखा है कि राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये आय-व्ययक अनुमान की वार्षिक योजना 2010-11 में 23,822 करोड़ की है। उसमें सकल बजटीय समर्थन, ग्रोस बजटीय सपोर्ट, वह आपने इसमें लिखा है 12,308 करोड़ रुपये। इसके बाद इंटरनल एंड एडिशनल बजट रिसोर्सेज, आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन, इसमें लिखा है 11,514 करोड़ रुपए। कहीं नहीं बताया है कि पैसा कहां से आएगा। बजट स्टडी के अन्दर पेज 52 पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने प्लान आउट -ले का जिक्र किया है उसमें एक ऋण का कालम भी है और आपने इस ऋण को तो बता दिया जो आप नेट बारोइंग कर रहे हैं परन्तु इसके साथ ही आपकी वह पुस्तक क्या कह रही है, ऊर्जा विभाग लेगा 970 करोड़ रुपए का, राजस्थान राज्य खान एवं खनन विभाग लेगा 12 करोड़ रुपए का ऋण, आर एस आर टी सी लेगा 138 करोड़ रुपए का ऋण, आर एस आर डी सी लेगा 22 करोड़ रुपए का ऋण, राजस्थान आवासन मण्डल लेगा 300 करोड़ रुपए का ऋण, यह आपकी पुस्तक में लिखा है। जे डी ए लेगा 340 करोड़ रुपए का, लोकल बाडीज राजस्थान की ऋण लेंगी 748 करोड़ रुपए, कृषि विपणन बोर्ड लेगा 126 करोड़, बीज भण्डार निगम लेगा 10 करोड़ रुपए। यानी इन सबको हम जोड़ दें तो यह टोटल है 11,521.95 करोड़ रुपए। अब इसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने नेट बारोइंग्स, बजट-एट-ग्लांस के पेज 8 पर जो शुद्ध उधार, जो बी ई लेकर आएं हैं 2010-11 के लिए 8,509 करोड़ रुपए। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यह राशि बनती है 20,031 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी आपकी योजना है 23,822 करोड़ रुपए की और 20,031 करोड़ रुपए का आप लोन ले रहे हैं। किस तरह की हालत में राजस्थान है, यह बानगी किसी से छुपती नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वैट को रोलबैक करके आपने वह बजट एस्टिमेट तैयार किए, उस समय आपकी अवधारणा थी कि आप वैट के स्लेब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को 4 से 5 प्रतिशत करेंगे और उस समय आपने जो एस्टिमेट बनाया, क्योंकि आपने कहा था कि हम 117,30 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स से वसूल करेंगे यानी पिछली बार से 1,530 करोड़ रुपए ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, यह मंदी का दौर है पर चूंकि इन्होंने स्लैब को बदला, 4 से 5 किया इसलिए इनको उम्मीद थी कि 1100 करोड़ रुपए आएंगे। अब आपने इसको रोलबैक कर लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सारे बजट एस्टिमेट जो आपने बनाए, वह क्या इससे खोटे नहीं होंगे?

एक सवाल यह आया था राजस्थान की विधान सभा में, पी ए डी मिनिस्टर ने जवाब दिया और यह कहा था कि 3044 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना 2009-10 की, उसमें हमने कटौती की है। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट 2010-11 के पैरा 6 में आप क्या कह रहे हैं, ''हमारे लिए संतोष का विषय है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय भार वहन करने के बावजूद वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 18561 करोड़ रुपए का योजना व्यय संभावित है जबकि योजना आयोग ने 17,322 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की है।'' यानी आपकी जो पिछली योजना है उसकी अगर 2010-11 की योजना से तुलना करें तो उसका आधार 17,332 करोड़ रुपए की आपकी योजना मान लें, इसमें आपने खुद ने कहा है, आपके कागज कहते हैं, आपने सदन में कहा कि 3044 करोड़ की योजना तो आपने काट दी, तो योजना रह जाएगी 14,378 करोड़ की। यानी 2008-09 की योजना थी 15,248 करोड़ रुपए की, यह राजस्थान में पहली बार होगा जब योजना पिछले वर्ष की योजना से छोटी रह जाए।

कोई नई बात नहीं है, आपका राजस्थान के विकास के प्रति रुझान कैसा है क्योंकि यह हम सब जानते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर होगा, राजस्थान की आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा और पूरा आपका कार्यकाल जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के रूप में आप पहले विराजे, 1999-2004, पांच वर्ष में आपका प्लान एक्सपेंडिचर था 22078 करोड़ रुपए। और जिस सरकार के आर्थिक प्रबन्धन को आप लचर बताते हैं, कई तरह के पत्थर फेंकने का काम करते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस पिछली सरकार का 2004-05 से 2008-09 का प्लान एक्सपेंडिचर था 52,192 करोड़ रुपए। राजस्थान के विकास की ओर ले जाना वाला रास्ता यह था या आपका था, यह आप ही देख लें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बड़ी योजनाएं बनाने की वाहवाही करते हैं, इसका आधार है, इसका आधार किसको बनाया? 11वीं पंचवर्षीय योजना वसुन्धरा राजेजी के कार्यकाल में बनी और राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के उद्देश्य से 71,732 करोड़ रुपए की योजना थी, उसी के आधार पर, हमारी पंचवर्षीय योजना के आधार पर वार्षिक योजना बनती है।

मैं आपका ध्यान 2009-10 के बजट पैरा 283 में जो कहा गया है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ''31 मार्च, 2009 को हमारे राज्य पर 8300 करोड़ रुपए का ऋण भार हो चुका है जिसके कारण प्रति वर्ष 6200 करोड़ रुपए ब्याज पेटे और 250 करोड़ रुपए मूल किश्त के रूप में चुकाने पड़ेंगे।'' कर्ज की जब कभी भी बात चलती है तो आपका श्वेत पत्र लोगों को याद आता है। आपने तो बड़े-बड़े विज्ञापन दिए थे कि राजस्थान को कर्जे में डूबो दिया। वह सारी चीजें भी सामने आती हैं। मैं आपको निवेदन करूं, आपने वर्ष 2009-10 में बजट प्रस्तुत किया, आपने नेट बोरोइंग्स, बी ई में रखीं 8459 करोड़ रुपए और आर ई में पधारे, आप वापस 7 महीने का कार्यकाल पूरा करके आपने बढ़ा कर उसको कर दिया 9,910 करोड़, यानी 7 महीने में 1,451 करोड़ रुपए अधिक। अब आप क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं, नेट बोरोइंग्स का 8,509 करोड़ का; 31 मार्च, 2009 में 84,300 करोड़ रुपए की राशि। आप ठीक भी हैं, आपने चिंता भी की लेकिन आपका यह बजट 2010-11, इस बजट के अंतिम समय तक राजस्थान को 1 लाख 2719 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबो देगा।

आप याद करें, एक्चुअल आंकड़े आपके पास आ गए, 2007-08 के एक्चुअल आंकड़ों को अगर हम देखें तो, माननीय सभापति महोदय, कर्जा लिया था सिर्फ 2,487 करोड़ रुपए और 2008-09 में 5,282 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आपका आर्थिक प्रबन्धन, आप तो मितव्ययता के बड़े हामी हैं, खर्चीली शादियों में जाने में आपको शर्म महसूस होती है, निश्चित रूप से आप चलते-फिरते गांधीजी के अवतार भी हैं, हमारे आदिवासी बंधुओं ने तो यह कहा कि त्रेता के अन्दर कृष्णजी देवतुल्य पैदा हुए और कलियुग में अशोकजी पैदा हुए देवतुल्य, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं पर आप इस तरह की मितव्ययता कर रहे हैं। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7 महीने के अन्दर 2,624 करोड़ रुपए बढ़कर इस बार भी आप जो बी ई लेकर आए हैं 43,561 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष से 2,361 करोड़ रुपए ज्यादा है। एक तरफ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है दूसरी तरह आप मितव्ययता की दुहाई देते हैं। पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मितव्ययता की दुहाई देने के साथ-साथ आपके राज में फिजूलखर्ची अनाप शनाप हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आंकड़े कह रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान को विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडीचर कम किया, आपने अन्याय किया राजस्थान के साथ। वर्ष 2009-10 में 10,060 करोड़ रुपए का बी ई था, आर ई में आया 8,972 करोड़ रुपए, यानी विकास दर को आप रोकने का काम कर रहे हैं। इसी तरह राजस्व घाटा वर्ष 2007-09 में रेवेन्यू सरप्लस, 2008-09 में रेवेन्यू सरप्लस था 1,183 करोड़ रुपए और आपका रेवेन्यू प्रोफिट 3992 करोड़ रुपए का। आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की लचर व्यवस्था आपकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी खुशकिस्मत हैं, आपने जब यह बजट प्रस्तुत किया, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें हिन्दुस्तान में लागू हो गईं और केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया। हमारा हिस्सा टेंथ फाइनेंस कमीशन में 5.6 प्रतिशत था जो थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन में बढ़कर हो गया 5.85, सर्विस टैक्स में हमारी हिस्सेदारी 5.9 प्रतिशत हो गई।

माननीय सभापति महोदय, वित्त आयोग आया, यह वित्त आयोग जैसा डिवोल्यूशन करता है सेंट्रल टैक्सेज का, राज्य की विशेष परिस्थिति को देखकर राज्य को अनुदान और पैसा देता है। स्वस्थ परम्परा तो यह रहती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के साथ प्रतिपक्ष के लोगों के साथ विचार करते, हम सब लोग मिलकर सामूहिक तौर पर 13वें वित्त आयोग के सामने राजस्थान के हक और हकूक को रखते। आपने 26,832 करोड़ रुपए का ज्ञापन दिया। स्पेशल स्टेटस मिले राजस्थान को, बड़ी जोर से पैरवी की। करों के बंटवारे का आधार क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय हो जाए; 1971 की जनसंख्या की जगह 2001 की जनसंख्या का आधार बने; केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा 30.5 परसेंट से बढ़कर 40 परसेंट हो; आपने एन सी सी एफ के अन्दर, राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष में 75/25 का जो अनुदान है, उसको 90/10 करने की बात कही; और फाइनेंस कर भार में आपने ब्याज कम करने की बात कही परन्तु आप इनमें से एक बात भी 13वें वित्त आयोग से मनवा नहीं पाये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

13वें वित्त आयोग ने जो टिप्पणी की राजस्थान की पिछली हुकूमत की, वह पढ़कर मुख्य मंत्रीजी मैं सुनाना चाहता हूं, रिकार्ड पर रहेगा, ''विगम वर्षों में राज्य सरकार के वित्तीय सुधार तथा वित्त घाटे को कम करने के कदम सराहनीय हैं तथा उम्मीद है कि राज्य सरकार इस प्रकार का कुशल वित्तीय प्रबंधन जारी रखेगी।'' राज्य के वित्तीय घाटे में कमी करने का प्रयास जारी रखेगी, यानी यह सर्टिफिकेट आपका नहीं है, यह सर्टिफिकेट पूर्ववर्ती सरकार का है। निश्चित तौर पर आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारा केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया, 2994 करोड़ का बढ़ा, हमारी ग्रांट-इन-एड 50 करोड़ रुपये बढ़ गई।

सभापति महोदय, अभी एक पुस्तिका दी थी हमने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं। 3-4 लोग बोलने वाले हैं, साहब।

एक पुस्तिका है, सभापति महोदय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, इसके, मुख्य मंत्रीजी, मैं परिशिष्ट 7 पर और पैरा 1.5 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ''वर्ष 2008-09 के दौरान बिक्री कर व माल वाहन कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, मुद्रांक व पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी तथा अन्य कर इतर प्राप्तियों में अभिलेखों की मापक जांच से 23,583 प्रकरणों में 808 करोड़ का राजस्व का अवनिर्धारण का आरोपण और हानि का पता चला है।'' 14,681 प्रकरणों में अन्तरनिहीत 123 करोड़ रुपये अभिनिर्धारण में कमियों को स्वीकार भी कर लिया। यानी एक वर्ष में, सभापति महोदय, राजस्थान के 808 करोड़ रुपये राजस्थान के खजाने पर चूना लगा कर लापरवाही, अधिकारी असेसमेंट करें या असेसमेंट नहीं करें। मैं समझता हूं, ए जी का पैरा बन गया और खुद आपके विभाग के अधिकारियों ने कह दिया कि 123 करोड़ रुपये के बारे में निश्चित तौर पर हमसे गलती हुई है। मैं समझता हूं, एक अधिकारी के विरुद्ध आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की। अगर आपमें हिम्मत हो तो सी ए जी के इन पैराज के आधार पर आप इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चालू कर दोगे तो बहुत कुछ बातें ठीक हो जाएंगी।

अब आपने इसी सी ए जी के पैरा में लिखा है, पैरा नम्बर 1.4, 31 मार्च, 2009 को राजस्व शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया राशि 4,751 करोड़ रुपये जिसमें से 1,022 करोड़ रुपये 5 वर्ष पुराना है। मतलब आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के अवाम का पैसा 4751 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है लोगों के अन्दर, और क्या पड़ा, इसका जिक्र भी इसमें किया है। पेज 6 का कालम संख्या एक बिक्री कर और व्यापार कर इत्यादि, 3,683 करोड़ रुपये बिक्री कर के सेल्स टैक्स के व्यापारियों में बकाया हैं और इसमें इसी में लिखते हैं, खुद ही कह रहे हैं, 304 करोड़ रुपये उन व्यापारियों के हैं जिनका पता हमको मालूम नहीं है। कहां चले गये, धरती निगल गई, आकाश ले गया। खुद सी ए जी कह रही है, सरकार यह कह रही है कि 304 करोड़ रुपये उन व्यापारियों के विरुद्ध हैं जिनका पता नहीं है और बाकी आप 2,847 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसकी हिमायत करना चाहते हैं आप? और इस तरह से जिसकी चर्चा आज तक राजस्थान में है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट। आपके राज्य के आबकारी शुल्क में 222 करोड़ रुपये बकाया हैं और यह सी ए जी की रिपार्ट कह रही है, 89.80 लाख रुपये में मतलब 90 करोड़ रुपये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही होकर डिक्री हासिल हो गई पर आपको तो एमनेस्टी योजना लानी है न। चूंकि डिक्री हासिल हो गई जिनको नीलाम करके ज्यादा पैसा ले सकते हो, उसको एमनेस्टी योजना में लाभ देने का काम आप कर रहे हैं। खैर, अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह खनन विभाग के अन्दर 103.17 लाख रुपये बकाया हैं। इसमें भी 28 करोड़ रुपये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, उसमें भी मैं समझता हूं, आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

इस पूरी बकाया राशि के विरूद्ध सीकर से आने वाले माननीय सदस्य। 83 करोड़ रुपये राजस्थान के किसान की लैंड रेवेन्यू एक्ट में बकाया है, उसमें 58 करोड़ रुपये के लिए आपने राजस्थान के हजारों किसानों को नोटिस देकर उनकी जमीन कुर्क करने का काम आप कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने किसानों के जो आबियाना के पैसे हैं, उस पैसे में 89 करोड़ रुपये बाकी हैं और इन 89 करोड़ में, सभापति महोदय, सरकार सब के सब किसानों को नोटिस देकर उन पैसों को वसूल करना चाहती है। सभापति महोदय, वह सब सरकार क्यों कर रही है? किसकी हिमायती है? मैं वित्त विधेयक की तरफ, मुख्य मंत्रीजी, आपका तवज्जोह चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, आज तो सारे घरवाले आये हैं उनके, तो थोड़ा समय दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, वैट की स्लैब आपने कम की। आप जब-जब राज में आये, राजस्थान की जनता जानती है, मुख्य मंत्रीजी, आपने राजस्थान के लोगों पर करों को लादने का काम किया है। आपने वैट के स्लैब में 4 से 5 परसेंट का रोल-बैक कर लिया परन्तु आज भी 723 आइटम ऐसे हैं जो प्रति व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए आइटम हैं, इनमें आज भी स्लैब में 5 परसेंट है। आप महंगाई कम करने की बात करो, महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जो आपका राजस्थान वित्त विधेयक है, यह एक तरह से राजस्थान की जनता के लिए ब्लैक पेपर है। पिछली बार आपने वैट का स्लैब 12 से 14 परसेंट किया वह काम भी आपने किया। हां, एक काम आपने जरूर अच्छा किया कि वैट अधिनियम की धारा 3 में जो आप सदन में लेकर आये हैं, व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के टर्न-ओवर की सीमा आपने 5 लाख से 10 लाख की है, उसके लिए मैं जरूर आपका स्वागत करता हूं पर, सभापति महोदय, 270 वस्तुएं जो आज भी 4 से 5 वैट में चली गयीं उससे महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और तो और, मुख्य मंत्रीजी, बिनौला और खल पर 5 परसेंट का वैट पूरे देश में कहीं नहीं, है कम से कम उस मूक पर तो कृपा करो। उस मूक पशु के मुख से भी आपने आहार छीनने का काम किया और आपके इस कदम से 1300 रुपये प्रति क्विंटल वाला बिनौला 65 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ गया।

इसके साथ ही, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट 4 से तो 5 और 5 के बाद सीधा 14 । रेडीमेड ब्रांडेड गारमेंट की एम आर पी तय है, पूरे हिन्दुस्तान में एक जैसी है और इसमें, सभापति महोदय, होजरी पर शामिल है। होजरी जिसका एक-एक वस्त्र आम व्यक्ति किसी न किसी को पहनता है। मैं समझता हूं, ठेले पर बिकने वाली होजरी को शामिल करके 10 परसेंट महंगाई बढ़ाई और 4 लाख लोगों को एक साथ बेरोजगार करने का काम किया। आपने जनरेटर पर 4 की जगह बढ़ाकर 14 परसेंट कर दिया। कृषि के काम में आता है, जनरेटर उद्योग के काम में आता है। केमिकल इंडस्ट्रीज को आपने इन्पुट्स की सूची में शामिल नहीं करके और इलेक्ट्रोड पर आपने 14 परसेंट बढ़ा दिया।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार पर शराब संस्कृति की बात को लेकर कई तरह की टीका-टिप्पणी, मुख्य मंत्रीजी, आप करते रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं कर रहा हूं। आपने आबकारी का लक्ष्य कितना रखा है, राजस्थान 2008-09 में 2,159 करोड़ का लक्ष्य था और आपने इस बार 2010-11 में 2,450 करोड़ का। अब एक्साइज ड्यूटी चाहिए आपको ज्यादा, बिना शराब के बिके एक्साइज ड्यूटी कहां से मिलेगी?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, यह आपकी कथनी और करनी में अंतर है, इसको मिटाने का काम करो। क्यों किसने कहा था, वादा करो आप, राजस्थान के अन्दर पेट्रोल डीजल पर वैट पड़ोसी राज्यों के बराबर करने का? बड़ा लम्बा-चौड़ा वादा करके राजस्थान की जनता को गुमराह किया। आज अपने प्रदेश में 28 परसेंट डीजल पर और 18 परसेंट पेट्रोल पर वैट है। आप क्यों नहीं हरियाणा के बराबर करते? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: सम-अप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सरकार चाहे खान माफिया को राहत देने की बात करे, सरकार चाहे शराब माफिया को राहत देने की एमनेस्टी योजना लेकर आये पर आज राजस्थान में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अख़बार में छपा है, इस राज के अन्दर लाशों का व्यापार प्रारम्भ हो गया। मैं समझता हूं, यह भूतो न भविष्यति, आज तक हमने नहीं सुना कि राजस्थान की पवित्र धरती पर लाशों का व्यापार हो जाए। यह जो अखबारों में खबर छपी है, यह मैं आप कहो तो टेबल कर दूंगा, एस पी, गंगानगर, आई जी, बीकानेर को एक पत्र लिखते हैं। ये कहते हैं कि 7 तो सब-इंस्पेक्टरों और 3 इंस्पेक्टरों पर कार्यवाही करो और कार्यवाही इसलिए करो कि वहां 25 थाने हैं, 25 थानों में सिर्फ 3 थानों की रिपोर्ट आई है, 15 अन-आइडेंटिफाइड डैड बॉडी वहां टांटिया मेडिकल कालेज में भेज दीं, सुरेन्द्र डेंटल मेडिकल कालेज में भेज दीं और इस बात को एस पी वहां खुद स्वीकार करे और सरकार के गृह मंत्री चुपचाप इस पर कार्यवाही नहीं करें। मैं समझता हूं, संवेदनशीलता की हद है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातों में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज जानकारी में आया है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करवा ली जायेगी। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, अगर आप जांच करवा लेंगे तो वरना इसके अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अनाटामी एक्ट और उसके तहत सारे प्रावधानों को दूर करने का काम किया है। इसी तरह, मुख्य मंत्रीजी, ये अनुदानित शिक्षक.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य। सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तीन आदमी बोलने वाले हैं।

श्री सभापति: चार प्रतिपक्ष से, तीस सत्ता पक्ष से और एक अपने कम्यूनिस्ट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं एक पाइंट कहकर खतम करता हूं। मुख्य मंत्रीजी, आपने इस बजट के अन्दर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को और कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों पर समायोजन की बात कही है। सरकार की मंशा सामने आ गई, भामाशाहों ने भवन बनाये और यह एक नहीं, 1125 ऐसी संस्थाएं और 71 कालेज हैं इसके अन्दर और इनमें 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 19,800 शिक्षक और कर्मचारी हैं। सरकार ने नीति बना दी, भामाशाहों ने अपने पूर्वजों के नाम से जो भवन बनाये, उनका क्या होगा? जो आपके अनुसार विकल्प नहीं भरेंगे, उनका क्या होगा? आप इस पर विचार करें, इसको आप वापस लें।

अंत में, सभापति महोदय, मैं राज्य के दबंग प्राकृतिक आपदा मंत्री बृजेन्द्र सिंह जी ओला की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। इनका भास्कर के अन्दर राज्य के बजट के बारे में एक बयान छपा है, इनकी फोटो के साथ छपा है कि खल पर टैक्स बढ़ाना सीधा किसान पर भार है और पिछले बजट में स्कूल खोलने व नौकरी देने की घोषणा हुई जिस पर कुछ नहीं हुआ। यह टिप्पणी है, मुख्य मंत्रीजी, आपके कैबिनेट के अकाल राहत राज्य मंत्रीजी की और हम सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) में मंत्री परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है यानी पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस सरकार का मंत्री सरकार के बजट के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया करे, उसके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया करूं?

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, अब आप समअप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए मेरी मांग है कि आज जो हमारे उप नेता महोदय ने बात उठाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, अगर खोटा विधेयक सदन के सामने है, अगर उसमें कानूनी खामियां, वैधानिक त्रुटियां हैं उसको, मुख्य मंत्रीजी, आप संवेदनशील और मुस्करा कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खड़े होकर वापस लें, हाउस को एडजोर्न करें और हम कल मिलकर के दुबारा इस पर विचार करें।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया जी।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक पर आपसे बोलने की इजाजत चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया जिसमें बताया कि सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि 9 प्रतिशत हुई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में हम लोगों को भी, प्रोविंसेज को अच्छा करने में सहायता मिलेगी।

चूंकि हिन्दुस्तान शहरों में नहीं, गांवों में बसता है तो सबसे पहले हमारे बजट में जो योजनाएं हैं उन पर फोकस किया गया है, गांवों की तरफ कि शिक्षा सुचारु रूप से हो, किसी भी गरीब को दवा टाइम पर मिले, उसके खेत बिजली की कमी की वजह से सूखे नहीं रहें, पानी उनको बराबर मिले, इसके लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयत्न किये हैं जिसके एक-एक हिस्से को मैं लेकर के आपके सामने पेश करती हूं। 2010-11 की जो योजना का आकार है.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मंत्रीजी वक्ता के और आपके बीच में से होकर के निकल कर गये हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): क्या हो रहा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बोल रही हैं और सभापति जी बैठे हैं और मंत्रीजी आपके बीच में से होकर के गये हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): आई एम सारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सॉरी वो बोलेंगे। गजब हो गया। आसन कम से कम उनको कहे कि इस प्रकार से नियमों की अवहेलना मंत्री लोग नहीं करें। सब लोग देखते हैं, आसन को कहना चाहिए उनको। सभी सदस्य ही नहीं करें यह बात।

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं सोच रही थी कि आप मेरे को कह रहे हो। बीनाजी को कह रहे हो क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको नहीं कर सकता हूं, आपका और अपना बहुत पुराना सम्बन्ध है, साहब।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, पिछले साल की योजना से इस साल की योजना का आकार 37 प्रतिशत बढ़ा है यह आप सब लोगों को मालूम है। हिन्दुस्तान गांवों में बसता है यह भी मालूम है। इसके लिए ही बिजली में 52 प्रतिशत बजट का प्रावधान रखा गया है यह बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। शायद पिछले कई दशकों से आपने देखा होगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान को सेल्फ-सफिशिएंट ऊर्जा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। राजस्थान का किसान डिकेड्स से खेती कर रहा है राजस्थान में और यह मेरी धारणा है कि Rajasthan is not meant for agriculture, it is for mining and tourism मगर क्योंकि डिकेड्स से यह परम्परा चली आ रही है तो एक मिनट में न आप बदल सकते हैं और न मैं बदल सकती हूं, उनके अनुसार ही गवर्नमेंट को भी ढलना पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी ने पूरा प्रबन्धन करने की कोशिश की है।

पानी का हाहाकार जितना आप लोग कर रहे हैं, उतना है नहीं। आगे आने वाले टाइम में, पहले भी जब बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा थी कि बहुत लोग मर जायेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अकाल में वह जमाना भी देखा है कि जब अकाल खतम हो गया तो लोगों के घरों में गेहूं की बोरियां थीं जिनको बेचकर के महिलाओं ने कुछ जेवर भी बना लिये। यह मैं सच्चाई बयान कर रही हूं। मैं सच्चाई बयान कर रही हूं, यह 2001-02 में हुआ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि इस वक्त भी पानी की ऐसी कमी कहीं नहीं आयेगी जिससे चिंता करने की जरूरत है। मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी दोनों बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, अपने-अपने काम में पूरे टाइम लगे हुए हैं। न आपको शिकायत करने का मौका देंगे और न उस जनता को देंगे जो वोट देती है, सरकार बनाती है और कुछ आशाएं रखती हैं।

आंकड़ों के जाल में मुख्य सचेतक जी ने इतना उलझा दिया कि कहीं नेगेटिव के सिवा पोजिटिव किसी को दिखाई ही नहीं दिया। कभी बी पी एल की तरफ ध्यान नहीं गया। बी पी एल परिवारों को जो दिया गया है वह वरदान है। मुख्य सचेतक जी, कोई गरीबों की फिक्र नहीं करता, सब महल वालों की फिक्र करते हैं। आज गरीबों को भी कैटेगराइज्ड किया गया है। अनाथों को भी देखा गया है, विधवाओं को भी देखा गया है। विधवा कौन होती है, औरत

(श्रीमती जकिया)

होती है। आज नाते पर कितना हंस रहे थे आप लोग, वह औरत नाता जाती है। औरत की इज्जत करना सीखना बहुत जरूरी है। उस समाज की इज्जत नहीं हो सकती जिस समाज में औरत की इज्जत नहीं है। इसलिए विधवाओं को भी पेंशन दी गई है, बुजुर्गों को भी पेंशन दी गई है, अनाथों को भी दी गई है। उनके लिए सबसे बड़ा एक मुकाम जो मुश्किल का आता है कि जब वे बीमार पड़ते हैं। रोटी तो चटनी से भी खा ली जा सकती है मगर जब बीमारी में दवा नहीं मिले, वह एहसास करके देखें। ऊपर वाला कभी ऐसा नहीं करे जो किसी पर वह होता है कि बीमार होता है मगर जब मां दवा नहीं ला सकें, उस वक्त उसका क्या हाल होता है, उसकी भी सोच इस बजट में है।

हैल्थ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं कि एस एम एस को काफी तरजीह दी गई है मगर वहीं सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में आई सी यू का भी प्रबन्ध किया गया है। अब यह तो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई पर हैल्थ मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी नहीं भूले कि ग्रामीणों का क्या होगा। ग्रामीण मिशन भी स्थापित हुआ है और वहां जो एन एन एम लगाई गई हैं उनकी तनख्वाह जहां चार हजार थी, वहां सात हजार की गई है ताकि वे मुश्किलों में रहकर उनकी सेवा कर सकें, उनको उपलब्ध हो सकें। यह मानवीय पहलू नहीं है? कभी अच्छाई की भी सोच लिया करो। इसके साथ ही पुरानी पद्धति जो सालों से चली आ रही थी, यूनानी डायरेक्टोरेट की भी स्थापना की गई है।

एक आदमी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है उनकी गरीबी, गरीबी की वजह से वे पढ़ नहीं सकते। आज दूसरी कौमें तो आरक्षण की बात करती हैं, मैं कहती हूं कि आरक्षण लेकर भी वे क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो? उसी की तरफ ध्यान दिया है। पहले प्री-मेडिकल में 17,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 60,000 किया गया है। उनके लिए आई.टी.आई. भी तीन, जहां माइनोरिटी के क्षेत्र हैं, वहां खोलने की सुविधा है।

बीना जी चली गई हैं, बीना जी के पास महिला बाल विकास विभाग है। 48,000 आंगनबाड़ी केन्द्र इस समय हैं, 10,000 और खोलने जा रहे हैं जिसके ऊपर एक महिला कार्यकर्त्ता, एक सहायिका और एक ट्रेनर, तीन लगते हैं। इनको रोजगार मिलेगा। फिर 25 बच्चे जिस जगह भी होंगे, वहां केन्द्र खोल दिया जायेगा। यह भी एक अच्छा पहलू है दोनों तरफ से। एक तो न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा और दूसरा, महिलाओं में जाग्रति आयेगी। गैर-

(श्रीमती जकिया)

अनुदानित जो महिला समूह हैं, उनको 50 प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी देने का बहुत ही अच्छा फैसला गवर्नमेंट ने लिया है।

सड़कों के जाल जहां नेशनल हाइवे पर दिखाई देंगे आपको, वहां पर 250-500 की आबादी पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं। नरेगा, यह एक वरदान है पूरे इंडिया में और सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, के राजस्थान में बहुत गरीबी है। आज महिलाएं अपने खेतों पर काम पर नहीं कर सकतीं क्योंकि पानी नहीं बरसा है मगर नरेगा में जाकर वह रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, जिससे पलायन रुक सकता है, उनके घर पर चूल्हे जल सकते हैं। यह सोच कांग्रेस सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस सरकार का है, एचीवमेंट कांग्रेस सरकार का है। सहकारिता में पहले 16 लाख किसानों को ऋण दिया गया था, उसको बढ़ाकर इस समय 26 लाख किया गया है।

'शुद्ध के लिए युद्ध' ताकि आप लोग भी स्वच्छ और अच्छी चीजें इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए भी एक कोशिश की गई है। मैं नहीं कहती कि मूल रूप में वह सफल हुई है मगर एक कोशिश नाकामयाब हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कामयाब नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नाकामयाब हो क्या? आप कह रही हैं न।

श्रीमती जकिया (टोंक): नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं कहा। आपको जयपुर को तो इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, तिवाड़ी साहब, मेट्रो की, आप तो ध्यान दें इस तरफ। मेट्रो की सौगात मिल रही है।

राजस्थान को पिछड़ा हुआ प्रदेश, गरीब प्रदेश माना जाता था मगर पश्चिमी राजस्थान में तेल निकलने के बाद आने वाले समय में यह हिन्दुस्तान के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक होगा। यह भी एक, राठौड़ साहब, आपकी तवज्जोह चाहूंगी, यह कदम-कदम की बात है। कांग्रेस के कदम आये हैं तो इतने शुभ कार्य हो रहे हैं। दो लाइनें हैं :

"हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर आता है
जिस तरफ भी चल पड़े, रास्ता बन जायेगा।"

इसलिए रिफाइनरी लगेगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूं कि रिफाइनरी लगेगी। (व्यवधान) ये ही तो अभी बहुत सारे आंकड़े बोल रहे हैं ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह मुझे समर्पित किया है?

श्रीमती जकिया (टोंक): नो, तुम्हें नहीं किया है, रिफाइनरी के लिए बोला है।

देवनारायण ट्रस्ट, 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने उन गुर्जरों को जो कि पिछड़े हैं और हकदार हैं, उनके लिए अलाट किये हैं। उसका इस्तेमाल करने से पहले ही दूसरा बवंडर, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूं, उप नेता महोदय, आप लोग जो कारनामे करते हो, उनको समेटकर क्यों नहीं जाते? 70 आदमी जब मार दिये तो फिर उनको नौकरी देओ। उनके विकलांग हुए... (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 282 करोड़ रुपये दिये राज्य सरकार ने। कौन से 25 करोड़ रुपये की बात कर रहे हो? (व्यवधान) आप किस चीज पर बोल रहे हैं? देवनारायण को बदनाम मत करो इस सदन में। (व्यवधान) नहीं, देवनारायण के नाम पर झूठी राजनीति मत करो इस सदन में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सदस्य की बात आई तो सदस्य बोलेगा। आप कुछ भी कहें, खूब प्रशंसा करें सारे कांग्रेस की लेकिन देवनारायण का नाम बदनाम मत करो यहां पर।

श्रीमती जकिया (टोंक): देवनारायण में 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने अलाट किये हैं। एम.एल.ए. साहब, आप गलत समझ गये। अगर आपकी भावनाओं को ठेस लगी है तो मैं माफी चाहूंगी। मैंने यह कहा, मैंने कहा 25 करोड़ रुपये सी.एम. साहब ने अलाट किये हैं। आपने गलत समझ लिया है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): 282 करोड़ रुपये तो हमारी सरकार के दिये हुए पड़े हैं, इसमें से क्या दे दिया आपने?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब वार्ता शुरू हुई तो इसमें नौकरी देओ, फिर जो विकलांग हो गये, उनको देओ, फिर जेल से छुड़वाओ, मुकदमे वापस लो। ये आप खुद ही सलटाकर जाते ना। (व्यवधान) पांच प्रतिशत का सवाल है, मन से हम भी चाहते हैं, मन से हम भी चाहते हैं, मगर क्या कानून से ऊपर... (व्यवधान) मगर क्या हम अदालत से ऊपर हो सकते हैं? हाई कोर्ट से ऊपर हो सकते हैं? यह तो समझने की आपके भी जरूरत है। क्योंकि लीडर मेरे

(श्रीमती जकिया)

यहां से भाजपा के टिकट पर लड़े हुए हैं। उनके हैं तो ये कर्नल साहब, मगर दो लाइनें उनकी नजर करना चाहती हूं...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, जो सदन में मौजूद नहीं है, उनका यहां पर नाम नहीं लिया जाये। माननीय सदस्या, कर्नल साहब का नाम ले रही हैं। (व्यवधान) न तो सदन के मेम्बर हैं और न उनका नाम लिया जाता है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): कर्नल साहब कहां हैं?

श्री सभापति: बीच में टोकाटोकी नहीं करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नहीं, बिलकुल गलत है। जो सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाये। (व्यवधान) मैं पहले भी टोक चुका, अब भी टोक रहा हूं। कोई पांच प्रतिशत की बात नहीं होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: विराजिये विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनो तो सही।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद):×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, ये किन नियमों में बोल रहे हैं? अगर ये आसन की अनुमति के बिना बोल रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: आप भी विराजिये, आप भी विराजिये। (व्यवधान) आप भी विराजिये, आप भी विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। मैंने कहा ना, अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये आप।

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। I am on a point of order. सभापति महोदय। (व्यवधान) मुझे आपकी अनुमति चाहिए, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: विराजिये विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बैठ जाता हूं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर):××× (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये। आप विराजो। (व्यवधान) राजवी साहब, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और हमारे नियम और प्रक्रियाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो उसको उद्धृत करके कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे उत्तेजना हो। माननीय सदस्या बोल रही थीं और बोलते-बोलते...

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं अगर...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलते-बोलते कर्नल बैंसला को नाम का जिक्र इन्होंने किया। यह गुर्जर आंदोलन पर अपनी बात कहें माननीय, पर कर्नल बैंसला इस सदन में आकर स्पष्टीकरण दे नहीं सकते...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): राठौड़ साहब, राठौड़ साहब।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए अगर उनका नाम है तो एक्सपंज कर दें आप।

श्री सभापति: मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनका अगर कर्नल बैंसला का नाम हो तो एक्सपंज कर दें आप।

श्री सभापति: मैंने पहले ही कह दिया अंकित नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): मेरी मंशा...

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू):×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो। आप विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू):×××

श्री सभापति: विराजो, विराजो। माननीय जकियाजी। (व्यवधान) आप, माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्या बोल रही हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, मेरी मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं थी और कोई भी अगर हर्ट हुआ है तो मैं तहेदिल से माफी मांगती हूं और चाहे उस पर अगर आया है तो उसे निकाल दिया जाय।मेरी मंशा ऐसी है नहीं और उसमें आया भी नहीं होगा। मैंने तो सिर्फ...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

सभापति: मंत्रीजी। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं, विराजो। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री सभापति: आप अपनी चेयर पर जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) विराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) विराजो, माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन चर्चा कर रहा है। मेहरबानी करके जब भी माननीय सदस्य बोलें, आप आपस के अन्दर कोई टीका-टिप्पणी मेहरबानी करके न करें ताकि जो यह सारगर्भित और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, जो महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, उनके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसलिए मेहरबानी करके मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोलें, टोका-टाकी मेहरबानी करके न करें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो आप। आप विराजिये। (व्यवधान) विराजिये आप। विराजिये। जकियाजी बोल रही हैं, विराज जाइये। माननीय सदस्य । (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं तो सदन के साथियों से दरख्वास्त करना चाह रही थी, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाय। तो इस पर ही आप लोग नाराज हो गये। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में अभी मैं दो दिन से गांवों में थी, मैंने लोगों को समझाया कि हमारी सरकार बजट में क्या-क्या आपके लिए लायी है तो उनकी एक ही प्रतिक्रिया थी जो पता नहीं आप लोगों को पसंद आयेगी या नहीं आयेगी, गुलशन में नहीं, घर में बहार आई है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अमरा रामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज इस बजट का अंतिम क्षण है जहां वित्त विधेयक पारित हो रहा है और राजस्थान की सरकार ने यह बजट जो मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में रखा है, इस प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों को केन्द्रबिंदु में रखकर किया है। इस राजस्थान के वह गरीब 56 लाख परिवार जो नरेगा में अपना जोब कार्ड बनाकर मजदूरी करते हैं

(श्री अमराराम)

या राजस्थान के अन्य कारखानों या आफिसों में दैनिक मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं, उसको केन्द्रबिंदु में किसी भी रूप में नहीं रखा गया है। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार हो चाहे केन्द्र की सरकार हो, जहां अपने कर्मचारियों के लिए पांचवां और छठा वेतन आयोग लगाती है, तय रूप से महंगाई की इस भारी मार में अगर केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का डी ए बढ़ाती है तो हमारी सरकार एक दिन, चौबीस घंटे भी नहीं लगाती, हमारी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का भी डी ए बढ़ता है। न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन आयोग और डी ए बढ़ता है बल्कि सदन में बैठने वाले माननीय मंत्री हों, चाहे विधायक हों, उनकी तनख्वाह-भत्ते और सुविधाएं बढ़ा लेते हैं लेकिन राजस्थान का चालीस प्रतिशत ...(व्यवधान) नहीं, वापस ले लेना। बढ़ाने का निर्णय, घोषणा आपने यहां की है, मैं तो याद दिला रहा हूं, पिछला जो बजट आपने रखा उसके अन्दर यह घोषणा की। (व्यवधान) मैं तो नहीं बढ़वाना चाहता, मैं तो इनकी दैनिक मजदूरी बढ़वाना चाहता हूं जो राजस्थान ने...(व्यवधान) नहीं, उनको केन्द्रबिंदु, सभापति महोदय, वह चालीस प्रतिशत जनता जिनका दैनिक मजदूरी से वास्ता है, तय रूप से उसका न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए था। 56 लाख परिवार नरेगा में जोब कार्ड के माध्यम से काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, हमारे सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी के रूप में करते हैं । इस भयंकर महंगाई, मैं समझता हूं, जब न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, पन्द्रह वाली चीनी पैंतालीस में है, खाने का तेल, चाय, आम उपभोग की वस्तुएं निश्चित रूप से बढ़ी हैं और न केवल महंगाई बढ़ी है बल्कि महंगाई सूचकांक भी 3742, अगर उस तरह से महंगाई सूचकांक को आधार बनाकर अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है तो आज की तारीख में 203 रुपये राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी होती है। हमारे पड़ोस के जितने भी सराउंडिंग राज्य हैं, तमाम में हमारे राजस्थान से न्यूनतम मजदूरी अधिक है। लेकिन राजस्थान की सरकार उस राजस्थान के गरीब को केन्द्रबिंदु में रख कर बजट नहीं बनाती, केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से बजट बनाया है। इसलिए मेरी तो मांग है कि तय रूप से राजस्थान के उस चालीस प्रतिशत गरीब को अगर सरकार ध्यान में रखती है तो न्यूनतम मजदूरी जो महंगाई के अनुसार आज की तारीख में 200 रुपये होनी चाहिए वह उसकी घोषणा करे तो मैं समझता हूं, राजस्थान के उस पिछड़े हुए, विकास में पीछे रहे हुए आदमी को आगे लाने और उसका हक दिलाने का काम राजस्थान की सरकार कर पायेगी।

(श्री अमराराम)

दूसरा, सभापति महादेय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां राजस्थान की जनता एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ महंगाई की मार झेल रही है, राजस्थान की सरकार ने 'देर आये दुरुस्त आये', आठ महीने, सात महीने के बाद उस अकाल पीड़ित किसान को, लघु और सीमांत काश्तकार को तो आदान अनुदान के रूप में दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से घोषणा की है, अभी चिह्नित भी कर रहे हैं, कुछ बजट दिया भी है लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि क्या केवल अकाल की मार लघु और सीमांत काश्तकार पर ही हुई है, बाकी किसान पर नहीं हुई? मैं समझता हूं, उससे भी ज्यादा हुई है। चाहे उसकी पूरी जमीन के लिए आदान अनुदान नहीं दिया जाय, लेकिन कम से कम लघु काश्तकार के समान तो उन बाकी काश्तकार को भी आदान अनुदान निश्चित रूप से मिलना चाहिए। न केवल लघु और सीमांत को मिले, उतनी जमीन का आदान अनुदान बाकी तमाम किसानों को मिलेगा तो मैं समझता हूं यह न्याय होगा। सी आर एफ के मापदण्ड में इसी राजस्थान में चाहे वह ओलावृष्टि का सवाल हो, चाहे शीतलहर हो, सी आर एफ से राज्य में इससे पहले भी लघु और सीमांत काश्तकार के साथ अन्य किसानों को भी उस मात्रा में आदान अनुदान देते रहे हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन

(समय : 14.00 बजे)

करना चाहूंगा कि यह आदान अनुदान है, निश्चित रूप से तमाम किसानों को, लघु काश्तकारों को जो दो हैक्टेयर तक देने की आपने घोषणा की है वह तमाम किसानों के लिए लागू की जाए।

मैं समझता हूं कि आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है और जो बिनौला खल है, मैं समझता हूं कि कभी भी राजस्थान में ही नहीं, देश में कहीं भी केवल एक मात्र खल है जो केवल पशु चारे के रूप में पशुओं के लिए काम आता है, बाकी खलें इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, उन पर वैट लगे किसी को एतराज नहीं होगा लेकिन वह किसान जो अकाल की मार झेल रहा है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, उस किसान के उस खल पर 70 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर, मैं समझता हूं कि यह सबसे खतरनाक काम है। निश्चित रूप से इसको वापस लेने का काम करेंगे।

जहां तक मैं समझता हूं, डीज़ल पर वैट हमारे पड़ोसी राज्यों से अधिक है, 20 प्रतिशत ज्यादा है। निश्चित रूप से इससे एक तो तस्करी हो रही है। अगर यह वैट पड़ोसी हरियाणा और पंजाब के बराबर हम करते हैं तो

(श्री अमराराम)

हमारे खजाने पर कोई असर नहीं होगा, उलटा राजस्थान की आम जनता को इससे फायदा होगा।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के उस किसान के लिए जो गाय और बछड़ा पालता था, 1998 में तत्कालीन सरकार ने किसी भी कारण से तीन साल के बछड़े के बाहर जाने पर निषेध करने का जो कानून बनाया, पूर्ववर्ती सरकार भी आई, अब भी जो सरकार ने जिसने भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था उन्होंने भी इस बात की कोशिश की है कि वह बछड़ा जाए। क्योंकि वह कानून बनने के बाद राजस्थान की इकोनोमी और विशेष तौर से बछड़ा उसके साथ अन्याय हुआ है। किसान गाय और बछड़े इसलिए पालता था कि उसका बछड़ा दो साल के बाद बिकता था। वह यहां से बाहर जहां भी चावल की खेती होती है, पड़ोसी राज्यों में बिहार, यू पी, मध्य प्रदेश में, वहां बड़े-बड़े मेले लगते थे, करोड़ रुपया उस किसान को मिलता था, बछड़े के रूप में मिलता था और गायों से दूध के रूप में मिलता था लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई फिर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई और अभी हमारी सरकार कह रही है कि हमने मंत्रिमण्डल की कमेटी बना रखी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के उस अकाल पीड़ित किसान को, गाय पालने वाले किसान को अगर आपको मदद करनी है, थोड़ी बहुत भी सरकार में हिम्मत है तो निश्चित रूप से उस कानून को भी निरसित कानून लाकर समाप्त करे जिससे राजस्थान की गाय भी बच सके, बछड़ा भी बच सके और राजस्थान का किसान भी बच सके। चाहे वह गाय की रक्षा के नाम से लाया गया हो लेकिन बछड़े और गाय के साथ इससे बड़ा अन्याय 1998 में वह कानून बनने के बाद हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसी दुर्गति गाय और बछड़े की इससे पहले कभी नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू की है, निश्चित रूप से शहर में भी वे गांव के लोग बसते हैं और हमारे इस देश में त्रिपुरा में पिछले साल से 50 दिन की शहरी रोजगार गारंटी लागू की है। इसलिए सरकार राजस्थान में भी शहरों में जो गरीब रहते हैं, निश्चित रूप से उनको रोजगार गारंटी दे, चाहे 100 दिन नहीं हो लेकिन 50 दिन के रूप में करने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ओर निवेदन करना

(श्री अमराराम)

चाहता हूं कि सरकार कुछ लोगों को नजर में रखकर के जो काम करती है, बड़े लोगों का मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। माइनिंग डिपार्टमेंट ने 2008 में एक माइनिंग होल्डर को 22.12.2008 को नीलामी के माध्यम से भास्कर की 24 तारीख, 2008 को नीलामी निकाली थी जिसमें 7 लाख 61 हजार 882 रुपए किया है, 2.3.2009 को उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश निकालते हैं लेकिन यही सरकार वह 7 लाख 61 हजार रुपए पूरा माफ करके, ब्याज नहीं मूल में से भी जितना उन्होंने जमा करा दिया 7 लाख 61 हजार तो जो नीलामी पर था वह माफ कर दिया और 2 लाख 61 हजार 286 रुपए उसको सरकार में जमा राशि में से वापस लेने के लिए आदेश दिये क्योंकि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं नाम नहीं लूंगा। क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का विधान सभा में उम्मीदवार था इसलिए उसको 10 लाख का सीधा-सीधा फायदा पहुंचाने की है, जो सरकार के खजाने में है जबकि जमा कराने की 7 लाख 61 हजार रुपए की उसकी संपत्ति कुड़की हो गई लेकिन यही सरकार, क्योंकि इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं इसलिए कुड़की की बात तो छोड़िए और 2 लाख 61 हजार रुपए वह मांग रहा है, इस छूट से जो उसने जो जमा करवाया वह हमको वापस दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह सरकार का खजाना कांग्रेस पार्टी के लोगों को लुटाने के लिए नहीं है, यह राजस्थान की छह करोड़ जनता के लिए है।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यह जो अनुदानित शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मैं समझता हूं कि सरकार में अगर हिम्मत है, हमारे मुख्य मंत्रीजी अगर उन कर्मचारियों के बारे में चिंतित हैं कि उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है तो जितनी भी अनुदानित शैक्षिक संस्थाएं हैं राजस्थान में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, सरकार अगर हिम्मत दिखाती तो बात समझ में आती, पूरे के पूरे उन अनुदानित शिक्षकों को अगर सरकार टेक ओवर करती, सरकार उनकी सरकारी घोषणा करती बल्कि आर्थिक स्वार्थ के लिए उन अनुदानित पदों को ही ग्रामीण क्षेत्र में एब्जोर्ब करने की है तो बाकी जो हैं गैर अनुदानित शिक्षक और अशिक्षक कर्मचारी हैं, उनका क्या भविष्य होगा? उनके लिए करोड़ों की संपत्ति मैनेजमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। वे कर्मचारी जो शिक्षक का उसमें काम में लगे थे, इस उम्मीद के साथ लगे थे कि उन्हें भी कभी अनुदानित में आकर पूरी तनख्वाह मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह गैर कर्मचारी आएंगे और इससे राजस्थान के

(श्री अमराराम)

शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा जो शिक्षकों के पद खाली हैं, पूरा का पूरा हमारे बजट में हम कितना भी रखें, आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो टाइम पर जाता नहीं है।

तो मैं समझता हूं कि कितना ही बजट हम यहां पर पेश करके भेज दे, हमें आकलन इस बात का करना है कि उसका फायदा उन चालीस हजार गांवों में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के रूप में, चिकित्सा के रूप में कितना मिल रहा है। क्या हालत है मास्टर की, जो व्यवसाय करते हैं, एक दिन स्कूल में नहीं जाता है, आपके शिक्षा अधिकारी को वह दो हजार, तीन हजार रुपए देता है। डाक्टर की क्या हालत है? पैरा-मेडिकल स्टाफ की क्या है? सभापति महोदय, तीन तीन साल तक पैरा-मेडिकल के स्टाफ के लोग फोरेन में जाकर वापस आ जाए और उनकी आधी तनख्वाह आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी लेते रहे। इससे ज्यादा अफसोसजनक क्या है? हम यहां बजट पेश कर देंगे लेकिन नीचे के स्तर पर जो शिक्षकों ने हालत बना रखी है, मैं समझता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पैरा-मेडिकल स्टाफ आप किसी से भी चेक करा लीजिए, आप तय कर लीजिए, 90 प्रतिशत चिकित्सा कर्मी वहां रात को नहीं रुकते, और रात को छोड़िए, वहां दिन में भी नहीं रुकते, केवल तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं।

इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो पैसा जा रहा है उसका सदुपयोग हो, जनता के लिए हो और विशेष तौर से उस गरीब के लिए हो जिनका जो हक बनता है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, उस किसान को जो अकाल से पीड़ित हैं निश्चित रूप से उनको भी आदान अनुदान मिले और जो किसान के बछड़े और गाय के साथ विश्वासघात हो रहा है उस कानून को समाप्त करके राजस्थान के अकाल पीड़ित गौ-पालक उस किसान को बचाने का काम करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपतसिंह जी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इस सरकार का और विशेषकर इन्हीं मुख्य मंत्रीजी का और वित्त मंत्रीजी का यह छह वर्ष का इतिहास रहा है कि जब-जब इन्होंने योजना पेश की, बढ़ाकर पेश की फिर

(श्री नरतप सिंह राजवी)

कटौती की और वास्तव में आर.ई. आने पर और ज्यादा कटौती हुई। आम आदमी को समर्पित बजट, दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में, 2003-04 में भारतीय जनता पार्टी दिसम्बर में आई उससे पहले 1,104.36 करोड़ की कटौती की है 2002-2003 में क्योंकि 5,535 करोड़ और 4,431 करोड़ का अंतर; बाद में देखें तो 2010-11 में 23,822 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है और

अभी जनवरी, 2010 तक 12,733 करोड़, ये भी 11,080 करोड़ रुपये कम हैं। तो ये कटौती करते जा रहे हैं और नाम लेते हैं कि हम गरीब को समर्पित करेंगे बजट। इस पैसे पर गरीब का अधिकार सबसे पहला है। पहले दो वर्ष का अगर देखें तो 2003-04 में 4,258 करोड़ जो कटौती के बाद में इस सरकार ने छोड़ा था उसको बढ़ा कर 6,044.38 करोड़ तक बढ़ाया है। स्पष्ट है कि 561 करोड़ रुपये से ज्यादा हमने इसको बढ़ाया है और जनता का काम किया। पूरे टेंथ प्लान में प्रस्तावित व्यय 31,331 करोड़ का, राशि व्यय हुई 33,735 करोड़। यह हमने बढ़ायी। इलेवंथ फाइव ईयर प्लान, 1998 के दिसम्बर में यह सरकार आयी। 4,043 करोड़ रुपये की योजना थी, जनवरी, 1999 में कटौती की 3,800 की; संशोधित वापस किया 4,078, वास्तविक व्यय हुआ 3,832; कटौती हुई 246 करोड़ की, जबकि हमने बढ़ाया था 680.42 करोड़। 1999-2000 में भी 137 करोड़ की कटौती की जबकि हम बढ़ाते गये।

वर्तमान में जी.डी.पी. को जिस प्रकार से इन्होंने इंफलेट किया है उसके बारे में तो अभी बताता हूं लेकिन वित्त पोषण इसका कहां से होगा? वित्त पोषण तालिका में अगर आप देखें, संशोधित बजटरी संसाधन 8,751 2009-10 में रिवाइज्ड एस्टिमेट जबकि पहले था 8,335, राज्य के बाहर के संसाधन 7,684 और संशोधित हुए रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 7,342, राज्य के संसाधन 16,019 से बढ़ कर 16,093 तक हुए। सभापति महोदय, 2010-11 में भी इसी प्रकार की बात है। केन्द्रीय सहायता भी घटती जा रही है, ये बढ़ाने का नाम ले रहे हैं।

अभी वित्त विभाग के अधिकारी, वित्त मंत्रीजी नहीं बैठे हैं, जो मेनिपुलेशन जी एस डी पी के जिस प्रकार के फीगर्स को अराइव-एट करने के लिए किया है, मैं वित्त मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को चुनौती देता हूं कि

(श्री नरतप सिंह राजवी)

जो फीगर्स इन्होंने जी एस डी पी के पुट-अप किये हैं वे नोशनल हैं, सिर्फ काल्पनिक हैं। एडवांस एस्टिमेट आफ जी एस डी पी इकॉनॉमिक सर्वे 2008-09 बोलता है 1,91,990 एट करेंट प्राइसेज, इस आकड़े को मेनिपुलेट करके मंदी और रेसेशन जैसा समय होते हुए भी जी एस डी पी की ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई बतायी और यह सब इसलिए किया है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के जो बेनिफिट्स अवेल करने थे 2005 के एक्ट के तहत, उसे चार प्रतिशत से कम लाना था जिसकी तो छूट उनको मिल गयी। चार प्रतिशत तक की डेफिसिट के लिए, वास्तविक डेफिसिट अगर आप देखें, 4.39 प्रतिशत आता है जबकि इन्होंने मेनिपुलेट करके इंफलेटेड जी एस डी पी को बता कर कि 3.99 प्रतिशत जो चार प्रतिशत से सिर्फ 0.1 प्रतिशत कम है वह दिखाने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, नेशनल जी एस डी पी ग्रोथ जो अभी 2008-09 का लास्ट इकॉनॉमिक सर्वे आया है उसमें 10.6 प्रतिशत बतायी है। अभी जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं उसमें स्टेट की ग्रोथ 14.77 प्रतिशत which is impossible. वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप एग्जामिन करेंगे तो ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। इंक्रीज हुई है। 2006-07 में 20,228 का 15.73 प्रतिशत, 2007-08 में क्विक एस्टिमेट 21,070 करोड़ का 14.16 प्रतिशत, 2008-09 में ए.ई. है 191,989.90, यह 22 हजार करोड़ की ग्रोथ बताकर 12.99 प्रतिशत ग्रोथ बतायी है जो कि सम्भव नहीं है। चुनौती है खुली, इस सदन में मैं कहता हूं। अभी इन्होंने जो फिगर्स दिये हैं वे 2,11,189 करोड़ के दिये हैं ताकि फ्रिंज बेनिफिट के तहत वह फिस्कल डेफिसिट जो कर सकते हैं, वह 3.99 तक उनको दिखाना था। चाहे प्राइमरी सेक्टर हो कृषि व पशुपालन, चाहे उद्योग विनिर्माण सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, 2007-08 का जो फिस्कल डेफिसिट था, उसकी वृद्धि दर थी 6.1 प्रतिशत और 2008-09 में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ में 1.98 से अधिक सम्भव नहीं है, फिस्कल डेफिसिट 4.25 प्रतिशत इससे बढ़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको बता रहे हो? कोई नहीं लिख रहा है आपका। आप किसको बता रहे हो?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, इनको तो लिखेंगे तब भी घर जाकर याद करना पड़ेगा, ऐसे याद रहेगा नहीं।

श्री सभापति: मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, कुछ न कुछ गम्भीरता तो हो। बजट का पारण हो रहा है, इतने गम्भीर विषय पर इतने मौलिक विचार आ रहे हैं। मतलब अगर हम यहां बोलने के लिए आये हैं, सिर्फ गाल बजाने के लिए तो कोई मतलब थोड़े ही है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बिलकुल, आपकी बात सब सुनी जा रही है। आप कहां परेशान हो रहे हैं? माननीय सदस्य, फरमायें। ये विराज रहे हैं एक-एक पाइंट लिख रहे हैं। आप निश्चित रहें जब माननीय नेता अपना प्रत्युत्तर देंगे तब सब बात आ जाएगी। आप निश्चित रहें। हैं यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लेकिन, सचेतक महोदय, आपने कहा, बिलकुल आपकी बात का मान करते हैं पर कुछ तो स्वस्थ परम्परा है। सारी खंडित कर देंगे अपन।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बिलकुल आपकी बात गम्भीरता से सुनी जा रही है।

श्री सभापति: हैं सहकारिता मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, वैसे तो नोट न करें तो भी कोई बात नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिछले पैराग्राफ में आपने क्या कहा, वह ही आपको याद नहीं है। ये थोड़ी सी भारी चीज है, हजम नहीं होती है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) जो बजट में घोषणा की, एक भी पूरी नहीं की अभी तो इन्होंने।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 2010-11 में आपने 8,461.10 करोड़ का बजट एस्टिमेट दिया है डेफिसिट का, यह डेफिनेटली जी एस डी पी के एक्चुअल फीगर्स आने पर बढ़ेगा यह सिर्फ कवर अप करने का, जनता को धोखा देने का एक प्रयास है।

पूअर मानसून राहत 191 तहसील में घोषित की है, 33,000 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया, 3.75 करोड़ पशुधन प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने तो ज्ञापन भी दिया था 12,691 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता प्राप्त करने का, फिर अतिरिक्त प्रतिवेदन दिया 14,927 करोड़ का। क्या हो गया, उसमें से एक रुपया भी मिला है क्या? यह मुख्य मंत्रीजी का और वित मंत्रीजी का पूअर फाइनेंशल मैनेजमेंट है, उसको छिपाने के लिए छठे पे कमीशन की

(श्री नरतप सिंह राजवी)

सिफारिश लागू करने एवं अकाल पड़ने की बात बार-बार कह रहे हैं। अशोक गहलोत साहब सरकार के पूर्व के कार्यकाल में 1999 से 2004 में राज्य की गम्भीर वित्तीय हालत के लिए भी लगातार पांचवें वेतन आयोग एवं अकाल को दोषी ठहराते रहे, यह इनकी आदत में है, स्वभाव पड़ गया इनका।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 560 करोड़ रुपये रोके थे, कमी कर दी थी। यह कमी कर दी और आप ले नहीं पाये। यह कमजोरी किसकी है? अब कौनसी शाबासी दिखा रहे हो? वह तो केन्द्र सरकार की मेहरबानी है कि उन्होंने 560 करोड़ रुपये दे दिये, आपने तो अपनी कुव्वत दिखा दी थी। ये मुख्य मंत्रीजी की असफलता है। सी आर एफ और एन सी सी एफ, अब यहां से पेट दर्द होना शुरू होता है, 2009-10 577.19 करोड़ रुपये अवेलेबल थे, खर्च नहीं दिखाया है; जितनी भी बुकलेट्स दी हैं उसमें खर्च नहीं है। 531 अलोटेड आर्थिक समीक्षा में दिसम्बर, 2009 तक 316 करोड़ रुपये अलाट किये हैं जिसमें खर्च 162.14 करोड़ रुपये ही हुए हैं। एन सी सी एफ 574.57 करोड़ रुपये अवेलेबल थे, अलॉट किये सिर्फ 453.36 करोड़ रुपये।

कुल मिलाकर 1151.76 करोड़ अवेलेबल थे इनके पास, खर्च करने का अभी तक हिसाब दिया है वह 162 करोड का, थोड़ा बहुत और हो जायेगा, 1000 या 900 से अधिक जो राशि बचेगी तो पिछले वित्त आयोग के हिसाब से इन्होंने सोचा कि हम रेवेन्यू में जमा कर लेंगे, वह यह जमा नहीं कर पाये और केन्द्र ने 13 फाइनेंस कमीशन में इसको चेंज कर दिया। 13 फाइनेंस कमीशन कहता है– ''It is our view that CRF may be merged into SDRF constituted under the Act as on 1.4.10 and that balances at the end of 2009-10 … SDRF will be funded by the Centre and the States in 75:25 ratio.'' इससे स्पष्ट है कि 9वें से 11वें वित्त आयोग तक सी आर एफ अनस्पेंट जो राशि थी वह रेवेन्यू में जमा होती थी जैसे 31 मार्च 2000 को कांग्रेस सरकार थी 155 करोड़ रुपये सी आर एफ राजस्व खाते में जमा किये। उस समय भी अकाल की विभीषिका थी, पूरा प्रान्त पीड़ित था। 31 मार्च, 2005 को बी जे पी ने केवल 71 करोड़ रुपये अपने राजस्व खाते में जमा किये हैं। हमारी नीयत सही है लेकिन नीयत किसकी खराब है, यह आप लोग स्वयं अंदाज लगा सकते हैं।

कर्ज का दायित्व, बहुत चिल्लाते थे कि कर्जा बहुत बढ़ा दिया। हमने तो छोड़ा था उसको कहां ले जाकर पहुंचाया 99.40 या 96.40 तक पहुंच जायेगा। हमने सिर्फ 78,114 करोड़ का छोड़ा था जो वृद्धि थी वह 42 प्रतिशत थी। उससे कहीं अधिक प्रतिशत वृद्धि अभी वर्तमान में हो रही है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पावर, सभापति महोदय, 2007 से 12 तक 11वें प्लान में आउटले था 71,371.98 करोड़ एनर्जी प्रोविजन किया था, 35.70 परसेंट, 25,654.75 करोड। इंस्टाल्ड कैपेसिटी, क्योंकि पावर के बारे में बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे मुख्य मंत्री जी, installed capacity at the end of 2007 to 2012, 12337 मेगावाट जबकि 6,883 मेगावाट इस गैप को ब्रिज करने के लिये आवश्यक थी। 2008-09 के अंत में छबड़ा प्रथम व द्वितीय यूनिट, कोटा की सातवीं यूनिट, सूरतगढ़ की छठीं यूनिट, 995 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन हुआ, वह काम तो शुरू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सिंक्रोनाइज होने थे उनको भी अलग से एक कार्यक्रम कर के किया जैसे उन्होंने बहुत तीर मार लिया है। कालीसिंध प्रथम व द्वितीय यूनिट, छबड़ा तृतीय व चतुर्थ यूनिट, रामगढ़ गैस, यह भी पाइप लाइन केसेज थे, कोई नये नहीं हैं, नये अब आप प्रपोज करो उसके बाद देखेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी बजाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पडेगा देख लेना आप।

विंड एनर्जी, 2000 मेगावाट और बायोमास 160 मेगावाट। यह सारा इलेवंथ प्लान, बी जे पी गवर्नमेंट थी उस समय था, नया कुछ नहीं है। टेंथ प्लान, इलेवंथ प्लान बी जे पी शासन काल में हमने कुल खर्च किया दो वर्षों में 28718.4 करोड़ प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ 2009-10 में 17,332 करोड़, स्टेट ने इसको बढ़ा कर 18,334 करोड़ किया, वापस कटौती, घटाकर जनवरी 2010 में 12,133 करोड़ किया; अभी तक एक्सपेंडिचर केवल 66 प्रतिशत हुआ है। एक महीने में कहां से यह पूरा कर लेंगे, समझ में नहीं आ रहा। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो हुआ नहीं, वह एन्यूअल प्लान पूरा नहीं होगा किसी भी स्थिति में; 12133 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं जो कि कुछ एन्यूअल प्लान का 66 प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि चार हजार करोड़ से अधिक की कटौती वर्तमान सरकार को करना पड़ेगी। नोन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है 35,433 की जगह 36,642, 1209 करोड़ रुपये बढ़ाया है जो कि हैल्दी फाइनेंशयल मैनेजमेंट का द्योतक नहीं है।

केन्द्र से राजस्थान को प्राप्त करों का हिस्सा और अनुदान राशि। सभापति महोदय, 2007-08 तक लगभग 43.70 परसेंट, 43.73 परसेंट 2008-09, 2009-10 में बजट एस्टिमेट में 42.44, 2009-10 में रिवाइज्ड एस्टिमेट 41 हो गया और वर्तमान में जो आपने दर्शाये हैं वह और भी कम होंगे। यह राज्य के लिये कोई लाभकारी स्थिति तो नहीं है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रेवेन्यू आपका घटता जा रहा है। 200 करोड रुपये आपके रजिस्ट्रेशन एंड स्टांप में कम हुए हैं। पेट्रोलियम में आपने बजट एस्टिमेट दिये थे 431 करोड़ इन्फ्लेटेड फिगर्स, वास्तव में आपको प्राप्त हुए 110 करोड, 321 करोड़ की कमी इसमें हुई है। स्टेट एक्साइज में 2300 करोड का था रिवाइज एस्टिमेट आपने 1474 करोड़ कर दिया दिसम्बर 2009 तक, 100 करोड की कमी इसमें भी रहेगी। एक्साइज, कस्टम, केन्द्रीय करों में हिस्सा, 760 करोड़ की कमी रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में बैलेंस आफ करंट रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है वित्त पोषण के लिये और ऋण नहीं लेंगे। वास्तविक योजना 15 हजार करोड़ से अधिक नहीं हो सकती, यह पास्ट परफोर्मेंस और पास्ट हिस्टरी क्लीयरकट दर्शाती है।

सभापति महोदय, नये कर भी लगाये लेकिन यह इंटरनेशनली नोन फेनोमेनन है कि हाइ टैक्स रिजीम में कर की चोरी होगी। ब्रांडेड गारमेंट्स पर 350 प्रतिशत टैक्स बढाया है, उस पर वैट। अब यहां राजस्थान में कौन लेगा? दिल्ली में जाकर ले लेगा ना वहां पर टैक्स ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति यहां क्यों पैदा की जाये जिससे यहां के व्यापारी को नुकसान हो, यहां की स्टेट की रेवेन्यू को नुकसान हो? यह कौनसा बिजनेस एक्यूमेन है, मेरी समझ में नहीं आया। लाइमस्टोन पर बढ़ाया, अब हाइड्रेटेड लाइम उपयोग में आता है एन्वायरमेंट के लिये, यह कामन ट्रीटमेंट प्लांट जहां-जहां भी लगा रखे हैं उनमें काम आता है लेकिन बढ़ा दिया उससे एन्वायरमेंट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, व्यापारियों पर तो पड़ेगा ही।

4 परसेंट की स्लैब पर एम्पावर्ड कमेटी की मंशा दिखा कर 5 कर दी। पिछले बजट में साढ़े बारह से चौदह परसेंट की नई स्लैब की थी, उसमें तो नहीं कहा था बजट भाषण में कि एम्पावर्ड कमेटी की ऐसी मंशा है। एडजोइनिंग स्टेट में आप चाहे गंगानगर-हनुमानगढ़ ले लीजिए चाहे अन्य जो बार्डरिंग स्टेट हैं, बार्डरिंग स्टेट में अगर उधर टैक्स कम है तो यहां का व्यापार उधर जायेगा। नीमच में आयल सीड्स पर एक पैसे का टैक्स नहीं है और नीचम मंडी में जितना कारोबार है उसका नुकसान किसको होता है, राजस्थान को होता है। पूरे मेवाड़ का अनाज उधर जायेगा। इधर पंजाब और हरियाणा की जितनी मंडियां हैं उनमें टैक्स कम है। इसलिए तेल-तिलहन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये था। लगा दें, नोशनल आपने लगाया है तो रेवेन्यू आपको

(श्री नरपत सिंह राजवी)

वसूल नहीं होगी, यह कम होगी और व्यापार उधर जायेगा। उसका आपको ध्यान रखना चाहिये था। खल बिनौला पर भी वैट बढ़ाया है, मेरे ख्याल से यह पहली स्टेट है । हमारी सरकार ने उसको माफ किया था। तिलहन, सरसों और सोयाबीन, आयल सीड्स एंड आयल केक्स, जो आपको हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया है, व्यापार में अगर लाभकारी मंडियों को रखना है तो उस पर घटाना पड़ेगा। पिछला अनुभव यह है।

भ्रष्टाचार की बात कहना तो यहां मायने नहीं रखती लेकिन आयुर्वेद औषधियों में अगर उत्तराखंड की दो कम्पनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो सदन को मैं आश्वस्त करता हूं कि सारी चोरी सामने आकर खड़ी हो जायेगी। 5 करोड़ की दवाइयां ऐसी ली हैं जो उसकी कैपेसिटी देने की नहीं है। लेकिन प्रश्न भी नहीं आ पाये और यह बात कोई कह भी नहीं पाया । वेंटिलेटर्स यूएस एफ डी ए एप्रूव्ड होना चाहिये। नार्म्स को चेंज किया है और ऐसे वेंटिलेटर्स क्रय किये हैं जो जल्दी खराब होंगे और वे अप-टू-द-स्टेंडर्ड नहीं हैं।

बहुत बढ़िया बात है, मुख्य मंत्री जी को धोखा भी दिया, 76 ट्रांसफर ऐसे किये हैं जो आदिवासी और सहरिया क्षेत्र में हैं। चिकित्सकों को हटाया, पी एच सी खाली हो गई। उस दिन चर्चा चल रही थी तो सब जगह खाली की बातें आ रही थीं वह इसीलिए आ रही थीं। जयपुर में 130 चिकित्सकों का आधिक्य है।

यह दवाइयों के व्यापार में तो एक पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पुत्र हैं और अतिरिक्त निदेशक कौन-कौन हैं, पूरी जांच का विषय है, करानी चाहिये।

एक्साइज में बीयर की खपत तो कम हुई है, बहुत ढिंढोरा पीटा था, बहुत पोस्टर लगाये थे कि 8 बजे हमने शराब की दुकानें बंद करा दीं। बहुत बढ़िया किया। बीयर पीना कम हो गया, शराब पीना ज्यादा हो गया। खपत बढ़ गई। अशोक गहलोत साहब को बताना चाहूंगा, पड़ोसी राज्यों में जहां-यहां से तस्करी होकर शराब बाहर जाती थी चाहे वह गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अब उधर से इधर आ रही है। वहां पर सप्लाई है उससे भी सस्ती यहां पर आ रही है। जहां पर टोटल प्रोहिबिशन है। जितने भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आपने लगाये हैं, अच्छे प्रयास किये, हमने भी लगाये लेकिन देखने में यह आया कि शराब की तस्करी यहां से जयपुर तक पहुंच जाती है हरियाणा से या पंजाब से या मध्य प्रदेश से। तो बीच के डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकारी क्या कर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रहे थे, यह सोचने का विषय है। जहरीली शराब के कारण शाहपुरा में 28 मौतें हुईं, 11 ब्यावर में हुईं, धौलपुर में 3 मौतें हुईं। उसके आगे आप क्या चाहते हैं ?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जी एन एम का मानदेय बढ़ाया था, अभी बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया, जो एन आर एच एम के तहत काम कर रहे हैं। उनसे कुछ पहले, साल-दो साल पहले आर एच एस डी पी के तहत इन्हीं जी एन एम को लिया था, सेम क्वालिफिकेशन, चाहे वह संख्या कम है, उनको उनसे अलग रखना न्यायसंगत बात नहीं होगी, उसमें इनक्लूड करना चाहिए।

अभी टोंक से आने वाली सदस्या फरमा रही थीं और साथी कई मंत्री बोल रहे थे कि लाश पर राजनीति की है। घड़साना में आमरण अनशन के साथ में कौन बैठे थे ?

श्रीमती जकिया (टोंक): मैंने यह नहीं कहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप फरमा रही थीं उस समय, आपके खान मंत्रीजी, कैबिनेट मंत्रीजी बोल रहे थे।

श्रीमती जकिया (टोंक): वे कुछ भी बोल रहे थे, मैंने नहीं कहा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ठीक है, I withdraw your name.

वहां पर बी.डी. कल्ला साहब विराजे थे, वे सदन में आज नहीं हैं, वे उस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष थे। उन्होंने अगर राजनीति करने का प्रयास किया, आज घड़साना इनके गले में पड़ा है। यह राजनीति की बात इस पर नहीं करें। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार बजट 2010-11 के अनुसरण में वित्त विधेयक 2010 और विनियोग विधेयक 2010 आज पारित होने जा रहा है और उसके सन्दर्भ में प्रतिपक्ष पूरे जोश-खरोश के साथ आंकड़ों को लहराते हुए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कोशिश की जा रही है जैसे की राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह दसतावेज पेश किया है वह मात्र एक दस्तावेज है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब चीजें न्यूनता की ओर इंगित करती हैं और सब में कमी है।

(श्री ओम जोशी)

माननीय सभापति महोदय ,राज्य का मुखिया जिसके पास वित्त विभाग हो और जिसके मन में गरीब, गांव, किसान और आम राजस्थानी के प्रति यह सोच हो कि किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो आय के साधन हैं, वे ऐसे स्थान से प्राप्त किये जाएं जो कि कर देने योग्य हों, किस तरीके से उन प्राप्त राशियों को जो वंचित लोग रहे हैं जिनको इस बात की आवश्यकता है, उन तक पहुंचाया जाए। मुझे यह बात कहते हुए गर्व और खुशी होती है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन सब बातों को मध्यनजर रखते हुए, इन सब योजनाओं को लागू करने में जो प्रतिबिम्ब पेश किया है, निश्चित रूपेण वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रसर रहे।

आलोचना-समालोचना जिस तरीके से अभी प्रतिपक्ष की ओर से की जा रही थी। ऐसा बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो बजट में प्रावधान दिये गये हैं, उनकी ओर से ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी कि यह वित्त के सम्बन्ध में दक्ष विशेषज्ञ की हैसियत से बात कर रहे हो। पन्द्रह महीने का वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा, पिछला बजट भी प्रस्तुत हुआ, उस बजट के लोक कल्याणकारी प्रावधानों को सुनने और समझने की उस समय विपक्ष की स्थिति नहीं रही, हल्ला-गुल्ला करके उस बात को दबाने की कोशिश की गई लेकिन पिछले बजट में जनता के भले के लिए जो कार्य किये गये थे, वे जनता के सामने गये। चुनावी वर्ष था, जनता ने सब योजनाओं को, जो योजनाएं सोच समझकर कल्याण के भाव से लागू की गई थीं उनका प्रतिफल दिया । कांठ की हांडी एक बार चढ़ती है। यह कह सकते थे कि एक बार मत दे दिया लेकिन प्रतिपक्ष को यह ध्यान में होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि उसके बाद लगातार तीन चुनाव आये और निरन्तर उनको मुंह की खानी पड़ी। लोकतंत्रिय व्यवस्था में, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जनता के भले के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उसका उत्तर, उसका जवाब जनता मत के माध्यम से, वोट के अधिकार के माध्यम से देती है। वह अपने सामने है और यह इनको स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, युगों-युगों से चाहे वह कितने ही बड़े महापुरुष और भगवान हुए हैं, उनमें छिद्र ढूढने की कोशिश रही है। सर्व कलाधारी भगवान कृष्ण के प्रति भी कुछ भी कहने में तत्कालीन समय में और वर्तमान समय में लोग चूके नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में भी यही बात हुई।

(श्री ओम जोशी)

हमारे देश को आजादी दिलाने वाले पूज्य बापू, महात्मा गांधी जी जिनकी शरण में हम सभी लोग बैठे हैं, लोकतंत्र व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा किये गये कामों के प्रति भी यही सोच कुछ छिद्रों में व्यक्त करने की कोशिश रहेगी। लेकिन जैसा कि पूज्य बापू ने कहा है उस सोच को हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने कर्तव्य के माध्यम से, करनी के माध्यम से ढालते हुए यह जो कोशिश की है वह मैं दौहराना चाहता हूं। उन्होंने बजट के जो अंत में बात कही है, ''एक सच्चा सिपाही आगे बढ़ते हुए यह विवाद नहीं करता कि अन्ततोगत्वा सफलता कैसे मिलेगी लेकिन उसे दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वह अपनी छोटी सी भूमिका को भी विनम्रता से निभा ले तो वह कैसे भी हो उस संघर्ष में विजयी होगा। इसी भावना के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। हम भविष्य को नहीं जान सकते लेकिन कम से कम वर्तमान में तो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं।'' यह सोच हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों का होना चाहिए।

इस बजट के प्रस्तावों में वित्त और विनियोग विधेयकों में जो विवरण दिया गया है स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, कि वैश्विक मंदी रही, जबरदस्त अकाल, सूखे की स्थिति रही। फिर भी जो प्रावधान करों के रखे गये थे उसमें गत वर्ष 12 प्रतिशत वाणिज्य कर विभाग की ओर से अधिक वसूली की गई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जो प्रावधान किये गये हैं, वे इन वस्तुओं पर किये गये हैं जो कि कर योग्य होना उचित होता है।

5 प्रतिशत वैट करने के बाद में खूब हल्ला मचा, खूब आलोचना करने की कोशिश की गई, कई कानूनों और नियमों का हवाला दिया गया। मैं माननीय प्रतिपक्ष के जो विद्वान, वित्त विशेषज्ञ की हैसियत से, दक्ष विशेषज्ञ की हैसियत से अपनी बात को रख रहे थे, से जानना चाहता हूं, राजस्थान नहीं बल्कि देश के समस्त प्रान्तों में जब यह व्यवस्था लागू की गई, जहां पर बी जे पी का शासन है, वहां भी जब 5 प्रतिशत की यह व्यवस्था लागू की गई तो आप सबकी आलोचनाओं का क्या औचित्य था?

माननीय सभापति महोदय। जो इस बजट में और इस वित्त विधेयक में प्रावधान रखे गये हैं, उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि कर देने वाला व्यक्ति सर्वोच्च होता है, इस राज्य के विकास में भागीदारी निभाता है। उसके लिये सरकारी प्रक्रिया सरल हो; उसमें जो कानून-कायदे बनते हैं, जो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वह उन करदाताओं के लिये सही हो।

(श्री ओम जोशी)

इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्तावित करके वैट के फार्म 10 व फार्म 11 को जमा करने की जो बात थी, उसमें सुधार किया, वैट के फार्म 47 की आवश्यकता को कम किया। 5 लाख से 10 लाख के टर्नओवर के रजिस्ट्रेशन की बात आई और ऐसी कई बातें जो कि आडिट के सम्बन्ध में थीं और अपीलों के सम्बन्ध में थीं, उन सब में यह कोशिश की गई कि करदाता को राहत मिले। निश्चित रूपेण मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच कि जो आय के साधन हैं, उन आय के साधनों को व्यवस्थित रूप से, किसी प्रकार का दबाव नहीं रखते हुए, जो प्राप्त किया जा सकता है करदाताओं से, वह प्राप्त करने की कोशिश की गई है। इसमें जो व्यय करना है, उसमें अपव्यय नहीं हो, इस बात को भी पूरा ध्यान में रखा गया है।

बड़े ही जोर-शोर के साथ इस बात को उठाया जाता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह है विद्युत की, ऊर्जा की। ऊर्जा के सम्बन्ध में जो इस बार योजनाओं में और बजट में जो प्रावधान 52 प्रतिशत का रखा गया है, यह राजस्थान के लिये आने वाले समय में विकास की गति आगे बढ़ाने के लिये मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही अभी बात हो रही थी कि जो पवन ऊर्जा का मामला है, चाहे बायो गैस, इन सब योजनाओं में जो काम हुआ, वह कम हुआ। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो गैर परम्परागत स्रोत हैं, उनको विकसित करने के लिये सौर ऊर्जा के माध्यम से जो स्रोत डवलप करके और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो राजस्थान का पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर क्षारीय भूमि है, वहां पर खेती नहीं हो सकती है, वह भूमि किसी काम की नहीं है, वहां पर एक सोच रखते हुए और उस क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और नेशनल सोलर मिशन के तहत इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, वह राजस्थान के लिये अत्यन्त ही उपयोगी होगा।

माननीय सभापति महोदय, न केवल ग्रामीण क्षेत्र, बल्कि शहरों में भी जिन लोगों ने अपने व्यवसाय में करोड़ों रुपये लगाये, जैसे कि सिनेमा व्यवसाय है, सिनेमाघर बन गये, जो आधुनिक तकनीक आई, टेलीविजन का युग आया और जिस तरीके से चैनल्स बढ़े, आम आदमी का थियेटर में जाना

(श्री ओम जोशी)

कम हो गया। आवश्यकता थी कि जो सिनेमाघर बने हुए हैं, जो सिनेमाघर का मालिक है, जिन्होंने कि इस राज्य में श्रेष्ठतम मनोरंजन दिया, उसके लिये प्रयास किया है, उनको राहत मिले। तो जो इस बजट के माध्यम से 50 रुपये टिकट तक 'यू' श्रेणी की जो फिल्म्स के प्रदर्शन पर कर माफ किया है, यह मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिये है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो कृषि के क्षेत्र की योजनाएं हैं, उन सब में बजट प्रावधान देने की कोशिश की है। सामाजिक कल्याण में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष जो स्थापित हुआ है, इसके अन्तर्गत जनवरी, 2009 से आज तक 26 लाख ऐसे लोगों को लाभ मिला है जो कि बी.पी.एल. के हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, जो निःशक्त हैं और जिनको जीवनदान मिला है। मैं विपक्ष के लोगों से, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पधारते हैं, ऐसे जो लाभान्वित होने वाले हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनसे बात करके देखिये कि कितनी बड़ी, जब आप भारतीय और सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आशीर्वाद और आशीष में भी विश्वास करते होंगे, कितनी बड़ी आशीष वे ग्रामीण जन माननीय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान सरकार को दे रहे हैं, जिससे कि उनको नये तरीके से अपना जीवन मिला। चाहे हार्ट का आपरेशन हो, ऐसे कई, सैकड़ों उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र के दे सकता हूं जिनके लिए इस जीवन रक्षा कोष के माध्यम से न केवल एक प्रावधान है, जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में जो अधिकारी विराजे हैं, जिस संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को टेक-अप करते हैं और इलाज की व्यवस्था करते हैं, वह स्तुत्य है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जो 10 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी खतम की गई, बेरोजगारों के लिये जो इस तरह की कई बातें, छोटी-छोटी बातों पर गौर करते हुए ध्यान रखा गया है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय विपक्षी सदस्य जो राजनीति कर रहे हैं, हर बात में एक विचारधारा को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, वह

(श्री ओम जोशी)

राजस्थान के हित में नहीं कहा जा सकता। अगर वे गौर करके अपने पिछले कार्यकाल को देखेंगे, 5 साल के हालात को देखेंगे तो वे अच्छी तरह से बखूबी समझ सकते हैं कि उनके कार्यकाल में किस तरह से कार्य हुआ और वर्तमान में 15 महीनों से अगर वे उसकी तुलना करेंगे तो परिणाम अपने आप सामने आ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा उल्लेख नहीं करते हुए यही अनुरोध करना चाहता हूं, अंत में, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट, इस वित्त विधेयक और इस विनियोग विधेयक का एक-एक शब्द राजस्थान के कल्याण के लिये उपयोगी है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी विभिन्न मांगों की बहस के समय, बजट की बहस के समय जो सभी माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि संवेदनशील, जवाबदेह माननीय मुख्य मंत्रीजी उन सुझावों की ओर गौर फरमाएंगे और उसका परिणाम कुछ समय बाद आपको सुनने को मिल सकता है; जो आपका बजट का भाषण होगा उसमें राजस्थान की जनता के लिए जहां कुछ भी वंचित रह गया है, वह प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। इसी भावना के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं चूंकि प्रथम बार सदन में आया और ऐसे कठिन और जटिल विषय पर बोलना और ऐसे प्रतिपक्ष के सदस्य, माननीय सदस्य जो कि जबरदस्त अपने आंकड़ों को साथ में सहेजे हुए रखते हैं, उनका प्रत्युत्तर देना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी इन्हीं से कुछ प्रसाद लेते हुए, सीखते हुए, मेरी बात को मैंने रखने का प्रयास किया। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने में तो बोलने का इतिहास रहा है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): क्या रहा है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने का तो बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है फलौदी का।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे उस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आज हम बजट की प्रोसेस की उस स्टेज पर हैं जिसको हम एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, इससे पहले कि इस विषय पर हम चर्चा करना चालू करें, पहले हमें संविधान के उस आर्टिकल को देखना पड़ेगा जिस आर्टिकल के माध्यम से हमें यह अधिकार मिलता है, सदन को यह अधिकार मिलता है कि इस पर हम चर्चा करके और वर्तमान एक्जीक्यूटिव को अपने पावर्स डेलीगेट करें, अपने राइट्स सरेंडर करें। I would like to draw your attention, Hon'ble Chairman, to Article 293 of the Constitution of India क्योंकि हम एक्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं और फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं। मैं बजट की उस स्टेज पर नहीं जा रहा जिस पर पिछले 15 दिन से हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं। आज वह स्टेज है कि जिस बारे में हमने चर्चा की जिन-जिन ग्रांट्स के बारे में हमने चर्चा की और जिन-जिन ग्रांट्स पर मुखबन्द करके हमने स्वीकार किया, यह सारा का सारा पब्लिक कंसोलिडेटेड फंड का पैसा हम एक्जीक्यूटिव को देने जा रहे हैं। हम एक्जीक्यूटिव को अधिकृत कर रहे हैं कि आप, जैसी-जैसी यहां चर्चा हुई, जहां जिस-जिस हैड में यह पैसा देना है, हम उसको देने जा रहे हैं। आर्टिकल 293, ''Borrowings by States – (1) Subject to the provisions of this Article, the executive power of the States extends to the borrowings within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature ...'' मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, '' ...as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantee within such limits, if any, as may be so fixed.''

इस आर्टिकल के साथ में मैं सी.ए.जी. की उस रिपोर्ट का पैरा पढ़ना चाहता हूं जो इस बात को दर्शाता है, आपको कर्ज लेने का अधिकार कांस्टीट्यूशन ने दिया है लेकिन कर्ज लेने के अधिकार के साथ-साथ उन्होंने यह कहा है कि कर्ज लेने के लिए आपको, एग्जीक्यूटिव को स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट और नियम पास कराना पड़ेगा। मैं सी.ए.जी. का वह पैरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिसके बारे में उन्होंने स्पष्ट एक यह बात अंकित की है कि "As per the provisions of Article 293, till date the Rajasthan State Legislature has not created an Act or passed a law which extends the rights to the Executive to borrow."

आदरणीय, 60 वर्ष हो गये। 91 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान की जनता पर है और राजस्थान की लेजिस्लेचर में आज तक यह गारंटीज और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बारो करने का नियम और कानून नहीं लेकर आये। आखिर हम हर साल जो कर्ज ले रहे हैं, सिर्फ एक 1999 के अन्दर गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन आया था, जिस रिजोल्यूशन ने यह अधिकृत किया था कि एक साल का जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके दुगने तक आप कर्ज ले सकते हैं लेकिन मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि उसकी गाइडलाइन्स सिर्फ आज की तारीख के अन्दर रिकमंडेटरी हैं, अगर आप लॉ ले आते तो लॉ मेंडेटरी होता और अगर उसका कोई उल्लंघन करता तो वह उसके लिए दोषी भी होता। यही बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिजोल्यूशन लेकर आये, मैं उस पैरा को आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं, "Fiscal liabilities, public debts and guarantees. CAG Report March 2002" उसमें यह साफ लिखा है– ''The Constitution of India provides that the State may borrow within the territory of India ...." जो मैंने 293 पढ़कर बताया, " ... No such law was passed by the State to lay down any such limit." यह 2001 में दुबारा सी.ए.जी. ने रिमाइंड किया है। "However, the State Government through a resolution had decided in May 1999 that its total debt excluding other liabilities and outstanding amount of guarantees as on the last day of any financial year will not be more than the double of the estimated receipts of its Consolidated Fund." अब मैं इसी साल के उस फंड को, आज की तारीख में आपका कंसोलिडेटेड फंड की जो गारंटीज और लायबिलिटीज हैं, 1.75 है, यानी 200 परसेंट से 25 परसेंट नीचे है। आज की तारीख में ठीक है लेकिन जिस साल यह आया है उस दिन आपका 3.29 टाइम्स था। अगर यह रिजोल्यूशन नहीं होकर एक्ट होता तो उसी दिन सरकार कठघरे में खड़ी हो जाती क्योंकि कानून का उल्लंघन होता। इसीलिए यह कानून नहीं बनाया जा रहा। रिजोल्यूशन के माध्यम से बार-बार इस चीज को पेश की जा रही है। उसमें यह साफ लिखा है– ''These liabilities were 5.57 times of the own resources which was in total contravention of the provisions of Government resolution." अब मुझे आप बतायें, आज आप एप्रोप्रिएशन पर बहस करा रहे हैं, प्रतिपक्ष के उप नेता ने 199 का हवाला देकर मनी बिल के ऊपर जो संवैधानिक व्यवस्था आसन से चाही है उस पर आपने चर्चा करवा ली, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कौनसा अधिकार है, ऐसा कौनसा कानून है कि कल को अगर सरकार को आवश्यकता पड़े और इस नियम का अगर वह उल्लंघन कर ले तो कानून जब नहीं बना तो आप सरकार से भी किस तरीके से पूछेंगे?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं एक क्योंकि, क्योंकि सरकार प्रदेश की जनता के, जनहित के, विकास के लिए कर्ज ले रही है और कर्ज लेने के पीछे सरकार की यह मानसिकता भी है कि आम आदमी को फायदा पहुंचे और यह प्रदेश विकसित राज्यों में आकर खड़ा रहे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कर्ज लिया। आपने कर्ज भी ले लिया। आपने अपने स्वयं के विवेक से कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद में आप खर्चा कैसे कर रहे हैं? मैं खर्चा कराने के लिए आपके बजट मेन्यूअल के उस प्रोविजन की बात करना चाहता हूं जो बार-बार मैंने भी योजना के ऊपर जब चर्चा थी, तब यह कहा था। बजट मेन्युअल का वह मैं सेक्शन पढ़कर आपको बताना चाहता हूं जिससे स्टेट बजट मेन्यूअल का आप, सेक्शन के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। "As per para 139 of the Budget Manual, expenditure should be evenly managed ..." मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह बजट मेन्युअल, यह फाइनेंशल प्रूडेंस का सवाल है, हमने एफ.आर.बी.एम. का एक्ट, फिस्कल डिसिप्लिन को इन्एक्ट करने और फिस्कल डिसिप्लिन को इन्कारपोरेट करने के लिए लिया था। मैं उस पैरा का हवाला देना चाहता हूं कि "As per para 139 of the Budget Manual, expenditure should be evenly managed and rush of expenditure particularly in the closing months of the financial year ..." यह क्लोजिंग मंथ की बात कर रहे हैं। इसमें क्लोजिंग क्वार्टर की बात नहीं हो रही। "... closing months of the financial year would ordinarily be regarded as a breach of financial regularity." मैं इसी की ताईद में आपकी उस अपेंडिक्स का हवाला देना चाहता हूं जो इन्होंने साल के आखरी महीने में, मैं आपको उदाहरण दूं कि टोटल इन्होंने, कम से कम दो दर्जन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके 5143.75 करोड़ रुपये में से सिर्फ मार्च के महीने के 20 दिन में 4287.52 करोड़ रुपया, एक साल में जो खर्च होना चाहिए था, फाइनेंशल ईयर के एंड के 20 दिन के अन्दर खर्च हुआ जिसमें ऊर्जा विभाग तो ऐसा है कि जिसके 900 करोड़ रुपये सिर्फ एक महीने में उठे हैं।

यह मैं नहीं कह रहा हूं, सी.ए.जी. का, आप कर्ज लें, आप जनता के विकास के लिए काम करें, आपने एक्ट नहीं बनाया, वहां आपने यह संविधान का उल्लंघन किया। फिर एफ.आर.बी.एम. एक्ट आया। आपने खुद का रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे रेवेन्यू से दुगना से ज्यादा बजट नहीं होगा। वह 2001 में आपने पांच गुना, साढ़े तीन गुना ज्यादा लिया। आप बार-बार इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रीसीडेंट्स हैं, परम्पराएं हैं, आज से पहले भी होता हुआ आया है, आदरणीय, आज से पहले तो कुछ वर्ष पहले तक तो हिन्दुस्तान का बजट पांच बजे पेश होता था, उसको चेंज करके 11 बजे पेश करना चालू किया कि नहीं किया? आखिर परम्पराएं जो हैं, उसको अगर सदन नहीं बदलेगा तो परम्पराओं से बाकी और सारी की सारी चीजें और निकलेंगी।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, कि हमारे बीच में अब मैं इसलिए यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं भी एक फाइनेंशयल कमेटी का मेम्बर हूं और जब फाइनेंशयल कमेटी का मेम्बर हूं तो कुछ ऐसे विषय मेरे सामने आ जाते हैं। जिनको मैं आवश्यक समझता हूं कि आज आपके बीच में कहूं। यह बजट से सम्बन्धित नहीं है, यह बजट के मैनेजमेंट से सम्बन्धित नहीं है, यह फिस्कल मैनेजमेंट के और उस करेक्शन के सम्बन्ध में है।

आपने यह कहा और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात की चिंता जाहिर की, हमारे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की कि कर्ज बहुत हो गया। आदरणीय, जो कर्ज इस लेखे-जोखे में है, न वह तो कर्ज वह है जो आपको और हमको दिख रहा है। इस लेखे-जोखे के अलावा भी कर्ज ले लिया आपने जो इस सदन को आज तक मालूम ही नहीं। आपने एक्ट नहीं बनाया इसलिए जो आपकी परम्परा थी, उसके आधार पर आप जितना कर्ज ले रहे हो, उसकी यहां चर्चा कर लेते हो लेकिन इस कर्ज के लेने के अलावा जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके ऊपर कितनी देनदारियां है, उन-उन देनदारियों के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी गारंटियां दे रखी हैं और अगर वे वहां गारंटी को पूरा नहीं करें तो राजस्थान सरकार को वह सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रेषित करना चाहता हूं। आपके पास के अन्दर 7 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां गारंटीज में पड़ी हुई हैं और जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह बात पूछी गयी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, सी.ए.जी. ने इस बात को रेज किया कि यह वह कर्ज है जिसकी अनुमति आपने सदन से नहीं ली।

आदरणीय, संघीय प्रणाली के अन्दर, पार्लियामेंटरी फॉर्म आफ गवर्नबेंल में एक ही अधिकार है और वह अधिकार इस सदन को है; बाकी सारे मंत्रियों को हैं, बाकी सारे सदन के नेता को हैं लेकिन इस जनता का पैसा खर्च करने का अगर कोई अधिकार है तो सिर्फ इस सदन को है। यह सदन की अनुमति

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

से ही पैसा खर्च हो सकता है और जनता के लिए कर्ज लेने का अधिकार है तो भी इस सदन को है। इस सदन की बगैर अनुमति के कर्ज नहीं लिया जा सकता क्योंकि जब कर्ज सरकार लेती है तो इस जनता के प्रत्येक व्यक्ति के सिर के ऊपर कर्ज का भार होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय, कि आपके कर्ज के अन्दर, जब यह जवाब पूछा गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि वे-वे कम्पनियां जिन्होंने कर्ज लिया है, वे अपनी परिसम्पत्तियों से यह कर्ज चुका देंगी, अगर डिफाल्टर हुई तो।

अब मैं, आदरणीय, आपकी 2009 की कामर्शियल, 2009 की आपकी कामर्शियल सी.ए.जी. की रिपोर्ट कहता हूं। जिन कम्पनियों ने कर्ज लिया है, उसमें सबसे बड़े कर्जदार आपके डिस्कॉम हैं, पावर क्षेत्र की कम्पनियां हैं। आप मुझे यह बताइये कि जिन कम्पनियों की डैट-इक्विटी रेश्यो, मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं, जिन कम्पनियों का डैट-इक्विटी रेश्यो 7:1 हो, 5:1 हो, 6:1 हो, जहां

(समय : 15.00 बजे)

एक रुपये की असेट पर सात-सात रुपये का कर्ज हो, वे कम्पनियां कैसे अपना कर्ज चुकायेंगी? एक न एक दिन राजस्थान सरकार को उन सबका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस बात के लिये मैं आपके सामने वह इंडेक्स खोलना चाहता हूं जो इस कामर्शियल इंडेक्स में है। आपके जितने पब्लिक उपक्रम हैं या कम्पनियां हैं, उनके अन्दर मैं सिर्फ एक सेक्टर की कम्पनियों का इसमें हवाला दे देता हूं उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। आपके जितने विद्युत वितरण निगम हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कार्पोरेशन का डेट इक्विटी रेशो 6.20:1 है। Six times of equity! उसकी नेट असेट वैल्यू इससे कई गुणा कम हो गयी। 6 गुणा ज्यादा। उसकी सारी असेट्स को तोड़ लो, तब भी उस पर कर्ज उससे 6 गुणा ज्यादा है। आप अगर राजस्थान राज्य के विद्युत प्रसारण निगम का ले लें तो 3.17:1 है; अगर आप जयपुर विद्युत वितरण निगम का ले लें तो 6.21:1 है; 5.20, पिछले साल 6.21:1, इस साल 2009 के अंत तक है। इसी तरीके से जो कर्ज बढ़ रहा है, यह गारंटियां गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने दे रखी हैं, अगर आप अजमेर विद्युत वितरण निगम का लें 4.62:1 है; जोधपुर का लें, 6.21:1 है; अगर आप राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण का लें तो 3.17:1 है। ये गारंटियां हैं। आपकी जो मीटिंग इस बजट सत्र के पहले जो केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के सामने हुई, जो आदरणीय सदन के नेता और प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने वहां उनके सामने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लिखित में आपने कहा है कि हमें 15

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हजार करोड़ रुपये अपनी इन पावर क्षेत्र की कम्पनियों के लिये चाहिये, क्योंकि ये अपना कर्ज स्वयं नहीं उतार सकेंगी। इसलिये यह आपने कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है कि यह एक भी कम्पनी, जिनकी डेट-इक्विटी रेशो इतनी ज्यादा है कि ये कर्ज नहीं उतार पायेंगी और राजस्थान की जनता को यह कर्ज पूरा करना पड़ेगा।

आखिर हम यह चाहते हैं कि किस नियम से आप यह बात कह रहे हो? यह कम से कम सदन में लाकर सदन से इस बात को अप्रूव कराओ कि 15 हजार करोड़ का कर्ज इस जनता पर और पड़ने वाला है, 91 हजार करोड़ न रहकर 1 लाख 05 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान की जनता पर पड़ेगा। आखिर आप इस चीज का जवाब तो दोगे। पिछले 60 वर्ष से तो बहुत-सी बातें हो रही हैं। पिछले 60 वर्ष से जो बातें हो रही हैं, उनको तो आप निश्चित तरीके से सुधारेंगे।

और तो और, सभापति महोदय, वहां भी अतिश्योक्ति हो गयी। जिन विद्युत वितरण कम्पनियों के ऊपर राजस्थान सरकार ने गारंटियां दे रखी हैं, उनकी अपनी ही जब आडिट रिपोर्ट्स आईं तो उनके आडिटर क्या कह रहे हैं, वह मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। ये वे कम्पनियां हैं जिसमें आम आदमी राजस्थान का कर्जदार बन गया है, राजस्थान की सरकार ने जिनके लिये गारंटी दे रखी है। उनका इंटरनल आडिटर क्या कहता है और सी.ए.जी. क्या कहती है, यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं। यह मैं आठवीं एन्युअल रिपोर्ट जयपुर विद्युत वितरण निगम की बात कर रहा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है – ''The Financial Statement of the Company have been prepared under historical cost convention in accordance with the GAPP (General Accepted Principles of Accounting) and the provisions of the Companies Act, 1956.'' इसके अन्दर अगर आप इनका एक्सप्रेशन और इनकी जो कमेंटरी है, उसको पढ़ेंगे तो आप यह पायेंगे– ''The company accounts have been prepared on no-profit-no-loss basis as per the provisions of the financial restructuring plan as approved by the Government of Rajasthan by booking revenue gap as subvention receivable from the government.'' इसमें कहा है– ''As per GAPP''... .(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जितने आदमी अभी तक बोले हैं न, यह जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं न तो यह कह रहा कि यह इनकी गलती है, 60 बरस में जितनी सरकारें आईं, जितने मंत्री बने, सबने परम्पराओं का साथ लेकर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यह काम किया है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं– ''That they are not in consonance with the accounting standards and the provisions of the Companies Act 1956." Sir, there can be no two standards. अगर आप कम्पनीज एक्ट से गवर्न होते हैं तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप वहां यह कहते हैं कि राजस्थान की सरकार इस गैप को पूरी करेगी और राजस्थान की सरकार 176 करोड़ के लिये इसी में यह बात कह देती है, it is not acceptable तो यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। ये वे कम्पनियां हैं जिनके लिये आपने हजारों करोड़ रुपये की गारंटियां दे रखी हैं। सी.ए.जी. क्या कहती हैं, इसी की अकाउंटिंग और सप्लीमेंट्री आडिट सी.ए.जी. ने किया है, सी.ए.जी. ने इसमें एक बात स्पष्ट की है कि "Accounts have been prepared on no-profit-no-loss basis by adjustment in revenue to the level of its expenditure by various adjustments which are not …" अगेन मैं पढ़ रहा हूं, " … which are not in accordance with the accepted accounting principles and accounting standards." सर, आप तो बेसिक अकांउटेंसी को ही चैलेंज करने लग गये। परम्पराओं के नाम पर कल तो डेफिसिट के बजट को आप यह कह दोगे, परम्पराओं के अन्दर डेफिसिट कहने की आवश्यकता नहीं है, यह न्यूट्रल बजट है। तो फिर मैं आपको यह कहता हूं कि बजट की डेफिनेशन भी आप रि-डिफाइन कर दें।

आप कर्ज ले रहे हैं और सदन को नहीं बताते। आप राजस्थान की जनता के ऊपर कर्ज का भार डाल रहे हैं गांरटी के रुप में और सदन को बताना नहीं चाहते। आप अकांउटिंग प्रिंसिपल्स को फालो नहीं करना चाहते। जहां कहीं भी कोई वित्त व्यवस्था की कमजोरी सामने आती है, परम्पराओं और रेग्यूलेशंस की बात कर लेते हो। Are these companies above Companies Law? Are these companies above principles of financial discipline? At least, we are answerable to somebody, Sir.

मैंने तो पिछली बार भी अर्ज किया था, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, यह बात किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी की नहीं है। सर, ऐसी कौनसी आवश्यकता पड़ गयी थी, मेरे ख्याल से यहां सेक्रेटरी फाइनेंस भी बिराजे हुए होंगे, आपके पूरे के पूरे अधिकारियों ने एक ऐसी बैलेंस शीट पर दस्तख्त कर दिये जो राशि करोड़ों में होनी चाहिये थी और उन्होंने लाखों में कर दी। मतलब किस प्रकार का इग्नोरेंस है? किस प्रकार का एरोगेंस है? जिस प्रकार से आम जनता के पैसे के प्रति संवेदनहीनता है, आदरणीय, अगर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सी.ए.जी. नहीं होता तो जो इस आडिट था, इस आडिट ने कहा जहां करोड़ों में होना चाहिये था, इसी कम्पनी ने 693 करोड़ को 693 लाख में कर दिया। 2218 करोड़ को 2218 लाख कर दिया। आदरणीय, और 26.16 करोड़ को 26.16 लाख कर दिया। अगर यह सी.ए.जी. नहीं होता तो इस पर दस्तख्त हो चुके होते और आम जनता यह सोचती कि एक हजार लाख का है। आदरणीय, एक हजार लाख का नहीं था, वह ढाई तीन हजार करोड़ का था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस राजस्थान की जनता गरीब हो सकती है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति से जनता लाचार हो सकती है, लेकिन यह जनता वह है जो प्रकृति को भी मजबूर कर देती है, यह जनता वह है जो सियासती सत्ता में बिठाने का ओहदा रखती है, लेकिन यह भी चाहती है कि मेरे आंखों के आंसू पोंछो तो सत्यता के रूमाल से पोंछो, झुठलाई की जबान से न पोंछो। यही कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक के ऊपर हम चर्चा में भाग ले रहे हैं। किसी भी राज्य की सत्तारूढ़ सरकार को बजट पेश करना होता है और उस बजट में वे बातें उल्लेखित करनी होती हैं जिनके आधार पर जनता ने, जिस जनता ने यहां चुनकर भेजा है, वह उनसे क्या-क्या वायदे करके आये हैं। क्या-क्या लोक कल्याणकारी कार्य उनके करने हैं। यह सब करने के लिये केन्द्र सरकार से भी राशि मिलती है लेकिन कुछ ऐसे कर भी होते हैं जो राजस्थान की सरकार को लगाने पड़ते हैं, चाहे कोई भी सत्ता में आता हो।

निश्चित रूप से आम आदमी के मुख्य मंत्री, गरीबों के मसीहा, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने भी इस वर्ष 2010-11 का जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, प्रत्येक पहलू का उन्होंने छुआ। यह बजट आम आदमी का, गरीब का, एस सी का, एस टी का, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, बेरोजगार के लिए, सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला बजट है। निश्चित रूप से पूर्व सरकार ने जो- जो कार्य नहीं किये और उसके कारण से इनको विपक्ष में बैठना पड़ा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे-ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करने की जो योजना प्रस्तुत की है, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे राजस्थान प्रदेश में काफी पोटेंशल है और यहां पर देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और उससे हमें राजस्व प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने पर्यटन के नाम पर क्या किया, आप और हम सबको मालूम है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने रोड रैम्प शो किये और पुष्कर जैसे धर्मस्थल के ऊपर जिस प्रकार से उनके अधिकारियों ने नंगा नाच करवाया उससे पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके लिए विकास करना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पर्यटन के क्षेत्र में चार करोड़ रुपये इस बजट में अधिक देकर पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम जो हाथ में लिया है उसकी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । मैं जहां से आता हूं लक्ष्मणगढ़ से, वह और वहां का शेखावाटी इलाका जहां से माननीय विपक्ष के उप नेता महोदय आते हैं, वह क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित होना चाहिए। चाहे हर्ष की पहाड़ी हो, चाहे शाकम्भरी का पर्यटन स्थल हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ की पुरानी हवेलियां पुरातत्व की हों, वहां पर बनी हुई हैं, वह हों, पिछले पांच सालों में जिस प्रकार की उनकी व्यवस्था रही। जाति से जातियों को लड़ाया गया, कितने गोली कांड हुए... (व्यवधान) आप सुन लीजिए। इसीलिए सामने बैठना पड़ा है। वह बातें बता रहा हूं। अगर आप इसमें सुधार कर लें तो पता नहीं, नम्बर जल्दी आ जाए वरना बीस साल भी नम्बर आने वाला नहीं है। आप आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐरा-गैरा आदमी पिछले पूर्व के शासन में जिसका कोई स्टेटस नहीं, वह आदमी भी एक एस पी और आई जी रैंक के आदमी को स्टेडियम में गला पकड़कर यह कह देता था कि तेरी फीत उतार दूंगा। माननीय अशोकजी गहलोत ने यह व्यवस्था की जोधपुर और जयपुर में कमीशन प्रणाली लागू करके, कि किस प्रकार का पूर्ववर्ती शासन में जो नंगा नाच होता था, पुलिस अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता था, महिलाओं, बहिनों और माताओं को प्रताड़ित किया जाता था, चोरी और भू माफिया इतने हावी हो गये थे, वह सारा का सारा दुबारा क्रियान्वित न हो, हमारे आम आदमी प्रदेश में खुशहाल हों, शांति हो, भू-माफिया को बढ़ावा नहीं हो, शराब माफिया नहीं बढ़े, इसके लिए पुलिस प्रणाली को इस प्रकार से उन्होंने लागू करने के लिए बजट में घोषणा की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपनिवेशन क्षेत्र में भी 31 दिसम्बर, 2010

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तक बकाया किश्तों का एकमुश्त चुकाने पर ब्याज माफ करने की किसानों के घोषणा की है, यह भी किसान के लिए कल्याणकारी योजना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर निगम जयपुर की हालत पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार की थी, सफाई करने वाले कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों को कोई किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पर भी चार सौ करोड़ रुपये देकर राजस्थान अरबन डवलपमेंट फंड की भी स्थापना करके इन नगर निकायों को भी अच्छा मजबूत बनाने का काम किया है और जो कच्ची बस्तियों के लिए राजीव गांधी आवास की शुरुआत की है, ये नहीं कर पाये, इसलिए इनको विपक्ष में बैठना पड़ा। हमारे मुख्य मंत्रीजी आम आदमी और गरीब के मुख्य मंत्री हैं। जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना इन्होंने देखा भी नहीं होगा, जयपुर में मेट्रो की योजना के बारे में सुना भी नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 179 करोड़ का इस बजट में प्रावधान रखकर यह काम किया है, यह ऐतिहासिक होगा।

आये दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। पांच साल तक आपने बैठे-बैठे कुछ नहीं किया, मंत्री लोग आपस में लड़ते रहे और मंत्रीगण मुख्य मंत्रीजी से लड़ते रहे। आम अवाम, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाते रहे। कभी हज हाउस नहीं बनने देंगे, कभी यह नहीं करने देंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन कर उन दुर्घटनाओं को रोकने का काम इस योजना के माध्यम से अपने हाथ में लिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की बसें जो बहुत खटारा और नाकारा हो गयी थीं, 650 नयी बसें राजस्थान के इतिहास में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा ही नहीं की बल्कि वे खरीदी भी जा चुकी हैं और रोड पर शीघ्र आने वाली हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रिफाइनरी की बात बार बार उठी पिछले पांच सालों में, मैं इस सदन में नहीं था लेकिन अखबारों के माध्यम से पढ़ते थे, पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीति के कारण से हमारी रिफाइनरी नहीं आ सकी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रयासरत हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा भरोसा है कि वे जल्दी से जल्दी रिफाइनरी की सौगात राजस्थान में लेकर आयेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के लिए पांच साल तक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इन्होंने क्या किया, आप और हम सब, जनता जानती है। एक पूर्व जलदाय मंत्री ने कहा कि जो आया है वह जायेगा, चाहे दूषित से मर जाए और पानी मांगने वालों को घड़साना और सोहेला में गोलियां दी गयीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं, इन्होंने 1850 करोड़ रुपये बिना प्रावधान किये खर्च कर दिये, आज हमारी जनता उससे त्रस्त है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय जलदाय मंत्रीजी ने, सबने मिलकर एक अच्छी योजना बनायी, पेयजल में अच्छा खासा पैसा आया और काफी योजनाएं नयी शुरू की जा रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस फ्लोराइड की समस्या हमारे शेखावाटी में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, फतेहपुर, चूरू और उधर है, उसके लिए इन्होंने पांच साल तक, इनके खुद के सदस्य कहते रहे लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फ्लोराइड मुक्ति के लिए उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र और फतेहपुर में भी पचास लाख रुपये देकर सर्वे का काम शुरू करवाकर उस योजना को शुरू करने की दिशा में काम शुरू करवाया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय चिन्तित हैं। आज दो रुपये किलो बी पी एल को और वह बी पी एल जिनको आपने छोड़ दिया था गलत नीतियों के कारण, उनको भी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में स्टेट बी पी एल मानते हुए उन्हीं को बी पी एल के समान सुविधाएं दीं। वृद्धों को ले लीजिए, विकलांगों को ले लीजिए, बेसहारा निशक्तजन को ले लीजिए, आम आदमी जब मत देता है और सरकार की कल्पना करता है तो वे सारे के सारे पिछड़े, एस सी, एस टी, बी पी एल और जो गरीब विकलांग निशक्तजन हैं वे सब यह चाहते हैं कि हमारे कल्याण के लिए होना चाहिए, बड़े उद्योगपतियों के कल्याण की आवश्यकता नहीं है। उनका कल्याण तो अपने आप हो जाता है। इसके लिए पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार भी और इस नये बजट में भी घोषणा की।

जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन की तरफ से जो 612 करोड़ रुपये की योजना थी, 2005 और 2006 से थी, उसमें से 2008 तक इन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को सदन के माध्यम से, उन्होंने वह कार्य वापस शुरू किया और जल्दी ही इस योजना के लिए पैसा मिल रहा है। भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजे गये हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्वास्थ्य के मामले में इन्होंने कितने सब-सेंटर खोले, कितनी पी एच सी खोलीं, कितनी सी एच सी खोलीं? 537 सब-सेंटर एक साल में खुल गये। सी एच सी और पी एच सी की आवश्यकता है, इस बात का हमें ध्यान है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सी एच सी और पी एच सी खोली जावें, इनकी भी आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से लोगों को फायदा देने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, एक आम अवाम और गरीब को लाभ देने का काम किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

हरित राजस्थान की कभी कल्पना नहीं की होगी विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों ने। मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हरित राजस्थान का, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। ईश्वर की मेहरबानी नहीं हुई और बरसात कम हुई, इसके कारण से कमी रह गयी। ईश्वर मेहरबान जरूर होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्रांति का, टेक्नोलोजी का जमाना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात के लिए कि घर-घर में पारदर्शिता हो, सारी की सारी योजनाएं एक गांव, दूर-दराज में बैठा हुआ भोला-भाला आदमी भी, पंचायत लेवल पर पूरे भारत की, पूरे विश्व की जानकारी ले, अपनी योजनाओं को देखे, इसके लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रत्येक पंचायत समिति और प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। नहीं कर पाये यह। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छा काम किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ने नहीं की।

खेलकूद को बढ़ावा दो, खेलकूद को बढ़ावा दो, कहां गया आपका खेलकूद? आज पीका के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की है, माननीय प्रधान मंत्रीजी भी यह चाहते हैं, हमारे ग्रामीण विकास केन्द्रीय मंत्री भी यह चाहते हैं और पीका के माध्यम से खेल को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम पंचायतों में ब्लाक स्तर पर यह केन्द्र बनेगा।

कोआपरेटिव के डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए। इन्होंने पांच साल में किसी जन-प्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ने दिया। कितनों को ऋण दिया, यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इनकी हिटलरशाही थी और उसका परिणाम यह हुआ कि इनको सामने बैठना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले घोषणा की, सहकारिता मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि इनके जिला स्तर तक चुनाव करा दिये गये। मैं मांग करूंगा, निवेदन करूंगा विनम्र शब्दों में कि यह राज्य स्तर पर भी कोआपरेटिव के चुनाव होने चाहिए। 40 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर खोलने का जो एलान किया है वह भी स्वागत योग्य है। जब विकास की दौड़ में हम चलेंगे तभी हमें पता चलेगा। पहले की तरह हम केवल सरकारी अधिकारियों के भरोसे इस सहकारिता को नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान की सरकार ने 408 किसानों को किसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, वे खेती में जुटें और अपना जीवन स्तर सुधारें। 408 किसानों को 75 लाख रुपये के लगभग, आज ही हम अखबारों में पढ़ रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय कृषि मंत्रीजी ने जिस प्रकार से 75 लाख रुपये का इनको दिया है।

एक बात मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में कि यह खल और बिलौना पर जो कर है, यह वास्तव में किसान के हित की बात है, इसके ऊपर अगर विचार कर सकते हो तो मेरा विनम्र निवेदन है इसको कर मुक्त किये जाने के लिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। आपने लिया था, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम था बार्डर बेचना और पैसा इकट्ठे करना। वो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत की नीति में नहीं है और नीयत में नहीं है। आपकी नीति, नीयत के कारण से आपने बार्डर बेचे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जच कर के आनन फानन में अच्छे पैसे कमाये, उसके कारण से आपको विपक्ष में बैठना पड़ा। हमारी सरकार केवल गरीबों की हितैषी है, आम अवाम शांति से रहे, सब को सुविधाएं मिलें चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, इस सोच के साथ है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के जो कर्मचारी वर्षों से अपने एजिटेशन करते थे, बार-बार मांग करते थे लेकिन पिछली, पूर्व सरकार ने इनका कुछ भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का कि उन्होंने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के स्वीकृत पदों पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको सरकारी नौकरी, गांवों में सरकारी स्कूलों में लगाने का काम किया है।

बालिका फाउंडेशन से तीन बच्चियों को विदेश नि:शुल्क भेजने का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। आपकी सोच में यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि बालिका, महिला आगे बढ़े। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय सोनिया गांधीजी ने, मनमोहन सिंहजी ने इस बिल को आगे किया तो घबराकर के कि कहीं महिलाओं का वोट बैंक नहीं खिसक जाए, आपने भी उसका समर्थन कर दिया। समर्थन किया तो आपको धन्यवाद है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, शिक्षा के साथ-साथ कृषि में भी आज देखिये कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, पूर्व सरकार में क्या थी, कृषि विभाग में कितने घोटाले हुए, आप किसी से छिपा हुआ नहीं है, पूरे सदन से, पूरी जनता से, पूरे अधिकारियों से। एक आई.ए.एस. रैंक का अधिकारी आरोप लगाये कि कृषि मंत्री ने इतने घोटाले कराये, इतने घोटाले कराये, उसकी जांच होनी चाहिए और उसको वोलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। इस तरह की जो व्यवस्था थी, यह आपसे, हम किसी से छिपी हुई नहीं है।

अभी जो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बालिकाओं को अपने खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर, इसमें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन के माध्यम से कि इसमें वे बच्चियां भी बहुत हैं जो निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ती हैं, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में पढ़ती हैं, निश्चित रूप से बालिका फाउंडेशन में उन सबका पैसा है, इसलिए अगर इसमें यह भी संशोधन हो जावे, इनको भी यह लाभ मिल जावे तो निश्चित रूप से बच्चियों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा करने का प्रयास किया है, वह और ज्यादा अच्छा हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं समानीकरण के लिए। आप पांच साल में नहीं कर पाये। कभी कलक्टर को अधिकार दिये, कभी बी.ई.ओ. को दिये, डी.ई.ओ. को दिये लेकिन नहीं कर पाये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने समानीकरण का बजट में प्रावधान करके यह घोषणा की कि सरकार वास्तव में संवेदनशील है, इस शिक्षा के स्तर को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सुधारना चाहती है। लोग गांवों में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाये, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए समानीकरण हो, अध्यापक जाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पदोन्नति वाला कितना इन्होंने हल्ला किया लेकिन कहने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। एक अध्यापक जो केवल अध्यापक रह कर रिटायर हो जाता, उसको पदोन्नति देकर प्रधानाध्यापक बनाया गया है। एक संस्था में अगर उसका हैड आफ द डिपार्टमेंट होगा, प्रधानाध्यापक जिस स्कूल में होगा अगर उसमें कम भी शिक्षक होंगे तो निश्चित रूप से वे पढ़ा पायेंगे, वे कंट्रोल होंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, पांच-पांच सौ करोड़ रुपये का घोटाला ट्रांसफार्मर खरीद में इनकी सरकार में हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में, बजट में, 52 प्रतिशत राशि केवल ऊर्जा के क्षेत्र में दी, 52 प्रतिशत। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस ऊर्जा की और बिजली की, किसान की बात करके इस सदन में चौथी दफे आ गये, अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र को अपने एजेंडे में मुख्य रूप से लिया है, आने वाले पांच साल बाद में आपको यह नारा चेंज करना पड़ेगा, वरना यहां पता नहीं कौन आयेगा। क्योंकि केवल बिजली की बात करने से बिजली नहीं मिलती, उसमें ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना पड़ता है और 52 प्रतिशत राशि कोई कम नहीं होती। माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बिजली जाए और उस गांव, गरीब आदमी को जो एक झोपड़ी बना कर बैठा है, जो एक मकान बना कर अपने खेत में बैठा है, दूर-दराज ढाणियों में बैठा है, उसकी भी रात को बल्ब चसने की उम्मीद पूरी हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी का निश्चित रूप से यह सोच है।

अब पंचायतों का और पंचायत समितियों का ...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डोटासराजी, डिस्टर्ब नहीं कर रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूं आपसे। जब चौथी दफे आ जाऊंगा उसके बाद में बात करना। आप बीच में किस बात की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंतिम वक्ता हैं यह।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं यह करंट है न, मैं तो आपके बड़े-बड़े नेताओं को करंट लगाता हूं। इसलिए आप इतने बड़े हो नहीं कि आपको करंट लगाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अभी, माननीय सदस्य, पंचायत समिति में क्या हुआ, आपकी 37 में से एक सीट नहीं आयी, वो वापस करंट लगा दिया बड़े नेताओं ने। यह तो चलता-फिरता काम है, कल आप कहीं थे आज कहीं हैं, कल यहां कौन था। वहां कौन था। यह तो चलता रहता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो यहीं हैं, डोटासराजी, आप चिंता अपनी करो। 34 से, सप्लीमेंट्री से आये हो। ध्यान रखो अपना, बाकी का रहने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई फर्क नहीं पड़ता वो, 34 से आने वाला सदस्य लोक सभा में 22 हजार से बढ़त दिलायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एम.पी. के चुनाव में आप सामने थे और हमने 22 हजार की बढ़त दिलायी। यह 34 वाला जब चार महीने में बाइस कर सकता है तो पांच सालों में क्या करेगा, आप देखते जाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पता चल जायेगा।

श्री सभापति: समअप करो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 52 तहसील मुख्यालयों पर उप-खण्ड कार्यालय खोलने का जो काम किया, यह आम-अवाम हर वर्ग के लोगों के लिए फायदे का काम है, उसकी सुविधा का काम है।

माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारे जाति विशेष के लोगों का नाम मत लो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं देवनारायण के उन नेक बंदों को, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को गोली मारी, वह काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। डेढ़ साल हो गया, एक फायरिंग नहीं हुई, एक गोली नहीं मारी, एक आदमी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्यासा नहीं रहा और वह इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर, जहां आपने पांच साल पानी नहीं पहुंचाया, इस डेढ़ साल में लोग पानी पी रहे हैं। आखिरी छोर तक पानी पहुंच रहा है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है, इस राजस्थान की सरकार की सोच है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाणिज्य और राजस्व में भी 11.33 की वृद्धि, यह सारी की सारी चीजें देखने की हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सभी वर्गों को ध्यान में रख कर, आम-अवाम के मुख्य मंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय अशोकजी गहलोत ने जो बजट पेश किया है और वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आसन को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और सरकारी मुख्य सचेतक को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस बार सदन में हमने जब डिमांड्स पर चर्चा की तो रात को तीन-तीन बजे तक बैठकर हमने चर्चा की और पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, सरकार के सामने बात आयी। अब वह स्टेज आ गई है कि उन सारी बातों का और सदन में वे सारी बातें जो डिस्कस हुई हैं उन पर सरकार काग्निजेंस ले और सरकार उनके आधार पर अपनी बात कहे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आज का अपना सारा कथन आपने पिछला जो भाषण दिया था, बजट का आम बहस का जवाब देते समय जो भाषण आपने दिया था उसको मैंने पूरा पढ़ा है, जहां काला करना था, काला किया है और जहां पीला करना था, पीला किया है और एक-एक वाक्य आपका मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, चूंकि मैं जब पढ़ता हूं तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं और एक-एक बात मुझे आपके भाषण की ध्यान है, मैं उसी पर अपनी बात केन्द्रित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एप्रोप्रिएशन बिल पर जिस प्रकार की बहस हुई है, जिस गरिमा के साथ और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपनी बात रखी है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे आंकड़े, सारे तथ्य हमारे सचेतक जी ने, नरपत सिंह जी ने और राव राजेन्द्र सिंह जी, गोबिन्द सिंह जी, हमारे जोशी जी ने सारी बातें रखीं। हमारी बहुत पुरानी, 1980 से हमारे साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आने वाली डाक्टर जकिया जी ने भी अपनी सारी बातें सदन के सामने रखी हैं, उसमें, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन का सेंस आ गया है। इसलिए मैं आंकड़ों पर, कितना राजस्व घाटा हुआ इस पर नहीं जा रहा हूं; कितना आपका कैपीटल आउट ले, उस पर नहीं जा रहा हूं; कितना फिस्कल डेफिसिट है उस पर नहीं जा रहा हूं, कितना आपका कर्ज है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। कुछ बातें सेटल्ड हो गयीं, सरकार के कागजों में भी सेटल्ड हो गयी और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया उनसे हो गयीं।

मैं अपना सारा ध्यान, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस बात पर केन्द्रित कर रहा हूं, आपने यहां कहा था कि बजट का मतलब यह है कि यहां के माननीय सदस्य क्या कहते हैं और जनता की क्या आवाज आती है, वह बजट है और आपने मुझे यह भी कहा था कि वह आवाज भी आपने सुनी होगी, तो वह आवाज मैंने तीन-तीन बजे तक बैठकर यहां पर सुनी है और जनता में भी सुनी है। उस आवाज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, बजट की थर्ड स्टेज एप्रोप्रिएशन बिल है, अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत वह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है जिसमें संचित निधि में से जिसे अंग्रेजी में कन्सोलिडेटेड फंड कहते हैं, उसमें से पैसे निकालने का अधिकार सरकार को प्राप्त है और सरकार इसके प्रति जिम्मेदार है।

लेकिन मुझे एक बात यह कहते हुए अफसोस है, आपको मैंने धन्यवाद दिया कि हमने राजस्थान की विधान सभा को, केवल राजस्थान की विधान सभा ही नहीं, हिन्दुस्तान की सारी विधान सभाओं को हमने बजट सभाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसका नाम है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली। विधायी जो कार्य है वह कार्य हमने बहुत पीछे कर दिये, विधायी कार्यों की जब हम चर्चा करते हैं उस समय दो दिन में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बिल हम पास कर देते हैं। तो जो मूल काम विधान सभा का है, सभापति महोदय, कानून बनाना, कानून का पालन करना और कानून को देखना, हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, हम सब लोगों ने धीरे-धीरे करके इसकी सीमा करके आठ दिन डिमांड पर, बजट पर चार दिन आम बहस पर, एक दिन एप्रोप्रिएशन पर, वह जैसे मूलों में पैदा हुआ आदमी होता है ना उसके जो-जो टोटके होते हैं, वह सारे टोटके हमने विधान सभा में कर दिये और विधान सभाओं के सारे काम को लिमिटेड कर दिया। यह अफसोस की बात है और यह अफसोस इसलिए है कि हम क्या कर रहे हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आज सदन में बहुत चर्चा हुई माननीय सदस्य डूंगरगढ़ के, उन्होंने चर्चा की माननीय मुख्य मंत्रीजी की गांधी जी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई बड़ाई करे, मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा, मैं भी आपकी सादगी की बड़ाई करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हम ऊपर उठकर देखें। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे राष्ट्रीय जीवन में कि जिन लोगों की बराबरी करना या उनकी बात करना, महात्मा गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, जिस एक आदमी ने अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया था और यह चर्चा हुई कि 19वीं शताब्दी का आदमी कौन है यूरोप के देशों में तो सारी चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि 19वीं शताब्दी में एक आदमी को अगर कोई सबसे बड़ा आदमी हम कह सकते हैं दुनिया में तो महात्मा गांधी थे। यहां तक जब सारी दुनिया जा रही है, उनकी तुलना हम किसी से करें, आलोचना, प्रत्यालोचना में, अपने काम के लिए, उचित नहीं है। इसलिए हम ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जो पुरुष हैं, उनको ऊपर रखें। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

लेकिन हमारा पतन हो रहा है। व्यक्ति निर्माण का जो राजनीति में काम था वह बंद हो गया। महात्मा जी ने किया, विनोबा जी ने किया, राममनोहर लोहिया जी ने किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किया, पण्डित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया, अब हमने बंद कर दिया। अब हमने तो गरीबी दूर करने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है और गरीबी दूर हमारी हो रही है। मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि पार्टियों की प्रतिष्ठा गिर रही है। मैं कल एक विज्ञापन देख रहा था, रात को मैंने विज्ञापन देखा मुख्य मंत्रीजी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आजकल तो क्रिकेट एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसमें हमारे केन्द्रीय मंत्री भी भाग ले रहे हैं, हमारे राज्यों के मुख्य मंत्री भी उसमें हैं, बी जे पी, कांग्रेस सबके और क्रिकेट वह भी आई पी एल और उस क्रिकेट में विज्ञापन क्या है, वह जो विज्ञापन आया, एक आदमी कह रहा है, हमारे नेता बैठे हैं, टिकट, तो कुछ लोग कहते हैं, महाराज टिकट तो आपको ही मिलेगा; उसने कहा, काहे की टिकिट; बोले पार्टी की, बोले पार्टी-वार्टी की भी कोई टिकट होती है, हमें तो आई पी एल की टिकट चाहिए। क्या मजाक है? क्रिकेट से गरीबी दूर करने में लग गये। हम सारे हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण की बात छोड़कर नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट क्रिकेट में लग रहे हैं।

चार अरब डालर का, सभापति महोदय, यहां आई पी एल के नाम पर सम्पूर्ण देश के अन्दर चार अरब डालर खर्च किये गये। सारे गांव-गांव में, गली-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गली में जुआ घर खोल दिये हमने, क्रिकेट के लिए सट्टा हो रहा है सभी जगह। आज छोटे-छोटे 15-15, 20-20 साल के बच्चे क्रिकेट के सट्टे में लग रहे हैं। हम क्या किस प्रकार की बात करना चाहते हैं, यह हमारे लिए सोचने का प्रश्न है। इस बात को मैं ज्यादा लम्बी नहीं कहना चाहता। आज क्रिकेट सारे देश में इस प्रकार हो गया है कि आप पूछो मत।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मैंने तीन पाइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, आपने उसको दो चीजों में समेटा। एक संयोग और एक आपने कहा ग्रामेटिकल मिस्टेक। संयोग आपने कहा। जब मैंने कहा कि जो चार परसेंट से पांच परसेंट किया है और जो एक्सक्लूडेड आइटम्स थे तो आपने कहा कि यह संयोग था; यह संयोग नहीं है, यह गलती है। जो काम करने वाले लोग थे, या तो वे जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहते या वे जिम्मेदार नहीं हैं और हम विधान सभा में अगर इतना ही कह दें कि संयोग है और आपने चूंकि ग्रामर व्याकरण का उपयोग किया तो संयोग का मतलब यह नहीं होता है, संयोग का मतलब यह होता है कि जब अशोकजी गहलोत आते हैं तो बरसात नहीं होती है और बी जे पी आती है तो बरसात होती है। यह संयोग होता है। आप आते हो तो राजस्व घाटा होता है, हम आते हैं तो राजस्व फायदा होता है, यह संयोग होता है। हम आते हैं तो भारत सरकार से ज्यादा पैसा मिलता है, आप आते हो तो कम मिलता है, यह संयोग है। इसलिए संयोग और इसको आप ऐसा मत कहिये। इसको आप संयोग कहेंगे तो मैं आपको कहता हूं, यह संयोग नहीं है।

फिर आपने कहा कि यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल नहीं है। ग्रामर भी मैंने आपके इस भाषण में पूरी पढ़ी है। साठ स्थानों पर मैंने छांटा है जहां ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, आपके कहने के बाद, नहीं तो मैं नहीं देखता इतनी बारीकी से। अब एक उदाहरण चूंकि आपने मेरे लिए दिया था इसलिए बता दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं मजाक बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि किसी न किसी आदमी की आप जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। उदाहरण के तौर पर आपने रुद्राक्ष पर टैक्स माफ किया और आपने वह टैक्स मुझे समर्पित किया है, मैंने पहन भी रखा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया कि मेरा टैक्स माफ हो गया लेकिन रुद्राक्ष का जो 'रु' लिखा है वह बड़ा लिखा है, ग्रामेटिक मिस्टेक वह है। 'रूद्राक्ष' लिखा है। आप छह खरब रुपया हमारे से लेकर जा रहे हो, पांच सौ का नोट तो आपकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जेब में होगा, आप पढ़ सकते हो, यह रुपया है उसका रु छोटा होता है, वह रुद्राक्ष का होना चाहिए और जो रूप है, बीना जी, रूप का 'रू' बड़ा होता है। 'रूप तेरा ऐसा आंचल में ना समाए।' वह जो 'रूप' है वह 'रूप' बड़ा होता है। मतलब मोटा होने से आंचल में ना समाए। तो यह जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना तो वह है ।

तो इस प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसमें ग्रामर की 60 मिस्टेक हैं, वे मैंने छांटी हैं। तो यह जो मैंने बात कही कि यह संयोग और त्रुटि नहीं है, वे सारी की सारी गलतियां हैं। अब डिक्लेयर्ड गुड्स के बारे में अगर हमारे अधिकारियों को पता नहीं कि हम ला नहीं सकते, वह त्रुटि नहीं है, संयोग नहीं है। वह संयोग नहीं है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो टैक्स माफ किया, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि आपने जिन-जिन वस्तुओं का टैक्स माफ किया, रुद्राक्ष का किया, उसका किया, उसका किया, कितना हुआ वह ? करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ, 5 करोड़ हुआ ? टैक्स जो माफ करने वाला है उसको आप बताना क्यों नहीं चाहते हो ? आप छिपाना क्यों चाहते हो ?

मैंने आज एक प्रश्न भी उठाया, उस प्रश्न का, सभापति महोदय, अभी तक अध्यक्ष महोदय ने निर्णय नहीं किया। पहले भी किया। जब बजट के अन्दर लिखा तो भी आपने यह लिखा कि यह अनुसूची 4 से हटा लिया गया है। अनुसूची 4 से हटाकर आपने किसमें डाला, यह नहीं बताया, छिपाया है। आपको यह बताना चाहिये कि अनुसूची 4 से जिन-जिन चीजों को आपने हटाया, उन चीजों से आपको कितना पैसा मिलता था। अब जिस अनुसूची में डाला है, 14 परसेंट हो गया, उससे आपको कितना पैसा आ रहा है ? उसे छिपाया क्यों ?

फिर इन्होंने फाइनेंस बिल से भी छिपा लिया। फाइनेंस बिल में मैंने पढ़कर सुनाया आपको कि कोई भी आल्टरेशन, कोई भी एडिशन, कोई भी इम्पोजिशन, आपको इसमें लाना पड़ेगा। हां, कुछ में नहीं लाते, वह एक्ट में आपको अधिकार दिया हुआ है। लेकिन शिड्यूल में जब चेंज करते हो, शिड्यूल चेंज करने का मतलब एक्ट में चेंज करना होता है और उसको भी आप आज नहीं लाना चाहते। मत लाइये। जायेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट में, हाइ कोर्ट में जाना है। नहीं जाएं लेकिन विधान सभा के रिकार्ड में यह दर्ज रहना चाहिये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि प्रतिपक्ष ने अपनी बात ऊपर आसन के सामने भी रखी और सरकार के सामने भी रखी। यह परम्परा डालना उचित नहीं है, मुख्य मंत्रीजी। किसी प्रकार उचित नहीं है। आज छिपाकर लाओगे, छिपाकर ले जाओगे, टैक्स लगाओगे और विधान सभा में नहीं बतायेंगे आप, यह करना उचित नहीं है। मैं, सभापति महोदय, चाहता हूं कि फाइनेंस बिल में इसको ठीक किया जाना चाहिये और यह प्रवृत्ति जो ब्यूरोक्रेसी लाना चाहती है धीरे-धीरे पीछे से कि अन्दर ही अन्दर सारा काम कर लो जैसा अभी माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी ने बताया था इतनी बोरोइंग्स हैं उनको भी हम लाना नहीं चाहते हैं, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हम इस सदन से कुछ छिपाकर चलें, हमारे लिये यह किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सारी बातों को यहां लाएं।

मुख्य मंत्रीजी, अब बजट का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है, वह आता है कि आपने आम जनता को क्या दिया। आपका बजट और भारत सरकार का बजट, दोनों बजटों ने एक बात तो प्रमाणित कर दी कि अब महंगाई बढ़ गयी। कैसे कर दी ? 8 परसेंट डी ए भारत सरकार ने महंगाई बढ़ने के कारण से केन्द्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया और वही 8 परसेंट डी ए महंगाई बढ़ने के कारण आपने राजस्थान के कर्मचारियों का बढ़ाया। इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन 8 परसेंट डी ए तो आपने बढ़ा दिया, 1 परसेंट हैं सिर्फ भारत सरकार के कर्मचारी और 4 परसेंट में राजस्थान राज्य के कर्मचारी और 14 परसेंट लोग ऐसे हैं जिन पर महंगाई का असर नहीं है। बाकी 85 परसेंट लोगों पर तो महंगाई का असर है, उनका डी ए कौन बढ़ायेगा, मुख्य मंत्रीजी ?

बजट की आलोचना, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, 85 परसेंट जो लोग हैं जिनकी थाली में से आज दाल गायब हो गयी है, जिनकी थाली में आज सब्जियां गायब हो रही हैं, जिनकी थाली में घी गायब हो रहा है, उनका क्या होगा ? उन पर तो आपने एक के बाद एक टैक्स लगाया। वह टैक्स लगाकर आपने उनके साथ और अन्याय किया है। वह टैक्स भी आपने किस प्रकार लगाया, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने लगाया है कृषि पर टैक्स। अभी गोविन्द जी डोटासरा बोल रहे थे, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य अगर आपको कह दे कि खल और बिनौला साल्वेंट प्लांट में जायेगा तो मुझे आप बता दीजिये। नहीं जाता कहीं भी। आज खल और बिनौला के बारे में पक्ष-प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर यह कहने की स्थिति में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है कि इस पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये। 8 रुपये किलो आपका जौ सस्ता है और जौ का भूसा महंगा है। मुझे पता है, मेरे पास 35 पशु हैं घर पर खुद के। खल और बिनौला भैंस, गाय को हम सीधा खिलाते हैं, दूध के लिये। पर आज इतना बड़ा 5 परसेंट का टैक्स लगाकर आपने अन्याय किया है उस किसानों के साथ, उन 5 लाख पशुपालकों के साथ। जो अकाल से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चों को खाने को नहीं है। उनकी गाय, भैंस के मुंह से भी दाना निकालना चाहते हैं। यह लगाने की क्या जरूरत थी ? मैं मांग करता हूं, सारा सदन यह मांग करता है कि आप वह पैसा वापस लीजिये। यह अन्याय का पैसा है। यह अन्याय का है। यह टैक्स अन्यायपूर्ण है। इसलिये इस टैक्स का हम जमकर विरोध करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे इस टैक्स को वापस लीजिये। 5 लाख पशुपालक जो इस समय दूध निकालकर बेचते हैं, उन पर आप लगा रहे हो। किस बात के लिये लगाना चाहते हो ? किसने राय दी आपको यह ? आप संवेदनशील आदमी हैं, पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, कितने लोग पशुओं से काम करते हैं, उनकी आजीविका उस पर निर्भर है। आज चारा नहीं मिल रहा उनको। चारा ढोने का आपने बढ़ाया, उसके लिये आपको धन्यवाद लेकिन यह इतना बड़ा टैक्स 5 परसेंट लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह टैक्स आप वापस लें।

दूसरा टैक्स आपने जो चौथी अनुसूची से निकालकर 14 परसेंट एक साथ किया, ध्यान करें। आज दर्जी के पास कोई कपड़ा सिलाने के लिये जाता है तो वह आदमी कपड़ा नहीं सिला सकता। जितना कपड़े का पैसा है उतना का उतना पैसा सिलाई का लगता है। रेडीमेड़ लाता है, एम आर पी लिखा हुआ। 20 रुपये में जाकर कोई जाकेट ले आया, कोई कुर्ता ले आया और गरीब आदमी ज्यादातर रेडीमेड कपड़ा खरीदता रहता है या होजरी का सामान खरीदता रहता है, बाकी तो सब सिलाते रहते हैं। उस रेडीमेड वस्त्र पर जिस पर हिन्दुस्तान भर के अगर आप देखोगे, आप कहो तो मैं सारे राज्यों की बताऊं, क्या-क्या स्थिति है। उन सारे राज्यों में आज 5 परसेण्ट और 4 परसेण्ट टैक्स है और आपने बढ़ाकर एक साथ 14 परसेंट कर दिया है। उनके एम आर पी रेट लिखी हुई है सबकी। बड़े संकट में हैं सब के सब। केवल व्यापारी इस संकट में नहीं है। दुकान बंद हो गयी तो व्यापारी तो राजस्थान के बाहर जाकर खोलेंगे या सीमा पर लगायेंगे लेकिन जो खरीदने वाला गरीब आदमी है वह अभी संकट में है इसलिये मैं चाहता हूं कि 4 परसेंट चौथी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अनुसूची से निकालकर आपने सारे जिन मालों पर 14 परसेंट किया है वह सारे सदन को आप बताएं कि कौन-कौन से वे टैक्स हैं, किस-किस पर टैक्स लगाया है, कितना पैसा लगेगा और किस-किस राज्य में यह है। आज राजस्थान को क्या आवश्यकता पड़ गयी थी आपको इस बात को करने की ? रेडीमेड वस्त्र और उस अनुसूची में जो लगाया गया टैक्स है उस टैक्स को आप माफ करें। यह व्यापार बंद हो जायेगा, इनका बिजनेस बंद होगा, गरीब आदमी को पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा और स्थिति आपके लिये बहुत खराब होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस टैक्स को आप कम करें।

फिर आपने मार्बल के बारे में एक नयी क्रियेट कर दी। फिर यह कानून की गलती है। अब या तो आप मुझे कह दो कि मैं गलती बताना बंद कर दूं, जो सही बात दिख जाए, आपने पढ़ दिया, मैं ताली बजा दूं। अब मैं आपको एक गलती बताता हूं। मकराना मार्बल के लिये सिर्फ 5 परसेंट का हिस्सा है। मार्बल स्लरी और आज तक इसको नियमों में अलग-अलग नहीं किया। मकराना मार्बल या सारे मार्बल हमारे यहां एक ही हैं और 95 परसेंट गरीब आदमी मकराना मार्बल का प्रयोग नहीं करते। वह कोई राजसमन्द से निकल गया, कहीं निकल गया, वह सारा जो मार्बल आता है हिन्दुस्तान भर में जाता है। उस पर आपने कोई छूट नहीं दी। यह मकराना वाले क्या करके दे रहे हो, इसका भी नियमों में संशोधन नहीं किया। बिना संशोधन आपने कैसे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बजट बनाते समय यह भी बहुत गलत काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप सदन में इस पर घोषणा करें कि इस प्रकार का जो काम है वह नहीं हो।

इस प्रकार जो टैक्स हैं, इन टैक्सेज के बारे में भी आपने बहुत कुछ छिपाया है। मैं कह रहा हूं कि आपको टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ? क्यों पड़ी टैक्स लगाने की जरूरत ? आपने पिछली बार टैक्स लगाया है। आपने भाषण दिया है, उसी भाषण का मैं विवरण पढ़ रहा हूं, आपने कहा है कि 551 करोड़ रुपये या 550 करोड़ रुपये इन टैक्सेज से प्राप्त होंगे। यह किसी कुशल आदमी को टैक्स लगाने का अधिकार है तब तो ठीक है। आपका यह जो भाषण है, इस भाषण में आपने सदन को बताया है कि पिछली बार 981 करोड़ रुपये की टैक्स की इन्कम हमें कम हुई। आपने बताया, राज्य के हिस्से में कमी 360 करोड़ रुपये, बाड़मेर से रायल्टी में कमी 321 करोड़ रुपया, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से कमी 200 करोड़ रुपया, आबकारी से कमी 100 करोड़

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रुपया, कुल 981 करोड़ रुपये आपने कम वसूल किये हैं। इस टैक्स लीकेज को क्यों नहीं रोका आपने ? आप इस टैक्स लीकेज को रोक नहीं सकते और गरीब आदमी पर जबरदस्ती टैक्स का भार डालना चाहते हो। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में कमी हो रही है, भारत सरकार की कमी हो रही है, रायल्टी में कमी हो रही है। आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है, या तो काम नहीं कर रही है या गोलमाल कर रही है। टैक्स वसूली कम होने का क्या कारण है? टैक्स के लीकेज को रोकने का सरकार क्या प्रबंधन करना चाहती है? और जो सरकार टैक्स लीकेज को नहीं रोक सके, उस सरकार को टैक्स लगाने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है और यह आपने स्वीकार किया है। किस बात का आप टैक्स लगाना चाहते हो?

सभापति महोदय, यहां पर जो बहस हुई, उसमें कुछ बातों में तो हम कमी कर लें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मान लीजिये। केन्द्र की दो बड़ी योजनायें हमारे साथ हैं, उन दोनों योजनाओं का जो बुरा हाल आपने किया है, मुख्य मंत्रीजी, सारी जनता सुन रही है, उन दो योजनाओं के बारे में अगर आप ध्यान करेंगे, बिन्दु संख्या 6 जो बजट-एट-ए-ग्लांस आपका है, उसमें देखिये, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए 2008 और 2009 में 2,630 करोड़ रुपये का प्रावधान था, एन आर एच एम और एस एस ए और भी केन्द्रीय योजनाएं हैं, वे सारी मिलाकर के बता रहा हूं। 2009-10 में आपने प्रावधान किया 3,353 करोड़ रुपये का और खर्च आपने किया है 2,311.56 करोड़ रुपया, यानी पिछले साल आपने 1,042.43 करोड़ रुपया कम खर्चा किया 2009-10 में। अब आपने जो योजना बनायी है 2010-11 की, जो हमको बतायी है, उसमें आपने 2,400 करोड़ रुपया ही बताया है केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में। इसका मतलब 2008-09 में 2,630 था और 2010-11 में घटकर 2400 करोड़ हो गया है। इसके बाद में भी इसमें और कम हो गया, आपने कर लिया। हमने सर्व शिक्षा को 200 करोड़ से बढ़ाकर के 2000 करोड़ तक पहुंचाया था। आपने सर्व शिक्षा अभियान और एन आर एच एम प्रोग्राम, दोनों में कटौती की, सिर्फ छोटी सी बात पर कि 85 प्रतिशत आपको पैसा मिलता है, यह आपकी किताब का ही पन्ना मेरे साथ है, इसमें आपने साफ लिखा है कि 2,400 करोड़ रुपया हमने 2010-11 के लिए लिखा है और 2,311 करोड़ का खर्च किया। यह 2008-09 के 2,600 से घटकर 2010-11 में अगर 2,400 करोड़ तक ले जायेंगे, मुख्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी राष्ट्रीय योजनाओं में, क्या जा रहा है? 85 प्रतिशत भारत सरकार दे रही है और हमारे नवाब साहब का भाषण भी मेरे पास है जो अशोका होटल में उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 15 प्रतिशत पैसे नहीं हैं, दिल्ली में।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने नहीं कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है, है तो फिर कम क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरे पास भाषण है, मैं दूंगा इनको भी। यह आपकी स्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, इन योजनाओं में एस एस ए में और इनमें।

(समय : 15.52 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दु:ख है कि सर्व शिक्षा अभियान, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अर्जुन सिंह जी को और कांग्रेस सरकार को कि जब हम मीटिंग में गये थे, चर्चा हुई थी मीटिंग में तो दो कमेटियां बनी थीं, एक कमेटी बनी थी कपिल सिब्बल साहब की अध्यक्षता में जिन्होंने आवश्यकीय कानून बनाया अनिवार्य शिक्षा का और दूसरी कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन आफ सेकण्डरी एजुकेशन की बात थी। मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि हमारे यहां के आई ए एस अधिकारी सी.के. मैथ्यू उस समय उस कमेटी के सेक्रेटरी बने और मेहनत करके हमने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी भारत सरकार को। कैब ने स्वीकार किया और उसके बाद भारत सरकार ने स्वीकार करके 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान यूनिवर्सलाइजेशन आफ सेकंडरी एजुकेशन के लिए किया। हमने प्रावधान किया, उस प्रावधान का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं उसका लाभ? अगर आपके पास 15 प्रतिशत की कमी है ना तो जिनको नौकरी लगा रहे हो, उनको कह दो कि तुम्हारा 15 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में जमा करा देंगे, 85 प्रतिशत भारत सरकार से मिलता है, जब प्रोविडेंट फंड का काम हो तब दे देना, भारत सरकार के पैसे से काम हो, वह करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आप काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात आपसे एक और पूछना चाहता हूं। जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पिछली बार आपने बिजली पर 10 पैसे सरचार्ज पानी के लिए लगाया था, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और पानी में कितना मिला उस पैसे में से? अब आपने जो बिजली पर सरचार्ज लगाया है, वह बिजली का सरचार्ज कितने लोगों पर लगेगा? 87 लाख उपभोक्ताओं पर लगेगा और 200 से 300 रुपया प्रति उपभोक्ता बढ़ेगा। यह बिजली का सरचार्ज आप इस प्रकार कैसे लगा रहे हैं? कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए। और उसकी स्थिति क्या होगी, वह भी आपने छुपायी है, आपने बतायी नहीं। 10 प्रतिशत लगा रहे हैं, आय कितनी है? यह आय आपको बतानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं 96 लाख अगर आपके उपभोक्ता हैं, उसमें से 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर 87 लाख उपभोक्ता हैं, उसमें से 2 लाख उपभोक्ता काट दीजिये जो 100 यूनिट से कम बिजली लेने वाले हैं, बाकी राजस्थान के 87 लाख लोगों पर एक साथ आपने बिजली का टैक्स लगाया है। मुख्य मंत्रीजी, आज तक किसी ने भी इतना बड़ा टैक्स नहीं लगाया है जितना बड़ा टैक्स आपने लगाया है। यह टैक्स भी गलत है आपका, इस टैक्स को आपको वापस लेना चाहिए। आम जनता जब अकाल से ग्रस्त है, आप कह रहे हैं मंदी से त्रस्त है, फिर इस प्रकार का टैक्स लेकर के आने का कोई मतलब नहीं है। यह टैक्स की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके एफ आर बी एम एक्ट के बारे में आपको नहीं कहना चाहता हूं, वह सारी बात हमारे माननीय सदस्यों ने कह दी है। लेकिन उसमें से सार आपके सामने बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। आपने कहा कि 0.4 प्रतिशत प्रति साल कम करें, आप उसको कम नहीं कर पाये हैं। इस बार आपने दिया है कि 1.5 प्रतिशत कम करेंगे लेकिन आप 1.5 प्रतिशत कम नहीं कर पायेंगे। इस बार जो 8 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा है वह आपको सारा कर्ज लेकर ही पूरा करना पड़ेगा क्योंकि कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। आप एफ आर बी एम एक्ट के सारे नियम, कानून-कायदों का उल्लंघन कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से लोन लेकर के राजस्थान की जनता को नहीं बता रहे हैं, यह बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार की कार्य-कुशलता के बारे में आपके सामने कहना चाहूंगा। दो सर्कूलर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरे पास हैं। एक सर्कूलर अभी आपने जारी किया है 16 सितम्बर, 2009 को और एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सर्कूलर आपने जारी किया था, जब आप पिछली बार मुख्य मंत्री बने थे 13 जून, 2001 को। यह दो सर्कूलर हैं, दोनों सर्कूलरों में आपने मितव्ययता की बात कही है। करनी चाहिए मितव्ययता, सरकारी खर्चों में मितव्ययता, होटल में नहीं रुकें, और कोई नहीं करें, मैं उसमें आपका साथ देता हूं, इसका स्वागत करता हूं लेकिन आपने मूल रूप से इन सर्कूलरों के बाद सारे मंत्रिमंडल को पंगु बना दिया है। ये मंत्री अब कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि बी एफ सी की मीटिंग के पहले चाहे बजट में भी पास किया हो, कोई सर्विस देनी हो, नौकरी लगानी हो, नयी भर्तियां बंद, विभागों में नये पदों का सृजन एवं क्रमोन्नयन वित्त विभाग की सहमति से, पदों का सृजन, क्रमोन्नयन में बी एफ सी में विचार के बाद ही रिक्त पदों को अधिशेष कर्मचारियों से ही भरा जा सकेगा। आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में नियुक्ति भी वित्त विभाग की सहमति से ही आयोजना-भिन्न, आयोजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भी संबंधित विभाग वित्त विभाग की सहमति के बाद ही भर्ती करेगा। संबंधित विभाग अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग व वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे, वित्त विभाग का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्री डिमांड पास कराकर ले जाता है और अपना पूरा विवरण लेकर के आते हैं। मंत्रियों की डिमांड हम यहां पर पास करते हैं। इस सदन द्वारा मंत्री को जो अधिकार दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी सर्कूलर के द्वारा एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से उनके अधिकार को छीन रहे हैं। मंत्री बनाकर के भेजेगा और फाइनेंस सेक्रेटरी ना कर देगा। क्यों आपने इनको अधिकार दिलाया? आप कह दो विधान सभा में कि मैं यह मांग का सारा अधिकार वित्त सचिव को प्रदान करता हूं, वित्त्त सचिव स्वीकार करेगा तो मंत्रियों को काम करने का पैसा मिलेगा। क्या हो गया यह? यह सरकार की निष्क्रियता, सरकार में अकर्मण्यता और सरकार में लालफीताशाही बढ़ाने के दोनों सर्कूलर हैं। क्यों कर रहे हैं आप यह? भारत सरकार की व्यवस्था आप देखिये, एक बार पास होने के बाद में उनका हो जाता है। वह मंत्रालय डील करते हैं, वह काम करते हैं। हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है। उसका कारण है कि वेज एंड मीन्स पर उनके यहां कोई स्थिति नहीं है, हमारे यहां स्थिति कभी-कभी खराब होती है। तो उतना नियंत्रण वेज एंड मीन्स तक तो सीमित है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाकी यह मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही तीन कैबिनेट आपने बना ही रखी हैं, ठप्पा केबिनेट, सुपर कैबिनेट और कैबिनेट; कैबिनेट के तीन टुकड़े हैं और ऊपर से चौथा टुकड़ा और कर दिया। मंत्री जब यहां जवाब दें तो मंत्रियों को उलाहना देने की जरूरत क्या है? फिर यह झिक-झिक करके धीरे-धीरे बोलें, घोषणा नहीं करें, इसमें मंत्रियों का कोई दोष नहीं है, मुख्य मंत्रीजी आपका ही दोष है। आपके दोनों सर्कूलरों में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनको दोनों को पढ़िये, इन दोनों सर्कूलरों से कोई मितव्ययता नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो बता दीजिये कि सर्कूलर जारी करने के बाद में आपकी क्या मितव्ययता हुई, कितना पैसा आपने बचाया और वह पैसा बचाकर आपने किस काम में लगाया? मंत्रीमण्डल को पंगु करना, मुख्य मंत्रीजी मंत्रीमण्डल के सदस्यों में और मुख्य मंत्री में एक ही फर्क होता है। वह बराबर वालों में एक नम्बर पर होता है, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। लेकिन आजकल तो सारा ही फर्क हो गया है। आजकल तो जो मुख्य मंत्री कर दे, वही काम ठीक है। बाकी मंत्रीमण्डल के लोगों को भी अधिकार मिले, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों सर्कूलरों पर विचार करें। विधान सभा ने जो डिमांड पास की, उतना अधिकार स्वतंत्र रूप से मंत्री को करने के लिए मिलना चाहिए। यह मैं आपसे व्यक्तिगत मांग करता हूं।

(समय : 16.00 बजे)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 2004 से लेकर 2008 तक के मंत्रीमण्डल की भी तुलना कर लीजिए, उस वक्त क्या होता था और अब क्या होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्रीजी। तिवाड़ीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुझसे अपने पक्ष में कहलवाना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपसे प्रेरणा लेने वाला नहीं हूं।

दूसरा, मैं मंत्रियों के साथ-साथ आपको निवेदन करना चाहता हूं, वह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उसका दु:ख है और मैं करता भी नहीं, मैं सिद्धांतत: उस बात को करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मुझे दु:ख है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैंने आपका भाषण पढ़ा, जिस दिन मैंने मामला उठाया था, आपने कहा था, आपकी भावना बहुत अच्छी थी, आपने कहा कि ऐसा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रावधान होना चाहिए जिससे विधायकों के भी वेतन-भत्ते उसी हिसाब से बढ़ जाएं जिस हिसाब से अन्य लोगों के बढ़ते हैं। आपकी भावना बहुत ठीक थी। इसके बाद मैंने संविधान देखा और संविधान के आर्टिकल्स देखे, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, आडिटर जनरल आफ इण्डिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, एम पी और एम एल ए, इनका केवल विधान सभा और लोक सभा में बिल लाकर ही पैसा बढ़ाया जा सकता है; न तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो सकता है और न इसको आप खुद कर सकते हैं, केवल उसको बिल लाकर बढ़ाया जाता है, इसलिए रखा है संविधान निर्माताओं ने। इसमें मैं पढ़ रहा हूं, पहले दिया था जब यह संविधान बना था तो आडिटर जनरल आफ इण्डिया को 4 हजार तनख्वाह रखी थी, अब 1 लाख 20 हजार से ऊपर है, इतनी बार बढ़ाया है हमने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बढ़ाया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने और शेट्टी कमीशन ने सिफारिश कर दी, सारी जूडिशरी, बाद में हमने यहां पर उनका बढ़ा दिया, एक साथ हमने बढ़ाया। जब एम एल ए की बात आती है तो आपने घोषणा कर दी यहां पर, उनका पैसा बढ़ाने की घोषणा को छाप दिया मीडिया ने कि वेतन-भत्ते बढ़े। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इससे अपमानित महसूस करता हूं, मैं अपमानित महसूस करता हूं। नहीं घोषणा करनी चाहिए थी आपको; कर देते, बिल पेश कर देते, जो करना था वह करते लेकिन इस प्रकार से करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है।

मैंने एक दिन कहा था, मैं ऐसी बात कहता भी नहीं हूं लेकिन मुझे तकलीफ हुई, क्या फर्क रहता है जी आप में और हमारे में? आप मुख्य मंत्री बन गए, आदर के पात्र हैं, बहुत मुख्य मंत्री बने हैं, कई लोग उप मुख्य मंत्री तक आकर अटक जाते हैं, कई राज्यपाल भी बन जाते हैं, हम हार भी जाते हैं, चुनाव में भूतपूर्व भी हो जाते हैं। यह संयोग की बात है। कोई सीट रिजर्व हो गई, कई लोगबाग आ नहीं सके, हार गए, जीत गए, यह सब बात हमारे सामने आती है। हम इस प्रकार से उन लोगों के बारे में करें कि मुख्य मंत्री का हमने बताया कि आप लोग भूतपूर्व मंत्री को, मुख्य मंत्री को आजीवन मकान आबंटन करा लिया, as good as privy purse, राजा-महाराजा बन गए हिन्दुस्तान में। सारे मुख्य मंत्री बनेंगे और जिन्दगी भर आप बड़ी-बड़ी कोठियां लेकर, हम एक बार मुख्य मंत्री दस दिन के लिए बन गए, शपथ ग्रहण कर ली ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में ही है, सब जगह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कहीं भी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मुख्य मंत्री की आवश्यकता है, उनको फ्लैट बनाकर दीजिए, मकान आबंटन करिये, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। वे प्रशासनिक काम में रहते हैं, उनकी दिक्कतें हैं। लेकिन इतना गैप मत कीजिए, इतना गैप मत कीजिए कि आपके पीछे-पीछे फिरते रहें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह बात अच्छी नहीं की थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरी बात आपको कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं पर वह बात मुझे ठेस कर गई। इसलिए मैं सब विधायकों की ओर से आपको कहना चाहता हूं कि आप करें, नहीं करें, बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है लेकिन प्रेस के माध्यम से हम अपमानित न हों, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं, आप मुझे इनका जवाब देंगे ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। आपने अपने बजट भाषण के जवाब में कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल पर आउटले बढ़ा है। यह आपका भाषण है मेरे पास, इसमें मैंने यह लगा रखा है काला, काला लगा रखा है। मुख्य मंत्रीजी, मैं बता रहा हूं कि किसलिए लगाया है; मुख्य मंत्रीजी, आपको गलत सूचना दी गई। मैं जानता हूं कि मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की क्या स्थिति होती है, उनको सूचना मिलती है। आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग वर्ष 2009-10 में पूंजीगत परिव्यय है 73.31 और 2010-11 में है 46.59, बढ़ा क्या कैपिटल आउट ले? पूछ लें अधिकारियों से। चिकित्सा में 2009-10 का है 35.21 और 2010-11 में है 34.73; जल आपूर्ति 25.27, 2525 और 2121; उद्योग एवं खनिज 19.75, 5.21; इसी प्रकार से सामाजिक सेवाओं में कम हुआ है, 527 के बजाय 487 करोड़; उसी प्रकार हमको सेवाओं में 1901 हुआ है, 2524 करोड़ के बजाय 1901 करोड़ हुआ है, 24 प्रतिशत कम हुआ है। इसी प्रकार से आपने यह नहीं बताया कि कुल टैक्सेज से कितनी इन्कम होगी और 981 करोड़ आपने स्वयं ने बता दिया। अब आप यह बताइए कि आम जनता इस बजट की बड़ाई करेगी? शिक्षा पर 36 प्रतिशत कम, चिकित्सा पर कम और आम जनता बड़ाई करेगी?

यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भाषण में उसे कहा है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने कहा कि उस वक्त तो हम कोर्ट में अटक गए थे,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपने 85 हजार लोगों को लगा दिया, आपने कहा है और लगाया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 4 वर्ष में, 5 वर्ष में हमारे शिक्षा मंत्री काल में केवल यही नहीं लगे, प्रबोधकों का आधा काम आपने किया आने के बाद अभी और बाकी प्रबोधकों को हमने लगाया। 11 हजार शिक्षा कर्मी जो आप समाप्त करके चले गए थे उनको 8 हजार की पे ग्रेड में लाए और 1 लाख 30 हजार नौकरियां लगाईं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी अन्य काल में इससे ज्यादा शिक्षक अगर नौकरियों में लगे हों तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यहां आपने भाषण दे दिया कि स्कूलें खोल दीं, स्कूलें खोल दीं, मास्टर नहीं लगाए, दु:ख पा रहे हैं, कौन दु:ख पा रहा है? अब आप एक मास्टर नहीं लगा सके, आप एक मास्टर ही नहीं लगाने वाले हैं। मैंने भंवरलालजी का भाषण बहुत अच्छी तरह से सुना, ईमानदारी से भाषण दिया उन्होंने, साफ कहा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपको किसने चेलेंज किया जो आप ताली बजवा रहे हो? आपको किसने चैलेंज किया कि आपके वक्त में नौकरियां लगीं कि नहीं लगीं? किसने चैलेंज किया आपको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप तालियां बजवा रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया है, यहां माननीय सदस्यों ने, अपने भाषण में कहा है, मेरे पास है। आप स्कूलें खोल गए, आपने मास्टर नहीं लगाए, इसलिए हम भुगत रहे हैं, उसका जवाब दिया है मैंने।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह भी सच्चाई है। पिछले वर्ष में जो घोषणाएं हुई थीं, उस वक्त हो सकता है आप शिक्षा मंत्री नहीं हों, वे मास्टर आज तक नहीं लगे हैं, यह तो सच्चाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सच्चाई है। यह सच्चाई है कि 60 हजार लोगों की घोषणा की थी, उनकी वैकेंसी निकाली थी, आपके आने के बाद में बार-बार यह आपके लगते गए, इसका लग गया, उसका लग गया, कोर्टों में मुकदमे चले गए और वे नहीं लगे। यह सच्चाई है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब शिक्षा विभाग का वर्णन जो माननीय भंवरलालजी ने किया और चिकित्सा विभाग का वर्णन जो माननीय नवाब साहब ने किया और इसी प्रकार से हमारे धारीवाल साहब ने इस बार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आनेस्टली गृह विभाग का वर्णन किया, तीनों विभागों की मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तीनों विभाग जनता से जुड़े हुए हैं पहले शिक्षा विभाग में कहा है, शिक्षा विभाग में मास्टरों की कमी नहीं है, क्योंकि 28 पर एक मास्टर का अनुपात आ रहा है, है न भंवरलालजी, इसलिए नई भर्ती नहीं होगी। भर्तियों का परिवार नियोजन, एक।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): किसने कहा कि नई भर्तियां नहीं होगी? मैंने मेरे भाषण में क्या कहा कि नई भर्ती नहीं होगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इनफरेंस निकाल रहा हूं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने यह कहा कि पहले समानीकरण किया जाएगा, उसके बाद में भर्ती की बात आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही मैं कह रहा हूं क्योंकि समानीकरण के बाद में 28 पर एक आता है। यह तो ठीक है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने यह कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 20 पर एक आता है और प्रारम्भिक शिक्षा में 41 पर एक आता है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, तिवाड़ीजी, कि आपने एक लाख से ऊपर की बात कही है, उसमें 28 हजार तो आपने प्रबोधक ही भर दिए। आपने नौकरी कहां से दी नयों को? जो प्रबोधक थे वे तो पैरा टीचर थे, शिक्षाकर्मी थे वह भी काम पर लगे हुए थे, उसकी एवज में आपने दी। यह बात आप कह रहे हैं कि हमने लगाए, सर्व शिक्षा अभियान में लगाया है इनको। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो ठीक है। वह बात आ गई सामने।

दूसरा, एक साफ हो गया कि वह अनुदानित पद का जो पैसा मिलता था, मैं पढ़ा हूं, बद्रीदास जी के सेकंडरी स्कूल में, आप भी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, उसको, अनुदानित संस्था रही है, आज तक सेठ का तो अब दीवाला निकल गया। अब ये पद ज्यों ही हटेंगे उसके बाद वह स्कूल नहीं चलेगा। उसमें जो गैर-अनुदानित पद के लोग हैं, उनका क्या होगा? और उसमें जो सारा पैसा आपने लगा रखा था, आपने जमीन दी, आपने और भी बहुत पैसा दिया, उसका क्या हुआ? और उसमें यह भी कहा कि उनको फीस बढ़ाने की आप छूट देंगे तो गरीब आदमी फिर उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पुनर्विचार करें। इस पाइंट का मैं स्वागत करता हूं कि जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपने आप्शन दिया टीचर्स को, बढ़िया, लेकिन ये स्कूल कैसे चलें, बंद नहीं हों और गरीब बच्चे जो इसमें पढ़ते रहे हैं वे और इनको कर्मचारियों को हम किस प्रकार से बचा जाएंगे, यह हमको देखने की बात है।

दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने एन आर एच एम का पैसा बढ़ाया, 25 परसेंट, उसका आपको धन्यवाद लेकिन इतना क्यों बढ़ाया? छठे वेतन आयोग के बराबर क्यों नहीं किया? आपको 85 परसेंट भारत सरकार का पैसा मिल रहा है। तो यह संविदाकर्मियों के बारे में अपना रूल बना हुआ है, उसके अन्दर आपको सारा पैसा बढ़ाना चाहिए। फिर जो शिक्षा में विधवा महिलाएं काम कर रही हैं, उनका एस एस ए से पैसा मिल रहा है, उसको भी आपने तीन हजार रुपये किया है। हमने विधवाओं को 8 हजार पर लगाया था। उन विधवा महिलाओं को आप लगा रहे हो और संविदाकर्मी जो आपका काम कर रहे हैं, दोनों ही योजनाओं का आपको भारत सरकार के पैसा मिल रहा है तो इसके अन्दर 'दाता दे और भण्डारी पेट फोड़े', यह काम मत करो। दाता भारत सरकार है, वह दे रही है और भण्डारी बनकर आप उनका पेट फोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। इनको संविदाकर्मियों को आप पूरा पैसा दें, भारत सरकार से मिल रहा है और दो ही योजनाएं, जिस प्रकार से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का राजस्थान में क्रियान्वयन होकर हम एक नम्बर पर आए और आज हमारे गांव ठेठ तक जुड़ गये हैं और अब ढाई सौ तक की ढाणियों को जोड़ने की बात आप कह कर चल रहे हो, उसी प्रकार से ये दोनों योजनाएं संजीवनी और अमृतदायी हो सकती हैं। संजीवनी शिक्षा वाली और अमृत चिकित्सा वाली। इसमें जितना आप उपयोग कर सकते हैं, उतना उपयोग करके इन तीनों को आप मजबूत करने की कोशिश करें। यह सदन भी आपके प्रति आभारी रहेगा और यह प्रदेश भी आपके प्रति आभारी रहेगा और पैसा हमको भारत सरकार से मिल रहा है। यह काम आप करें, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको एक बात और निवेदन करूंगा, वह है सड़कों के बारे में। आपने सड़कों की बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं कीं, एस आर डी सी के अन्तर्गत 1350, रिडकोर 263, विजया 1521, विजया 1378, सुओमोटो 323, यह आपने बनाई। हम एक बार, गुढा से आने वाले माननीय सदस्य आज नहीं हैं शायद, गुढा से आने वाले मंत्री जी बैठे हैं, एक बार इनके यहां इकट्ठे हो गये। किसी ने कहा, साहब, हम तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खीर खाएंगे तो इन्होंने कहा, लाओ, यह तो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, घनश्याम जी, आपके घर से दूध भेज देना, राजेन्द्र जी के यहां से चावल आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी के यहां तो चावल नहीं आते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, आ जाएंगे, चावल आ जाएंगे। किसी के यहां से चीनी आ जाएगी। मैंने पूछा कि सारी चीजें आ गईं, राजेन्द्र जी, अब तो खीर बन रही है, रावले का क्या होगा? बोले, आंगलो, इससे खाओ। तो, मुख्य मंत्रीजी, आप ये सारी घोषणाएं कर रहे हो, सड़क बन रही है, राज्य सरकार का क्या है? इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि कम से कम 10 किलोमीटर सड़क प्रत्येक विधायक, ऐसी लिंक रोड्स जो बची हुई हैं, उनको अगर दे देंगे तो हम सारे विधायक मिलकर इन योजनाओं का लाभ उठा लेंगे। तो विधायकों के लिए आप भी वह करें।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, विधायक कोष या तो आप इसको समाप्त करो, या तो इसको माफ करो वरना इसको कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये या एक करोड़ रुपये के ऊपर आप निश्चित रूप से करें। यह नहीं करके हमारा गला ही घोंटा जाएगा, किसको दें, किसको नहीं दें, नाराजगी होती है। इसलिए सारा सदन, पक्ष-प्रतिपक्ष सब की मांग है कि विधायक कोष का पैसा बढ़ाकर, यह एक ऐसा पैसा है जिसमें हम जहां कानून मदद नहीं करता, वहां जाकर मदद कर देते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, वह पैसा भी आप बढ़ाएं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक आपसे बात कह कर फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक अवैध खनन का मुद्दा इस राजस्थान में उठ रहा है, इसमें मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, यह इश्यु बन गया है। आपको टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बार्डर पर चले जाइए, मैंने बताया था कि बीकानेर में जिप्सम का जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है, 40 लाख रुपये की रोज की राज्य को रायल्टी का नुकसान है। बांसवाड़ा से निकलने वाला खनिज जो इसमें मिलता है, मैंग्नीज, वह मध्य प्रदेश में ट्रकों के ट्रक भर कर जा रहे हैं और वहां पर बार्डर के इलाके में हमारा वह बन गया है। आपने भाषण देते समय इसके लिए एक बहुत बढ़िया शब्द का उपयोग किया है, आर एस एम एम को हम दे रहे हैं, तिवाड़ी जी, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड की माइंस, वह जो गोल्ड है, उसे भी आपका गोल्ड काढ़-काढ़ कर लोग ले जा रहे हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस गोल्ड को रोकिए। या तो आर एस एम एम के माध्यम से रोकिए, किसी माध्यम से रोकिए। और भीलवाड़ा तो केन्द्र शासित प्रदेश है, वह आपके नियंत्रण में ही नहीं है, चाहे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल चले, चाहे वहां पर अवैध जिन्दल वाला हो जाए, आप उसमें हस्पक्षेप कर नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं, आपके अन्तर्गत नहीं है, महाराज, तो भीलवाड़ा में जो कुछ हो रहा है, उसको भी आप दिखाएं, चाहे जिन्दल आ जाए और कोई आ जाए, चाहे मेवाड़ा आ जाए, इसको आप दिखाएं; इनको रोकिए।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपन को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर यह आवश्यकता कर ली कि हमने सिर्फ 551 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं और आपने यह भी कह दिया यहां पर कि राजस्थान में हम कर्ज ले सकते हैं, पहले कर्ज के आप सबसे बड़े विरोधी थे, अब कर्ज के आज सबसे बड़े समर्थक आप हो। समय के हिसाब से आदमी को बदलना चाहिए, आप भी बदल गये, बढ़िया बात है इसलिए इतना टैक्स लगाएं, आप नाराजगी क्यों ले रहे हो? 550 करोड़ का कर्जा और ले लो, बापजी, इतना कर्जा ही तो लेना है न, तो ले लो और एफ आर बी एम एक्ट की परिभाषा में आते ही हो। इसलिए सारे जो आपने टैक्स लगाये हैं, उन टैक्सों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि खनन में आप ले सकते हो, क्योंकि कर्ज आप ले सकते हो, क्योंकि कैश के लीकेज को आप रोक सकते हो और आपका यह जो बजट है, यह आम जनता की महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारों को निराश करने वाला बजट है, मुख्य मंत्रीजी, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप संवेदनशील बनकर इन टैक्सों में रियायत करें और राज्य की जनता को राहत दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने सुना है, उसके लिए धन्यवाद।

व्यवस्था

वैट कानून की अनुसूची में किया गया परिवर्तन अधिकृत व नियम सम्मत है

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 व राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को सदन में विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राजस्थान में वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है,

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान सरकार जब बजट पेश करती है और बजट पेश करने के बाद जो टैक्स लगाती है, टैक्स हटाती है और जो परिवर्तन करते हैं, एक्ट में, उन सब को बिल में प्रस्तुत करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 292 में अनुसूची 4 में उल्लेखित कतिपय वस्तुओं को हटाया जाना प्रस्तावित किया है। चूंकि शिड्यूल में चेंज एक्ट में चेंज मान जाता है अत: आपको अनुसूची 4 में से कतिपय वस्तुओं को हटाये जाने के लिए इसको फाइनेंस बिल के अन्तर्गत लेकर आना चाहिए था। अत: यह फाइनेंस बिल असंवैधानिक है, यह विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

तत्समय मैंने सदन में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मैं पूरे केस को स्टडी करके व्यवस्था दूंगा। मेरी व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के पैरा-292 में वैट अधिनियम की अनुसूची-4 में कतिपय वस्तुओं यथा-कोलतार, बिटुमेन, लाइमस्टोन, जनरेटर एवं इन्वर्टर्स, आटोमोबाईल बाडी, पी.पी. एक्स. इलेक्ट्रोड्स, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स, मल्टीफंक्शनल डिवाईसज, यू-फोम, कुछ केमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को हटाया जाना प्रस्तावित है, जो वे बिना एक्ट में संशोधन किये बगैर नहीं कर सकते।

मैं इस संबंध में सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा– 5 में जो प्रावधान किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:-

''(5) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जाएगी।''

अत: इससे स्पष्ट है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4(5) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार लोक हित में वैट अधिनियम की अनुसूचियों में संशोधन, परिवर्द्धन तथा लोप (हटाने) की कार्यवाही कर सकती है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 4 में जो

(श्री अध्यक्ष)

अधिसूचना के द्वारा संशोधन किया है वह नियम सम्मत है तथा इसके लिए अधिनियम में संशोधन लाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अत: घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, एक चीज कह रहा हूं, यह सभी माननीय विधायकों का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। अंकित नहीं होगा। मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2010 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथियों ने बहुत ही अच्छे विचार प्रकट किये। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पूरे बजट सत्र में जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्यों ने पूरी तरह से रुचि दिखाई, करीब 18 डिमांड्स फार ग्रांट्स पर चर्चा की, जैसा अभी उप नेता, प्रतिपक्ष कह रहे कि रात को 3-3, साढ़े तीन बजे तक बैठकर के भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करना मंजूर किया। अधिकांश सदस्य, मैंने पता भी किया था कि तीन-साढ़े तीन बजे तक भी करीब 80-90-100 तक सदस्य बैठे रहे। यह इस बात का प्रतीक है कि सब लोगों ने बजट पर अपने विचार प्रकट किये और जो उनकी भावना थी, जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो विकास के सुझाव थे चाहे राज्य स्तर के हों, चाहे अपने क्षेत्र के हों, जिला स्तर के हों, उनको देने का प्रयास किया, उसके लिए मैं तमाम सदस्यों को जिन्होंने भाग लिया उन्हें मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी सुझाव आते हैं उनका सबका प्रत्युत्तर देना सम्भव नहीं होता पर हमारे माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने-अपने विभाग की जो डिमांड फार ग्रांट थीं, उसके अपने प्रत्युत्तर दिये और कुछ घोषणाएं भी कीं। अन्फार्च्यूनेटली 2-3 डिमांड डिस्कस नहीं हो सकीं, उस बात का हम सब को दु:ख है और मैं समझता हूं कि कल-परसों में 2-3 दिन में जब अकाल, सूखे,

(श्री अशोक गहलोत)

बिजली और पानी की समस्या पर चर्चा होगी तो काफी कुछ सुझाव सामने आ सकेंगे, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आज मैं महसूस करता हूं, जो चुनौती के रूप में, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सामने प्रस्तुत हैं।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि बजट को लेकर के सदन के अन्दर भी, सदन के बाहर भी, पूरे प्रदेश के अन्दर विशेष रूप से जो दूर-दराज के गांव हैं, जो ढाणियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने बजट का बहुत ही स्वागत किया, बजट के जो प्रस्ताव थे उनका स्वागत किया और एहसास किया कि सरकार ने प्रयास किया कि किस प्रकार से सोशल सेक्टर को ध्यान में रखें, किस प्रकार से जो राजस्थान के विकास की कल्पना करके हम चलते हैं उन प्रस्तावों को ध्यान में रखें, किस तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्य का मजबूत हो उसकी तरफ बजट प्रस्तावों में ध्यान दिया गया है, चाहे वह सड़क की बात हो, चाहे वह बिजली के उत्पादन की बात हो, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने की जी एस एस के माध्यम से बात हो, चाहे डिस्ट्रिब्यूशन और अधिक कैसे मजबूत हो, किस प्रकार से किसान और आम आदमी को पूरी पावर मिल सके। यही कारण रहा कि मैं समझता हूं कि पूरे समय में जिस प्रकार से कोई रबी की फसल के वक्त में कोई शिकायत कहीं से भी नहीं आई तथा कोशिश की गई कि चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सेवाओं में चाहे वह भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य की अपनी हो, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको किस प्रकार से हम आगे रखें और राजस्थान के आने वाले वक्त में क्या राजस्थान के विकास की कल्पना हो उसको लेकर के हम चल सकें।

साथ-साथ में हमने प्रयास किया कि जो महंगाई की मार सब के सामने है, साल-डेढ़ साल से पूरा देश भुगत रहा है, केन्द्र सरकार भी प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं रख रही है और यही सोचकर के हम लोगों ने जो हमारे यहां के बी पी एल के परिवार है उनके लिए भी आप सब को मालूम है कि हमने दो रुपये किलो में अनाज देने का फैसला किया, मैं समझता हूं कि 36 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैंने प्रत्युत्तर में कहा भी था, हमने स्टेट बी पी एल को भी मिलाने का फैसला किया था, वह पूरा ही आंकड़ा जोड़ा है, करीब 36 लाख परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा।

हमने इस बजट में यह संदेश देने का प्रयास भी किया है कि कोई

(श्री अशोक गहलोत)

कदम उठायें जिससे कि डिलिवरी आफ सर्विसेज जो है वह भी पहुंचे जिसके लिए सर्विस दी जाती है। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि सर्विस पूरी पहुंच नहीं पा रही है। लम्बे समय से हम लोग खुद महसूस करते हैं, चाहे पब्लिक ग्रिवेंसेज हों, उसके लिए आदमी को भुगतना पड़ता है। तो हमने प्रयास किया है, अभाव अभियोग निराकरण के लिए आयोग गठन किया है। उस दिशा में बड़ा कदम मैं मानता हूं जिससे कि एक आम आदमी जिसकी सुनवाई अगर उसकी तहसील में नहीं होगी, गांव में नहीं होगी, जिले में नहीं होगी तो कम से कम वह आयोग के सामने अपनी बात कह सकेगा। इस प्रकार का एक निर्णय किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसका क्या हश्र है वह आपको और हम सब को देखने को मिलेगा। डिलिवरी आफ सर्विसेज की बात मैंने इसलिए कही कि पी डी एस सिस्टम के ऊपर जो घोषणा की है कि किस प्रकार से इसको मजबूत करें, किस प्रकार से इसमें जो करप्शन है उसको समाप्त करें, किस प्रकार से जो शिकायत आती है कि चाहे गेहूं हो, चाहे केरोसीन हो वह पी डी एस के माध्यम से हमें मिलता नहीं है, सीधा मार्केट के अन्दर जाता है, उसके लिए हमने नई प्रणाली की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि आप सब के सहयोग से उस दिशा में हम लोग कामयाब हो सकेंगे।

वृद्धावस्था पेंशन और उसके भुगतान के तरीके के ऊपर भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। मैं खुद प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से चाहे वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की बात है, चाहे छात्रवृत्ति की बात है, चाहे वह मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की बात है, चाहे जो हमारे रात-दिन गांवों में काम पड़ते हैं जैसे लैंड रिकार्ड की नकल लेना है, जाति प्रमाण पत्र की शिकायत आती है, मूल निवास प्रमाण पत्र की शिकायत आती है, ये जितने भी जो पब्लिक सर्विसेज के काम हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक कार्य योजना बनायेंगे, यह मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा।

इसके साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि हमने सी वी सी सिस्टम को वापस पुनर्जीवित किया है जो कि पहले हमने प्रयास किया था नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से कि प्रत्येक नागरिक को यह मालूम हो कि मेरा किस विभाग में कितने दिन में क्या काम हो जायेगा। हमने सी वी सी सिस्टम बनाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को उसका सी वी सी बनाया है। हर विभाग में एक कार्य योजना बनाई थी पर बाद में सरकार बदल

(श्री अशोक गहलोत)

गई और वह उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाये। जब सरकार नई बनी तो उसने इसकी तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी। हमने वापस उस सिस्टम को शुरू करने का प्रयास किया है और मैं मानकर चलता हूं कि इस सिस्टम को हम लोग चाहेंगे, अगर, इसका परीक्षण करवायेंगे, जरूरत होगी, इसके लिए कोई एक्ट लाना पड़ेगा तो वह भी लाने का प्रयास करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

पानी के ऊपर वैसे आप विचार करेंगे, बहुत ही आप लोगों ने, दोनों पक्षों ने चिंता प्रकट की। पीने का पानी और उसकी जो उपलब्धता है, वह देश के अन्दर चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे यहां पेरेनियल रिवर्स नहीं हैं, बरसात के पानी पर पूरी तरह से फसलें निर्भर रहती हैं, ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत चिंताजनक है, हम कई बार सदन के अन्दर और बाहर चिंता कर चुके हैं। जैसे माइनिंग होती है न पत्थरों की या अन्य खनिज पदार्थों की, उसी प्रकार से पानी का 137 प्रतिशत माइनिंग होने लग गया है और यह बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में जब इस पर विचार-विमर्श हो तो हम लोग खुलकर के चर्चा करें कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से हम लोग पानी की माइनिंग रोक सकें, किस प्रकार से सब मिलकर के आने वाले भविष्य को देख सकें जिससे कि जल स्तर कैसे बढ़े एक तरफ और दूसरी तरह हम लोग पानी का उपयोग, सदुपयोग किस प्रकार से कर सकें, यह हमारे लिए विषय रहेगा।

जल नीति की बात भी हमने की है। लम्बे अर्से से अटकी हुई है। वह एक काम जल नीति को सामने रखकर के हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इसमें काम हो और किस प्रकार से उसको आधार बनाकर के ही सब फैसले हों। तो मैं समझता हूं कि कम से कम हम कुछ आगे बढ़ पायेंगे और पानी की जो चिंता व्यक्त करते हैं, उस पर हम लोग कुछ काम कर पायेंगे।

पेयजल की योजनाएं, मैं समझता हूं कि लम्बे अर्से से अटकी हुई रहीं और पिछली सरकार के वक्त में, मैंने पहले भी कहा था कि जो मुख्य-मुख्य योजनाएं थीं, पांच साल निकल गये, कुछ काम नहीं हो पाया। बाड़मेर की योजना हमने शुरू की, चम्बल से भरतपुर की योजना शुरू की, चम्बल से माधोपुर की योजना प्रारम्भ की थी, वे तमाम योजनाएं उस समय में आगे नहीं बढ़ पाईं, इस बात का हमें दु:ख है। नई सरकार जब बदली थी, उसके बाद में जिस तरह से फैसले हुए, उसके कारण से 18 महीनों की अवधि में जो

(श्री अशोक गहलोत)

योजनाएं आप लोगों ने स्वीकार की थीं 4,420 करोड़ रुपये की, जबकि प्रोविजन सिर्फ 2,776 करोड़ के थे।

इसी प्रकार से पानी की योजना के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं हैं, उनको हम योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना चाहते हैं और नई योजना वही हाथ में लेना चाहते हैं जो कि हम लोग पूरा कर सकें।

चिकित्सा के क्षेत्र में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय धारीवालजी, आप सो जाओ और पानी भी पी लो। सो जाओ, सो जाओ, कोई खास बात नहीं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपने ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सदस्यों ने, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हमारे जेहन में नहीं था। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं भारत सरकार के। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के हों, अब भी और बढ़ाया गया है आगे, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हों, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर हो, ये जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको पूरा करने में मैं समझता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम चाहेंगे, पूरा पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। यह हमारे माननीय सदस्यों को गलतफहमी है, उसको मैं दूर करना चाहूंगा। आपने कहा कि जो हिस्सा राज्य सरकार का होता है, उसका भी हिस्सा रखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सी.एस.एस. की योजना होती है, उसी का बजट में प्रावधान रखा जाता है। यह जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सी.एस.एस. के अलावा भी जो प्रोग्राम हैं, चाहे एन.आर.एच.एम. का प्रोग्राम है, नरेगा का प्रोग्राम है या सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम है, इसमें सीधा पैसा जो है, मैं समझता हूं, भारत सरकार का आता है और राज्य का हिस्सा उसको दिया जाता है। इसलिए आपको यह गलतफहमी है कि पैसा रखा नहीं जाता है। पूरा पैसा जो भारत सरकार का है, कोई योजना ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और योजना लैप्स हो जाये, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, जैसा मैंने कहा आपको, विशेष पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ बहस शुरू हुई, जब हमारी माननीय सदस्या टोंक से आने वाली, वे बोल रही थीं, मैं समझता हूं कि सवाल उनकी टिप्पणी करने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम

(श्री अशोक गहलोत)

लोग सब मिलकर चलेंगे तो ही कानून-व्यवस्था कायम रहेगी, तो ही समस्या के समाधान होंगे। मैं पहले भी आह्वान कर चुका हूं हाउस का, चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे वह कानून-व्यवस्था की बात हो, चाहे ऐसे मुद्दे हों जिन पर पक्ष-विपक्ष बैठकर बात कर सकता है, उसमें यह भी आता है कि जो स्पेशल कैटेगरी का वर्ग है, जिसमें आपके वक्त में जो कानून बना था, उसको लेकर चर्चा हो सकती है, अब जो आन्दोलन शुरू हो रहा है, उस पर चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से समाधान हो जिससे कि राज्य में शांति और सद्‌भाव बना रहे। यह हम सबका प्रयास रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

जो बातें मैं पिछली बार कह चुका हूं, चाहे वह हमारे ग्रामीण विकास के बारे में हो, नरेगा की योजना के बारे में हो, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। चूंकि हमने कई फैसले लिये हैं, वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी की बात हमने की, यह सोशल सेक्टर का हमने बताया आपको, तो यह जो तमाम फैसले हमने लिये हैं, वे सोच-समझकर लिये हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके कारण से एक सोशल सिक्योरिटी का कांफिडेंस लेवल लोगों में बढ़ सकेगा।

मैं इस मौके पर माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, को-आपरेटिव सेक्टर में भी जो 16 लाख किसान थे, उनको 21 लाख किसानों को पांच हजार करोड़ का लोन मिलेगा; जो शोर्ट टर्म लेगा, उसको लोन मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को भी दूर होना चाहिए। जो भी मेरे पास फीडबैक आया है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी अपनी बात रखी थी।

इसके अलावा यह मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर की बात है, यह कहना बहुत आसान है कि आपके वक्त में तो वित्तीय प्रबन्धन बहुत शानदार था, जो आप लगातार बोले जा रहे थे। हमने बहुत क्लीयर करने का प्रयास भी किया। पिछले अगर आंकड़े देखेंगे आप तो आप खुद पायेंगे कि कैसा आपका प्रबन्धन था और किस प्रकार का, आपने ठीक कहा कि आपके वक्त में तो केन्द्र से पूरी मदद मिलती थी, आपने खुद ही ने स्वीकार किया है अभी और हमारे आने के बाद में मदद कम मिलती थी, यह भी आपने बिलकुल ठीक कहा। एक संयोग की बात है कि मंदी का दौर डेढ़ साल में शुरू हुआ पूरे विश्व के अन्दर। अमेरिका में बैंक फेल हो गये 100-150 । यह तो कम से कम यू.पी.ए. की सरकार की परफोर्मेंस है कि एक भी बैंक फैल नहीं हुआ,

(श्री अशोक गहलोत)

बल्कि कहना चाहिए कि पूरे देश के अन्दर, पूरी दुनिया मानती है इस बात का लोहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे कम असर मंदी का पड़ा है। इस बात को स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा। मंदी का दौर जब होता है तो मानकर चलें कि उसका असर पड़ता ही पड़ता है, टैक्स रेवेन्यू पर पड़ता है चाहे केन्द्र पर हो, चाहे वह राज्यों पर हो।

हमारे नरपत सिंह जी राजवी साहब ने कहा कि सरकार आती है, पिछली बार भी कह रहे थे कि पांचवें वेतन आयोग का भार पड़ गया और इस बार छठे वेतन आयोग की बात करते हैं कि भार पड़ गया। तो यह जो हकीकत है, इसमें कहने की क्या बात है, यह तो हकीकत है कि संयोग ऐसा बना कि उस समय सरकार में आये ही थे और पे-कमीशन लागू हुआ था। आपके माननीय श्वसुर साहब उस समय सत्ता में थे और हम लोग उसके बाद आये और फिर भार हमें सहन करना पड़ा। हमने जोश-जोश के अन्दर जो 60 वर्ष एज थी रिटायरमेंट की, उसको 58 कर दिया, यह सोचकर कि नौजवानों को चांस ज्यादा मिलेंगे नौकरी के। अन्फोर्चुनेटली भार पड़ा एक तरफ पे-कमीशन का, और एन.डी.ए. की सरकार आई दूसरी तरफ, जिसकी न तो कोई दिशा थी। न दशा थी। हालात ऐसे खराब थे, उनकी खुद की स्थिति खराब हो गई, रेवेन्यू का डिवोल्यूशन कम हो गया राज्यों का। मैंने पहले कहा था, खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश भर के अन्दर राज्य सरकारें उस समय में क्राइसिस में आ गई थीं। एन.डी.ए. सरकार खुद ही क्राइसिस में थी, वे क्या देते हम लोगों को हम इस बात को जानते हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी इत्तफाक की बात थी और यह भी इत्तफाक की बात है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो वह क्या देते हम लोगों को। हालात ऐसे थे। तो हालात को समझने की जरूरत है। बिना हालात को समझे हुए बात करेंगे तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं। उसको भुगता हमने। अभी आये हैं हम लोग और...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह सेंट्रल टैक्सेज अभी भी आपके घटे हैं। वह टैक्सेज मैं कह रहा हूं, डिविजिबल पूल मैं नहीं कह रहा हूं, वह घटे हैं, डिवोल्यूशन आफ सेंट्रल टैक्सेज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह फिर कम हो गये। इस बार भी

(श्री अशोक गहलोत)

आप देख रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। आप तो बहुत समझदार हैं, जो फाइनेंस कमीशन होता है, उनकी रिकमंडेशन से ही मिलता है राज्यों को, उसकी रिकमंडेशन से मिलता है और चूंकि टैक्स कलेक्शन कम हुआ तो कम मिला हमें भी। यह मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि लास्ट टाइम, अभी आप देखिये ना, दो साल भी नहीं हुए अभी सरकार आये हुए 15 महीने हुए हैं और 2,933 करोड़ रुपये 2009-09 के अन्दर तब सरकार आपकी भी थी, तब देना शुरू ही किया था और 6,675 करोड़ रुपये, अभी इस एक साल में 9,600 करोड़ रुपये देने पड़े हैं छठे पे-कमीशन के अन्दर। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये आंकड़े हैं, जो आपको हमको स्वीकार करना पड़ेंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

फिर भी आप मानेंगे कि आपके वक्त में 14,000 करोड़ रुपये का प्लानिंग कमीशन से बजट पास करवाया। आपने ढिंढोरा पीटा सब जगह पर कि हमने इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है और प्लानिंग कमीशन ने मंजूर किया हमारी अच्छी परफोर्मेन्स से। हमने उसको बढ़ाकर अभी 17,322 करोड़ रुपये का एप्रूव करवाकर प्लानिंग कमीशन से, 18,561 करोड़ रुपये की तो हमें उम्मीद है कि मिलेंगे, 18,000 करोड़ रुपये तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे किसी भी कीमत पर, प्रयास करें कि उससे आगे पहुंचे। बजट तो अनुमान होता है और मुझे पूरा यकीन है कि अब छलांग तो लगाई है हमने। 8.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी आपके समय में, हमने 24.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बजट पेश किया था आते ही।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन आपने बढ़ाया है, प्लान बढ़ाया है लेकिन इतिहास यह कहता है कि प्लान के बाद में आपने कटौती की है और कम किया है, इस बार भी कम होगा।

एक माननीय सदस्य: महंगाई भी चाट जायेगी इसको।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह जो डिवोल्यूशन कम होना, छठे पे-कमीशन का भार पड़ना और ऊपर से सूखा पड़ना, सूखा पड़ गया और उसकी भी मार पड़ रही है, अभी मार पड़ रही है। आपके नेता का मैं पढ़ रहा था स्पीच पिछली बार का, जब पांच साल पूरे होने आये उनको तो वे भी यही बोल बोल रही थीं कि हम तो अकाल में, सूखे में, बाढ़ में, पाले में, ओलावृष्टि में ही तकलीफ में रहे और केन्द्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो नैचुरल

(श्री अशोक गहलोत)

कैलेमिटी तो हर वक्त में आ सकती है, किसी न किसी रूप में आती ही आती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा।

रेवेन्यू की जो इन्कम है, टैक्स रेवेन्यू, 2004 से 2008 तक जो है 18 परसेंट थी, टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें किसका दोष था कि हम लोग 2008-09 में 9.8 पर आ गये मंदी शुरू होते ही, राजस्थान में भी और 2009-10 के हमारे वक्त में 8.3 पर आ गये। तो जो हालात मंदी के हैं उसको तो सबको भुगतना पड़ता है, उसको साथ में रखकर चलना पड़ता है और इसी कारण से कमी आई है। आप खुद देखेंगे कि 1700 करोड़ की कमी आ गई 2008-09 में और 4400 करोड़ की कमी आई हमारे वक्त में अभी। टैक्स रेवेन्यू में एक साल मंदी के कारण से 4400 करोड़ की कमी। तो यह 9600 के फीगर मैंने दिये आपको, वह जो सिक्स्थ पे कमीशन के भार के जिसमें छह हजार करोड़ तो खाली एक साल के ही हैं, 6,675 करोड़ रुपये और सेंट्रल टैक्सेज जो आप बोल रहे हैं उसके अन्दर भी 878 करोड़ रुपये की कमी आई है।

तो ये तमाम बातें हैं, इनको आपको इस बात को लेकर तो संतोष प्रकट करना पड़ेगा कि इन तमाम बातों के बावजूद भी हमने इस बार 23,822 करोड़ का बजट एस्टिमेट रखा है, इस उम्मीद के साथ में कि हमारे मंदी हमेशा नहीं रहेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी और योजना इस बार भी पूरी करेंगे, अगली बार भी पूरी करेंगे, यह मैं कहना चाहूंगा आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बजट एस्टिमेट नहीं, वार्षिक योजना है 23,800 की आपकी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ऋण भार के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूं तो अच्छी बात है। मैं कह चुका हूं कि यह एक ऐसा इश्यू है जो विपक्ष में रहता है वह बात करता है, लोन बढ़ने की बात करता है, किस प्रकार से बढ़ रहा है। मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, मैं कोई सिद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं वरना मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि क्या हालात है और क्या हालात आपके वक्त में थे, क्या हालात हमारे वक्त में हैं। पर बार-बार जो आप आंकड़े बोलते हैं, एक लाख पच्चीस हजार करोड़ के हो जायेंगे, यह लोन तो आपके हर राज्य में बढ़ रहा है। कर्जे बढ़ रहे हैं, कर्जे के भार बढ़ रहे हैं। इतना ही मैं कह सकता हूं कि अभी हम तो इस बार भी साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये और ले सकते थे, यह छूट मिली थी भारत सरकार से, हमने कम लिये हैं परन्तु फिर भी हमने प्लान साइज को कम नहीं किया है। नम्बर एक बात।

(श्री अशोक गहलोत)

नम्बर दो, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे से ज्यादा जो कर्जदार राज्य हैं देश के अन्दर, उत्तर प्रदेश है 2,21,106 करोड़, महाराष्ट्र है 20,78,10 करोड़, पश्चिम बंगाल 1,68,684 करोड़, आंध्र प्रदेश 1,27,581 करोड़, गुजरात 1,20,759 करोड़, तमिलनाडु 95,233 और राजस्थान 90972, पर ये कर्जे बढ़ेंगे। ये कर्जे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले वक्त में और कर्जे बढ़ेंगे। यह जो नाम मैंने पुकारे अभी राज्यों के, ये तमाम वे राज्य हैं जो हमेशा ज्यादा समृद्धशाली कहलाते हैं, वे राज्य थे अभी जो मैंने बोले हैं, पर जो हमारे से, कर्नाटक में हमारे से कम है, केरल में कम है, पंजाब में कम है, बिहार में कम है, मध्य प्रदेश में 67 ही है, उड़ीसा में 48 ही है। हरियाणा और पंजाब छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, गोवा छोटा राज्य है। तो कहने का मतलब है कि स्थिति जो बनी हुई है, इसको आपको हमको बैठ करके, अभी आप, जो मैंने कल, पहले आपको कहा था पिछली बार भी कि आप चाहेंगे तो इस पर बहस करें जिससे कि कम से कम पब्लिक को और हाउस को मालूम पड़े कि वास्तव में कर्जे की स्थिति आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है, क्यों बढ़ने वाली है, चाहे किसी की सरकार हो।

अब मैं आपको, रेवेन्यू डेफिसिट की बात भी आप बोल रहे थे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि हमें पूरा यकीन है कि रेवेन्यू डेफिसिट जिस प्रकार मंदी आई है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिवोल्यूशन कम हुआ है, ग्रोथ रेट कम हुई है, इस कारण से इसका फर्क पड़ा है पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वापस हम लोग धीरे-धीरे 1098 पर लेकर आये हैं इस बजट प्रोविजन के अन्दर जबकि 3,993 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अन्दर इसको और कम कर पायेंगे हम लोग, इतना मैं आपको कह सकता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो आप माननीय बोल रहे थे हमारे नरपत सिंह राजवी साहब कि रेवेन्यू सरप्लस भी जो है, और भी लोगों ने इस बात को, पहले भी उठाया था इस बात को, आपने भी उठाया मेरे ख्याल से, रेवेन्यू सरप्लस को लेकर बहुत बड़ी परफोर्मेंस, कटारिया साहब ने कहा था, मैं भूल गया, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि 638 करोड़ रुपया आपके रेवेन्यू सरप्लस था 2006-07 के अन्दर और 2007-08 के अन्दर 1,653 करोड़ की रेवेन्यू सरप्लस थी। मैंने उस वक्त भी उस दिन आपको कहा था कि उस वक्त में कोई आपने बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं किया था, बड़ी अच्छी परफोर्मेंस

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं थी आपकी कोई। पूरे देश के अन्दर जिस प्रकार डिवोल्यूशन हुआ राज्यों को केन्द्र का, उसके कारण से आप सरप्लस में आ गये। आंध्र प्रदेश में 2,807 करोड़ का सरप्लस था उस वक्त, आपका था 638 का खाली और उसके अगेंस्ट में बिहार जैसे राज्य में 2,498 का, गुजरात में था 1,770 का, कर्नाटक में था 4,152 करोड़ का सरप्लस, मध्य प्रदेश में था 3,332 करोड़ का, तमिलनाडु में था 2,648 करोड़ का, उत्तर प्रदेश 4,901 करोड़ का और अपना था खाली 638 करोड़ का, उसको लेकर आप बड़ी अच्छी परफोर्मेंस की बात कर रहे थे। इसी प्रकार से 1,653 के अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश में था 159, बिहार में था 4,645, गुजरात में था 2150, कर्नाटक में 3,776, मध्य प्रदेश में 5,088, तमिलनाडु 4,545, उत्तर प्रदेश में 3,449, अपने 1,653 सिर्फ। इसलिए मैं समझता हूं कि ये तमाम स्थितियां, राज्य में क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है और इसके तमाम हालात को हम विश्लेषण करें तो मैं समझता हूं कि उस वक्त में आपको, चाहे आपका रेवेन्यू सरप्लस था, अगर आप चाहते उस वक्त में तो जो आपको छूट दी गई थी भारत सरकार की, उसके अनुसार आप और परिसम्पत्तियां बना सकते थे पर आपने उस वक्त नहीं बनाई क्योंकि कोई प्लान था ही नहीं। डिवोल्यूशन हो गया दिल्ली से आपके पास में, सरप्लस ज्योंहि आप आ गये परन्तु उसका कोई उपयोग नहीं कर पाये थे। तो मुझे उम्मीद है कि 2011-12 तक हम लोग जो रेवेन्यू डेफिसिट है वह समाप्त कर देंगे, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

इसी प्रकार से अभी जो घनश्याम तिवाड़ी साहब ने कई सवाल उठाये थे, जो आपके बोलने की कलाकारी ऊंची है, आप, झूठ को भी सच कहने की ऐसी स्टाइल होती है कई लोगों की कि ऐसी बाडी लैंग्वेज में बोलता है आदमी कि लगता है बिलकुल यह ठीक बोल रहा होगा, विश्वास भी लोग करने लग जाते हैं। आपको कुव्वत है यह, गाड गिफ्ट है आपको, मुबारक है आपको। मैंने देखा है, वैसे तो आपने बहुत पाइंट रखे थे, मेरे पास वह हैं भी, पर अभी वक्त नहीं है कि सब बताऊं, चार पाइंट बताऊंगा आपको सिर्फ जिनके ऊपर आपने पिछली बार क्या कहा। आपने कह दिया कि आपकी सरकार होते हुए भी केन्द्र से आपको 359 करोड़ रुपये पिछली बार से कम प्राप्त हुए, वह मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यह हर राज्य को कम हुए हैं, मेरे को ही नहीं हुए और कहना चाहिए, यह फाइनेंस कमीशन तय करता है कि कितना परसेंट मिलेगा। तो आटोमेटिक कम सब के ही होते हैं। तो इसमें आपने कहा तो कोई बहुत

(श्री अशोक गहलोत)

बड़ी बात, पर कहा इस रूप में कि हमारी तो वहां किसी की चलती ही नहीं, सिर्फ आपकी ही चलती है वहां पर जैसे अर्जुन सिंह के वक्त में चली थी आपकी । अर्जुन सिंह के वक्त में चली थी आपकी कि आपको कमेटी का चेयरमैन बना दिया, हमने न्यूज पढ़ी थी उस वक्त में, वह न्यूज अभी आपने जिक्र किया। तो आपने ऐसे पोज किया जैसे कि मतलब, वह भाई और भाभी क्या कह दिया, मुझे समझ में नहीं आई बात अभी भी, कि भाई और अनुयायी, अब भाई है, भाभी तो हैं नहीं अभी, हम तो अपनी बात, आपकी भावना जाकर बता सकते हैं कि राजस्थान क्या चाहता है, कोई भी टाइम यह बता सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं।

दूसरा आपने कहा, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से कहा क्योंकि पढ़ने की आपकी बहुत अच्छी आदत है, आप हर चीज पढ़ते हो, वापस रिपीट करते हो, किस वक्त क्या शब्द काम में लिया गया, आपने कहा कि दोनों बजट भाषणों से संबंधित अनुच्छेदों को पुन: देख लिया है इसमें किसी किस्म का विरोधाभास व रिपीटिशन नहीं है। आप बताइए, आपने कहा, साहब, रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है; आप बताइए, अगर मैं पिछले बजट में यह कहूं कि 300 मेगावाट का लक्ष्य हमारा है पवन ऊर्जा का, ठीक है जो आपने कहा और आपने कहा कि इस बार भी हमने रिपीट कर दिया कि 300 मेगावाट का लक्ष्य है, तो हमने क्या गलत किया? उस वक्त 300 मेगावाट का लक्ष्य था, वह पूरा हो गया तो इस बार फिर 300 मेगावाट का लक्ष्य हमने रखा। अगर भाषा वही होगी तो क्या हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह 300 मेगावाट उसी के लिए इस बार कहा गया था, उसी को रिपीट किया गया है, मतलब एक साल में कोई काम नहीं हुआ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, गलत बात है, बिलकुल गलत है। 300 मेगावाट का लक्ष्य पूरा हुआ, पता कर लेना आप अब के और यह वापस लक्ष्य नया रखा गया है। आपने इस रूप में कहा।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष वास्तव में अब पता नहीं, इनकी पार्टी वाले किसको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। परफोर्मेंस का जो कम्पीटिशन हो रहा है यहां पर, अच्छा कम्पीटिशन हो रहा है। कौन बनेगा, भगवान जाने, पर, अध्यक्ष महोदय, आज के दिन तो हम इन्हीं को मानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं कि सब पार्टियों में स्थिति होती है, आंध्र प्रदेश में आप आज तक मुख्य मंत्री का चुनाव नहीं करा पाये हैं, एक बार कार्यवाहक शपथ करवाई है और राजस्थान विधान सभा में पिछले टर्म में छह महीने तक, आपके बारह महीने तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था, बी.डी. कल्ला साहब जब दोनों बार चेंज हुए थे। तो ये बातें छोड़िए, साहब, यह सब घर के हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, यह विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): प्रतिपक्ष का नेता कोई बने पर मुख्य मंत्रीजी ने आपकी तारीफ करके आपको तो साफ कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, समय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति है?

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष हम तो देखना चाहते हैं, आप बनो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी दुआएं अकेले इनके साथ ही हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शांति लाल जी कह रहे हैं कि जिसकी भी आप बड़ाई करते हैं, उसका सफाया हो जाता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात

(श्री अशोक गहलोत)

जोर-शोर से कही, आज भी उसे रिपीट की थी कि हमने राजस्थान की जनता के लाखों लोगों पर टैक्स लगा दिया और तीन हजार करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। पता नहीं, आंकड़े कहां से लेकर आ गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खाली वैट 4 से 5 प्रतिशत किया मात्र, उसमें सिर्फ 332 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूल होंगे। ये आंकड़े हैं। आपने बताया, तीन हजार करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। अगर समस्त कर प्रस्ताव जो हमने मिला दिये हैं उनका आंकलन करे तो हमने जो टैक्स लगाया है, हम खुद इस बात को जानते हैं कि महंगाई एक-डेढ़ साल से है राजस्थान के, अन्दर भी, अभी दिल्ली को देखा आपने जो टैक्स 20 प्रतिशत तक चले गये हैं डीज़ल के, इन तमाम चीजों के गुजरात में, मध्यप्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, सब जगह टैक्स बढ़े हैं और 4 से 5 प्रतिशत, मैंने उस दिन भी निवेदन किया आपको कि हाई पावर कमेटी बनी हुई जो केन्द्र में है जिसमें तमाम राज्य उसमें मेम्बर होते हैं करीब-करीब, कभी बदलते रहते हैं उसके अन्दर उसने खुद ने, कमेटी ने 4 से 5 प्रतिशत प्रस्ताव पेश किया देश के अन्दर और करीब-करीब सब राज्य 5 पर आ गये हैं। तो यह बहस का विषय होना नहीं चाहिए था फिर भी आपने कहने के लिए, मेसेज देने क लिए, भूमिका निभाने के लिए अपनी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में कहा। वास्तव में आपने उस दिन ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट में रहने के लायक हैं आप, जाइए, हम आपकी सेवाएं लेंगे, जब केस आएगा तब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। आप भी आकर के पैरवी कीजिएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मुख्य मंत्री महोदय, पिछले बजट में आपने बढ़ाया था साढ़े 12 से 14 प्रतिशत, वह भी क्या केन्द्रीय एम्पावर्ड कमेटी का था या नहीं था?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आपने मेरे ख्याल से क्लीयर कर दी इस बात को तो उसको मैं रिपीट करके क्या करूंगा। चूंकि वह यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको मेरे पास ये पेपर हैं...

श्री अध्यक्ष: उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दे दूंगा, आप कंविंस हो जाएंगे कि इसमें कोई गलत नहीं किया है। इसमें बाकायदा जो उस वक्त मैंने क्लीयर किया था उस दिन और आज जो आपने सवाल उठाया है, यह उसी ढंग का है। 60-70 पोर्टफोलियो होते हैं, मान लीजिए सरकार में 80 होते हैं, जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पोर्ट

(श्री अशोक गहलोत)

फोलियो बांटता है तो एक लाइन लिखी होती है लास्ट में, कोई पोर्टफोलियो छूट गया हो तो वह आटोमेटिकली चला जाएगा, कहां पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चीफ मिनिस्टर के पास में।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही बात यहां हुई है। पूरा मैंने देखा है इसको, जो 4 प्रतिशत का शिफ्ट करने का मायना है तो आटोमेटिकली जाएगा। इसलिए कोई गलत नहीं किया। आपको क्लीयर कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): दे दी गई व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका चौथा पाइं,ट आपका लास्ट पाइंट बता रहा हूं, वह भी आपने उठाया है, आपका कहना था कि विकास एक्सपेंडिचर में, डवलपमेंट में 29 प्रतिशत कम कर दिया, सोशल सर्विसेज में 40 करोड़ रुपए कम कर दिये। आर्थिक सेवाओं में 24 प्रतिशत की कमी आ गई। अब आप पता नहीं, ये आंकड़े कहां से लेकर आते हो और कैसे पढ़ते हो। रात को सोते-सोते पढ़ते होंगे। पता नहीं, क्या करते हैं। मुझे पता करना पड़ेगा कि आप आंकड़े लाते कहां से हो। (व्यवधान) जांच आयोग जब बैठते हैं वे रिपोर्ट टाइम पर देते ही नहीं हैं वरना वही कर देता मैं इनके लिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिपोर्ट नहीं देते हैं, फिर हाई कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देता है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): रिपोर्ट टाइम पर आती भी नहीं है और इसलिए क्यों बिठाये?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिएगा, डवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, पता नहीं, इन्होंने कैसे कह दिया कम कर दी है, जबकि 5.9 प्रतिशत बढ़ा है; सोशल सर्विसेज में इन्होंने कहा कि 40 हजार कम कर दिये जबकि 1 हजार 186 करोड़ रुपए बढ़े हैं और आर्थिक सेवाओं में आपने कहा कि 24 प्रतिशत कम कर दिये, पता नहीं कैसे कह दिया, वह 5 प्रतिशत बढ़ा है, उसके अन्दर भी, यह मैं कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ बातें, करनी तो आपसे बहुत सारी हैं, मैं समझता हूं कि मैं कुछ जो सदन की भावना है, जिसमें आपने भी प्रकाश डाला है और कुछ जो फीडबैक आया है, उसके अनुसार भी मैं चाहूंगा कुछ ऐसी घोषणाएं हों जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में सबके लिए लागू हों,

(श्री अशोक गहलोत)

वह मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो हमने आई.ओ.सी. डिपो में जो आग लगी थी, उस वक्त जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, ई पी आई पी में जो इकाइयों को नुकसान हुआ उस वक्त, हमने उनका जो टैक्स होता है उसको हमने 2010 के मार्च का डेफर किया था, तो उसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि वह हमने अब 2010 दिसम्बर तक डेफर कर रहे हैं। एक तो यह है।

नम्बर दो, जो सीमेंट उद्योग को आपकी सरकार के वक्त में 22 मई से आपने उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था, उसके बाद में कोई यूनिट आ नहीं रही है। तो यहां जिप्सम बहुत ज्यादा है और यूनिटें आनी चाहिए, इससे रोजगार मिलेगा। इसलिए उस आदेश को वापस लेकर के उसको सीमेंट के नए निवेश पर पुन: वापस लेना प्रस्तावित करता हूं जो कि आपका आदेश 22 मई का था।

तीसरा मैं प्रस्ताव करता हूं कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से नगरीय विकास कर वसूल नहीं किया जाएगा। यह एक मांग बहुत लम्बे से थी।

चौथा जो है, यह जो आल इंडिया परमिट वाले जो यात्री वाहन है, उनकी हमने सेवा 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार की थी, उसको मैं वापस लेने की घोषणा करता हूं।

राज्य में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति द्वारा 2007 की अवधि जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं।

राज्य में शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भू-परिवर्तन प्रक्रिया में सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर अधिक अधिकार दिया जाएगा।

(समय 17.00 बजे)

भू-उपयोग परिवर्तन के अन्य प्रकार के प्रकरणों में भी आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। इसके साथ प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किये जाएंगे।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में और सदन के बाहर भी जो बराबर फीडबैक मिल रहा है, एक तो ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में, इसकी

(श्री अशोक गहलोत)

दर हमने बढ़ायी थी यह सोच कर कि उसमें तीन हजार, चार हजार, पांच हजार, सब तरह के शर्टस होते हैं या गारमेंट्स होते हैं पर जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, गारमेंट्स के दुकानदारों को भी और पब्लिक को भी, गलतफहमी में उनको तकलीफ होगी, हो सकता है कि वहां करप्शन बढ़े, उसका पूरा लाभ नहीं मिले इसलिए मैं इसको पुन: वापस लेने की घोषणा करता हूं।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिनौला खल को लेकर भी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी, श्रवण कुमार जी बैठे होंगे और कई माननीय सदस्यों ने भी बराबर इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया। आज नेता, प्रतिपक्ष भी बोल रहे थे। और उन्होंने बाकायदा लच्छेदार भाषा के अन्दर पूरी बात कही तो यह मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है, इसका भी हमने जो लगाया था टैक्स, उस वक्त में जो फीडबैक आ रहा था, वह यह आ रहा था कि बाकी खलों पर टैक्स है खाली इसको छोड़ कर के और उसकी आड़ में वे खलें भी टैक्स फ्री हो जाती हैं। करप्शन हो रहा था। कई खल का व्यापार करने वाले लोगों ने फीडबैक दिया था। फिर भी सदन की भावना को देखते हुए मैं इसको वापस लेने की घोषणा करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सच्चे गांधी जी के प्रतीक हैं, मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसला लिया न खल का, ये सच्चे गांधी जी के प्रतीक हैं। आज किसान का सबसे बड़ा हित हुआ है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? पैंसठ रुपये लगने लग गये थे एक बोरी पर।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति संगठन योजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फार शिड्यूल्ड कास्ट, इसको लेकर क्वेश्चन भी आया था, उसके अन्दर डिस्कसन भी हुआ था, उस दिन मंत्रीजी ने जवाब भी बहुत खूबसूरती से दिया था। ट्राइबल सब प्लान इसमें वास्तव में चिन्ता का विषय बना हुआ है। लम्बे अर्से से, सरकार चाहे कोई भी रही हो, इसमें वास्तविक बजट भावना जो होती है उसका निर्धारित फ्लो सुनिश्चित नहीं होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं और यह काम थोड़ा कठिन भी है इसीलिए नहीं हो पाया। तो यह मैं सदन में बात रखना चाहूंगा कि इसमें हमने तय किया है कि इसको हम लोग अगले बजट में यह प्रयास करें कि यह किस प्रकार से सुनिश्चित हो कि यह स्पेशल कंपोनेंट ट्राइबल सब-प्लान का पैसा सुनिश्चित तरीके से लग सके, यह मैं घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारे राज्य के सम्मानजनक व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलता है, उनके लिए हमने निर्णय किया है कि सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा मिलेगी, राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा, काटेज वार्ड की सुविधा और राज्य व जिला स्तरीय समारोहों में उनको स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट जब हमारी थी तब हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि 'बीडी' बनायी थी, हमने बोर्ड आफ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बनाया था और कई फैसले हमने किये थे। सरकार चली गयी उसके बावजूद भी कई फैसले कोर्ट में भी गये और नयी गवर्नमेंट जब आयी थी तब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की जगह कोई नाम उसका दूसरा रखा गया, आर आई पी बी रखा गया नाम उसका और उस वक्त में भी कई तरह के विवाद भी खड़े हुए और कोर्ट के केस भी हुए और माहौल बिगड़ा। इसलिए मैंने यह तय किया कि ये भी जो पापूलर नेम 'बी डी' है इसका नाम पापूलर 'बीडी' है तो 'बीडी' को समाप्त करने की घोषणा करता हूं और कैबिनेट फैसला करेगी मिल करके यह मैं घोषणा करना चाहता हूं कि सारे फैसले अब कैबिनेट में ही होंगे और ये बोर्ड अब समाप्त कर देंगे जिससे कि ट्रांसपेरेंसी से फैसले हो सकें, किसी को संदेह नहीं रहे, अनावश्यक लोग कोर्ट में नहीं लाए। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल स्वागत है इसका।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद आपका, स्वागत है तो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आज आप बहुत उदारवादी हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सदन में करप्शन के बारे में अनेक बार उल्लेख आया है। मैं स्वयं भी इस समस्या के बारे में चिंतित हूं और मेरा मानना है कि हमें हर कीमत पर इससे निपटना चाहिए और निपटाना चाहिए और अंकुश लगना चाहिए। पूरा समाप्त करना तो किसी के हाथ में होता नहीं है पर अंकुश लगा देंगे तो कामयाबी मिलेगी। अत: ए सी बी को सशक्त बनाना आवश्यक है। एक तो एक सीमा तक तो वह काम हो, तो हमने निर्णय लिया कि ए सी बी और उसके अलावा जो हमारा ए टी एस है, एस ओ जी है,

(श्री अशोक गहलोत)

ए आर टी है और बम डिस्पोजबल स्क्वैड है, इनकी सेवाओं में भी लोग जाएं, उनका आकर्षण बढ़े, यह सोचकर के सेवा नियमों में संशोधन कर विशेष चयन कर इसमें अधिकारी/कर्मचारियों को स्पेशल ब्रांचेज में इनमें नियुक्त किये जाने का निर्णय किया है जिससे कि ये और मजबूत हो सकें।

राज्य कारागृह की व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ कैदियों की भोजन सामग्री व इनके कपड़े तथा बिस्तर, इत्यादि के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी की गयी है। गत सरकार के पांच वर्ष में केवल 250 प्रहरियों की भर्ती की अनुमति दी गई जिसकी कार्यवाही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में 250 तथा अगले बजट के लिए 300 प्रहरियों के पदों पर भर्ती की घोषणा कर लगभग सभी रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक लगाने की व्यवस्था हो जाएगी। जब तक नियमित रूप से प्रहरी नहीं लगें, तब तक के लिए जेलों में बेहतर सुरक्षा हेतु तीन सौ बार्डर होम गार्ड लगाने का हमने निश्चय किया है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आते नहीं हैं वे। अपन लगाते हैं, कोशिश करते हैं पर वे जोइन नहीं करते हैं, क्योंकि सैलेरी इतनी कम है कि वे लोग इसको प्रिफर नहीं करते हैं। मैंने भी कोशिश की लेकिन वे आये नहीं। इसलिए अपने पास नियमित नियुक्ति के द्वारा ही जेल को सुधारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। सब प्रयोग फेल हो गये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, उसी को हम मानेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावना को देखते हुए जो एमएलए लैड फंड है उसको, अभी आप बोल रहे थे न इसके लिए, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने यह तय किया है और मैं घोषणा करता हूं कि इसको अस्सी लाख रुपये से एक करोड़ रुपये किया जाएगा और साथ में अभी मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल के लिए सिर्फ जो एक्स्ट्रा मिले बीस लाख रुपये, वे पानी की प्रोब्लम पर ही खर्च होंगे। यह आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण के भत्ते एवं सुविधाओं में भी संशोधन करने का काफी समय से प्रकरण विचाराधीन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बहुत ही भावात्मक और...

एक माननीय सदस्य: व्यंग्यात्मक।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...तरीके से, व्यंग्यात्मक, भावात्मक समझूं मैं इसको, क्योंकि जवाब पब्लिक को देना है, आपको हम सबको देना है, भावात्मक था, व्यंग्यात्मक नहीं था। ठीक है, तब फिर गम्भीरता से विचार करते हैं क्योंकि यह मुद्दा पार्लियामेंट में और असेम्बली के अन्दर हर बार जब कभी बढ़ाने की बात आती है तो तमाम तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं। ये हमारे सी पी एम के भाई लोग जो हैं वे भी बड़े होशियार होते हैं।

श्री पेमाराम (धोद): यह छोड़ दो, सड़क वाली कर दो। हमें पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सड़क दे दो। विकास होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): खड़े होकर अमराराम जी, हमारे माननीय सदस्य और अन्य नये-नये सदस्य आये हैं, वे तो हमारे नये साथी हैं, ये खड़े होकर उसका विरोध भी करते हैं और जब फैसला होता है तो उसको स्वीकार भी करते हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एग्जम्प्ट कर दो, सी पी एम को छोड़ कर बाकी को मिलेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पर यह हमारा वास्तव में ऐसा मुद्दा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भी और राज्यों में भी, वास्तव में एम एल ए, एम पी की स्थिति बड़ी ही नाजुक होती है; जो जन-प्रतिनिधि होता है उससे व्यक्ति मिलने आते हैं, रात-दिन उनके साथ चाय-पान भी करते हैं, खर्चे भी होते हैं, अन्य खर्चे भी होते हैं, दौरा करते हैं तब भी खर्चा काफी होता है। इसलिए हमने गाड़ी का जो प्रोविजन किया था उसमें थोड़ा सुधार किया है जिससे कम्फर्टेबल तरीके से आदमी अपने ढंग से घूम सके और क्षेत्र में दौरे कर सके, जन सम्पर्क रख सके। पिछली बार हमने इसकी घोषणा की थी। पर आपने बहुत ही तरीके से अपनी बात कह दी, भावनात्मक रूप से कह कुछ भी कह दिया हो, आप बहुत दुःखी हो और मुझ से उम्मीद करते हो पर उस दुःख का कारण आप खुद ही हो और आपकी पार्टी के लोग हैं कि उस समय इतना हो-हल्ला किया इस हाउस में कि आपने मुझे भी नहीं बोलने दिया ।

श्री अध्यक्ष: ये तो पूर्व मुख्य मंत्री के बंगले के लिये ज्यादा दुःखी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं किसी मुख्य मंत्री के बंगले के लिये दुःखी नहीं हूं, मैंने अपनी बात सैद्धांतिक रूप से कही, मैं प्रिवी पर्स के खिलाफ हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वैसे तो जो सदन की राय होगी, फैसला वही होगा, मेरा मानना यह है परन्तु मध्य प्रदेश में तो पूर्व मुख्य मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा है सारी सुविधाओं के साथ में। पूर्व तो सबको ही होना पडता है मैं बता रहा हूं आपको, सवाल वह नहीं है, एम एल ए का, एम पी का भी करते हैं, एम एल ए का करते हैं तो भी देखते हैं कि किस राज्य में क्या-क्या सुविधाएं हैं, यह देख कर फैसलें होते हैं। तो वे फैसले भी उस रूप में होते हैं या हुए हैं कि अन्य राज्यों में भी, चाहे यू पी हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, वहां तो कैबिनेट का दर्जा पूरी जिंदगी भर रहा है उनके पास तो, स्टाफ समेत, गाड़ी-घोड़े समेत। यहां तो मुख्य मंत्री को खाली एक बंगला और एक चपरासी दिया हुआ है। फिर आप कहोगे तो हम उसको विचार कर सकते हैं, क्या करना है। (व्यवधान) आपको विशेष रूप से कोई तकलीफ हो रही हो तो ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा था कि विधायकों की बात करते समय उन परम्पराओं को लागू कर दें; मैंने यह भी कहा था कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को सुविधा देनी हो तो आप जरूर दीजिए, उनको बंगला भी दीजिए, मेरी दिक्कत नहीं है उसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने कहा बंगला उनके पास में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विधायकों की सुविधा के साथ में रेफरेंस में कहा था, बाकी तो इसको वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अगर कोई मान लो इच्छा हो तो अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ऐसा माहौल बन गया था, मैंने आप पर आरोप भी लगाया था कि आपने मुझे ना तो जनरल डिस्क्शन पर बोलने दिया, ना आपने मुझे फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने दिया। तो हमारी मजबूरी थी। हमने उस वक्त फिर भी हाउस में आकर, आपने ही सबने आकर निवेदन किया था, आपकी भावना का मैंने आदर किया, हमने प्रस्ताव बना दिये फिर भी आपने हाउस नहीं चलने दिया। तब भी मैंने आकर लिखित में यहां पर घोषणा कर दी, प्रस्ताव रख दिया। उसके बाद में जब बिल लाने का समय आया तो दूसरी स्थिति बन गई, थोड़ी नाइत्तफ़ाक़ी हो गई कि इसको कब रखें क्योंकि अभी हाउस शुरू ही हो रहा है, पहले दिन ही यह बिल रखेंगे तो इससे आम जनता में मेसेज गलत जायेगा कि हाउस तो शुरू हो रहा है, पीने

(श्री अशोक गहलोत)

के पानी की समस्या भी है, अकाल पड़ा हुआ है और हाउस चलते ही मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि यह हम आपको दे रहे हैं। तो मैंने खुद ने कहा, मेरी पार्टी मीटिंग में कहा मैंने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी जी और राजेन्द्र राठौड़ जी तो पीछे रह जायेंगे, बदनाम हम लोग होंगे, सरकार हमारी है इसलिए हम बदनाम होंगे। इसलिए मैंने खुद ने रोका हमारे माननीय सदस्यों को, अभी हम रुक जाते हैं, बाद में प्रोपर टाइम पर हम फैसला करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह घोषणा करता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बात कर लेंगे हमारे माननीय सदस्यों से भी, नेता प्रतिपक्ष या अन्य सदस्यों से, इंडिपेंडेंट सदस्यों से, सीपीआई वालो सें, जब भी आप कहेंगे, अभी तो दो-तीन दिन और हैं, आप कहेंगे तो हम इसी हाउस में इसका फैसला कर देंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम जो सही काम करेंगे उसमें हम जनता को जवाब दे सकेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास यह आर्ग्यूमेंट है इस कारण से यह फैसला हुआ है। पर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। उसी प्रपोर्शनेट तरीके से ही फैसला होना चाहिये जिससे कि आम जनता को हम जस्टिफाई कर सकें, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा । बाकी मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं यह होना चाहिये और हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अंत में एक बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 10 किलोमीटर तक की सड़क दीजिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी बाकी सडकें तो बन रही हैं ये छोटी छोटी, एक किलोमीटर, आधे किलोमीटर के पैचेज रह जाते हैं। वे किसी योजना के अन्तर्गत आते नहीं हैं। इसलिए पिछली बार विधान सभा में जो 10-10 किलोमीटर का किया था...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारी जो पिछली सरकार थी तो आपको याद होगा आर यू पी योजना हमने ही बनाई थी, 600 करोड रुपये की लागत से हर विधान सभा क्षेत्र में हम लोगों ने ...(व्यवधान) मुझे याद नहीं एक्च्युअल में कितना था पर हमने 3-3 करोड़ रुपया हर विधायक के क्षेत्र में मिसिंग लिंक बनाने के लिये दिया था। अभी मैं इस मौके पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा पर हम आपकी भावना का ध्यान रखेंगे, हम क्या तरीका निकाल सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की समस्या का समाधान हो सके।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अब मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा हाउस के तमाम माननीय सदस्यों को चाहे वे हमारे प्रतिपक्ष के हों या पक्ष के हों, तमाम सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग बातचीत में भी, हाउस में भी चर्चा करते हैं, सबके दिल में एक ही बात रहती है कि राजस्थान कैसे प्रगति करे, कैसे विकास हो यहां पर क्योंकि पहले भी कई बार पिछली सरकार ने भी कहा कि अब राजस्थान पिछडेपन से निकल गया, अब पिछड़ा राज्य नहीं रहा है। उस समय भी हमने कहा था कि राजस्थान की स्थिति वास्तव में बहुत नाजुक स्थिति है। आज भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं, भारत सरकार के आंकडों से उन पैरामीटर्स में हम बहुत पीछे हैं। चाहे पर कैपिटा इन्कम हो, प्रति व्यक्ति बिजली कितनी हम लोगों के हाथ में है, प्रति व्यक्ति सडकें कितनी हमारे पास में हैं, हम कई पैरामीटर्स में इतने पीछे हैं, बल्कि कहना चाहिये कि इसके अलावा हमारी जो स्थिति है जिसमें पापुलेशन की बात है, आप उस दिन बोल रहे थे पापुलेशन को लेकर जो हालात बने हैं, पापुलेशन में सबसे आगे आज राजस्थान है। यह आंकड़े हमें बताते हैं कि अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति कभी सुधर नहीं सकेगी। इसलिए मैं अंत में आह्वान करना चाहूंगा, हम सबको मिलकर राजस्थान के विकास में, चहुंमुखी विकास में अपनी भूमिका अदा करनी है और मुझे यकीन है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम सब मिलकर फैसला कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे आह्वान को और मेरी भावना को समझ कर सब लोग मिलकर आज बजट को पास करें, फाइनेंस बिल को भी और एप्रोप्रिएशन बिल को भी। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 पर खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3– कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 पर खण्डश: विचार।

खण्ड-2 से 11-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.20 बजे मंगलवार, दिनांक 30 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुर व बकानी पंचायत समिति के खराब ट्रांसफार्मर्स

327. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु जारी किये गये ट्रांसफार्मर के जल जाने की अवस्था में नये ट्रांसफार्मर जारी करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) जिला झालावाड़ की खानपुर एवं बकानी पंचायत समिति क्षेत्र में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2010 तक जले/खराब हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप में कितनों ने आवेदन किया एवं आवेदन करने के बाद कितने दिनों में नये ट्रांसफार्मर जारी किये गये ?

(3) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में उक्त दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों से कितने ट्रांसफार्मर हेतु कितने-कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुये तथा प्राप्त आवेदनकर्ताओं को कब-कब कितने ट्रांसफार्मर जारी किये गये?

उत्तर

(1) कृषि कनेक्शन हेतु लगे हुए ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 72 घंटे की अवधि में बदलने का प्रावधान है।

(2) झालावाड़ जिले की पंचायत समिति बकानी एवं खानपुर में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक जले/खराब हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर जारी करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अपितु ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की सूचना मिलने पर 72 घंटे की अवधि में जला/ खराब हुआ ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है । पंचायत समिति बकानी एवं खानपुर में दिसम्बर 2008 से अब तक जले हुए/खराब हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर लगाये गये नये ट्रांसफार्मरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पंचायत समिति का नाम	प्राप्त सूचना	बदले गये ट्रांसफार्मर
बकानी	63	63
खानपुर	317	317

(3) झालावाड़ जिले की पंचायत समिति बकानी एवं खानपुर में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में अब तक जले/खराब हुए ट्रांसफार्मरों के स्थान पर

(ऊर्जा मंत्री)

नये ट्रांसफार्मर जारी करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत समिति बकानी एवं खानपुर में ट्रांसफार्मर जले/खराब होने हेतु प्राप्त शिकायत/सूचना पर इनको जारी किये गये ट्रांसफार्मरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पंचायत का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या		जारी किये ट्रांसफार्मरों की संख्या	
	2008-09	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**
बकानी	40	56	40	56
खानपुर	76	303	76	303

उक्त ट्रांसफार्मरों के जलने व बदलने का तारीखवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मिलावटी पेट्रोल-डीजल विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही

328. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मिलावट की रोकथाम के लिये निरीक्षण किये जाने पर पेट्रोल-डीजल में मिलावट के प्रकरण सामने आये हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने तथा सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट पकड़ने के लिये राज्य मार्कर टेस्ट सेण्टर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्थान पर कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य में स्थित पेट्रोल पम्पों की समयबद्ध जांच की जाकर माप एवं मिलावट के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो जिलेवार पेट्रोल पम्पों की संख्या सूची सहित की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो अब इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी के कारण

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उक्त कार्यवाही की जाने में कठिनाइयां आ रही हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों की एवं उपलब्ध स्टाफ की संख्या सहित अब इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षो में पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट के 20 मामले सामने आये हैं, जिसमें 11 के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है तथा 8 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से आना अपेक्षित है तथा 1 मामले में विभागीय कार्यवाही दर्ज की गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राज्य में समय-समय पर पेट्रोल पम्पों की जांच संयुक्त रूप से खाद्य विभाग, उद्योग विभाग, आयल कम्पनी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। जिलेवार जांच की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी हां। कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी से निरीक्षण/जांच कार्य में कठिनाइयां आती हैं। विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये वित्त विभाग से प्रवर्तन निरीक्षकों के लिये वर्ष 2003-04 से 2007-08 की अवधि के लिये, 25 पद व वर्ष 2008-09 की अवधि के लिये 30 पद एवं वर्ष 2009-10 की अवधि के लिये 37 पद तथा जिला रसद अधिकारी के 1 पद के लिये इस प्रकार कुल 93 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उक्त रिक्तियों को भरने के लिये कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची-विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

भरतपुर जिले के कारागारों में अनियमितताओं की जांच

329. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कारागार, भरतपुर में कूल कितने कैदी हैं तथा कैदियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उकत जिला कारागार में कैदियों के जेल तोड़कर भागने के कई मामले हैं? यदि हां, तो कितने ? क्या डीग जेल में भी

(श्रीमती अनीता सिंह)

ऐसे मामले पाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब और किन कारणों से ? क्या इनमें जेल प्रशासन जिम्मेदार या दोषी पाया गया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की सभी जेलों में मोबाइल फोन पाये गये हैं? यदि हां, तो कब व इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कैदियों से मुलाकात व भारी काम न करने के लिए प्रत्येक कैदी से 2000 से 3000 रु. तक लिये जाते हैं एवं इस काम के वसूली के लिए पुराने कैदियों को जरिया बना रखा है? क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब? क्या सरकार अब इस वसूली की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हो, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 28.2.2010 को केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में 798 बंदी निरूद्ध थे। जिन्हें राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधानानुसार समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधायें सुलभ कराई जा रही हैं।

(2) माह जनवरी 2006 से जनवरी 2010 तक की अवधि में केन्द्रीय कारागृह भरतपुर एवं उप कारागृह डीग से कैदियों के भागने का विवरण निम्न भांति है:-

(कारागार राज्य मंत्री)

जेल का नाम	फरार होने वाले बंदी का नाम	फरारी का दिनांक एवं फरारी के कारण	दोषी अधिकारीयों/ कर्मचारियों के नाम	दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
के.का. भरतपुर	बंदी किस्सो उर्फ किशन सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह	22.9.2006 सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही के कारण मेनगेट से ट्रैक्टर ट्रोली के नीचे छिपकर फरार हो गया।	1- श्री प्रीतम सिंह, मुख्य प्रहरी 2- श्री रमेशचन्द्र, प्रहरी 3- श्री अजयसिंह, प्रहरी	श्री प्रीतम सिंह, मुख्य प्रहरी एवं श्री रमेश चन्द्र, प्रहरी की एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से तथा श्री अजयसिंह प्रहरी की 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
उप कारागृह डीग	1. प्रमोद उर्फ संदीप उर्फ सोनू पुत्र श्री रघुनाथ 2. अवधेश पुत्र श्री रामवीर	16.7.2008 सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जेल की दीवार फांदकर फारार हो गये।	1- श्री लक्ष्मणसिंह, मुख्य प्रहरी 2- श्री जगदीश प्रसाद, प्रहरी	फरारी में प्रथम दृष्टया: दोषी पाये गये दोनों कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। प्रकरण में सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच प्रक्रियाधीन है।

(कारागार राज्य मंत्री)

(3) भरतपुर जिले में केन्द्रीय कारागृह भरतपुर (सेवर), उप कारागृह डीग एवं बयाना आते है। माह जनवरी 2006 से जनवरी 2010 तक की अवधि में केवल मात्र केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न भांति है :-

मोबाइल फोन प्राप्त होने का दिनांक	**प्राप्त मोबाइल की संख्या**	**की गई कार्यवाही**
2.11.2007	1	श्री करण सिंह प्रहरी से एक मोबाईल बरामद किया गया। श्री करण सिंह प्रहरी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के एक अन्य प्रकरण में दिनांक 24.11.2008 से सेवा से पृथक किये जाने के कारण मोबाइल फोन बरामदगी में अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।
दिनांक 20.9.2008 से 2.11.2008 तक तलाशी में	4	उक्त 4 मोबाइल विभिन्न तिथियों में तलाशी लेने दौरान बंदियों के वार्डो में लावारिस रूप में पाये गये। अत: किसी बंदी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं रहा।
16.3.2009	1	1 मोबाइल, बंदी सोरेन से बरामद हुआ। बंदी को उसकी एक माह तक मुलाकात बन्द करने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 21.12.2009 से 4.1.2010 तक जेल परिसर की सघन तलाशी में	134	134 मोबाइल विभिन्न तिथियों में तलाशी लेने पर कारागृह के अन्दर जमीन में गड़े हुये एवं लावारिस रूप में बरामद हुये। बरामद मोबाइल फोन की काल डिटेल निकलवाकर जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को लिखा गया।

(4) जी नहीं। केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में कैदियों से मुलाकात व भारी काम न करने के लिये प्रत्यके कैदी से 2000-3000 रुपये तक लिये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत कारागार प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है।

(स्थगित प्रश्न)

(बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2010)

गौशालाओं हेतु चिकित्सा सुविधा

186. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कहां-कहां कितनी गौशालायें कब से संचालित हैं? जिलानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में संचालित गौशालाओं को वर्ष 1998 से 2009-10 तक कितना अनुदान कब-कब दिया गया ?

(3) वर्ष 2009 से फरवरी, 2010 तक अकालग्रस्त घोषित 26 जिलों में किस जिले की कौनसी गौशालाओं को कितना अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गौशालाओं हेतु दिये जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि गौशालाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में पशु मर रहे हैं? यदि हां, तो इनकी सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में संचालित गौशालाओं के संचालित होने का वर्ष एवं स्थान की जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) राज्य में संचालित पंजीकृत गौशालाओं को 1998 से 2009-10 तक दिये गये अनुदान की वर्षवार व जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) वर्ष 2009 से फरवरी, 2010 तक अकालग्रस्त जिलों में गौशालाओं को दिये गये अनुदान की जिलेवार व गौशालावार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(4) गौशालाओं को अनुदान वर्तमान में प्रचलित सीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार दिया जा रहा है। इसे बढाया जाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

(5) जी नहीं ।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बूंदी में जमीन धंसने से हुए नुकसान का मुआवजा

330. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23-1-2010 को बून्दी के कागजी देवरा मोहल्ले में जमीन धंस जाने की घटना घटी हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या प्रशासन द्वारा उक्त घटना स्थल का मुआवना करने में विलम्ब किया है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी शहर में जमीन धंसने से हुये नुकसान में बी.पी.एल कार्डधारी, उल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है? क्या सरकार ने भवन मरम्मत के लिये कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कितना मुआवजा दिया गया व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। उक्त घटना के कारणों की जांच सहायक अभियन्ता सार्व0निर्माण विभाग, बून्दी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बून्दी, हाइड्रोलोजिस्ट ग्राउन्ड वाटर विभाग बून्दी की टीम से जांच करवायी गयी । भू-गर्भीय विज्ञान अधिकारी (खनिज), जयपुर की टीम के द्वारा मकानों में दरारे आने के कारणों की वैज्ञानिक जांच की गयी है। उक्त घटना से क्षति का आंकलन करवाया गया है । तत्सम्बन्धी प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्णय हेतु उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। उक्त घटना स्थल के मौका मुआयना हेतु स्थानीय अधिकारियों को दिनांक 25-1-2010 को ही निर्देश दे दिये गये थे। घटना स्थल के मुआयने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

(3) उक्त घटना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में स्पष्टत: सम्मिलित नहीं होने के कारण, घटना से प्रभावितों को किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है, इस बाबत प्रकरण निर्णयाधीन है।

केन्द्र सरकार द्वारा ऋण माफी योजना के लाभान्वित कृषकों को पुन: ऋण सुविधा

331. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में किसानों के ऋण माफ किए गए हैं ? यदि

(श्री अर्जुन लाल)

हां, तो कितने किसानों के कितनी राशि के ऋण माफ हुए ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में जिन किसानों के ऋण माफ हुए हैं, उनको पुन: ऋण दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने किसानों को एवं कितनी राशि का ऋण दिया गया और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी के बाद पुन: ऋण नहीं देने जैसा कोई प्रतिबन्ध/नियम इस ऋण माफी योजना में लागू किया गया ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो जोधपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऐसे किसानों को पुन: ऋण क्यों नहीं दिया जा रहा है ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार की कृषि ऋण माफी और राहत योजना 2008 के तहत राज्य में किसानों के ऋण माफ किये गये हैं। राज्य के 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं उनसे सम्बन्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कुल 376770 कृषक खातों के 57642.20 लाख रुपये राशि के ऋण माफ किये गये हैं तथा 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 110105 कृषक ऋण खातों के कुल 30045.49 लाख रुपये की राशि के ऋण माफ किये गये हैं। बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है ।

(2) जी हां। किसान सदस्यों द्वारा ऋण की मांग करने पर उन्हें पुन: ऋण दिये जा रहे है। सहकारी साख ढांचे द्वारा अब 73412 किसान सदस्यों को 14062.36 लाख रुपयों का ऋण वितरण किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। जोधपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऐसे सदस्यों को मांग करने पर निर्धारित साख सीमा के अनुसार पुन: ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट पंचायत समिति (पाली) में पेंशन स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदन पत्र

332. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, रोहट (पाली) में अप्रैल, 2009 से फरवरी,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

2010 तक किस-किस वृद्व/वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन का आवेदन फार्म कब-कब जमा हुआ एवं उनकी पेंशन स्वीकृति आदेश कब-कब जारी हुए ? विवरण मय नाम तारीख के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आवेदन फार्मों को किन-किन कारणें से अस्वीकृत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति में पेंशन आवेदन फार्मों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब के लिए कौन अधिकारियों/कर्मचारियों जिम्मेवार हैं और सरकार उनके विरुद्व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) उक्त पंचायत समिति में किन-किन ग्राम सेवक एवं पटवारी के पास उक्त आवेदन फार्म जांच के लिये कितने दिनों तक लम्बित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रोहट (पाली) में अप्रैल, 2009 से फरवरी, 2010 तक जिन व्यक्तियों ने वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन हेतु जमा कराये गये आवेदन फार्म का विवरण परिशिष्ट-I पर एवं उनमें से पेंशन स्वीकृत पेंशनरों की नामवार व दिनांकवार सूची परिशिष्ट-II पर संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त आवेदन फार्मों में से जिन व्यक्तियों के आवेदन फार्म अस्वीकृत किए गए उनकी अस्वीकृति के कारण सहित सूची परिशिष्ट-III पर संलग्न है।

(3) उक्त पंचायत समिति में पेंशन आवेदन फार्मों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब के लिए श्री नरपत सिंह ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कुल थाना, श्री महेन्द्र कुमार मेवाडा, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गढवाड़ा एवं श्री शान्तिलाल ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत झीतडा तथा श्री चन्दन सिंह पडवारी, ग्राम कुलथाना, श्री दुर्गाराम पटवारी, ग्राम गढवाडा एवं श्री राजेश पटवारी, ग्राम झीतडा जिम्मेदार हैं। इनको राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 17 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

(4) उक्त पंचायत समिति में श्री नरपत सिंह, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कुलथाना, श्री महेन्द्र कुमार मेवाडा, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गढवाडा एवं श्री शान्तिलाल ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत झीतडा तथा श्री चन्दन सिंह पटवारी, ग्राम कुलथाना, श्री दुर्गाराम

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पटवारी, ग्राम गढवाडा एवं श्री राजेश पटवारी, ग्राम झीतडा के पास पेंशन आवेदन फार्म 102 दिनों तक लमिबत रहे हैं।

(विवरण सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में टी.एफ.सी एवं एस.एफ.सी. मद में आबंटित राशि

333. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. मद में पंचायतवार एवं पंचायत समिति स्तर पर कितनी-कितनी राशि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 की आबंटित राशि में से कितनी राशि का व्यय कर समायोजन कराया गया तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को कितना अवशेष रहा ? पंचायत/पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2009-10 की आबंटित राशि में से दिनाक 31 जनवरी, 2010 तक कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायत/पंचायत समितिवार व्यय करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. की वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर पर किस आधार पर तैयार की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पंचायत समिति जमवारामगढ़ की पंचायत स्तर की वर्ष 2009 10 की टी.एफ.सी. एवं एस.एफ.सी. की वार्षिक कार्य योजना का विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सलंग्न परिशिष्ट-क

(2) संलग्न परिशिष्ट-ख

(3) संलग्न परिशिष्ट–ग

(4) टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. में गत वर्ष की प्राप्त राशि का 125 प्रतिशत मानते हुये अगामी वर्ष में कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम

(पंचायती राज मंत्री)

सभा में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा प्राथमिकता से बताये गये प्रस्तावों को ग्राम सभा में लिखते हुये वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के पश्चात् उसका ग्राम सभा में अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है ।

(5) टी.एफ.सी. कार्य योजना परिशिष्ट–घ एवं एस.एफ.सी. कार्य योजना परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

फसल बीमा योजनान्तर्गत इकाई निर्धारण के मानदण्ड

334. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कितने-कितने किसानों को फसलें नष्ट हो जाने के कारण कितनी-कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों की फसलों का बीमा करने के लिए सरकार द्वारा निजी बीमा कंपनियों को अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को किन-किन शर्तों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीमित फसलों के नष्ट होने की इकाई तहसील के स्थान पर सम्बन्धित गांव को इकाई मानने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फसल बीमा योजना खरीफ 2009 में राज्य के 26 जिलों में लागू की थी एवं शेष 7 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गई थी ।

रबी 2009-10 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 16 जिलों में एवं 17 जिलों को फसल मौसम बीमा योजनान्तर्गत शामिल किया गया था।

खरीफ फसल मौसम, 2009 के अन्तर्गत कृषि बीमा योजना में राजस्व मण्डल द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को जनवरी-2010 में समय पर उपलब्ध करा

(कृषि मंत्री)

दिए हैं, कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर देय मुआवजे की गणना करने की कार्यवाही की जा रही है ।

एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा देय हिस्सा राशि की जानकारी उपलब्ध कराने पर राज्य की हिस्सा राशि उक्त बीमा कम्पनी को हस्तान्तरित करवायी जाएगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को प्राप्त होने पर कृषकों को मुआवजा दिया जाता है।

खरीब 2009 में बीमित कृषकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रबी 2009-10 के दौरान बीमित कृषकों के मुआवजे का निर्धारण जुलाई 2010 में राजस्व मण्डल से फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा । रबी 2009-10 में बीमित कृषकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए रबी 2009-10 से ऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड एवं इफको-टोकियो बीमा कम्पनियों को भी अधिकृत किया हुआ हे। आईसीआईसीआई- लोम्बार्ड द्वारा पांच जिलों यथा अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झालावाड़ एवं झुन्झुनू में ऋणी कृषकों का बीमा किया गया है । निजी बीमा कम्पनियों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप अधिकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति व शर्तों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2010-11 में खरीफ 2010 से फसल बीमा योजना के स्थान पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू करने की घोषणा की गई है। इसलिए अब तहसील के स्थान पर गांव को इकाई मानकर फसल बीमा योजना क्रियान्वित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना

335. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के नियम/मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

(2) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समय-समय पर मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की नीति निर्धारित की जाती है। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 6.30 से 7.00 घंटे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन फीडरों पर विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से कम है वहां निकटतम शहरों की भांति सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से अधिक है वहां सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चार घंटे एवं प्रात: 4 बजे से 6 बजे तक दो घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। विद्युत सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के द्वारा जिन फीडरों पर छीजत 20 प्रतिशत से कम है वहां निकटतम शहरों की भांति 24 घंटे सिंगल फेज घरेलू कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति की जा रही है । केवल कट एवं ट्रांसफार्मरों को क्षति पहुंचाने के कारण छीजत 20 प्रतिशत से अधिक हो गयी है । उन फीडरों पर सामान्य 6 घंटे घरेलू विद्युत आपूर्ति की जा रही है । विद्युत छीजत पुन: 20 प्रतिशत आने पर उन्हें भी निकटतम शहरों की भांति विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी ।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित चारा डिपो

336. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में पशुओं हेतु चारा डिपो खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने चारा डिपो कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खोले गये चारा डिपो में गत एक वर्ष में कितना-कितना चारा आया तथा कितना अनुदान प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत के शेष पंचायत मुख्यालयों पर चारा डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। विधान सभा क्षेत्र सोजत में गत एक वर्ष में खोले गये चारा डिपो की सूची संलग्न है।

(2) गत एक वर्ष में खोले गये चारा डिपो एवं उनमें आये चारे की मात्रा तथा उन्हें प्राप्त अनुदान का विवरण संलग्न है।

(3) शेष पंचायत मुख्यालयों से आवेदन प्राप्त होने पर चारा डिपो खोलने की कार्यवाही की जावेगी ।

विधान सभा क्षेत्र सोजत में खोले गए चारा डिपो की सूची

क्र. सं.	नाम चारा डिपो	प्राप्त चारे की मात्रा (क्विं. में)	देय अनुदान राशि	भुगतान की गई राशि
1.	श्री राम गौ सेवा संस्थान, सियाद	1968.90	1832069	101483
2.	चापाडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, चौपड़ा	669.60	63597	36412
3.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, भेसाणा, मु. गामावारा	1481.20	139538	88402
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अटपडा	2144.20	210124	154042
5.	मेव ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, मेव	319.00	30603	30603
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रूपावास	721.00	72100	58970
7.	श्री सनातन धर्म ट्रस्ट, सोजत नगर	3275.35	316165	209125
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, वासना	874.70	85072	45592
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रेपड़ावास	1655.55	160601	126018
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बैरा पिपलिया	1271.30	119422	71627
11.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चाडवास	523.30	49951	0

क्र. सं.	नाम चारा डिपो	प्राप्त चारे की मात्रा (क्विं. में)	देय अनुदान राशि	भुगतान की गई राशि
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, चंडावलनगर	1894.00	175978	0
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, दोरनडी	677.05	66046	0
14.	शनिधाग ट्रस्ट हिंगावास	0.00	0	0
15.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड राजोलाकला	0.00	0	0
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, उदेशीकुआ	0.00	0	0
17.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सांडिया	0.00	0	0
18.	बोयल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बोयल	0.00	0	0
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खामल	0.00	0	0
20.	शिवपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, शिवपुरा	0.00	0	0
21.	ग्राम पंचायत केलवाद	0.00	0	0
22.	मालपुरिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मालपुरिया	0.00	0	0
23.	श्री उम्मेद गौशाला, सोजत सिटी	0.00	0	0
24.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, हरियामाली	0.00	0	0
25.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खोखरा	0.00	0	0
26.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. दिवलीहुल्ला, गुंचण्डावल स्टेशन	0.00	0	0
27.	ग्राम पंचायत राजोलाकला	0.00	0	0

पंचायत समिति एवं तहसील स्तर पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का गठन

337. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लिए नियम/उपनियमों में समान मानदण्ड नहीं हैं व कहीं तहसील आधार है तो कहीं पंचायत समिति ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इनमें समान मानदण्ड लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सभी पंचायत समिति एवं तहसीलों में क्रय विक्रय संघ या सहकारी समितियों का गठन नहीं है? क्या सरकार इनका गठन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के सामान्य परिचालान बाबत नियम/उपनियमों में समान मानदण्ड है। जहां तक कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, कार्यक्षेत्र का निर्धारण प्रस्तावित समिति के गठन के समय समिति के संस्थापक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कार्यक्षेत्र का आधार तहसील अथवा पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्णय पर निर्भर करता है। गठन के पश्चात समिति की आमसभा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है । किन्तु कार्यक्षेत्र के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी दूसरी क्रय-विक्रय सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न हो। विभाग कार्यक्षेत्र का निर्धारण नहीं करता है ।

(2) जी हां। विभागीय मानदण्ड पहले से ही समान है। जहां तक कार्यक्षेत्र निर्धारण का विषय है, यह अधिकार सम्बन्धित समिति का है।

(3) जी हां। 249 पंचायत समितियों में 169 क्रय विक्रय सहकारी समितियां है। शेष पंचायत समितियों में क्षेत्रीय किसानों की मांग होने पर जहां क्रय-विक्रय सहकारी समिति की आवश्यकता है तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षमता की सम्भावना है, ऐसे स्थानों पर नयी क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन किया जायेगा।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की रोजगारोन्मुखी योजनाएं

338. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ रोजगार सृजन की दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं लागू की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 में मार्जिन मनी योजनानुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत अनुसूचित उद्योगों में जिलेवार व उद्योगवार कितनी-कितनी ऋण व अनुदान की राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य में 14 अगस्त, 2008 से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी नोडल एजेन्सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग है।

(2) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में वर्ष 2009-10 में 15 मार्च, 2010 तक कुल 190 इकाइयों को ऋण राशि रु. 2521.14 लाख तथा मार्जिन मनी (अनुदान) राशि रु. 848.25 लाख विभिन्न बैंकों/खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार उद्योगवार स्वीकृत ऋण व अनुदान की जानकारी अनुलग्नक-1 संलग्न है।

(जानकारी विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले में सांसद/विधायक क्षेत्र विकास कोष से स्वीकृत कार्य

339. श्री पेमाराम (धोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2007 से 2009 तक जिला सीकर में सांसद/विधायक क्षेत्र विकास कोष से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गये ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य शुरू करवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त कार्य शुरू नहीं होने के लिए कौन-कौन दोषी हैं और इन दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) अब उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2007 से 2009 तक सीकर जिले में सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के 17 कार्य एवं विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 89 कार्य अप्रारम्भ हैं।

पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट क एवं ख पर उपलब्ध है।

(2) सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी को लिखित एवं मौखिक रूप से कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(3) जिन कार्यों में विलम्ब हुआ है, उनकी जानकारी की जा रही है तथा इन कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु पाबन्द किया गया है।

(4) उक्त समस्त कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करवा दिये जायेंगे।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में संचालित गौशालाओं को अनुदान

340. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कौन-कौनसी गौशालाएं किस-किस संस्था/व्यक्ति द्वारा संचालित हैं और उनमें कितनी गायें हैं ?

(2) गत पांच वर्षो में सरकार द्वारा उक्त गौशालाओं को कितनी सहायता दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गौशालाओं को वर्तमान में देय अनुदान/सहायता अपर्याप्त है? क्या सरकार इस अनुदान/सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित गौशालाओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिरोही की गौशालाओं को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित गौशालाओं का विवरण

(अनुदान राशि रुपयों में)

क्र. सं.	गौशाला का नाम	पंजीकरण संख्या	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	गायों की संख्या	अध्यक्ष का नाम	सचिव का नाम	अनुदान वर्ष 2004 -05	अनुदान वर्ष 2005 06	अनुदान वर्ष 2006 07	अनुदान वर्ष 2007 08	अनुदान वर्ष 2008 09	अनुदान वर्ष 2009 10 माह फरवरी 2010 तक	कुल अनुदान
1	श्री सुमतिजीव रक्षा केन्द्र पावापुरी	175/04.01.99	सिरोही	सिरोही	5715	श्री बाबूलाल पी. सिंघवी	श्री कांतीभाई एच. सिंघवी	4825728	10560324	4954934	0	0	13451483	33792469
2	श्री आदेश्वर गौ सेवा समिति कोलरगढ़	167/22.05.97	सिरोही	शिवगंज	950	श्री रिकबदास जैन	श्री कमलेश सिंघवी	245187	1598878	667185	0	0	1324048	3835298
3	श्री पशु सेवा केन्द्र सारणेश्वर रोड सिरोही	673/29.3.05	सिरोही	सिरोही	105	श्री चंद्रभान मोटवानी	श्री अमित देयोल	0	323393	157875	0	0	209279	690547
4	श्री रामकृष्ण गौपाल प्राणी सेवा समिति शिवगंज	20/26.01.84	सिरोही	शिवगंज	1824	श्री अरूणकुमार जायना	श्री कमलकिशोर चितारा	1416708	2981672	1475128	0	0	4669635	10543143

क्र. सं.	गौशाला का नाम	पंजीकरण संख्या	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	गायों की संख्या	अध्यक्ष का नाम	सचिव का नाम	अनुदान वर्ष 2004 -05	अनुदान वर्ष 2005 06	अनुदान वर्ष 2006 07	अनुदान वर्ष 2007 08	अनुदान वर्ष 2008 09	अनुदान वर्ष 2009 10 माह फरवरी 2010 तक	कुल अनुदान
5	श्री करणेश्वर महादेव प्राणी गौशाला समिति माण्डवाडा	814/21.05.07	सिरोही	सिरोही	265	श्री सरूपाराम	श्री छगनलाल	0	0	138168	0	0	788895	927063
6	श्री धव लीमाता गौशाला सेवा समिति उम्मेदगढ़	813/2007	सिरोही	शिवगंज	230	श्री दौलतभारती जी	श्री श्यामलाल सुथार	0	0	0	0	0	0	0
7	श्री खेतेश्वर गौ सेवा समिति पिपलकी (पालडी)	32/2007-08	सिरोही	सिरोही	91	श्री शैतानसिंह राज पुरोहित	श्री रमेश गुप्ता	0	0	0	0	0	101302	101302

नीमकाथाना के वार्ड नं. 4 आबादी क्षेत्र के ऊपर से प्रस्तावित हाईटेंशन लाइन

341. श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नीति एवं नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु रास्ता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी नियम/प्रावधान निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह भी सही है कि बिजली कनेक्शन आवेदनकर्ता को स्वयं के खर्चे पर रास्ता उपलब्ध कराना होता है एवं सम्बन्धित काश्तकारों/निवासियों की सहमति प्राप्त करनी होती है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला सीकर में उक्त तीनों श्रेणियों के ऐसे कितने विद्युत कनेक्शन वरियता क्रम में आने के बावजूद रास्ता/सहमति उपलब्ध नहीं कराने के कारण से जारी करना विचाराधीन है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या 132 केवीए हाइटेंशन लाइन आबादी क्षेत्र के ऊपर से खींची जा सकती है? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जिला सीकर के नीमकाथाना कस्बे के वार्ड नम्बर 4 के आबादी क्षेत्र के ऊपर से मैसर्म बिनानी सीमेंट उद्योग को नियम विरुद्ध 132 केवीए हाईटेंशन लाइन से कनेक्शन जारी करने हेतु लाइन खींची जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार जनहित में ऐसा प्रस्ताव रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु नीति एवं नियम बनाये गये हैं। तत्सम्बन्धी नियमों की पुस्तिका विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004, एवं कृषि कनेक्शन नीति 2004 की प्रति परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 67 के अनुरूप किसी आवेदक को बिजली कनेक्शन जारी करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा रास्ता उपलब्ध कराने पर ही विद्युत लाइन खींचने का कार्य विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। धारा 67 की प्रति परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है, किन्तु सर्विस लाइन के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्ध 2004 के बिन्दु 4(6) के अनुसार जहां किसी परिसर को विद्युत आपूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के परिसर को सर्विस लाइन खींचने के लिए उपयोग में लिया जाता है या उसके परिसर के ऊपर से होकर लाइन गुजरती है अथवा उसके परिसर में होती हुई भूतिगत सर्विस लाइन बिछानी है तो आवेदक अपने आवेदन के साथ ऐसे वयक्ति की सहमति संलग्न करेगा। यदि किसी कारणवश रास्ता उपलब्ध नहीं हुआ तो आवेदक को सूचित कर पूलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, साथ ही उस कनेक्शन का रास्ता उपलब्ध होने तक कार्य स्थगित कर दिया जाता है तथा आगामी वरीयता वाले को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं । विद्युत लाइन के खींचने के लिये रास्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है किन्तु सर्विस लाइन के सन्दर्भ में विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन 2004 के बिन्दु 4(6) के अनुसार-जहां किसी परिसर को विद्युत आपूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति की परिसर सर्विस लाइन खींचने के लिए उपयोग में ली जानी है या उसकी परिसर के ऊपर होकर गुजरती है अथवा उसकी परिसर में होते हुए भूमिगत सर्विस लाइन बिछानी है तो आवेदक अपने आवेदक के साथ ऐसे व्यक्ति की सहमति संलग्न करेगा।

(4) जिला सीकर में उक्त तीनों श्रेणियों के 293 आवेदकों के विद्युत कनेक्शन वरियता क्रम में आने के बावजूद रास्ता/सहमति उपलब्ध नहीं कराने के कारण से कनेक्शन लम्बित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ''द'' पर उपलब्ध है।

(5) हाइटेंशन लाइनें सामान्यता गैर आबादी क्षेत्र में ही खींची जाती है । आबादी क्षेत्र में सड़क के किनारे विद्युत लाइनों के निर्माण के समय भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 79 एवं 80 के तहत विद्यमान भवनों की विद्युत लाइनों के तारों से न्यूनतम दूरियां निम्नानुसार रखी जाती हैं:-

(ऊर्जा मंत्री)

लाईन वोल्टेज	**लम्बवत दूरी**	**क्षितिजीय दूरी**
132 के.वी.	4.6 मीटर	2.9 मीटर
220 के.वी.	5.5 मीटर	3.8 मीटर
400 के.वी.	7.3 मीटर	5.6 मीटर

(6) जी हां। उक्त लाइन पूर्णतया सभी प्रकार से निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार एवं भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए खींची जा रही है।

(प्रतियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

342. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में (2008-2009 व 2009-2010) में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों का सर्वे कराकर नुकसान का आंकलन करवाया गया हैं? यदि हां, तो उक्त वर्षों में सभी जिलों के कितने काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ओलावृष्टि व तेज वर्षा से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि एवं कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008-2009 में कुल 21376 काश्तकारों का 13708.78 लाख का नुकसान हुआ । वर्ष 2009-2010 में राज्य के कुल 656 काश्तकारों का 142.87 लाख का नुकसान हुआ है।

(2) राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया जाता है बल्कि आपदा राहत निधि मानदण्डों के अनुसार तात्कालिक सहायता दी जाती है। सीआरएफ मानदण्डों के अनुसार देय सहायता के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 से अपनी ओर से भी अलग से सहायता राशि दी जा रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विद्याधर नगर जयपुर के सरकारी आवासों की मरम्मत/रखरखाव

545. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विद्याधर नगर स्थित राजकीय आवासों की मरम्मत व रख-रखाव का कार्य वर्तमान में किस संस्था/एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि लगभग छह माह से उक्त राजकीय आवासों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु कोई कार्मिक पदस्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त आवासों के रख-रखाव व मरम्मत हेतु कार्मिक नियुक्त कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार उक्त आवासों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु एक शिकायत कक्ष स्थापित कर उसमें दूरभाष सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त आवासों की मरम्मत/रख-रखाव/नये कार्यों हेतु कितनी राशि निर्धारित है और अन्य कार्यों हेतु कितनी राशि निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त आवासों की बालकोनी में दो पल्ले का जालीदार लोहे का दरवाजा तथा रसोई एवं शौचालय में एग्जास्ट फैन लगाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? अब उक्त कार्य कब तक करवा दिया जावेगा?

(6) क्या यह भी सही है कि विद्याधर नगर स्थित राजकीय आवासों में से कुछ राजकीय आवास रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कब से और किस-किस आवास में कौन-कौन, कब-कब से रह रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्याधर नगर स्थित राजकीय आवासों की मरम्मत व रख-रखाव का कार्य दिनांक 28.10.2009 से सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड आरपीए जयपुर नियुक्त है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) जी हां। आर.पी.ए. परिसर में उपखण्ड कार्यालय में शिकायत कक्ष स्थापित है। उपखण्ड कार्यालय में दूरभाष स्वीकृत नहीं है।

(4) मरम्मत/रख-रखाव हेतु राशि रुपये 13.00 लाख का प्रावधान है नवीन कार्यों हेतु कोई राशि निर्धारित नहीं है।

(5) जी नहीं। प्रकरण प्राप्त होने पर आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर परीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विचार किया जाता है।

(6) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कृषि परीक्षण/प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण

546. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितनी परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार व नवीनीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विस्तार व नवीनीकरण में क्या-क्या कार्य किस-किस लैब में किये गये तथा उक्त में से प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी प्रकार के उपकरण भी खरीदे गये हैं? यदि हां, तो दो वर्षों में क्या-क्या, किस-किस प्रयोजन के लिए तथा खरीद हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा किस-किस उपकरण की खरीद पर कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन मेज पर रखें।

(4) उक्त खरीद की गई सामग्री/उपकरण का क्या-क्या उपयोग हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग में विगत दो वर्षों में रूपान्तरण/नवीनीकरण की गई प्रयोगशालाओं का विवरण अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

(2) प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक व उत्कृष्ट बनाने तथा राष्ट्रीय स्तर के अनुसार विकसित करने हेतु नवीनीकरण व रूपान्तरण के कार्य कराए गए, जिनका विवरण अनुलग्नक-ब-1 एवं ब-2 पर संलग्न है।

(3) हां, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरण खरीदे गये हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-स पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(4) बिन्दु संख्या-3 में अनुलग्नक स के अनुसार उल्लेख किये गये प्रयोजन के लिए ही संबंधित प्रयोगशालाओं में मुख्य एवं संवेदनशील उपकरणों तथा सहायक उपकरणों का उपयोग नमूनों के विश्लेषण हेतु किया जा रहा है। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन नई दिल्ली के माध्यम से क्रय किये जाने वाले उपकरण आपूर्ति की प्रक्रिया में हैं। जिनकी आपूर्ति उपरान्त स्थापना होने के पश्चात यथानुसार उपयोग किया जायेगा। इसी प्रकार नवीन कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला श्रीगंगानगर में आपूर्ति किये गये उपकरणों की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर में चयनित परिवारों को सार्वजनिक प्रणाली के लाभ में असमानताएं

547. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2002 में चयनित बी.पी.एल. परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं, चीनी के वितरण में असमानताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक किस दुकान को कितना गेहूं एवं चीनी आबंटित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गेहूं का आबंटन प्रत्येक डीलर को समानता के हिसाब से किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1997 की बीपीएल सर्वे सूची एवं शहरी क्षेत्र में वर्ष 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवारों की सूची के आधार पर गेहूं एवं चीनी का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण सर्वे बी.पी.एल. सूची 1997 एवं सर्वे सूची 2002 में नये चयनित एवं हटाए गए परिवारों का प्रकरण राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति में विचाराधीन है।

(2) जी हां। ए.पी.एल. परिवारों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का वितरण नहीं कराया जाता है । राज्य सरकार द्वारा ए.पी.एल.

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

श्रेणी हेतु भारत सरकार से प्राप्त गेहूं का आबंटन जिले हेतु किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में उप-आबंटित कर वितरण कराया जाता है। ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को माहवार गेहूं के आबंटन का जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2009 का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये गेहूं के आबंटन का समानुपातिक मात्रा में वितरण किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता

548. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में मिलने वाली राशन सामग्री गेहूं, केरोसीन अन्य राशनकार्ड धारकों के अनुपात में नहीं मिलने से कई राशनकार्ड धारी सामग्री लेने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो वंचित रहे राशनकार्ड धारकों के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डबल बैरल गैस कनेक्शन धारी को केरोसीन नहीं दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कितने डबल बैरल गैस कनेक्शन हैं? क्या इस संख्या को कम करते हुए जिला रसद कार्यालय राशन विक्रेता को केरोसीन मुहैया करवा रहे हैं? यदि हां, तो प्रत्येक राशनकार्डधारियों को कितना केरोसीन मुहैया करवाया जा रहा है?

(3) जिला जोधपुर में कितनी राशन की दुकानें हैं? क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष में एपीएल गेहूं का वितरण प्रत्येक राशन विक्रेता को आबंटित न कर चंद विक्रेता को ही बार-बार आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कितने राशन विक्रेताओं को पिछले एक वर्ष में कितनी बार एपीएल गेहूं से वंचित रखा गया है और वंचित रखने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं का वितरण एपीएल, अन्त्योदय एवं बीपीएल कार्डधारियों को उपलब्धता के अनुसार समानुपातिक रूप से वितरण किया जा रहा है। केरोसीन

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

का वितरण विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरण किया जा रहा है। कोई भी राशन कार्ड धारक निर्धारित मात्रानुसार आबंटित रसद सामग्री सम्बन्धित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकता है।

(2) जी हां। यह सही है कि डबल बैरल गैस कनेक्शन धारियों को केरोसीन नहीं दिए जाने का प्रावधान है। जोधपुर जिले में 61505 डबल बैरल गैस कनेक्शन हैं। डबल बैरल गैस कनेक्शन का काम करते हुए इस विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं को केरोसीन आबंटित किया जाता है तथा निम्नानुसार केरोसीन उपलब्ध करवाया जा रहा है:-

1. डीबीसी धारक उपभोक्ता- शून्य
2. एसबीसी धारक उपभोक्ता - 2 लीटर
3. अन्य उपभोक्ता - उपलब्धता के अनुसार समानुपातिक रूप से

(3) जिला जोधपुर में वर्तमान में 1204 राशन की दुकानें हैं। पिछले एक वर्ष से एपीएल गेहूं का जिले में कार्यरत सभी राशन विक्रेताओं को एपीएल राशन कार्डों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है। किसी भी राशन विक्रेता को एपीएल गेहूं से वंचित नहीं रखा गया है।

ढाढरिया कलां ग्राम पंचायत नागौर में राशन वितरण हेतु प्राधिकार प्रकरण

549. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर, तहसील डेगाना की ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां की उचित मूल्य की दुकान के राशन डीलर हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा दोहरे प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विषय में सरकार द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं जिला कलक्टर, नागौर को पत्र लिखकर ढाढरियाकलां के पूर्व गबन के आरोपी राशन डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं बौगस राशन कार्डों पर राशन सामग्री वितरण व्यवस्था को रोककर विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को निलम्बन से बहाल करने हेतु निर्देशित किया गया है?

(श्री अजय सिंह)

(3) उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी एवं जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी राशन डीलर के विरुद्ध कार्यवाही कर उसे दण्डित कराने का एवं विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को निलम्बन से बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रामरतन मण्डा, उचित मूल्य दुकान के राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के कारण श्री मुन्नालाल, राशन डीलर को जिला रसद कार्यालय के आदेश दिनांक 2.6.2006 के द्वारा क्षेत्रीय कार्य करने हेतु पाबन्द किया गया था।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जिला कलक्टर, नागौर को दिनांक 16.4.2008 को निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां के पूर्व गबन के आरोपी राशन डीलर के द्वारा की जा रही वितरण व्यवस्था को रोककर विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक अवधि होने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8(2) की अनुपालना में निलम्बन से बहाल मानते हुये लम्बित जांच को विचाराधीन रखते हुये राशन सामग्री की वितरण व्यवस्था स्वविवेक से संचालित करायें।

(3) श्री रामरतन मण्डा, राशन डीलर के विरुद्ध जांच लम्बित होने के कारण उनका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया हुआ था, इसलिये अब तक कार्यवाही नहीं की गई।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 25.3.2010 जारी करते हुये श्री मुन्नालाल, राशन डीलर, ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां के प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने एवं विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर श्री रामरतन मण्डा की सप्लाई चालू किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17(93)खा.वि./विधि/77-V जयपुर, दिनांक 25.03.2010

जिला रसद अधिकारी

नागौर।

विषय :- श्री मुन्नालाल, राशन डीलर, ढाढरिया कलां के प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत मामले में निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि श्री मुन्नालाल, राशन डीलर, ढाढरिया कलां को गम्भीर अनियमितता एवं गेहूं गबन का आरोपी मानते हुये उनका प्राधिकार पत्र पूर्व में निरस्त कर उक्त रिक्त उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां के लिये विधिवत रूप से श्री रामरतन मण्डा को राशन डीलर नियुक्त कर प्राधिकार पत्र संख्या 729/05 दिनांक 22.7.2005 को जारी किया गया था। श्री रामरतन मण्डा के विरुद्ध शिकायत होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा उनका प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुये श्री मुन्नालाल के निरस्त प्राधिकार पत्र संख्या 530/2001 पर नियम विरुद्ध कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां की उचित मूल्य दुकान की वितरण व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से बहाल कर दिया गया था।

प्रस्तुत मामले में श्री अजय सिंह क्लिक, माननीय विधायक, डेगाना द्वारा विधान सभा के सदन में इस मामले में आपत्ति प्रकट करते हुये श्री मुन्नालाल, राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने एवं विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर श्री रामरतन मण्डा की सप्लाई को जारी करने के संबंध में मांग उठाई गई। माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु सदन को आश्वस्त किया।

अत: माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्री मुन्नालाल, राशन डीलर, ग्राम पंचायत ढाढरिया कलां के प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हुऐ विधिवत तरीके से नियुक्त राशन डीलर श्री रामरतन मण्डा की सप्लाई चालू की जावे तथा पालना रिपोर्ट से विभाग को तत्काल आवगत करावें।

भवदीय

ह.-

अतिरिकत खाद्य आयुक्त एवं

निदेशक, उपभोक्ता मामलात

कोटा जिले के पेंशन पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड में प्राथमिकता

550. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य में नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कोटा शहर में नए राशन कार्ड बनाने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला कोटा के पेंशन के पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड प्राथमिकता से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में पुरानी पद्धति के आधार पर नये राशन कार्ड बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड वर्ष 2001 में 10 वर्ष के लिये बनाये गये थे, जिसकी वैधता अवधि मार्च, 2011 तक है। राज्य में नये राशन कार्ड बनाये जाने का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी हां। कोटा शहर में प्रचलित राशन कार्ड वर्ष 2001 में बनाये गये थे, जिसकी वैधता अवधि मार्च, 2011 तक है। कोटा जिले में भी नये राशन कार्ड बनाये जाने का प्रकरण उपरोक्तानुसार विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिये राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 17(13)खा.वि./विधि/83 दिनांक 2.6.2007 को जारी कर राशन कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में काम में नहीं लेने बाबत निर्देश जारी किये हुये हैं। परिपत्र दिनांक 2.6.2007 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 17 (13) खा.वि./विधि/83 जयपुर, दिनांक 02.06.2007

परिपत्र

प्राय: ऐसा देखने में आया है कि समय-समय पर विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जाने के उपरान्त भी राशन कार्ड का उपयोग पहचान-पत्र के रूप में किया जा रहा है। कई विभागों में व्यक्ति की पहचान हेतु राशनकार्ड का उपयोग किया जाकर, पहचान-पत्र, मतदाता सूची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान-पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि बनाये जाते हैं। यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि राशन कार्ड केवल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदानित दर पर दिये जाने वाली खाद्य सामग्री, केरोसीन एवं लेवी चीनी आदि का वितरण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

विधान सभा प्राक्कलन समिति ने भी इसे गम्भीरता से लिया है, कि राशन कार्ड का उपयोग पहचान-पत्र के रूप के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक 2(9) के प्रावधान अनुसार राशन कार्ड का उपयोग पहचान हेतु दस्तावेज के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अत: समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करें, कि वे पहचान के लिए राशन कार्ड का उपयोग दस्तावेज के रूप में नहीं करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु व्यक्तिश: उत्तरदायी होंगे।

ह./-

शासन सचिव

अशोका गैस एजेन्सी, शास्त्री नगर, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

551. श्री पेमाराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर स्थित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी की अशोका

(श्री पेमाराम)

गैस एजेन्सी, शास्त्री नगर के पास वर्तमान में कितने उपभोक्ता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस एजेन्सी को अगस्त, 2009 से फरवरी, 2010 तक कितने-कितने घरेलू सिलेण्डरों की कब-कब आपूर्ति हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर की डिलीवरी करने में भेदभाव किया जा रहा है? क्या उक्त गैस एजेन्सी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो फिर किन्हीं उपभोक्ता को 30 दिन तक किन्हीं को 40 दिन अथवा उससे अधिक दिनों के बाद आपूर्ति क्यों की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त गैस एजेन्सी के विरुद्ध गत एक वर्ष में अनियिममितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार उक्त गैस एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की अपने स्तर पर जांच करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में स्थित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी की अशोका गैस एजेन्सी, शास्त्री नगर के पास वर्तमान में सिंगल गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता 6403 तथा डबल गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता 11918 कुल 18321 उपभोक्ता पंजीकृत हैं।

(2) उक्त गैस एजेन्सी को अगस्त, 2009 से फरवरी, 2010 तक निम्नानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी से प्राप्त हुए हैं:-

क्र.सं.	माह	प्राप्त घरेलू सिलेण्डर
1	अगस्त, 2009	12339
2	सितम्बर, 2009	12969
3	अक्टूबर, 2009	12867
4	नवम्बर, 2009	14474
5	दिसम्बर, 2009	15676
6	जनवरी, 2010	13686
7	फरवरी, 2010	14327

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। सभी ग्राहकों को समान रूप से सप्लाई दी जा रही है। जयपुर जिले में आटो गैस बुकिंग व्यवस्था की हुई है। जिसके अन्तर्गत गैस आपूर्ति के दूसरे दिन स्वत: बुकिंग हो जाती है एवं बुकिंग के 30 दिवस में यथा सम्भव उपभोक्ता के घर पर सिलेण्डर की आपूर्ति कर दी जाती है। कतिपय उपभोक्ताओं के घर पर सिलेण्डर खाली नहीं होने अथवा मकान बंद मिलने पर डिलीवरमैन द्वारा पीला कार्ड उसके घर डाला जाता है। पीला कार्ड एजेन्सी को दिखाने अथवा बुकिंग कराने पर उपभोक्ता को तुरन्त सप्लाई दी जाती है।

(4) मैसर्स अशोका गैस एजेन्सी के विरुद्ध गत एक वर्ष में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच करने पर मैसर्स अशोका गैस एजेन्सी के द्वारा उपभोक्ता को गैस आपूर्ति में अनियमितता पायी जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 40/2009 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया एवं दिनांक 02.09.2009 को प्रकरण निर्णीत करते हुये एजेन्सी की सम्पूर्ण अमानत राशि (अर्थात 1000/- रुपये) जब्त की गई एवं भविष्य में समय पर रिफिल आपूर्ति करने के सम्बन्ध में सावधानी बरतने हेतु एजेन्सी को हिदायत दी गई।

(5) जी हां। विभागीय जांच दल द्वारा 13.02.2010 को मैसर्स अशोका गैस एजेन्सी की जांच की गई। जांच में भण्डारण क्षमता से अधिक भण्डारण पाये जाने, एग्जेम्ट केटेगरी के तहत नगद भुगतान पर आपूर्ति किया जाना तथा घरेलू गैस की आपूर्ति बिना कूपन लिये किये जाना इत्यादि अनियमितताएं पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 60/2010 दर्ज किया जाकर दिनांक 12.3.2010 को नोटिस जारी किया जा चुका है।

मारवाड़ जंक्शन में विद्युतीकरण कार्य में लगे ग्रामवासियों को भुगतान

552. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पाली जिले के 936 ग्राम बी.पी.एल. 46532 आवासों को विद्युतीकृत किये जाने की केन्द्र की 33000 करोड़ के बजट परिव्यय वाली प्रमुख योजना है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) जिला पाली की इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? क्या यह एजेंसी जिले में काम करने के लिए स्वतंत्र है? यदि हां, तो इसकी निगरानी कौन रखता है?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांवों का विद्युतीकरण तो किया गया? किन्तु खम्भों के गढ्ढे खोदना, खम्भे खड़े करना आदि सभी कार्य ग्रामवासियों द्वारा करवाया गया? क्या सरकार इन ग्रामवासियों को मजदूरी दिलवाने का विचार रखती है अथवा ठेकेदार को पाबंद कर उनका भुगतान करवायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पाली जिले के सभी 936 (21 अविद्युतिकृत/अविद्युतिकृत घोषित एवं 915 विद्युतिकृत) ग्राम में सघन विद्युतीकरण 46532 बीपीएल परिवारों एवं 8055 सामान्य परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है। इस योजना की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत अनुमानित लागत 29.91 करोड़ रुपये है।

(2) पाली जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने तथा कार्य क्रियान्वयन के लिये मैसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया (भारत सरकार का उपक्रम) को अधिकृत किया गया है। मैसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा मैसर्स ज्योति आदेश दिया गया है। योजना क्रियान्वयन की निगरानी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (पवस), पाली द्वारा की जानी है।

(3) जी नहीं। विद्युतीकरण का सम्पूर्ण कार्य कार्यादेश में नियुक्त ठेकेदार द्वारा ही करवाया जा रहा है एवं किसी भी प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा कार्य नहीं करवाया गया है। अत: इस कार्य का किसी भी व्यक्ति/ग्रामवासी को पारिश्रमिक देय नहीं है।

सीकर जिले में खराब/जले ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

553. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में कृषि कनेक्शनों पर लगाये गये ट्रांसफार्मर जल जाने पर विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? सहायक अभियंता कार्यालय वार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(2) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर जल जाने पर उपभोक्ता द्वारा उसे मरम्मत कराने के लिए निगम कार्यालय तक लाने और ठीक होने के उपरांत यथा स्थान लगाने की कार्यवाही हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हां, तो उपभोक्ताओं को इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले में विगत दो वर्षों में गारंटी अवधि समाप्ती के बाद जले हुए ट्रांसफार्मर को मरम्मत कराने पर अजमेर निगम द्वारा 455.66 लाख रु. की राशि व्यय की गई। चूंकि निगम में सहायक अभियंता कार्यालयवार से जले हुए ट्रांसफार्मर वृत स्टोर में जमा होते हैं एवं वृत स्टोर से विभिन्न फर्मों को जिनको सी.एल.आर.सी. के तहत मरम्मत करने का कार्यादेश दिया होता है उनको लाट के आधार पर मरम्मत हेतु भेजा जाता है। बजट आबंटन एवं खर्चे का हिसाब भी वृत्त स्तर पर रखा जाता है। अत: सहायक अभियंता कार्यालयवार व्यय राशि का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) ट्रांसफार्मर खराब हो जाने की स्थिति में उपभोक्ता के यहां से सहायक अभियन्ता कार्यालय तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी विद्युत कम्पनी की होती है। विद्युत कम्पनी उपरोक्त जिम्मेदारी के दायित्व का निर्वाह कर रही है। कभी-कभी निगग का वाहन उपलब्ध नहीं होने पर या उपभोक्ता की तुरन्त आवश्यकता होने पर स्वयं की इच्छा से किसान द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, जिसके लिए निगम द्वारा किसान को कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

चौमूं कस्बे (जयपुर) की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की कार्य योजना

554. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा चौमूं में विद्युत लाइनों का मकानों पर जाल बिछा हुआ है? क्या सरकार द्वारा उक्त कस्बे में विद्युत लाइनों को हटाकर अण्डरग्राउण्ड करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कस्बे में मकानों के ऊपर जा रही

(श्री भगवान सहाय सैनी)

लाइनों से अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 8-10 लोगों की मृत्यु भी हुई है?

(3) क्या सरकार द्वारा विद्युत लाइनों को अण्डरग्राउण्ड करने की कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निगम के द्वारा खींची गई लाइनों के नीचे बहुत लोगों के द्वारा मकान बना लिये गये हैं। इन लाइनों को हटाने के लिये जब-जब आवेदन प्राप्त हुए हैं उन लाइनों को हटाने हेतु तकमीना बनाकर कुल राशि के 50 प्रतिशत की राशि का मांग पत्र आवेदनकर्ता को जारी किया जाता है। उक्त कस्बे की विद्युत लाईनों को भूमिगत करने की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। उक्त कस्बे में मकानों के ऊपर जा रही लाइनों से दुर्घटना में अभी तक मात्र एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

(3) जी नहीं।

विराटनगर तहसील में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

555. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील विराटनगर में एक भी 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है? क्या सरकार तहसील विराटनगर में सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील विराटनगर की ग्राम पंचायत आमलोदा, तालबाविहाजर, मैड, तेवडी, भामोद, जोधला, बडोदिया, गोविन्दपुरा, धाबाई, नाथावाला, जाजकला, सोठाना, छितोली, बागावास अहीरान, बजरंगपुरा, ढाणी गैसकान, बागावास, चौरासी, लुहाकना में 11/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सब-स्टेशनों का निर्माण कर कृषकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के अनुरूप 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने एवं उसके तकनीकी, आर्थिक

(ऊर्जा मंत्री)

जांच में साध्य पाये जाने पर तथा विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि तहसील विराटनगर की ग्राम पंचायत आमलोदा, मैड, तवेडी, भामोद, लुहाकाना, जोघला, बडोढिया गोविन्दपुरा धाबाई, नाथावाला, जाजेकला, सोठाना, छितोली, बागावास अहीरान, बजरंगपुरा, ढाणी गैसकान एवं लुहाकना में 11/33 के.वी. सब स्टेशन नहीं है। ग्राम बागावास चौरासी में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित है। प्रत्येक ग्राम में सब-स्टेशन बनाना सम्भव नहीं है। पंचायत समितिवार ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत 33/11 के.वी. नये सब-स्टेशन बनाने की योजना बनाई जा रही है तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नये सब-स्टेशन बनाना प्रस्तावित किया जायेगा। नवीन सब-स्टेशन क्षेत्र के भार, तकनीकी साध्यता के आधार पर बनाना प्रस्तावित किया जाता है।

सुल्तानपुर पंचायत समिति (कोटा) के अविद्युतीकृत ग्राम

556. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांगाहेडी (हरिपुरा) मोहम्मदपुरा दीवानिया, पंचायत समिति, सुलतानपुर, जिला कोटा अभी भी अविद्युतीकृत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एवं अन्य योजना में उन्हें विद्युतीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मांगाहेडी (हरिपुरा), मोहम्मदपुरा दीवानिया, पंचायत समिति, सुलतानपुर जिला कोटा में है जो 2001 में विद्युतीकृत हो चुके हैं, परन्तु लम्बे समय से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विद्युत तंत्र विकसित नहीं किया गया है।

(2) उक्त तीनों ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एवं अन्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त गांव में बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

नगर में स्पाट बिलिंग में अनियमितताएं

557. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में स्पाट बिलिंग से उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग से अधिक राशि के बिल दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और नगर में ऐसे कितने मामले बने?

(2) क्या यह भी सही है कि स्पाट बिलिंग में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्पाट बिलिंग की गड़बड़ियों को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नगर में स्पाट बिलिंग का कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है।

(2) भरतपुर वृत के अधीन स्पाट बिलिंग का कार्य केवल उपखण्ड ए-प्रथम व ए-तृतीय भरतपुर में जून 2009 से आरम्भ किया गया है। स्पाट बिलिंग से संबंधित गड़बड़ियां होने की कोई भी शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। स्पाट बिलिंग में किसी प्रकार की उल्लेखनीय गड़बड़ियों की जानकारी अभी तक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। स्थानीय स्तर पर कई बार डाटा बेस के अपडेशन अथवा गलत रीडिंग के कारण कुछ बिल गलत आ जाते हैं उनमें स्थानीय स्तर पर सुधार कर लिया जाता है।

कृषकों को मांग पर विद्युत कनेक्शन

558. श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उद्योगों की भांति कृषकों को मांग पर ही विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य में कृषकों को मांग पर कृषि विद्युत कनेक्शन देने के क्रम में अप्रैल, 2003 से पूर्व के सभी आवेदकों के कनेक्शन जारी कर दिये गये थे।

राज्य में दिनांक 31.12.07 तक के आवेदित कृषि कनेक्शन के सभी मांग पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिनमें से माह फरवरी, 2010 तक 90072

(ऊर्जा मंत्री)

आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा थी, इनमें से 64031 आवेदकों के कनेक्शन माह फरवरी, 2010 तक जारी किए जा चुके हैं। शेष मांग पत्र राशि जमा आवेदकों के कनेक्शन नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं। उद्योगों की भांति कृषकों को मांग पर विद्युत कनेक्शन देने की योजना पर राज्य सरकार विद्युत की उपलब्धता, प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं राज्य में भूजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगी।

अजमेर शहर में विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण

559. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में अजमेर शहर में कितनी विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए व कितनों को उपरोक्त पेंशन स्वीकृत की गई? वर्षानुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्तमान में उपरोक्त श्रेणियों के कितने पेंशन प्रकरण विचाराधीन हैं? समयावधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार इनका कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अजमेर शहर में विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त हुए आवेदन पत्रों एवं स्वीकृत हुए आवेदन पत्रों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		
		विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था
1	2006-07	102	05	43	102	05	43
2	2007-08	206	29	96	206	29	96
3	2008-09	108	07	57	108	07	57
	योग	**416**	**41**	**196**	**416**	**41**	**196**

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उपरोक्त तालिका में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन योजना के पेंशनर भी सम्मिलित हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन।

(2) आवश्यकतानुसार नियमों में उचित प्रस्तावों पर समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं।

(3) वर्तमान में उपरोक्त श्रेणियों के पेंशन के कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में कोई पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं है।

आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में देरी

560. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की कितनी राशि वर्ष 2006 से फरवरी, 2010 तक उपलब्ध करायी गई एवं कुल कितनी राशि वितरित की गई? कुल राशि एवं लाभान्वितों की संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उक्त अवधि में कितनी छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई व छात्रवृत्ति वितरित नहीं होने के क्या कारण रहे ? भविष्य में वितरण में विलम्ब नहीं हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वर्ष 2006-07 से 2009-10 (फरवरी 2010 तक) तक जिलेवार बजट आबंटन, व्यय एवं लाभान्वितों की संख्या परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्ष 2009-10 का छात्रवृत्ति वितरण का कार्य जारी है।

(2) राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उक्त अवधि में छात्रवृत्ति वितरित नहीं करने का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

सत्र के पात्र विद्यार्थियों को आगामी सत्र में छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विभागीय गाइड लाइन्स में दर्शायी गई प्राथमिकताओं के अनुसार छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति वितरण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये संसाधनों में से जितनी छात्रवृत्ति वितरित की जा सकती है, उतने आवेदक लाभान्वित हो पाते हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि प्रवेश प्रक्रिया में देरी होने के कारण, मार्च माह तक बढ़ा दी जाती है। इसी कारण मार्च माह में प्राप्त आवेदन पत्रों को आगामी वित्तीय वर्ष में लाभ दिया जाना सम्भव हो पाता है।

भविष्य में वितरण के विलम्ब को रोकने के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृति प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करवाया गया है। छात्रवृत्ति प्रक्रिया की जानकारी देने के लिये तहसील स्तरीय कार्यशालाओं के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विद्यार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति समय पर वितरित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रतनगढ़ में गरीब परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता

561. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए सहायता स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो कितनी व कौन-

(श्री राजकुमार रिणवां)

कौन से परिवारों को तथा किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से 01 फरवरी, 2010 तक विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कुल कितने आवेदन सहायता हेतु प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये एवं आवेदन निरस्त करने के क्या कारण रहे और कितने परिवारों को शादी हेतु कितनी-कितनी राशि सहायतार्थ स्वीकृत की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सहायता राशि उपलब्ध करवाने के अब कितने आवेदन लम्बित हैं तथा इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार लम्बित प्रकरणों में सहायता राशि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए निम्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत की जाती है-

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सहायता नियम 2005 (सहयोग योजना) के अन्तर्गत ऐसे परिवारों की 18 वर्ष व इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर राशि रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) की सहायता के साथ ही 10वीं उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर 5000/- (पांच हजार रुपये) की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्या के विवाह पर रूपये 10,000/- (दस हजार रुपये) की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नियम 2005 व समय-समय पर जारी संशोधन परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।
2. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की, जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है, की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर राशि रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) की सहायता प्रदान की जाती है। नियम 1997 व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी संशोधन परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2004 से 01 फरवरी, 2010

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

तक सहयोग योजना तथा विधवा की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, निरस्त आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता राशि का संख्या विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

आवेदन निरस्त किये जाने के निम्न कारण रहे हैं :-

1. कन्या की आयु 18 वर्ष से कम होना।
2. आयु प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।
3. आवेदन की समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त आवेदन करना।
4. परिवार में वयस्क कमाऊ पुत्र होना।
5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विधवा की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना के अन्तर्गत कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। "सहयोग योजना" के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। लम्बित पात्र आवेदकों को इसी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित कर दिया जायेगा।

(प्रतियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बिलाड़ा में जारी विधवा पेंशन

562. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन आदेश जारी किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 में राज्य में कितनी विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा कितनी राशि विधवा पेंशन के रूप में जारी की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधवा पेंशन जारी करने हेतु कोई ठोस नीति/कार्यक्रम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 1975 विधवा महिलाओं को पेंशन आदेश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-10 में (माह फरवरी, 2010 तक) 287340 विधवा महिलाओं को राशि रुपये 11459.65 लाख का भुगतान किया गया है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा विधवाओं को पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर राज. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के तहत पेंशन स्वीकृत की जाती है। 40 से 64 आयु वर्ग की बीपीएल चयनित, विधवा महिलाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जाती है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के विधवा पेंशन प्रकरणों की दिनांक 26.02.2010 की स्थिति

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाओं की कुल संख्या
1	2	3
1	बाला	18
2	बरना	39
3	माही	41
4	बीजदाडिया	28
5	बीरून्दा	59
6	बोयल	28
7	बुचकला	36
8	चान्देलाय	29
9	चिरढाणी	22
10	चौढा	22
11	घाणामनारा	29
12	हरियाडा	32
13	हरियाढागा	37
14	जोतिवास	26
15	झाक	18
16	कालाउना	24
17	कायरडा	30
18	खारिया मिठापुर	34
19	खेजडला	61
20	लाम्बा	24

1	2	3
21	मादलिया	24
22	मालावास	26
23	मालाकोसनी	29
24	नानण	23
25	ओलवी	24
26	पिचियक	32
27	पडाजला कला	28
28	पटेल नगर	8
29	रावनियाना	20
30	रामासनी	11
31	रणसीगांव	56
32	रावर	19
33	रियां	33
34	साम्बडिया	14
35	सिलारी	26
36	सिन्धिपुरा	19
37	तिलशजनी	23
38	उदलियावास	27
39	बिसलपुर	32
40	डागियावास	15
41	खातियासनी	21
42	पीथावास	10
43	जालेली फौजदारा	14
44	जालेली दईकड़ा	11
45	बावरला	12
	कुल	**1194**
क्र.सं.	**नगरपालिका क्षेत्र**	**विधवा पेशनर्स की कुल संख्या**
1	पीपाड राहर	506
2	बिलाड़ा	275
	योग	**781**
	कुल योग	**1975**

परिशिष्ट-2

वर्ष 2009-10 में (माह फरवरी 2010 तक) विधवा महिलाओं को भुगतान की गयी जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	विधवा पेंशनर्स की संख्या	पेंशन भुगतान राशि (लाखों में)
1	**2**	**3**	**4**
1	अजमेर	12222	723.81
2	अलवर	10351	430.56
3	बांसवाड़ा	5278	225.07
4	बारां	5840	261.69
5	बाड़मेर	4994	225.13
6	भरतपुर	12325	450.29
7	भीलवाड़ा	13908	588.33
8	बीकानेर	3763	171.70
9	बूंदी	8123	232.93
10	चित्तौड़गढ़	10574	355.23
11	चूरू	10754	418.37
12	दौसा	7672	133.14
13	धौलपुर	7249	261.81
14	डूंगरपुर	10185	217.82
15	हनुमानगढ़	5725	277.00
16	जयपुर	14915	707.99
17	जैसलमेर	1268	37.59
18	जालौर	6412	241.92
19	झालावाड़	7791	331.15
20	झुन्झुनूं	7423	338.00
21	जोधपुर	11933	540.48
22	करौली	7404	322.48
23	कोटा	9215	365.86
24	नागौर	17410	509.03
25	पाली	10936	496.36
26	राजसमन्द	10065	346.12

1	2	3	4
27	सवाईमाधोपुर	5102	248.15
28	सीकर	7743	366.74
29	सिरोही	5845	214.20
30	श्रीगंगानगर	10101	407.30
31	टोंक	7046	202.42
32	उदयपुर	13375	625.41
33	प्रतापगढ़	4393	185.57
	योग	**287340**	**11459.65**

सिवाना में नवीन पशु चिकित्सालय

563. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां कब-कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के एवं कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद भरे हुए व कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं और सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में निम्न पशु चिकित्सालय संचालित हैं:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	कब से संचालित/स्वीकृत
1	प्रथम श्रेणी प. चि. सिवाना	वर्ष 1957
2	प. चि. समदड़ी	वर्ष 1987
3	प. चि. सिणधरी	वर्ष 1962
4	प. चि. पादरू	वर्ष 78-79
5	प. चि. होड्ड	वर्ष 84-85
6	प. चि. मोकलसर	वर्ष 87-88
7	प. चि. राखी	वर्ष 84-85
8	प. चि. इन्द्राणा	वर्ष 95-96

(पशुपालन मंत्री)

(2) उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदों को भरा जाता है।

(3) आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत संस्था एवं कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	संस्था का नाम	वपचिअ		पचिअ		वीए		पधस		प.परिचर		जलधारी		स.कर्ता		गडरिया	
	प्र.श्रे.प.चि. सिवाना	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त	स्वी	रिक्त
1	पुश चिकि. समदडी	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	1	-	1	-
2	पशु चिकि. सिणधरी	-	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-
3	पशु चिकि. पादरू	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-
4	पशु चिकि. होडू	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
5	पशु चिकि. मोकलसर	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
6	पशु चिकि. राखी	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-
7	पशु चिकि. इन्द्राणा	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
8		-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को डी.ए.पी. व यूरिया खाद की आपूर्ति

564. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम बड़लिया, पीपली आचार्यान, पांडोलाई गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों को रबी की फसलों हेतु डी.ए.पी. व यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों के किसानों को सहकारी समिति द्वारा डी.ए.पी. व यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम बड़लिया, पीपली आचार्यान, पाण्डोलाई गांवों में पीपली आचार्यान ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसानों द्वारा रबी की फसल हेतु डी.ए.पी. व यूरिया खाद की मांग नहीं करने के कारण उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त पीपली आचार्यान ग्राम सेवा सहकारी समिति वर्ष 1998 से बंद थी तथा इसे अगस्त, 2009 से पुन: सक्रिय कर 17 सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति रबी व खरीफ फसल हेतु किसान सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने का विचार रखती है।

चौसला ग्राम पंचायत मुख्यालय (अजमेर) का नाम परिवर्तन

565. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) **:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी का ग्राम पंचायत मुख्यालय चौसला बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में आ चुका है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम चौसला के स्थान पर कालेड़ा कंवरजी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में ग्राम पंचायत मुख्यालय चौसला के

(डा. रघु शर्मा)

स्थान पर कालेड़ा कंवरजी करने की अभिशंषा कर दी गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत, चौसला का नाम व मुख्यालय परिवर्तन के लिए जिला कलक्टर, अजमेर से पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9 के प्रावधानों के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु अधिकृत कर अभिशंषा के साथ रिपोर्ट चाही गई है। अभिशंषा प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में मुख्यालय कालेड़ा कंवरजी करने की अभिशंषा की गई है परन्तु धारा-9(3) की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन गौशालाओं के प्रस्ताव

566. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गौशाला खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गौशाला खोलने और उसको संचालित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता/अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गौशाला खोलने के लिए कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अन्तर्गत गौशालाओं का पंजीकरण किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सीआरएफ मद से अकालग्रस्त क्षेत्र में संचालित पंजीकृत गौशालाओं को 20 रु. प्रति बड़ा पशु एवं 10 रु. प्रति छोटा

(सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री)

पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जाता है। जिसमें से क्रमश: 6 एवं 3 रू. पशु आहार हेतु हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कोई गौशाला संचालित नहीं है।

(4) गौशाला दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जन सहयोग से खोली जाती हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में अतिरिक्त अकाल राहत कार्य

567. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने जिला जोधपुर एवं बाड़मेर को अकालग्रस्त और अभावग्रस्त घोषित किया है? यदि हां, तो इन जिलों में पशुओं के चारा एवं पानी के लिए कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त अकालग्रस्त जिलों में नरेगा के अतिरिक्त और कोई कार्य करवाकर मजदूरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला जोधपुर एवं बाड़मेर को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त दोनों जिलों में पशुओं के लिए सम्वत 2066 में दिये गये अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिला जोधपुर:-

गौशाला एवं पशु शिविर अनुदान मद में 825.26 लाख, चारा परिवहन मद में 12.00 लाख रु. एवं ब्याज मुक्त ऋण मद में 50.00 लाख रु. आबंटित किये गये।

जिला बाड़मेर:-

गौशाला एवं पशु शिविर अनुदान मद में 307.20 लाख रु., चारा परिवहन मद में 20.00 लाख रु. एवं ब्याज मुक्त ऋण मद में 27.50 लाख रु. की राशि अब तक आबंटित की गयी है। अकाल की शेष अवधि में आवश्यकतानुसार और भी आबंटन किया जावेगा।

(सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री)

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में, जिला कलक्टर्स की मांग एवं ग्रामीण विकास विभाग की नरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर, जिलेवार श्रमिक सीमा का आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसके अनुसार जिलों द्वारा आवश्यकतानुसार ऐसे परिवारों के एक सदस्य को अकाल सम्वत 2066 में राहत कार्यों पर प्रतिमाह 10 दिवस के लिए रोटेशन अनुसार राहत कार्यों पर नियोजित किया गया है।

जैसलमेर जिले में स्वीकृत पशु शिविर

568. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सहायता एवं अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला जैसलमेर के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष कितने असहाय पशुओं को चारा उपलब्ध करवाने के लिए पशु शिविर की स्वीकृति जारी की गई है? पशु शिविर स्वीकृत करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या-क्या हैं तथा क्या उक्त मानदण्ड का पालन कर स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो ग्रामवार व पशु संख्यावार स्वीकृत शिविरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जैसलमेर के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष अब तक 500 पशु शिविर खोलने की स्वीकृति जारी की गयी है। प्रति पशु शिविर पशुओं की अधिकतम संख्या 200 निर्धारित है, जिसे जैसलमेर जिले के लिए विशेष स्थिति में आवश्यक होने पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर 500 पशु कर दी गयी है। पशु शिविर स्वीकृत किये जाने के मानदण्ड विभाग के आदेश दिनांक 13-11-2009 में निर्धारित किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर है। जिले में खोले गये पशु शिविरों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। जिले में स्वीकृत पशु शिविर एवं उनमें लाभान्वित पशुओं का ग्रामवार एवं पशु संख्यावार विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(प्रति व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

करौली जिले में विभिन्न योजनांतर्गत विकास कार्यों पर व्यय राशि

569. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

(1) जिला करौली में गत तीन वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? व्यय की गई राशि का योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-2003 के मुकाबले वर्ष 2004-08 के मध्य जिले के विकास पर व्यय की गई राशि का योजनावार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली में गत तीन वर्षों में योजनावार व्यय की गई राशि की संख्यात्मक सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1998-2003 के मुकाबले वर्ष 2004-08 के मध्य जिले के विकास पर व्यय की गई राशि का योजनावार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण विधान सभा पुस्तकाल में रखे गये)

राजकीय महाविद्यालय उनियारा (टोंक) में रिक्त पद

570. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं? यदि हां, तो स्वीकृत एवं रिक्त पदों के पृथक्-पृथक् विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो स्वीकृत सूची में वर्णित पदों पर कब तक पदस्थापन कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्टाफ की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में कमी आ रही है? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा कब तक ध्यान देकर स्टाफ की कमी पूर्ति कर दी जावेगी?

(3) क्या सरकार महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के लिए स्थाई या संविदा के आधार पर नियुक्तियां देने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पद पर किस-किस की कितनी-कितनी? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) उक्त महाविद्यालय में चले आ रहे रिक्त पदों पर पूरी नियुक्तियां कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, उनियारा में व्याख्याताओं के स्वीकृत पद, कार्यरत व्याख्याता एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत व्या.	रिक्त पद
अंग्रेजी	1	0	1
भूगोल	1	1	0
हिन्दी	1	0	1
इतिहास	1	0	1
गृह विज्ञान	1	1	0
राजनीति शास्त्र	1	0	1
संस्कृत	1	1	0

विभिन्न विषयों के 457 व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर राजकीय महाविद्यालय, उनियारा के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार किया जावेगा।

अशैक्षणिक पदों में 01 आपरेटर मय कम्प्यूटर एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद संविदा पर स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध एक ऑपरेटर मय कम्प्यूटर एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक पद रिक्त है।

(2) जी नहीं। अध्यापन/शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से अतिथि व्याख्याता रखे जाने हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उनियारा को दिनांक 22.02.2010 को अधिकृत किया जा चुका है।

(3) जी हां। अध्यापन/शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से अतिथि व्याख्याता रखे जाने हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उनियारा को दिनांक 22.02.2010 अधिकृत किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा

(उच्च शिक्षा मंत्री)

आयोग से चयनित अभ्यर्थी (व्याख्याता पद हेतु) उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण के समय उनियारा के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार किया जावेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक रिक्त पद को संविदा पर भरा जावेगा।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी (व्याख्याता) उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण के समय उनियारा के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार किया जावेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर संविदा से आगामी शैक्षणिक सत्र में भरा जा सकेगा।

अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

571. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार अनूपगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रोबेशन पर नियुक्त व्याख्याताओं को नियमित वेतनमान

572. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 से 2009 तक हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के कालेज व्याख्याताओं का राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया गया है? यदि हां, तो सूची वर्ष वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी व्याख्याताओं का राजकीय महाविद्यालयों में प्रोबेशन पर पदस्थापन कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस का कौन-कौन से महाविद्यालय में पदस्थापन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) क्या उक्त सभी व्याख्याताओं को नियमित वेतन श्रृंखला दे दी गई है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों और इन्हें अब कब तक नियमित वेतन श्रृंखला दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चयनित व्याख्याताओं की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के पदस्थापन की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। व्याख्याताओं को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पर नियुक्त किया गया था। अभी उक्त सभी व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया है)

अनुदानित गांधी महिला महाविद्यालय किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

573. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2009 एवं 11 सितम्बर, 2009 को आयुक्तालय, कालेज शिक्षा के माध्यम से गांधी यू.एस.पी. संस्थान समिति, किशनगढ़-रेनवाल, जयपुर द्वारा अनुदानित गांधी महिला महाविद्यालय में महिला शिक्षा के नाम से हो रहे करोड़ों रुपये के सरकारी अनुदान, गबन, भ्रष्टाचार एवं शोषण की जांच करायी गई थी? क्या जांच के दौरान लगाये गये आरोप सही पाये गये थे? यदि हां, तो दोषियों के नाम सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई तथा कब से उक्त रिपोर्ट लम्बित है व उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्था में हो रही अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) जी हां। आयुक्तालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट अपूर्ण होने से कतिपय बिन्दुओं पर पुन: परीक्षण किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इसके पश्चात ही आरोपों का प्रमाणीकरण का विनिश्चय हो सकेगा।

(2) आयुक्तालय द्वारा जांच रिपोर्ट पत्रावली राज्य सरकार को दिनांक 11-11-2009 को प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं के संबंध में जानकारी चाही गई है जिसके संबंध में संबंधित संस्था व अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनाएं

574. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के अन्तर्गत पंचायत समिति आसीन्द एवं पंचायत समिति हुरडा का क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत खादी कार्यक्रम में 4 संस्थाओं द्वारा निम्न प्रकार कार्य किया जा रहा है:-

1. क्षेत्रीय रचनात्मक खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, गुलाबपुरा, भीलवाडा:- इस संस्था का कार्य क्षेत्र सरेड़ी, बागेड़ा, खेजड़ी पंचायत, हुरडा एवं गुलाबपुरा नगरपालिका क्षेत्र है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में संस्था के 6 बुनकर खादी बुनाई कार्य एवं 98 कत्तिन सूत कताई कार्य में कार्यरत हैं।
2. रूपाहेली खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, रूपाहेली, भीलवाडा:- इस संस्था का कार्यक्षेत्र हुरडा, रूपाहेली एवं गुलाबपुरा नगरपालिका क्षेत्र है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में संस्था के 4 बुनकर खादी बुनाई कार्य एवं 25 कत्तिन सूत कताई कार्य में कार्यरत हैं। गुलाबपुरा में संस्था बिक्री का कार्य भी करती है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

3. ईरास खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, रायला, भीलवाडा:- इस संस्था का पाटियों का खेड़ा में सूत कताई कार्य का केन्द्र है, जो वर्तमान में बन्द है।

4. सेवा सदन, भीलवाडा:- इस संस्था का आसीन्द में एक बिक्री भण्डार है।

ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित योजनाओं में इस क्षेत्र में 207 इकाइयां संचालित हैं, इन इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाये जा रहे हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

575. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अन्य विभाग/बोर्ड/निगम इत्यादि से अधिकारी/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर सेवाऐं लेने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में बोर्ड में किस-किस विभाग/बोर्ड/निगम के कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कब समाप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में बोर्ड द्वारा सेवा सत्यापन एवं अन्य प्रविष्टियां की जाती हैं? यदि हां, तो क्या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों का सेवा अभिलेख बोर्ड में उपलब्ध होकर प्रविष्टियां पूर्ण की हुई हैं? यदि नहीं, तो किस-किस का सेवा अभिलेख बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है तथा बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 यथासंशोधित जून, 1976 के अध्याय 2 की धारा 8 व 9 में निहित प्रावधान अनुसार सचिव एवं वित्त सलाहकार की नियुक्ति (प्रतिनियुक्ति पर) राज्य सरकार

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

द्वारा की जाती है (अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है) तथा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी सेवा आनियम 1977 यथा संशोधित 1997 में निहित प्रावधान अनुसार लेखाधिकारियों के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रावधान है (सेवा अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है) ।

(2) वर्तमान में बोर्ड में निम्नांकित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं:-

क्र. सं.	**नाम अधिकारी**	**पद**	**कब से पदस्थापित**	**विशेष विवरण**
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सचिव	20.10.09	राज. प्रशा. सेवा के अधिकारी
2	श्री राजकुमार मीणा	FA&CAO	17.06.09	राज. लेखा सेवा के अधिकारी
3	श्री नवरतन अग्रवाल	लेखाधिकारी	16.07.05	राज. लेखा सेवा के अधिकारी
4	श्री वरूण मिश्रा	लेखाधिकारी	23.05.08	राज. लेखा सेवा के अधिकारी
5	श्री दिनेश अरोरा	उप निदेशक विपणन	22.5.97	श्री दिनेश अरोरा को राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन फेडरेशन लि., जयपुर से खादी बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 4128 दिनांक 22.9.97 को प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक (विपणन) के पद पर लिया गया था, परन्तु इन्हें अभी तक खादी बोर्ड में समायोजित नहीं किया गया है। समायोजन के क्रम में प्रकरण लम्बित है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(3) जी हां। बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के सेवा अभिलेख में बोर्ड द्वारा प्रसारित आदेशों की प्रविष्टियां तथा वेतन बिलों के आधार पर सेवा सत्यापन किया जाता है। बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों में से श्री राजकुमार मीणा, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका इनके पूर्व विभाग से बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दिनेश अरोरा, उपनिदेशक की सेवा पुस्तिका इनके पैतृक विभाग को आवश्यक इन्द्राज की पूर्ति हेतु भिजवाई गयी थी जो आज तक खादी बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। इस हेतु समय-समय पर पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है। श्री अरोरा की सेवा पुस्तिका प्राप्त न होने के कारण इनका वेतन स्थिरीकरण, वेतनवृद्धि आदि सम्बन्धी कोई आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं तथा कोई इन्द्राज भी नहीं किया जा सका है। अन्य अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में आज तक जारी सभी आदेशों की प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर एवं भरतपुर जिलों में फर्जी जॉब कार्ड प्रकरण

576. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा के अन्तर्गत जिला धौलपुर एवं भरतपुर में फर्जी जॉब कार्ड बने हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो कब और जांच में कितने फर्जी जॉब कार्ड तहसीलवार पाये गये?

(3) उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भरतपुर जिले में जनवरी, 2009 में जांच कराये जाने पर तहसील बयाना में 3 जॉब कार्ड फर्जी पाये गये व धौलपुर जिले में जिला

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

कलक्टर के पत्र दिनांक 13.07.09 के द्वारा जांच में बाड़ी तहसील के 2 फर्जी जॉब कार्ड पाये गये।

(3) भरतपुर ने इस कृत्य के लिये ग्राम पंचायत समोगर के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई तथा ग्राम सेवक को निलम्बित किया गया एवं रोजगार सहायक का अनुबन्ध समाप्त किया गया पुलिस अन्वेक्षण में है।

धौलपुर जिले ने इस कृत्य के लिये ग्राम सचिव, ग्राम कंचनपुर को 16 सीसीए में चार्जशीट दी गई है।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

बयाना कस्बे की इण्डेन गैस सर्विस द्वारा अनियमितता एवं कालाबाजारी

विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना कस्बा में "बयाना इण्डेन गैस बयाना" के द्वारा भारी भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं खुले रूप से कालाबाजारी का प्रकरण सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस गैस एजेंसी का मालिक महेश चंद धारीवाल जो खुले रूप से बयाना के उपभोक्ताओं के गैस के सिलेन्डरों को ट्रैक्टर द्वारा पड़ौसी कस्बों में ले जाकर 700/- रुपये में बेचता है। बयाना के उपभोक्ता जब जाते है तो यह कह कर लौटा देता है कि कल ट्रक आयेगा या 21 दिन बाद आना तब मिलेगा। और इसके कामदार जो गैस एजेंसी पर बैठते है वे कहते है यदि 700/- रुपये देते है तो अभी ले जाओ। बेचारा उपभोक्ता लौटा दिया जाता है। यह शिकायत मुझे बाजार में कई उपभोक्ता एवं भीतरवाडी के संभ्रांत नागरिकों द्वारा मिलीं, गुण्डागिर्दी माहौल बना रखा है। इसने दो चार गुण्डे लड़के इसलिए वह रख रखे है कि अगर कोई उपभोक्ता ज्यादा मांग करे तो बलपूर्वक भगा दो, यह एक आम उपभोक्ता के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि सरासर गुण्डागिर्दी का उदाहरण है। सुना गया है कि यह संबंधित अफसरों से मिला हुआ है। शिकायत भी की जाती है तो स्थानीय प्रशासन उल्टा उसको संरक्षण देता है जैसा कि व्यापार मंडल बयाना के बैनर के तले हुए जुसुस के समय स्थानीय उपखण्डाधिकारी द्वारा मात्र आश्वासन देकर दिनांक 17.01.10 को लौटा दिया गया यह प्रजातंत्र में जनता के अधिकार एवं आम जरूरतों पर कुठाराघात है। स्थिति समय रहते नहीं सुधारी गई तो कस्बे में परेशान उपभोक्ता कभी भी कोई कदम उठा सकते हैं। यही नहीं इस एजेन्सी का दायित्व है कि होम डीलेवरी करे तभी समस्या का समाधान सम्भव है। तथा इसकी कालाबाजारी पर लगाम लगाने की प्रभारी कार्यवाही की जावे।

आशा ही नहीं उम्मीद है कि स्थानीय एजेंसी से होम डिलेवरी निश्चित समय पर कराने हेतु बयाना इण्डेन गैस बयाना को पाबंद किया जावे। जो एक सार्थक व्यवस्था है सुचारू रूप से यह व्यवस्था लागू कराई जावे। तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की प्रभारी कार्यवाही की जावे।

ग्यारसाराम कोली

(बयाना)

जालोर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जालोर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जालोर में पानी की बड़ी समस्या है। जालोर जिले में जो पेयजल स्त्रोत उपलब्ध है उनमें पूरे राजस्थान में सर्वाधिक फलोराइड की मात्रा जालोर में है इसका मुख्य कारण भूमिगत जल काफी गहराई पर चला गया है। महोदय जालोर जिला मुख्यालय पर इन दिनों 90 घण्टे में पानी की सप्लाई हो रही है। सर्वाधिक फलोराइड की मात्रा जालोर में होने से लोगों के अंगों को लंगड़ा लूला बना देता है। आगे गर्मी चालू हो रही है, अभी से यह हाल है। गर्मी में क्या हाल होगा। अत: जहां पर टयूबवैल चल रहा था वहां पानी कम पड़ गया है, वहां समय रहते टयूबवैल खुदवाकर पानी की समस्या का समाधान किया जावे साथ ही माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो नर्मदा नहर परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है उसकी गति तेज करवाने की कृपा करें। साथ ही जो तातरोल में नर्मदा नहर के पानी का स्टोरेज हेतु जमीन एक्वायर कर रखी है उसको अतिशीघ्र खाली करवा कर कब्जा लिया जावे। ताकि नर्मदा नहर परियोजना के कार्य में तीव्र गति आ सके व जालोर जिले के लोगों को फलोराइड से मुक्ति मिल सके, साथ में पानी की समस्या का समाधान हो सके।

रामलाल मेघवाल

(जालौर)

जालोर के थाना आहोर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुकेश पुत्र हस्तीमल के खिलाफ एक प्रथम सूचना संख्या-134 दिनांक 12/06/2009 को पुलिस थाना आहोर में मगसिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह, निवासी कानिवाडा द्वारा दर्ज कराई गई। जिसमें कहा गया कि गांव में हनुमानजी का मंदिर है, जहां पर दान पात्र रखे हुए हैं। जो दर्शनार्थी आते हैं, अपनी श्रद्धानुसार दान पात्र में रुपये डालते हैं। कल दोपहर दिनांक 11/06/2006 को 3-4 बजे गांव का व्यक्ति नाम झालाराम पुत्र श्री शंकरजी भील, अशोक पुत्र श्री खींमाराम, जाति भील, मंदिर में गये तो देखा कि मंदिर के दान पात्र में से मुकेश पुत्र श्री सांवलाराम गर्ग, मुकेश पुत्र

श्री हस्तीमल गर्ग, निवासी कानिवाडा तार डालकर रुपये निकाल रहे थे। 1000 1000 के तीन नोट उन्होंने बाहर निकाले। तब उपरोक्त लोगों के देखने पर उन्होंने इन्हें ऐसा करने से मना किया, तो दोनों मुकेश उनसे झगड़ा करने लगे। रास्ते जाते हुए मैंने इन्हें देखा और मंदिर में चला गया, तो देखा कि तीन नोट 1000-1000 के इनके हाथ में थे, जो मैंने लिये एवं बाद में गांव के लोग इन्हें ले गये व थाने पर ले गये तथा थानेदारजी, पटवारीजी मौके पर आए व मौका देखा, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तब गांव वालों ने मुझे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा।

श्रीमान प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज होने के पश्चात् पुन: इन्हीं तथ्यों पर एक नई एफ.आई.आर. संख्या-280 दिनांक 05/12/2009 को दर्ज की गई, जिसमें भी इन्हीं तथ्यों के बारे में कहा गया, परन्तु नोटों पर लिखें नम्बर बदल गये। पूर्व में दर्ज एफ.आई.आर. में OCT-2BT-140282, 8AS-719306 बताये गये। जिन्हें बाद में बदल कर OCT709413,-2BT-140282, 8AH-719306 कर दिया गया।

मान्यवर, पहले तो एक ही तथ्यों में दो अलग-अलग एफ.आई.आर. दर्ज करना, नियम विरुद्ध है। फिर घटना का जो तरीका बताया गया है वह किया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि दान पात्र में से सिर्फ 1000-1000 के नोट ही क्यों निकले, कोई अन्य नोट क्यों नहीं निकला। फिर दान पात्र में अंधेरा रहता है। इसके अलावा तार में नोट को नहीं फंसाया जा सकता। नोट तो पुलिस को दे दिए, परन्तु जिस तार से नोट चुराये गये थे, वो तार किसी ने नहीं देखा और न ही पुलिस को बरामद हुआ। अशोक पुत्र श्री खीमाजी, कानिवाडा में नहीं रहता वह शैतान सिंह का मजदूर है तथा अहमदाबाद में रहता है।

महोदय, उपरोक्त दोनों एफ.आई.आरों से लगता है कि मंदिर की सम्पति को अपने स्वामित्व में लेने के लिये चल रहे विवाद के कारण यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोटों की बरामदगी भी बालकों से न होकर पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा सौंपे गये हैं। मंदिर पर चढ़ावे के रूप में आने वाली सामग्री पर अनुसूचित जाति के परिवार का बहुत लम्बे समय से अधिकार चला आ रहा है, जिसे कुछ जाति विशेष के लोग सहन नहीं करते, इसीलिये उस जाति विशेष के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया।

अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि तथ्यों की सही जांच कर राहत प्रदान करावें।

अनीता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

नगर के कतिपय वार्डों में बिजली, पानी व अन्य समस्याओं का समाधान

विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर के वार्ड नं. 1, 2, 3, 4, 5, 20 में सड़क, पेयजल, बिजली, नालियों की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। जिसमें पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप लाइन डालने हेतु करीब 4 वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी की गई थी। लेकिन विभाग की लापरवाही एवं लेट लतीफी के कारण आज तक उक्त इन वार्डों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई हैं। और ना ही उक्त वार्डों में बिजली की व्यवस्था, ना ही सड़क और ना ही गन्दे पानी की निकासी के लिये नालियों का निर्माण किया गया है। इस कारण वार्डवासियों का जीवन नर्क बन कर रह गया है।

एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सभी को मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायेंगे लेकिन प्रशासन व विभागों की अनदेखी के कारण वार्डवासियों को प्यासा मारने व अंधेरे तथा गंदगी में रखने की पूर्ण कोशिश की जा रही है।

अत: माननीय यह देखने की बात है कि सरकार योजनाओं की स्वीकृति जारी करती है और उनके क्रियान्वयन में बरसों लग जाते हैं इस कारण कस्बा नगर में 4 वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने की जांच करवाई जावे साथ में लोगों को बिजली, सड़क व गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण जैसी सभी मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाते हुये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

अनीता सिंह

(नगर)

श्रीगंगानगर में किसानों को ड्रिप सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन में हो रही कठिनाई

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राज. विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान राज्य में

और विशेषकर श्रीगंगानगर जिले में बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को विद्युत दिये जाने के प्रावधानों से होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने राज्य में पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। दिनांक 15/3/10 तक केवल दो आवेदको को कनेक्शन जारी किये गये हैं, जो अपने आप में जाहिर करता है कि विद्युत कनेक्शन लेने में किसानों को कितनी कठिनाइयां हो रही हैं और किसानों द्वारा कम से कम एक लाख रुपये खर्च किये बिना इस योजना में कनेक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण किसान जिन्होंने इस योजना को अपनाया है और 60 प्रतिशत तक पानी की बचत कर रहे हैं योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लेने में समर्थ नहीं हैं।

इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस योजना के अन्तर्गत विद्युत संबंध सिंगल फेज/5 एच.पी. तक के कनेक्शन प्राथमिकता से दिये जावें और जो किसान 3 फेज कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको भी कनेक्शन दिया जावे। किसानों से ट्रांसफारमर एवं लाइनों की राशि जमा न कराकर राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। सब-स्टेशन लगाने का खर्च भी किसानों से न लेकर सरकार को वहन करना चाहिए।

इस संबंध में जारी आदेशों/निर्देशों में परिवर्तन किये जाकर जरूरतमंद किसानों को विद्युत कनेक्शन दिये जावें जो राज्य में पानी की बचत के लिए सहयोग कर रहे हैं।

संतोष कुमार सहारण
(सादुलशहर)

कोटा में नगरीय परिवहन सुविधा का विकास

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार एवं यातायात मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि कोटा शहर में नगरीय परिवहन सुविधा की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है । किसी समय राजस्थान का कानपुर कहा जाने वाला कोटा शहर एक औद्यौगिक नगरी के साथ-साथ एजुकेशन सिटी के रूप में वृहद् आकार ले चुका है जिसके अनुरूप नगरीय परिवहन सुविधा का विकास नहीं हो पाया है। शहर में अनेक नई आवासीय कालोनियां विकसित हो चुकी हैं, गत वर्षो में मेडिकल कालेज

एवं अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, आडिटोरियम, बायालोजिकल पार्क आदि का बहुआयामी विस्तार हुआ है, देश के जाने-माने शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग सेंटर्स कोटा शहर की शान है जिनमें हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं परन्तु पर्याप्त एवं सुचारू परिवहन सुविधा के अभाव में इन छात्र-छात्राओं के साथ ही आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोटा शहर की आम जनता की भावनाओं के अनुरूप मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि निम्नांकित मार्गों पर तुरन्त नगरीय परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध करवा कर आम जनता को राहत प्रदान कराई जाये:-

1. स्टेशन क्षेत्र- रेलवे कालोनी, वर्कशाप कालोनी, किशनपुरा तकिया ;
2. अंटाघर चौराहे से बोरखेड़ा तक ;
3. नाग नागनागिन मंदिर से शहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक;
4. कामर्स कालेज से केशवपुरा तक ;
5. मोदी कालेज के सामने से जवाहर नगर होते हुए ऑपेरा हास्पीटल रोड ;
6. दादाबाड़ी छोटा चौराहे से तीन बत्ती चौराहे तक ;
7. गोबरिया बावड़ी चौराहे से गणेश शंकर विद्यार्थी सर्किल तक ;
8. गणेश शंकर विद्यार्थी सर्किल से कोटा डेयरी तक ;
9. आर.के. पुरम् अहिंसा सर्किल से सम्पूर्ण श्रीनाथपुरम् मुख्य मार्ग, विवेकानंद नगर तक ;
10. डी.सी.एम. कालोनी से डाढ देवी माताजी तक।

ओम बिरला
(कोटा दक्षिण)

सीकर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद व पदस्थापन में नियमों का उल्लंघन

सीकर जिले में प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। सरकार ने जो विद्यार्थी मित्र लगा रखे थे वहां पर अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों से लगा रही है तथा जहां से अध्यापकों को हटा रही है वहां पर भी नियमों के अनुसार अध्यापक कम होते हुए भी उनको

हटा रही है। यह नियमों की पालना के तहत गलत है। सरकार तो कैसे भी करके विद्यार्थी मित्रों को हटाना चाहती है।

सरकार ने अपने चहीते अध्यापकों को समायोजित करने के लिए खाली विषय के अध्यापकों की जगह उनके विषय के विरुद्ध लगा देती है, जैसे खण्डेला में वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में अंग्रेजी विषय का पद खाली है, तथा उसकी जगह संस्कृत शिक्षक के अध्यापक को लगा रखा है। यह नियमों के विरुद्ध है। व छात्र, छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उनको उनके विषय में जो जगह खाली है वहां पर ही लगाया जावे व यदि अंग्रेजी विषय के अध्यापक विभाग के पास कम हैं, तो नये पद को सृजित किया जाकर भरा जावे। तब तक किसी अंग्रजी के विद्यार्थी मित्र को लगाया जावे। तभी छात्रों को अंग्रेजी विषय पढ़ाया जा सकेगा।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

जल संसाधन विभाग में SC/ST के पदोन्नत अधिकारियों का अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जल संसाधन विभाग में वर्ष 2008-09 में अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियन्ता हेतु एससी/एसटी के 8 अधिशासी अभियन्ताओं को अगस्त 2009 में डी.पी.सी. में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सम्मिलित कर लिफाफे बन्द कर दिये गये थे।

उक्त प्रकरण का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2009 को एससी/एसटी के प्रार्थीयों के पक्ष में हुआ था, जिसमें नवम्बर 2009 तक उक्त अधिकारियों का पदस्थापन करने के निर्देश दिये गये हैं। किन्तु आज दिनांक तक उक्त एससी/एसटी के अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति होने के उपरान्त भी पदस्थापन नहीं दिया गया। जिससे दलित वर्ग में राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त हो रहा है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दलित वर्ग के आरक्षित अधिकारियों को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तुरन्त पदस्थापन करवाये जाने की कार्यवाही करवायें जिससे दलित समाज का राज्य सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके।

नवलकिशोर मीणा

(बामनवास)

राजस्थान सरकार के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कृषि संकाय का अभाव

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सरकारी कालेज में से एक भी स्नातकोत्तर कालेज कृषि संकाय में नहीं है। इससे न तो एसटी/एससी/ओबीसी के गरीब छात्रों को कृषि में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होने में आसानी रहती है न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान प्राप्त होता है। जिसके अनुसंधान का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के एक भी कालेज बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की छात्र/छात्राएं माडल कालेज की सुविधा तथा कृषि स्नाकोत्तर अध्ययन से वंचित है। सरकार से मांग है कि सरकारी क्षेत्र के दोनों कृषि संकाय वाले महाविद्यालयों को अलग से कृषि महाविद्यालय घोषित करें तथा उनमें माडल कालेज भी बनाया जावे। दोनों कृषि संकाय वाले सरकारी कालेजों सवाईमाधोपुर एवं चिमनपुरा में कृषि फार्म एवं अलग भवन भी बने हुए हैं। केवल कृषि शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत करके आईसीएआर के करोड़ों रुपये का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

अत: निवेदन है कि उचित कार्यवाही कराने की व्यवस्था करावें।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

पुष्कर के रूपनगढ़ कस्बे में सरकारी कालेज खोला जाना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र रूपनगढ़ परिक्षेत्र जो उपतहसील कार्यालय भी है रूपनगढ़ क्षेत्र के आस-पास 50 गांव लगते हैं। यहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अजमेर जाना पड़ता है, जिससे की छात्रों का धन एवं समय का अत्यधिक व्यय होता है।

गरीब किसान वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा की जरूरत को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं मा. उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ बड़ा कस्बा है। वहां सरकारी कालेज खोल दिया जाये तो गरीब किसान व अल्प आयवर्ग के लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अजमेर जाना पड़ता है बाहर शिक्षा के लिए जाने पर समय एवं धन की बर्बादी होती है इसलिए क्षेत्र की जनता एवं विद्यार्थी वर्ग की जायज मांग को देखते हुये मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से

निवेदन है कि रूपनगढ़ में सरकारी कालेज खोलकर क्षेत्र की जनता एवं विद्यार्थीयों को राहत प्रदान करवाने की कृपा करें।

नसीम अख्तर इंसाफ

(पुष्कर)

राजकीय महाविद्यालय, देवली का स्नाकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

प्रमुख नगर एवं उपखण्ड मुख्यालय देवली, जिला टोंक में 1977 ई. से चले आ रहे स्नातक स्तर का राजकीय महाविद्यालय सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इसके बाद के महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जा चुका है, किन्तु क्रमोन्नति के सभी मानदण्ड पूर्ण करने तथा समस्त मूलभूत सुविधाएं होने के बावजूद महाविद्यालय देवली को क्रमोन्नत नहीं किया जा सका है। इस महाविद्यालय में शिक्षा सत्र 2005-06 से स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत भूगोल एवं 2006-07 से हिन्दी साहित्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चल रही हैं। क्रमोन्नति की आवश्यकता महसूस करते हुए पूर्व में ही कई मर्तबा प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवली एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना की जा चुकी है।

शैक्षिक दृष्टिकोण से क्षेत्र की भौगोलिक एवं समाजार्थिक परिस्थितियां भी इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर महाविद्यालय होने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है। टोंक, बून्दी एवं भीलवाड़ा के मध्य 120 किलोमीटर की परिधि में इस क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित नहीं है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण स्ववित्तपोषी योजना में फीस अधिक होने के कारण निर्धन ग्रामीण अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययन से वंचित होने से उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति की आकांक्षा फलीभूत नहीं हो पा रही है तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में वे पिछड़ते जा रहे हैं। यहां पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालन से टोंक जिले की तहसील देवली, उनियारा, टोडारायसिंह, बून्दी जिले की तहसील हिण्डोली, भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर एवं शाहपुरा तथा अजमेर जिले की तहसील केकड़ी के निवासी छात्रों को सस्ती एवं सुलभ उच्च शिक्षा प्राप्ति का मौका मिल सकेगा। स्ववित्तपोषी स्नातकोत्तर कक्षाओं को राज्य व्यय पर नियमित की जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि क्षेत्र की उपर्युक्त विशिष्ट परिस्थितियों को

दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा की सुलभता एवं समुचित प्रसार हेतु राजकीय महाविद्यालय देवली को स्ववित्तपोषी योजना के स्थान पर नियमित स्नातकोत्तर महाविद्यालय की श्रेणी में क्रमोन्नत करवाए जाने की कृपा करके अन्य विषयों की कक्षाएं भी प्रारम्भ की जाने के आदेश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

रामनारायण मीणा

(देवली-उनियारा)

बाड़मेर में लगातार अकाल व सूखे के कारण पशुओं के लिए उत्पन्न चारे व पेयजल की समस्या

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के तहत सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर में अकाल एवं सूखे की भयावह स्थिति के सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला लगातार पड़ रहे अकाल से वर्तमान में पेयजल एवं सूखे की भंयकर स्थिति का सामना कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में लगातार पड़ रहे अकाल से पशुओं के लिए चारे एवं पेयजल की विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगातार पड़ रहे अकाल से किसानों के पास अपने पशुधन को बचाने के लिए चारा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में अब जबकि गर्मियों में पारा 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। भयंकर गर्मी एवं लू का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में पशुधन को बचाने के लिए हमको समय रहते विशेष प्रयास करने जरूरी हैं अन्यथा स्थिति विकट हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने चारा परिवहन अनुदान राशि को दुगना किया साथ ही बाड़मेर जिले में प्राथमिकता से 200 पशु शिविरों की भी स्वीकृति दी।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन स्वीकृत पशु शिविरों में से आज तक केवल चार अथवा पांच पशु शिविर ही शुरू हो पाये हैं। जिसके कारण पशुधन की हालत ज्यादा खराब हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय, पशु शिविरों को शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि प्रशासन ने अभी तक चारे के सप्लाई के ठोस उपाय नहीं किये हैं जिससे पशु शिविर प्रारम्भ हो सके। अत: मेरा निवेदन है कि पशुधन को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा चारे की सप्लाई की समुचित व्यवस्था कर पशु शिविर तत्काल शुरू कराने का कष्ट करावें।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि मार्केट में चारा उपलब्ध है नहीं और ग्राम पंचायतें बाहर से चारा क्रय करने कोई जाती नहीं है अत: प्रशासन टेण्डर निकाल कर चारे की व्यवस्था अतिशीघ्र कराये।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल अभाव ग्रस्त ढ़ाणियों में अतिशीघ्र टैंकरों से जलापूर्ति सुनिश्चित करावें। गर्मी में पेयजल की भयंकर किल्लत है लेकिन अभी तक पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो रही है। पेयजल में स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 के करीबन जीएलआर करीब पांच महीने से लेकर एक वर्ष से सूखे पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नरेगा में सभी कार्य बंद पड़े हैं जिसका कारण नरेगा कार्य के मेटेरियल के ठेके होने से बाड़मेर के समस्त सरपंचों ने इस प्रणाली का विरोध में उतर आए है ऐसे भी नरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं अत: इस व्यवस्था पर पुर्विचार कर नरेगा के कार्यों को सुचारू रूप से प्रारम्भ कर आम लोगों को राहत पहुंचायें।

सधन्यवाद।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)